स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

अक्तूबर, 2020
I.S.S.N. : 2457-0486

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

विधि साहित्य प्रकाशन
विधायी विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार

Cover-II

संपादक-मंडल

डा. जी. नारायण राजू,
सचिव, विधायी विभाग

डा. रीटा वशिष्ठ, अपर सचिव,
विधायी विभाग, प्रभारी वि.सा.प्र.

श्री एस. आर. ढलेटा,
सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव एवं
विधायी परामर्शी, विधायी विभाग

डा. सुरेन्द्र कुमार शर्मा, प्रिन्सिपल,
विधि विभाग, डी आई आर डी, गुरु
गोविंद सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय

श्री ए. के. अवस्थी,
सेवानिवृत्त प्रोफेसर एवं डीन, विधि
संकाय लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

श्री एल. आर. सिंह,
प्रोफेसर एवं डीन इलाहाबाद
विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

श्री कृष्ण गोपाल अग्रवाल,
सेवानिवृत्त संपादक, वि.सा.प्र.

श्री अनुराग दीप,
एसोसिएट प्रोफेसर,
भारतीय विधि संस्थान

डा. मिथिलेश चन्द्र पांडेय,
प्रधान संपादक

श्री कमला कान्त,
संपादक

श्री अविनाश शुक्ला,
संपादक

श्री असलम खान,
संपादक

सहायक संपादक : श्री पुण्डरीक शर्मा

उप-संपादक : सर्वश्री महीपाल सिंह और जसवन्त सिंह

ISSN 2457-0486

कीमत : डाक-व्यय सहित

एक प्रति : ₹ 125/-

वार्षिक : ₹ 1,300/-

© 2020 भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय

प्रधान संपादक, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित तथा.................................. द्वारा मुद्रित ।

आई.एस.एस.एन. 2457-0486

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

अक्तूबर, 2020 अंक - 10

प्रधान संपादक
डा. मिथिलेश चन्द्र पांडेय

संपादक
असलम खान

सत्यमेव जयते

विधि साहित्य
प्रकाशन

(2020) 2 दा. नि. प.

विधि साहित्य प्रकाशन
विधायी विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार

Online selling of law Patrikas/Books is available on
Website → https://bharatkosh.gov.in/product/product

विक्रय कार्यालय : सहायक प्रबंधक, कारबार अनुभाग, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, आई. एल. आई. बिल्डिंग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001.
दूरभाष : 011-23385259, 23387589, फैक्स : 011-23387589, ई-मेल : am.vsp-molj@gov.in

संपादकीय

भारतीय विधि के अधीन केवल मानव जीवन के प्रति होने वाले अत्याचार को ही अपराध नहीं माना गया है अपितु पशुओं के प्रति होने वाले क्रूरतापूर्ण कृत्यों को भी अपराध माना गया है । इस संबंध में विधान मंडल ने भारत की सीमा के भीतर रहने वाले पशुओं की भी सुरक्षा के लिए उपबंधित विरचित किए हैं । यद्‌यपि भारतीय दंड विधान मंडल में विशेषत: भारतीय दंड संहिता के अधीन पशुओं को सम्पत्ति माना गया है किंतु संपत्ति के संबंध में दंड भी रखा गया है । हमारे देश की सीमा के भीतर कोई भी व्यक्ति किसी भी पशु को तंग या उस पर अत्याचार नहीं कर सकता और न ही किसी पशु का वध कर सकता है । पशुओं के साथ-साथ दुर्व्यवहार किए जाने की घटना प्राय: सामने आती रहती हैं और इन घटनाओं से निपटने के लिए भारतीय दंड संहिता और कुछ अन्य अधिनियमों के माध्यम से पशुओं के अधिकारों को भी सुरक्षित रखा गया है । पशुओं की रक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 51(क) के अनुसार मूल कर्तव्य के अधीन आती है । भारत के संविधान के अधीन उसके नागरिक का मूल कर्तव्य संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है । अनुच्छेद 51(क) और (छ) में यह उपबंध किया गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण अर्थात् झील, नदी और वन्य जीवन की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है । पशुओं की सुरक्षा से संबंधित दंड संहिता के अतिरिक्त पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 का प्रावधान भी विधान मंडल द्‌वारा किया गया है । दंड संहिता की धारा 428 के अधीन जो कोई 10/- रुपए या उससे अधिक के मूल्य के किसी जीव जन्तु या जीवजन्तुओं का वध करने, विष देने, विकलांग करने या निरुपयोगी बनाने द्‌वारा रिष्टि करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दंडित किया जाएगा । यह धारा धार्मिक प्रयोजन हेतु किसी पशु की बलि दिए जाने के संबंध में लागू नहीं होती है । स्लाटर हाउस रूल्स, 2001 के अन्तर्गत ही इन पशुओं का वध किया जा सकता है । भारत में वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत हाथी, ऊंट, घोड़े इत्यादि की बलि नहीं दी जा सकती तथा बैल और सांड गोवंश संरक्षण

अधिनियम के अन्तर्गत अलग-अलग राज्यों में संरक्षित कर दिए गए हैं । अब केवल चुने हुए पशुओं अर्थात् बकरा, भैंस, भेड़ आदि की ही बलि दी जाती है ।

पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 के माध्यम से पशुओं के प्रति होने वाली क्रूरता को रोकने हेतु संपूर्ण प्रयास किए गए हैं । इस अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत साधारण शब्दों में यह उल्लेख किया गया है कि किसी पशु को पीटना, ठोकर मारना, बहुत अधिक सवारी लादना, बहुत अधिक बोझ लाद देना, उसे यातना देना या फिर उसके साथ कोई भी ऐसा व्यवहार करना जिससे उसे अनावश्यक पीड़ा हो । इसके अतिरिक्त पशुओं के साथ अन्य किसी भी प्रकार से किए जाने वाले दुर्व्यवहार को रोकने का भरसक प्रयास इस अधिनियम के अधीन किया गया है और इस अंक में पाठकों के ज्ञानार्जन के लिए इस अधिनियम को मुद्रित किया जा रहा है । यह अंक विधि-विद्यार्थियों, वकीलों, न्यायाधीशों, विधि-अध्यापकों तथा विधि के ज्ञान में रुचि रखने वाले पाठकों के लिए पर्याप्त रूप से लाभकारी है ।

असलम खान
संपादक

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

अक्तूबर, 2020

निर्णय-सूची

पृष्ठ संख्या

अनिल थॉमस **बनाम** बिंदु जॉर्ज और अन्य 439

कुलदीप कुमार **बनाम** हिमाचल प्रदेश राज्य 552

गुजरात राज्य **बनाम** प्रकाशीभाई ओखाभाई मोची और अन्य 487

ननकू कुमार सिन्हा **बनाम** झारखंड राज्य 519

शौकत अहमद डार **बनाम** जम्मू-कश्मीर राज्य और अन्य 507

सतीश कुमार और अन्य **बनाम** केरल राज्य 464

सोनाबाई संजय पंडित और अन्य **बनाम** महाराष्ट्र राज्य 527

संसद् के अधिनियम

पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ 1 – 33

विषय-सूची

पृष्ठ संख्या

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 (2005 का 43)

– धारा 12, धारा 28 और धारा 32 – पत्नी द्वारा पति के विरुद्ध सतत शारीरिक और मानसिक यातना और इसके परिणामस्वरूप घरेलू हिंसा का आरोप लगाया जाना – पति द्वारा पत्नी की नासिका पर घूसा मार कर क्षति कारित किए जाने के अभिकथन की डाक्टर द्वारा प्रस्तुत की गई उसके उपचार संबंधी मामला फाइल से अभिपुष्टि होना – स्वयं पत्नी, उसके पिता और डाक्टर के अभिसाक्ष्य से पति द्वारा दी जा रही शारीरिक और मानसिक यातना का साबित होना – पत्नी के साथ बरती जा रही क्रूरता को साबित करने हेतु बालकों को परीक्षा हेतु प्रस्तुत न किया जाना – पत्नी द्वारा अपने इस अभिकथन को साबित करने के लिए कि पति द्वारा उसे किसी मनोरोग चिकित्सक से परामर्श किए बिना मनोरोग की ओषधियां दी गईं, घर की नौकरानी की परीक्षा न किया जाना – पति द्वारा यह प्रतिवाद किया जाना कि घरेलू हिंसा संबंधी याचिका परिसीमा विधि के अधीन वर्जित है – पत्नी, उसके पिता और डाक्टर के अभिसाक्ष्य से शारीरिक और मानसिक यातना साबित हो जाने के कारण बालकों और नौकरानी की परीक्षा आवश्यक नहीं है और चूंकि शारीरिक और मानसिक यातना सतत प्रकृति की है इसलिए परिसीमा विधि के अधीन वर्जन वर्तमान मामले में लागू नहीं होता – इसके अतिरिक्त पत्नी ने अपने वैवाहिक घर को भी घरेलू हिंसा संबंधी याचिका फाइल करने के पश्चात् ही छोड़ा है,

अत: पति के विरुद्ध घरेलू हिंसा का मामला साबित होता है और इस प्रकार विचारण न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप करना अपेक्षित नहीं है ।

अनिल थॉमस बनाम **बिंदु जॉर्ज और अन्य** 439

जम्मू-कश्मीर लोक सुरक्षा अधिनियम, 1978 (1978 का 6)

– धारा 8 और धारा 13 [सपठित भारत का संविधान, 1950 का अनुच्छेद 22(5)] – निरोध आदेश – निरुद्ध करने वाले प्राधिकारी द्वारा निरुद्ध व्यक्ति को अधिनियम की धारा 13 की अपेक्षानुसार निरुद्ध करने के आधारों की सूचना देने में असफल होना – उक्त आधारों के संबंध में केवल मौखिक स्पष्टीकरण प्रदान करना किंतु ऐसी भाषा में उसकी प्रति उपलब्ध न कराना, जिसे वह समझता हो – उक्त प्राधिकारी द्वारा निरुद्ध व्यक्ति को निरोध आदेश जारी करते समय अवलंब ली गई सामग्री परिदत्त करने में असफल रहना – निरुद्ध करने वाले प्राधिकारी द्वारा निरुद्ध व्यक्ति को निरोध आदेश जारी करने के आधारों, की सूचना देने, उसे समझ आने वाली भाषा में उनकी प्रति तथा अन्य सुसंगत सामग्री उपलब्ध कराने में असफल रहने के कारण निरुद्ध व्यक्ति निरोध आदेश के विरुद्ध प्रभावी प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने से वंचित हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(5) के अधीन उसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है । अत: निरोध आदेश अविधिपूर्ण है और अभिखंडित किए जाने का दायी है ।

शौकत अहमद डार बनाम **जम्मू-कश्मीर राज्य और अन्य** 507

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45)

– धारा 53, धारा 279, धारा 337, धारा 338 और धारा 304क – दोषसिद्धि और दंडादेश – मामला अत्यधिक पुराना और अभियुक्त का कोई अन्य आपराधिक पूर्ववृत्त न होने तथा उसकी आयु के आधार पर दंडादेश को उपांतरित करने का अनुरोध किया जाना – न्यायालय ने पूर्वोक्त आधारों पर विचार करते हुए तथा इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि अभियुक्त ने अनेक वर्षों तक दांडिक मामले के साथ जुड़े कष्टों को सहन किया है, धारा 304क के अधीन दिए गए दंडादेश को घटाकर 9 माह करना उपयुक्त समझा और साथ ही उस पर 10,000/- रुपए का जुर्माना भी अधिरोपित किया ।

ननकू कुमार सिन्हा बनाम **झारखंड राज्य** 519

– धारा 302 और धारा 114 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 और 27] – हत्या – तथ्य का प्रकटन – मृतक के वेश्यावृत्ति के लिए प्रसिद्ध ग्राम – अभियुक्तों के साथ जाने से इनकार करने पर अभियुक्तों द्वारा मृतक पर चाकू से हमला किया जाना – प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य की संपुष्टि अन्य साक्ष्य से न होना – आयुध की बरामदगी साबित न होना – शवपरीक्षण रिपोर्ट से चाकू घोंपकर हत्या किया जाना साबित न होना – शिकायतकर्ता और चिकित्सक का साक्ष्य तथा चिकित्सीय साक्ष्य, प्रत्यर्थी को पहुंची क्षतियों से मेल नहीं खाते हैं और वे शिकायतकर्ता तथा मृतक की शव-परीक्षा करने वाले चिकित्सक के साक्ष्य के समवर्ती नहीं हैं तथा अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त-प्रत्यर्थी के कपड़ों की बरामदगी से संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत

नहीं किया गया है तथा अपराध में प्रयोग किए गए चाकू की बरामदगी भी साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन साबित नहीं की गई है और मृत्यु का कारण भी चाकू घोंपने से अन्यथा बताया गया है, ऐसी स्थिति में अभियुक्त-प्रत्यर्थियों की दोषमुक्ति न्यायोचित है ।

गुजरात राज्य बनाम **प्रकाशीभाई ओखाभाई मोची और अन्य** 487

– धारा 304, भाग-2 – हत्या की कोटि में न आने वाला मानव-वध – अभिकथित रूप से अभियुक्तों द्वारा पूर्व शत्रुता के कारण मृतक पर गंडासों और डंडों से हमला किया जाना – शव-परीक्षा करने वाले डाक्टर द्वारा मृत्यु के विनिर्दिष्ट कारण को अभिनिश्चित करने में असफल रहना – अभियोजन साक्षियों के इस प्रभाव के कथन का विश्वसनीय न होना कि वे चीख-पुकार सुनकर घटनास्थल पर पहुंचे थे, क्योंकि घटनास्थल उनके निवास-स्थान से लगभग 30 मीटर दूरी पर स्थित है – इत्तिलाकर्ता का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी न होना और उसका अपराध कारित किए जाने की रीति के संबंध में अभिज्ञ होना – घटना के समय को साबित करने के लिए किसी विश्वसनीय साक्ष्य का अभिलेख पर उपलब्ध न होना – साक्षियों द्वारा घटना की जानकारी होने के काफी समय पश्चात् तक उसकी सूचना किसी अन्य व्यक्ति/पुलिस को न दिया जाना – प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा यह प्रतिवाद किया जाना कि मृतक को क्षतियां, मदिरा के नशे में कुंए में गिर जाने के कारण कारित हुई हैं और मृतक की माता द्वारा यह कथन किया जाना कि घटना के तुरंत पश्चात् उन्होंने घर में विद्यमान कुंए को

पृष्ठ संख्या

बंद करके नया कुंआ तैयार कराया था – घटना के देर रात्रि घटित होने के कारण अंधेरे में साक्षियों द्वारा अभियुक्तों की समुचित शनाख्त किए जाने में संदेह होना – घटना में प्रयुक्त हथियारों पर रक्त, रोम, केश, ऊत्तकों आदि का न पाया जाना और उक्त हथियारों की फोरेंसिक जांच न कराया जाना – उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह से परे अभियुक्तों के अपराध को साबित करने में असफल रहा है और इसलिए अभियुक्त दोषमुक्त किए जाने के हकदार हैं ।

सतीश कुमार और अन्य बनाम **केरल राज्य** 464

– धारा 372, धारा 373 और धारा 34 [सपठित अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 की धारा 3, धारा 4, धारा 5 और धारा 6 तथा बालकों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 4 और धारा 8] – अनैतिक देह व्यापार – अभियुक्तों द्वारा अभिकथित रूप से वेश्यागृह चलाया जाना और उनके द्वारा वेश्यावृत्ति के उपार्जनों से अपनी आजीविका चलाया जाना – वेश्यागृह पर छापे के दौरान छुड़ाई गई चौदह लड़कियों में से अनेक का अप्राप्तवय प्रतीत होना – उक्त लड़कियों में से चार लड़कियों की परीक्षा किया जाना और उनके द्वारा साक्ष्य में यह कथन किया जाना कि अभियुक्त सं. 1 वेश्यागृह चला रही थी तथा वेश्यावृत्ति के उपार्जनों से अपना जीवन-यापन कर रही थी – लड़कियों की आयु को 18 वर्ष से कम साबित करने हेतु किसी दस्तावेजी साक्ष्य का उपलब्ध न होना –

पृष्ठ संख्या

अभियोजन द्वारा चिकित्सा परीक्षा रिपोर्टों का अवलंब लिया जाना – किंतु चिकित्सा परीक्षा करने वाले चिकित्सा अधिकारियों द्वारा यह स्वीकार किया जाना कि उक्त परीक्षा के निष्कर्षों में दोनों ओर दो वर्ष की त्रुटि होने की संभावना है – इस प्रकार अभियोजन पक्ष द्वारा यह स्थापित करने में असफल रहना कि सुसंगत समय पर छुड़ाई गई लड़कियों की आयु अठारह वर्ष से कम थी – लड़कियों द्वारा यह स्वीकार किया जाना कि वे शिरडी तीर्थ यात्रा के बहाने से उक्त वेश्यागृह में स्वेच्छापूर्वक आई थीं – उनके कथन में उन्हें वेश्यागृह में निरुद्ध रखे जाने के संबंध में कोई उल्लेख न होना – चिकित्सा अधिकारियों द्वारा भी छुड़ाई गई लड़कियों के साथ हुए प्रवेशनात्मक यौन संबंधों के बारे में कोई राय व्यक्त नहीं किया जाना – उपरोक्त परिस्थितियों में जब किसी भी लड़की की आयु को अठारह वर्ष से कम होने के तथ्य को स्थापित नहीं किया जा सका है और यह पाया गया है कि वे स्वेच्छा से वेश्यावृत्ति में संलिप्त थीं तो अभियुक्त सं. 1 के विरुद्ध न तो पोक्सो अधिनियम और न ही पिटा अधिनियम के उपबंधों को लागू किया जा सकता है और इस प्रकार अभियुक्त सं. 1 को पिटा अधिनियम की धारा 3 और धारा 4 के अधीन दंडनीय अपराधों के सिवाय अन्य सभी अपराधों से दोषमुक्त किया जाता है – जहां तक अभियुक्त सं. 2 का संबंध है, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार वह केवल मुख्य अभियुक्त के साथ निवास कर रहा था अत: उसे उसके विरुद्ध विरचित सभी आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है ।

सोनाबाई संजय पंडित और अन्य बनाम **महाराष्ट्र राज्य** 527

– धारा 376 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – बलात्संग – सम्मति – प्रचलित रीति-रिवाज के अनुसार अभियुक्त और अभियोक्त्री के बीच सगाई के पश्चात् लैंगिक संबंध स्थापित होने का अभिकथन – उपखंड मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत में अभियोक्त्री के साथ लैंगिक संबंध का उल्लेख न किया जाना – चिकित्सीय साक्ष्य से बलात्संग की पुष्टि न होना – किसी भी अभियोजन साक्षी ने यह कथन नहीं किया है कि सगाई के पश्चात् अभियुक्त ने विवाह करने के बहाने से अभियोक्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे और चिकित्सीय साक्ष्य से भी बलात्संग की पुष्टि नहीं होती है तथा अभियोक्त्री के पिता ने उपखंड मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत में यह उल्लेख नहीं किया था कि अभियुक्त-अपीलार्थी ने रीति-रिवाज का लाभ लेते हुए विवाह करने के बहाने से उसकी पुत्री के साथ संभोग किया है, ऐसी स्थिति में निचले न्यायालय का दोषसिद्धि का निर्णय कायम नहीं रखा जा सकता ।

कुलदीप कुमार बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य** 552

अनिल थॉमस

बनाम

बिंदु जॉर्ज और अन्य

(2018 की दांडिक पुनरीक्षण याचिका सं. 44)

तारीख 30 जून, 2020

न्यायमूर्ति एम. आर. अनिता

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 (2005 का 43) – धारा 12, धारा 28 और धारा 32 – पत्नी द्वारा पति के विरुद्ध सतत शारीरिक और मानसिक यातना और इसके परिणामस्वरूप घरेलू हिंसा का आरोप लगाया जाना – पति द्वारा पत्नी की नासिका पर घूसा मार कर क्षति कारित किए जाने के अभिकथन की डाक्टर द्वारा प्रस्तुत की गई उसके उपचार संबंधी मामला फाइल से अभिपुष्टि होना – स्वयं पत्नी, उसके पिता और डाक्टर के अभिसाक्ष्य से पति द्वारा दी जा रही शारीरिक और मानसिक यातना का साबित होना – पत्नी के साथ बरती जा रही क्रूरता को साबित करने हेतु बालकों को परीक्षा हेतु प्रस्तुत न किया जाना – पत्नी द्वारा अपने इस अभिकथन को साबित करने के लिए कि पति द्वारा उसे किसी मनोरोग चिकित्सक से परामर्श किए बिना मनोरोग की ओषधियां दी गईं, घर की नौकरानी की परीक्षा न किया जाना – पति द्वारा यह प्रतिवाद किया जाना कि घरेलू हिंसा संबंधी याचिका परिसीमा विधि के अधीन वर्जित है – पत्नी, उसके पिता और डाक्टर के अभिसाक्ष्य से शारीरिक और मानसिक यातना साबित हो जाने के कारण बालकों और नौकरानी की परीक्षा आवश्यक नहीं है और चूंकि शारीरिक और मानसिक यातना सतत प्रकृति की है इसलिए परिसीमा विधि के अधीन वर्जन वर्तमान मामले में लागू नहीं होता –

इसके अतिरिक्त पत्नी ने अपने वैवाहिक घर को भी घरेलू हिंसा संबंधी याचिका फाइल करने के पश्चात् ही छोड़ा है, अत: पति के विरुद्ध घरेलू हिंसा का मामला साबित होता है और इस प्रकार विचारण न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप करना अपेक्षित नहीं है ।

वर्तमान अपील का निपटारा करने हेतु संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि याची और प्रत्यर्थी के बीच तारीख 23 मई, 1994 को विवाह अनुष्ठापित हुआ था । वह एक सहबद्ध प्रोफेसर है और प्रत्यर्थी एक दंत शल्य-चिकित्सक है । विवाह के पश्चात् याची और प्रत्यर्थी ने अलैप्पी, अलवाय स्थित एक किराए के मकान में एक-साथ रहना आरंभ किया और अंतत: वे वर्ष 2010 में वैत्तिला में स्थायी रूप से निवास करने लगे । प्रत्यर्थी के विरुद्ध क्रूरता की अनेक कार्रवाइयां की गई हैं जिसके अंतर्गत उसके द्वारा इस बात पर जोर देना भी है कि वह दूसरे बालक से अपने गर्भवती होने के तथ्य को प्रकट न करे क्योंकि उसकी माता दूसरे बालक के जन्म को सहन नहीं कर सकती थी । उसके प्रति क्रूरता बरते जाने की एक अन्य घटना के दौरान जब वह सो रही थी और उसके गर्भ में उसका दूसरा बालक था और अनावधानीवश उसके नाखूनों का प्रत्यर्थी के शरीर से स्पर्श हो गया था तो उस समय अभिकथित रूप से प्रत्यर्थी ने उस पर हमला किया था । पुन: वर्ष 2008 में जब उसके पुत्र के कान में हर्पिस वायरस का संक्रमण हुआ था तो उस समय प्रत्यर्थी उसके द्वारा अनुरोध किए जाने के बावजूद उसके पुत्र को त्वचा विशेषज्ञ के पास नहीं ले गया था तो उस समय वह स्वयं अपने बालक को अस्पताल ले गई और जब वह अस्पताल से वापस आई तो उसकी क्रूरतापूर्वक पिटाई की गई जिसके परिणामस्वरूप उसके कर्णपटह में छेद हो गए थे और उसके परिणामस्वरूप वह सुनने की समस्या और शारीरिक असंतुलन को झेल रही है । अभिकथित रूप से एक अन्य घटना तारीख 3 दिसंबर, 2008 को प्रात: 5.00 बजे घटित हुई जब उसने क्रूरतापूर्वक उसकी नाक पर घूसा मारा जिसके परिणामस्वरूप उसकी नासिका अंदर से फट गई । पुन: जब वह अपनी डाक्टरेट उपाधि के लिए थीसिस पर कार्य कर रही थी उस समय भी उस पर हमला

किया गया और साथ ही उसे मानसिक प्रताड़ना के भी अध्यधीन किया गया जिसके कारण उसे मानसिक रोग संबंधी समस्याएं उत्पन्न हुईं और उसके पति द्वारा उसकी जानकारी के बिना उसे मनोरोग से संबंधित ओषधियां दी गईं । यह भी अभिकथित किया गया है कि वह उसके चरित्र पर संदेह करता था और याची के अनुसार उसे सतत शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के अध्यधीन रखा गया । अत: इस सबके परिणामस्वरूप उसने उक्त याचिका फाइल की । प्रत्यर्थी ने याचिका में लगाए गए सभी आरोपों तथा शारीरिक और मानसिक यातना की सभी घटनाओं से इनकार करते हुए अपने आक्षेप फाइल किए । उसके अनुसार वह एक प्यार करने वाला पति है और उसने सदैव अपनी पत्नी और बालकों की उचित रूप से देखभाल की है तथा उन्हें सदैव अपना समय भी दिया है और इसके अतिरिक्त उसने अपनी पत्नी के नाम से संपत्ति का भी क्रय किया है । उसने याची और बालकों की देखभाल करने संबंधी अपनी इच्छा और स्वीकृति को भी बलपूर्वक प्रस्तुत किया है । उसने यह भी दलील दी है कि याची ने उस पर हाथ उठाया है । उसने याची के द्वारा दी गई सभी यातनाओं को खामोशी से सहा है । यह भी प्रतिवाद किया गया है कि याची के व्यवहार के कारण उसके कुटुंब के सदस्य उससे दूरी बनाए रखते थे और वे कभी भी उसके घर नहीं आए । डाक्टरों के अनुदेश के बिना ओषधि दिए जाने संबंधी आरोप से भी इनकार किया गया है । इस प्रकार उसने याचिका को खारिज करने का अनुरोध किया । विचारण न्यायालय ने अपना निर्णय पत्नी के पक्ष में दिया, जिससे व्यथित होकर पति ने उच्च न्यायालय में वर्तमान दांडिक पुनरीक्षण याचिका फाइल की है । उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण याचिका खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – अभि. सा. 3 ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि प्रत्यर्थी याची के चेहरे पर प्रहार करता था और साथ ही उसके पेट के आस-पास के स्थान पर भी प्रहार करता था और इसके परिणामस्वरूप उसकी श्रवण शक्ति भी आंशिक रूप से चली गई थी और उसे यूट्रस और ईएनटी से संबंधित समस्याएं भी उत्पन्न हो गई थीं । उसके साक्ष्य से

यह भी दर्शित होता है कि उसने उन दोनों को एक-साथ जोड़े रखने की भरपूर चेष्टा की है । इस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि यद्यपि प्रत्यर्थी ने अपने आक्षेप और साथ ही अपने शपथपत्र में भी यह प्रतिवाद किया है कि याची को यह पसंद नहीं था कि उसके कुटुंब के सदस्य उसके घर आएं और वह उनके साथ कभी भी सहयोग नहीं करती थी फिर भी उसने अपने इस प्रतिवाद के समर्थन में अपने कुटुंब के सदस्यों में से किसी की भी परीक्षा नहीं की है । इस प्रकार जैसा कि निचले न्यायालय ने भी इस संबंध में सही निष्कर्ष प्रस्तुत किया है कि याची के पिता अभि. सा. 3 के साक्ष्य को अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के पुष्टिकारक साक्ष्य के रूप में विश्वसनीय माना जा सकता है । याची ने सबूत स्वरूप प्रस्तुत किए गए शपथपत्र में सत्यनिष्ठा से यह प्रतिज्ञान किया है कि न्यायालय द्वारा अंतिम आदेश पारित किए जाने के बावजूद प्रत्यर्थी ने और अधिक तीव्रता से अपना दुर्व्यवहार जारी रखा और उसका ऐसा दुर्व्यवहार उसके बालकों की शिक्षा-दीक्षा को भी प्रभावित कर रहा था, विशेष रूप से उसके बड़े पुत्र की शिक्षा को जिसकी 12वीं कक्षा की केंद्रीय बोर्ड परीक्षाएं समीप आ रही थीं । यह भी अभिकथन किया गया है कि प्रत्यर्थी ने उसे तथा उसके बालकों को प्रताड़ित करने के लिए परीक्षा के दौरान उन्हें हर प्रकार से कष्ट दिया । वह अक्सर उस कक्ष को ताला लगा देता था और चाबी छिपा देता था जहां बालकों की किताबें और विद्यालय की वर्दी रखी होती थीं तथा वह प्रात: कार के टायर को पंचर कर दिया करता था और इस प्रकार याची तथा बालक अपने कार्यस्थल या विद्यालय में समय पर नहीं पहुंच पाते थे और इसलिए प्रत्यर्थी के साथ एक छत के नीचे निवास करना याची और उसके बालकों के लिए असंभव तथा अनिष्टकारक हो गया था । उक्त परिस्थितियों में वह अपना निवास स्थानांतरित करने हेतु मजबूर हुई थी । इस प्रकार याची के पक्ष में अंतरिम आदेश पारित किए जाने के बावजूद उसके घर छोड़े जाने के कारण को उसने अपनी मुख्य परीक्षा में ब्यौरेवार रूप से वर्णित किया है । अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान भी उसने इस बात को दोहराया है कि उसने मामला फाइल करने के पश्चात् अपने निवास को इसलिए

स्थानांतरित किया था ताकि वह स्वयं और उसके बालक सुकून से जीवन व्यतीत कर सकें । यह सत्य है कि प्रत्यर्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह प्रतिवाद किया है कि चाय के साथ ओषधि दिए जाने की घटना को साबित करने के लिए याची को उस नौकरानी की परीक्षा करनी चाहिए थी जिससे उसे यह सूचना प्राप्त हुई थी । उसने यह भी प्रतिवाद किया है कि प्रत्यर्थी द्वारा किए गए अभिकथित शारीरिक हमलों या मानसिक क्रूरताओं की विभिन्न कार्रवाइयों को साबित करने के लिए बालकों की परीक्षा की जानी चाहिए थी । किंतु हम पहले ही इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि याची ने यह साबित कर दिया है कि प्रत्यर्थी ने उसकी नासिका पर क्षति कारित करते हुए उस पर शारीरिक हमला किया था जिसके परिणामस्वरूप उसे अस्पताल ले जाना पड़ा था तथा याची के खिलाफ अभि. सा. 3 ने भी न्यायालय के समक्ष ब्यौरेवार ऐसी क्रूरतापूर्ण कार्रवाइयों के संबंध में अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किया है जिसे प्रत्यर्थी ने याची के विरुद्ध कारित किया था । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने वर्ष 2008 की घटना के पश्चात् उन दोनों के बीच हस्तक्षेप करने और उन्हें समझाने का प्रयास किया था किंतु जब उसे उन दोनों के बीच परस्पर मत की भिन्नता के संबंध में ज्ञात हुआ और उसने स्पष्ट रूप से यह कथन किया कि वह वृत्तिक एवं व्यक्तिगत रूप से उनके संबंधों को प्रभावित करने में असमर्थ था क्योंकि प्रत्यर्थी ने उस समय कभी भी उसके समक्ष मुख नहीं खोला जब उसकी पुत्री ने उसे यह बताया कि उसने उसे लातों और घूसों से मारा है और जब उसने इस संबंध में प्रत्यर्थी से पूछा तो वह सदैव मौन बना रहा । इस प्रकार परीक्षा के अंत में जब उससे उस समय उसकी पुत्री की स्थिति के बारे में पूछा गया जब वह उसकी शारीरिक यातना के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर उससे मिलने उसके घर गया था तो उसने स्पष्ट रूप से यह कथन किया कि उसके चेहरे और शरीर पर सूजन थी और इस प्रकार की अनेक घटनाएं घटित हुई थीं और वह स्वयं नहीं जानता कि उसे यह सब सहन करने की शक्ति कहां से प्राप्त हुई । इस प्रकार अभि. सा. 3 और अभि. सा. 1 की एक लंबी प्रतिपरीक्षा करने के बावजूद भी ऐसी कोई बात सामने नहीं आ सकी जो उस शारीरिक और मानसिक यातना जिसे याची ने प्रत्यर्थी

के हाथों प्राप्त किया था, के संबंध में उनके परिसाक्ष्य पर संदेह उत्पन्न कर सके । इसलिए नौकरानी या बालकों की परीक्षा न करना वर्तमान मामले में संगत नहीं है । प्रत्यर्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह भी प्रतिवाद किया है कि नाक पर घूसा मारे जाने की घटना वर्ष 2008 में घटित हुई थी और एम. सी. वर्ष 2013 में फाइल की गई है और इस संपूर्ण अवधि के दौरान याची प्रत्यर्थी के साथ निवास करती रही है जिससे यह उपदर्शित होता है कि उसने उसकी इस क्रूरता को क्षमा कर दिया था और इसलिए उसके द्वारा फाइल की गई वर्तमान याचिका परिसीमा विधि द्वारा वर्जित है । (पैरा 17, 18, 19, 20, 21 और 24)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2019]	2019 के. एच. सी. 4712 = ए. आई. आर. ऑनलाइन 2019 एम. पी. 548 : **ज्योति श्रीवास्तव और एक अन्य** बनाम **विवेक श्रीवास्तव** ;	22
[2019]	2019 के. एच. सी. 4298 = 2019 क्रिमिनल ला जर्नल 3027 (मद्रास) : **नागराजन वी. और अन्य** बनाम **बी. पी. थंगावेणी** ;	21
[2019]	(2019) 2 बाम्बे सी. आर. (क्रि.) 58 : **श्री विजयानंद दत्ताराम नायक और अन्य** बनाम **श्रीमती विश्रांती विजयानंद दत्ताराम नायक और अन्य** ।	23

अपीली दांडिक अधिकारिता : 2018 की दांडिक पुनरीक्षण याचिका सं. 44.

वर्तमान पुनरीक्षण याचिका मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय, एर्नाकुलम के एम. सी. सं. 1/2013 के संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा फाइल की गई है ।

याची की ओर से	सर्वश्री डा. के. पी. सतीशन (वरि.), एस. के. आदित्यन, पी. मोहनदास, मोहम्मद इब्राहिम, अब्दुल समद, साबू पुल्लन, के. सुधीनकुमार और एस. विभीषणन
प्रत्यर्थियों की ओर से	सर्वश्री एस. बीजु, कीजक्कनेला, जोन्सन गोम्स, वरिष्ठ लोक अभियोजक और एम. एस. ब्रीज

न्यायमूर्ति एम. आर. अनिता – घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 (2005 का 43) की धारा 12 के अधीन फाइल की गई याचिका में असफल रहे पति ने इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान पुनरीक्षण याचिका फाइल की है ।

2. वर्तमान याचिका में पुनरीक्षण याची मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय, एर्नाकुलम के एम. सी. सं. 1/2013 वाले मामले से संबंधित फाइल का प्रत्यर्थी है । पक्षकारों को निचले न्यायालयों के समक्ष उनकी प्रास्थिति के अनुसार निर्दिष्ट किया गया है ।

3. संक्षेप में याची का मामला निम्नानुसार है –

याची और प्रत्यर्थी के बीच तारीख 23 मई, 1994 को विवाह अनुष्ठापित हुआ था । वह एक सहबद्ध प्रोफेसर है और प्रत्यर्थी एक दंत शल्य-चिकित्सक है । विवाह के पश्चात् याची और प्रत्यर्थी ने अलैप्पी, अलवाय स्थित एक किराए के मकान में एक-साथ रहना आरंभ किया और अंततः वे वर्ष 2010 में वैत्तिला में स्थायी रूप से निवास करने लगे । प्रत्यर्थी के विरुद्ध क्रूरता की अनेक कार्रवाइयां की गई हैं जिसके अंतर्गत उसके द्वारा इस बात पर जोर देना भी है कि वह दूसरे बालक से अपने गर्भवती होने के तथ्य को प्रकट न करे क्योंकि उसकी माता दूसरे बालक के जन्म को सहन नहीं कर सकती थी । उसके प्रति क्रूरता बरते जाने की एक अन्य घटना के दौरान जब वह सो रही थी और उसके गर्भ में उसका दूसरा बालक था और अनावधानीवश उसके नाखूनों का

प्रत्यर्थी के शरीर से स्पर्श हो गया था तो उस समय अभिकथित रूप से प्रत्यर्थी ने उस पर हमला किया था । पुन: वर्ष 2008 में जब उसके पुत्र के कान में हर्पिस वायरस का संक्रमण हुआ था तो उस समय प्रत्यर्थी उसके द्वारा अनुरोध किए जाने के बावजूद उसके पुत्र को त्वचा विशेषज्ञ के पास नहीं ले गया था तो उस समय वह स्वयं अपने बालक को अस्पताल ले गई और जब वह अस्पताल से वापस आई तो उसकी क्रूरतापूर्वक पिटाई की गई जिसके परिणामस्वरूप उसके कर्णपटह में छेद हो गए थे और उसके परिणामस्वरूप वह सुनने की समस्या और शारीरिक असंतुलन को झेल रही है । अभिकथित रूप से एक अन्य घटना तारीख 3 दिसंबर, 2008 को प्रात: 5.00 बजे घटित हुई जब उसने क्रूरतापूर्वक उसकी नाक पर घूसा मारा जिसके परिणामस्वरूप उसकी नासिका अंदर से फट गई । पुन: जब वह अपनी डाक्टरेट उपाधि के लिए थीसिस पर कार्य कर रही थी उस समय भी उस पर हमला किया गया और साथ ही उसे मानसिक प्रताड़ना के भी अध्यधीन किया गया जिसके कारण उसे मानसिक रोग संबंधी समस्याएं उत्पन्न हुईं और उसके पति द्वारा उसकी जानकारी के बिना उसे मनोरोग से संबंधित ओषधियां दी गईं । यह भी अभिकथित किया गया है कि वह उसके चरित्र पर संदेह करता था और याची के अनुसार उसे सतत शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के अध्यधीन रखा गया । अत: इस सबके परिणामस्वरूप उसने उक्त याचिका फाइल की ।

4. प्रत्यर्थी ने याचिका में लगाए गए सभी आरोपों तथा शारीरिक और मानसिक यातना की सभी घटनाओं से इनकार करते हुए अपने आक्षेप फाइल किए । उसके अनुसार वह एक प्यार करने वाला पति है और उसने सदैव अपनी पत्नी और बालकों की उचित रूप से देखभाल की है तथा उन्हें सदैव अपना समय भी दिया है और इसके अतिरिक्त उसने अपनी पत्नी के नाम से संपत्ति का भी क्रय किया है । उसने याची और बालकों की देखभाल करने संबंधी अपनी इच्छा और स्वीकृति को भी बलपूर्वक प्रस्तुत किया है । उसने यह भी दलील दी है कि याची ने उस पर हाथ उठाया है । उसने याची के द्वारा दी गई सभी यातनाओं को

खामोशी से सहा है । यह भी प्रतिवाद किया गया है कि याची के व्यवहार के कारण उसके कुटुंब के सदस्य उससे दूरी बनाए रखते थे और वे कभी भी उसके घर नहीं आए । डाक्टरों के अनुदेश के बिना ओषधि दिए जाने संबंधी आरोप से भी इनकार किया गया है । इस प्रकार उसने याचिका को खारिज करने का अनुरोध किया ।

5. याची की ओर से अभि. सा. 1 से अभि. सा. 3 की परीक्षा की गई तथा प्रदर्श पी-1 से प्रदर्श पी-3 को अभिलेख पर चिह्नित किया गया । प्रत्यर्थी ने प्रति. सा. 1 के रूप में अपनी स्वयं की परीक्षा की तथा प्रदर्श डी-1 श्रृंखला, प्रदर्श डी-2 (प्रदर्श डी-3 श्रृंखला, प्रदर्श डी-4 को सबूत के अधीन रहते हुए चिह्नित किया गया), प्रदर्श डी-5 और प्रदर्श डी-6 को अभिलेख पर चिह्नित किया गया । उसके पश्चात् विचारण न्यायालय ने दोनों पक्षों की सुनवाई करने के पश्चात् याचिका मंजूर की जिसके संबंध में दांडिक अपील सं. 90/2016 फाइल की गई और अपर सेशन न्यायाधीश-VII, एर्नाकुलम ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करते हुए आक्षेपित निर्णय पारित किया जिसके विरुद्ध पति द्वारा वर्तमान दांडिक पुनरीक्षण याचिका फाइल की गई है ।

6. प्रत्यर्थियों को सूचना जारी की गई और प्रथम प्रत्यर्थी अधिवक्ता श्री जॉनसन गोम्स और द्वितीय प्रत्यर्थी श्री एम. एस. ब्रीज, लोक अभियोजक के माध्यम से न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए । निचले न्यायालय के अभिलेखों को मंगाया गया और उनका परिशीलन किया गया तथा दोनों पक्षों की सुनवाई की गई ।

7. प्रत्यर्थी/पति के विद्वान् काउंसेल ने निचले न्यायालयों द्वारा पारित समकालीन आदेशों का विभिन्न आधारों पर विरोध किया । उनके अनुसार प्रत्यर्थी एक ऐसा पति है जिसने अपने नाम की संपत्ति को याची/अपनी पत्नी के पक्ष में कर दिया और उक्त संपत्ति का विक्रय करके वैत्तिला में संयुक्त नाम से एक संपत्ति का क्रय किया गया और उसके पश्चात् आवास ऋण का फायदा उठाते हुए उस संपत्ति पर एक गृह का निर्माण किया गया और उक्त आवास ऋण से संबंधित ईएमआई का संदाय वर्ष 2013 तक प्रत्यर्थी द्वारा किया गया । उन्होंने यह भी

प्रतिवाद किया कि इस सबके दौरान याची अलैप्पी और अलवाय में कार्य कर रहा था और उनके साथ निवास कर रहा था तथा साथ ही अपने कुटुंब की देखभाल भी कर रहा था एवं साथ ही उसने अपनी पत्नी द्वारा डाक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने में भी उसकी सहायता की और इसके अतिरिक्त यद्यपि एक ऐसा आरोप लगाया गया है कि उसने उस समय अपने पुत्र को अस्पताल ले जाने से इनकार कर दिया था जब उसे हर्पिस वायरस का संक्रमण हुआ था, फिर भी इस संबंध में उक्त आरोप को साबित करने के लिए याची द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है । इसी प्रकार हालांकि यह भी आरोप लगाया गया है कि प्रत्यर्थी ने अपनी पत्नी को उसकी जानकारी के बिना मनोरोग से संबंधित ओषधियां दी थीं किंतु इस संबंध में भी कोई स्वतंत्र साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, यहां तक कि घर की नौकरानी जिसने अभिकथित रूप से याची को इस संबंध में सूचना दी थी, को भी साक्षी के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है और इसके अतिरिक्त उन्होंने यह प्रतिवाद किया कि जहां तक वर्ष 2008 में नाक पर घूसा मारे जाने और शारीरिक यातना दिए जाने का संबंध है, याची द्वारा यह प्रकथन किया गया है कि प्रत्यर्थी को बचाने हेतु तथा उसे एक दांडिक मामले में संलिप्त होने से रोकने हेतु याची ने डाक्टर के समक्ष उक्त क्षति का कारण यह बताया था कि वह घर में गिर गई थी जबकि वर्तमान मामले में प्रस्तुत किए गए प्रदर्श पी-1 में अन्यथा कथित किया गया है । इसी प्रकार प्रदर्श पी-1 को भी साबित नहीं किया गया है क्योंकि अभि. सा. 2 वह डाक्टर नहीं है जिसने अभि. सा. 1 का उपचार किया था । उसने यह भी प्रतिवाद किया है कि नीचे के दोनों न्यायालयों ने अभि. सा. 3 के साक्ष्य को असम्यक् महत्व दिया, जो स्वयं याची का पिता है और एक अत्यंत हितबद्ध साक्षी है । इसके अतिरिक्त, उन्होंने यह भी प्रतिवाद किया है कि प्रदर्श पी-1 वर्ष 2008 की अवधि से संबंधित है और उस घटना को अनेक वर्ष बीत चुके हैं और एम. सी. को वर्ष 2013 में फाइल किया गया है तथा इस प्रकार प्रत्यर्थी के विरुद्ध क्रूरता के व्यवहार को दर्शित करने के लिए उक्त घटना का अवलंब लिए जाने के संबंध में परिसीमा का नियम लागू होता है ।

8. जहां तक वैत्तिला में संपत्ति का क्रय किए जाने और उसके

संबंध में प्रत्यर्थी के पास अनन्य अधिकार होने के दावे का संबंध है, स्वीकार्य रूप से उक्त संपत्ति के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों की घोषणा के लिए एक ओपी फाइल की गई थी जिसका विनिश्चय कुटुंब न्यायालय द्वारा किया गया है और जिसके विरुद्ध एक अपील लंबित है । इस प्रकार जहां तक संपत्ति के संबंध में प्रत्यर्थी के अधिकार और हक का संबंध है, इस न्यायालय से यह अपेक्षित नहीं है कि वह इस संबंध में अपना कोई निष्कर्ष प्रस्तुत करे । यह सत्य है कि प्रदर्श डी-2 अलवाय एसआरओ का वर्ष 2006 के समझौता विलेख सं. 3831 की प्रमाणित प्रति है जो यह दर्शित करती है कि उस दस्तावेज के माध्यम से प्रत्यर्थी ने 3.33 एकड़ की भूमि याची/अपनी पत्नी के पक्ष में अंतरित की थी । प्रदर्श डी-6 अलवाय एसआरओ के वर्ष 2007 के विक्रय विलेख सं. 5054/1/2007 की प्रमाणित प्रति है जिसके माध्यम से याची ने उक्त संपत्ति का वर्ष 2007 में एक तृतीय पक्षकार को विक्रय किया था । इस प्रकार स्वीकार्य रूप से वैत्तिला स्थित संपत्ति का उनके संयुक्त नाम पर क्रय किया गया है । अभि. सा. 3, याची के पिता ने अपनी प्रतिपरीक्षा के समय यह कथन किया है कि प्रत्यर्थी ने 8 वर्षों तक याची के वेतन को प्राप्त किया है, अर्थात् सेंट जोसफस महाविद्यालय, अलैप्पी से प्राप्त हुआ चार वर्ष का वेतन और सेंट एक्विनास महाविद्यालय, ऐडाकोची से प्राप्त हुआ चार वर्ष का वेतन जिसकी कुल रकम 5.5 लाख रुपए हैं और उसने छह लाख रुपए का आवास ऋण भी प्राप्त किया था और इस रीति में उक्त संपत्ति का क्रय करने और उस पर गृह का निर्माण करने के लिए निधियां जुटाई गई थीं । जैसा कि मैंने पूर्व में कथन किया है, क्योंकि संपत्ति का क्रय और उस पर अधिकार से संबंधित विवाद्यक वर्तमान कार्यवाहियों से संबंधित तथ्य नहीं हैं इसलिए मुझसे यह अपेक्षित नहीं है कि मैं इन कार्यवाहियों के दौरान उसके संबंध में अपने किसी निष्कर्ष को दर्ज करूं ।

9. इस प्रकार विचारार्थ प्रश्न यह है कि क्या प्रत्यर्थी/पति के विरुद्ध लगाए गए आरोपों के अनुसार घरेलू हिंसा की घटनाओं को याची/पत्नी द्वारा सुस्थापित किया गया है और क्या निचले न्यायालयों द्वारा दर्ज किए गए तथ्यों के निष्कर्षों में हस्तक्षेप किए जाने के लिए कोई हेतु विद्यमान है ?

10. विद्वान् काउंसेल के अनुसार यद्यपि याची ने यह आरोप लगाया है कि प्रत्यर्थी उसके पुत्र को उस समय ईएनटी विशेषज्ञ के पास ले जाने में असमर्थ रहा था जब उसके कान में हर्पिस वायरस का संक्रमण हुआ था और उसे मजबूरीवश रात्रि लगभग 9.00 बजे अपने उक्त बालक के साथ एक आटो-रिक्शा में बैठकर अस्पताल जाना पड़ा था और जब वह डाक्टर से परामर्श करने के पश्चात् घर वापस आई थी तो उसी दिन प्रत्यर्थी ने उसके कान पर बहुत जोर से थप्पड़ मारा था जिसके परिणामस्वरूप उसके कर्णपटह में छिद्र हो गए थे, किंतु मौखिक साक्ष्य के अलावा उक्त आरोप को साबित करने के लिए कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं ।

11. इस संदर्भ में प्रत्यर्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह भी प्रतिवाद किया है कि सामान्यतया रात्रि 9.00 बजे कोई ईएनटी विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं होता और इसलिए सामान्यतया कोई भी विवेकपूर्ण व्यक्ति किसी ऐसे रोगी को, जिसे हर्पिस वायरस का संक्रमण हुआ है, रात्रि 9.00 बजे अस्पताल नहीं ले जाएगा और इस प्रकार याची द्वारा सामने रखी गई यह कहानी स्वयं में ही विश्वसनीय नहीं है । तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसे अन्य तथ्यों और परिस्थितियों, जिन्हें साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत किया गया है, के साथ उनका मूल्यांकन करना होगा । जहां तक तारीख 3 दिसंबर, 2008 को प्रात: 5.00 बजे घटित घटना का संबंध है याची ने दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया है और साथ ही अभि. सा. 2, उक्त अस्पताल के साथ जुड़े डाक्टर की भी परीक्षा की गई है जिसने उसका उपचार किया था ।

12. यह सत्य है कि इस संदर्भ में प्रत्यर्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह प्रतिवाद किया है कि याचिका में किए गए प्रकथन इस प्रकार हैं कि उसने डाक्टर के समक्ष अपनी क्षति का कारण यह बताया था कि वह अपने घर में गिर गई थी ताकि वह प्रत्यर्थी को एक दांडिक मामले से सुरक्षित कर सके और साथ ही कुटुंब के सम्मान को अक्षुण्ण बनाए रख सके किंतु प्रदर्श पी-1 और अभि. सा. 2, डाक्टर का साक्ष्य यह उपदर्शित करता है कि डाक्टर को अभिकथित रूप से क्षति का कारण यह बताया

गया था कि उसके पति द्‌वारा उसकी नाक पर घूसा मारा गया था । अभि. सा. 2 एक डाक्टर है जिसके माध्यम से प्रदर्श पी-1 मामला पत्र चिह्नित किया गया है । उसने इस प्रभाव का साक्ष्य प्रस्तुत किया है कि वह चिकित्सा केंद्र, एर्नाकुलम में चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य कर रहा है और प्रदर्श पी-1 श्रीमती बिंदु जॉर्ज की मामला फाइल है और साथ ही उसने यह भी कथन किया है कि वह तारीख 3 दिसंबर, 2008 को प्रात: लगभग 6.30 बजे एर्नाकुलम चिकित्सा केंद्र के आपातकालीन कक्ष में उपचार हेतु आई थी । अभिकथित रूप से उक्त क्षति उसके पति द्‌वारा घूसा मारे जाने के कारण हुई थी और उसने नासिका से रक्तस्राव होने की शिकायत की थी तथा एक मैक्सिलोफेशियल शल्य-चिकित्सक ने उसी दिन पूर्वाह्न 11.00 बजे उसकी जांच की थी और जांच करने पर यह पाया गया था कि उसे एपीबाटीडाइन (शब्द स्पष्ट नहीं है) के साथ नासिका पर अंत:क्षति थी । प्रतिपरीक्षा के दौरान यह बात सामने आई है कि उसने निजी रूप से रोगी की जांच नहीं की थी और प्रदर्श पी-1 उसके द्‌वारा जारी नहीं किया गया है । किंतु प्रतिपरीक्षा के दौरान यह तथ्य सामने आया है कि वह मामले संबंधी मूल फाइल को लाया था । उसने यह भी कथन किया है कि परामर्शी ने मामला फाइल पर हस्ताक्षर किए हैं और वह डाक्टर श्रीकुमार के हस्ताक्षरों से परिचित हैं और उसे यह भी सुझाव दिया गया कि उक्त क्षति स्नानघर में गिर जाने के कारण कारित होने की संभावना है और उसने इसका उत्तर हां में दिया है ।

13. विद्‌वान् काउंसेल ने यह भी प्रतिवाद किया है कि प्रदर्श पी-1 पर किसी डाक्टर के हस्ताक्षर नहीं हैं और अभि. सा. 2 वह व्यक्ति है जिसने अभि. सा. 1 की जांच की और इसलिए प्रदर्श पी-1 और अभि. सा. 2 के साक्ष्य को स्वीकार नहीं किया जा सकता । यह भी प्रतिवाद किया गया है कि प्रदर्श पी-1 और अभि. सा. 2 का साक्ष्य याचिका में किए गए प्रकथनों से इस प्रभाव में भिन्न है कि डाक्टर को अभिकथित रूप से क्षति का कारण यह बताया गया था कि वह घर में गिरने के कारण हुई है जिससे प्रत्यर्थी को दांडिक मामले से बचाया जा सके और कुटुंब के सम्मान को भी बनाए रखा जा सके । किंतु यह भी उल्लेखनीय

है कि उक्त घटना वर्ष 2008 में घटित हुई थी और यह मामला वर्ष 2013 में फाइल किया गया है । इसलिए यह संभावना है कि याची को वास्तव में ही इस बात का स्मरण न हो कि उसने डाक्टर को क्षति का कारण क्या बताया था और इसी तर्कणा के आधार पर यह कहा जा सकता है कि याचिका में अभिकथित कारण के संबंध में इस प्रकार प्रकथन किया गया है किंतु अभि. सा. 2 एक डाक्टर है जो एर्नाकुलम चिकित्सा केंद्र में कार्य कर रहा है और वह मामले की मूल फाइल को लेकर आया है तथा उसकी अनुप्रमाणित प्रति को प्रदर्श पी-1 के रूप में चिह्नित किया गया है और उक्त मूल मामला फाइल में अभिकथित क्षति का कारण एम. सी. में याची के मामले की पुष्टि करता है । प्रदर्श पी-1 को अभि. सा. 2 के माध्यम से एर्नाकुलम चिकित्सा केंद्र से लाया गया है जो वर्तमान में एर्नाकुलम चिकित्सा केंद्र में कार्य कर रहा है और उसमें याची के मामले की मूल मामला फाइल को भी प्रस्तुत किया गया है और इस संबंध में उससे कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है कि क्या वह अभिलेखों का संरक्षक था और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि प्रदर्श पी-1 मामला फाइल समुचित अभिरक्षा से प्राप्त नहीं हुई है क्योंकि अभि. सा. 2 वह डाक्टर नहीं है जिसने घटना के समय अभि. सा. 1 की जांच की थी । इस प्रकार अभि. सा. 2 के साक्ष्य और प्रदर्श पी-1 मामला फाइल को अभि. सा. 1 के साक्ष्य की पुष्टि करने वाले साक्ष्य के रूप में माना जा सकता है और यह भी उल्लेखनीय है कि प्रत्यर्थी ने साक्ष्य के दौरान इस घटना से इनकार नहीं किया है । अभि. सा. 2 के समक्ष भी यह सुझाव प्रस्तुत किया गया था कि याची को उक्त क्षति स्नानघर में गिर जाने के कारण कारित हुई थी ।

14. इस संदर्भ में प्रति. सा. 1 का साक्ष्य सुसंगत है और उसका मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता है । प्रतिपरीक्षा के दौरान जब उससे घटना के संबंध में और तारीख 2 दिसंबर, 2008 की रात्रि के दौरान उसके द्वारा याची पर किए गए हमले के संबंध में प्रश्न किया गया था तो उसने उससे इनकार किया था और उसके पश्चात् उससे एक विनिर्दिष्ट प्रश्न पूछा गया था कि क्या उसने प्रात: तीन बार याची के

नाक पर घूसा मारा था और जिसके कारण उसकी नासिका से रक्तस्राव हुआ था तो उसने इस बात से इनकार किया और यह कथन किया कि जब प्रात: नौकरानी काम करने के लिए आई तो याची ने उसके लिए द्वार खोला था और उसके पश्चात् वह फिसल कर फर्श पर गिर गई और उसके पश्चात् उसे अस्पताल ले जाया गया था और इसके अतिरिक्त उसने इस बात को स्वीकार किया कि प्रदर्श पी-1 पर स्थित दस्तावेज उस घटना से संबंधित है । इसलिए यद्यपि अभि. सा. 2 वह डाक्टर नहीं है जिसने अभि. सा. 1 का उपचार किया था किंतु प्रत्यर्थी ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी-1 उस घटना से संबंधित है इसलिए प्रत्यर्थी प्रदर्श पी-1 के साक्ष्य संबंधी मूल्य को चुनौती नहीं दे सकता । उसने इस बात को भी स्वीकार किया है कि नासिका से होने वाले रक्तस्राव को बर्फ लगाकर रोका गया था । प्रदर्श पी-1 में नासिका से रक्तस्राव की शिकायत का उल्लेख है और इस बात का भी उल्लेख है कि पति द्वारा उस पर हमला किए जाने का इतिवृत है जिसने उसकी नासिका पर घूसे से वार किया था और नासिका की जांच के समय उससे रक्तस्राव नहीं हो रहा था ।

15. इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि प्रत्यर्थी द्वारा फाइल किए गए आक्षेप में उसका विनिर्दिष्ट प्रतिवाद यह है कि यह आरोप कि तारीख 3 दिसंबर, 2008 को प्रत्यर्थी ने याची की नासिका पर जोर से घूसा मारा था और उसे एर्नाकुलम चिकित्सा केंद्र के आईसीयू में दाखिल होना पड़ा था, एक मनगढ़ंत कहानी है और इस संबंध में कोई और स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं कराया गया है कि उसे उस दिन घर में फिसलकर गिर जाने के कारण अस्पताल ले जाया गया था । इस प्रकार इसके पश्चात् प्रत्यर्थी द्वारा घर में गिरने और तत्पश्चात् आहत होने के संबंध में प्रस्तुत की गई प्रतिरक्षा केवल मामले की फाइल को देखने के पश्चात् बनाई गई एक कहानी है । इस प्रकार याची का पक्षकथन, जहां तक उसका संबंध तारीख 3 दिसंबर, 2008 को प्रत्यर्थी द्वारा उसकी नासिका पर घूसा मारकर उस पर शारीरिक रूप से हमला करने और क्षति कारित करने, जिसके परिणामस्वरूप उसे एर्नाकुलम चिकित्सा केंद्र में उपचार कराना पड़ा, से है, साबित हो गया है ।

16. याची ने अपनी याचिका में यह स्पष्ट किया है और सबूत संबंधी शपथपत्र में शपथ पर यह कथन किया है कि उसे प्रत्यर्थी द्‌वारा निरंतर शारीरिक और मानसिक यातना दी गई है । याची ने यह भी प्रतिवाद किया है कि प्रत्यर्थी उसे एक मनोरोगी के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा है और इसलिए उसने उसकी जानकारी के बिना एक मनोरोग विशेषज्ञ से परामर्श करके उसे ओषधियां भी दी हैं । उसने एक विनिर्दिष्ट घटना का भी उल्लेख किया है जिसमें रेसपैरीडोन नामक एक तरल मनोरोग संबंधी ओषधि चाय में डालकर प्रत्यर्थी द्‌वारा उसे दी गई थी और उसके अनुसार उसे उस ओषधि के कारण अनेक स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उसके द्‌वारा यह भी अभिकथन किया गया है कि जब उसने प्रत्यर्थी से इस संबंध में प्रश्न किया तो उसने उत्तर में यह कहा था कि उक्त ओषधि उसे अमृता आयुर्विज्ञान संस्थान के डाक्टर दिनेश की सलाह के अनुसार दी गई थी और उसने अपने अभिकथन में यह भी कहा है कि जब उसने उक्त ओषधि के संबंध में जांच-पड़ताल करने के लिए डाक्टर से संपर्क किया तो डाक्टर ने उसके समक्ष यह तथ्य प्रकट किया कि प्रत्यर्थी यह कहते हुए उसके पास आया था कि याची को उपचार/ओषधियों की आवश्यकता है और उसने डाक्टर से उस विशिष्ट ओषधि को विहित करने का अनुरोध किया था । यह सत्य है कि उक्त डाक्टर की परीक्षा नहीं की गई है और उस नौकरानी की भी परीक्षा नहीं की गई है जिसने याची को चाय के माध्यम से ओषधि दिए जाने के संबंध में सूचना दी थी । किंतु प्रत्यर्थी के अनुरोध पर प्रदर्श डी-3 और प्रदर्श डी-3(ए) को प्रस्तुत किया गया और उसे सबूत के अध्यधीन रहते हुए चिह्नित किया गया है । डाक्टर की परीक्षा किए बिना यह नहीं कहा जा सकता कि प्रदर्श डी-3 श्रृंखला-डाक्टर एम. दिनेश के पत्र शीर्ष पर दिए गए दो नुस्खे साबित कर दिए गए हैं ।

17. याची के विद्‌वान् काउंसेल ने मेरा ध्यान प्रदर्श पी-2 की ओर भी आकर्षित किया है जो तारीख 8 अक्तूबर, 2015 का ओ. पी. (एफ.सी) संख्या 483/2014 में दिए गए निर्णय की प्रमाणित प्रति है जिसके द्‌वारा इस न्यायालय ने ओ. पी. संख्या 363/2013 में आई. ए. संख्या 1440/2014 में कुटुंब न्यायालय के आदेश को अपास्त कर दिया

था और जिसे कुटुंब न्यायालय के समक्ष पक्षकारों को यह निदेश देने का अनुरोध करते हुए फाइल किया गया था कि पक्षकार एक नैदानिक मनोरोग विशेषज्ञ से संपर्क करें और उसके द्वारा सुझाई गई ओषधियां ग्रहण करें । उक्त याचिका की प्रति को भी याची की ओर से प्रदर्श पी-3 के रूप में प्रस्तुत किया गया है । प्रदर्श पी-2 में यह कथन किया गया है कि चूंकि याची ने यह प्रतिवाद करते हुए आई. ए. संख्या 1440/2014 में एक प्रति-शपथपत्र फाइल किया है कि किसी नैदानिक मनोरोग विशेषज्ञ से परामर्श करने हेतु अनुरोध किए जाने संबंधी अनुतोष उसे प्रताड़ित करने हेतु आशयित है और यह भी प्रतिवाद किया गया है कि इस बात की अत्यधिक संभावना है कि प्रत्यर्थी स्वयं एक दंत विशेषज्ञ होने के कारण मनोरोग विशेषज्ञ को मिथ्या निदान करने हेतु प्रभावित कर सकता है और इसके अतिरिक्त यह प्रतिवाद भी किया गया है कि उसे किसी मनोरोग विशेषज्ञ से परामर्श करने हेतु मजबूर नहीं किया जा सकता । यद्यपि कुटुंब न्यायालय ने उक्त याचिका को मंजूर कर दिया था किंतु प्रदर्श पी-2 के द्वारा कुटुंब न्यायालय के आदेश को अपास्त कर दिया गया था । इस प्रकार प्रत्यर्थी द्वारा प्रदर्श पी-3 को फाइल किए जाने से भी याची के पक्षकथन को बल मिलता है । इसी संदर्भ में याची के पिता अभि. सा. 3 के साक्ष्य का मूल्यांकन करना होगा । नीचे के दोनों न्यायालयों ने उसके साक्ष्य को एक संतुलित साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया है और वह स्वयं भी एक सेवा-निवृत्त प्रोफेसर है । उसने याची के प्रतिभाशाली शैक्षणिक जीवन-वृत्ति के संबंध में भी उल्लेख किया है जिसके पास उत्कृष्ट प्रथम श्रेणी की डिग्री है और प्रथम श्रेणी की मास्टर डिग्री और अति विशिष्ट बी.एड. डिग्री है तथा उसने एमफिल में ए ग्रेड प्राप्त किया है । उसकी प्रतिपरीक्षा के दौरान प्रत्यर्थी ने उससे यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया था कि वह याची को अपने डाक्टर साथियों के पास ले गया था और इसी दौरान उससे नैदानिक मनोरोग चिकित्सक जेस्मिन पदमादन के संबंध में भी पूछा गया था और यह भी पूछा गया था कि क्या वह याची को उसके पास परामर्श हेतु ले गया था और उसके पश्चात् पुन: उसके साथ डाक्टर कृष्णा प्रसाद और याची को उसके घर ले जाने के संबंध में पूछा गया था तथा इसके

अतिरिक्त उससे डा. सी. जे. जॉन और याची को परामर्श हेतु उसके पास ले जाने के संबंध में भी पूछा गया । उसने उन सब सुझावों के संबंध में कड़े शब्दों में इनकार कर दिया । इस प्रकार अभि. सा. 3 की प्रतिपरीक्षा और साथ ही प्रदर्श पी-2 और पी-3 के माध्यम से प्रत्यर्थी ने यह कहानी स्थापित करने का प्रयास किया है कि याची मनोरोग से संबंधित समस्याओं से पीड़ित है । इस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि याची स्वयं एक डाक्टरेट डिग्री धारण कर रही है और वह एक प्राइवेट महाविद्यालय में कार्य कर रही है । इस प्रकार यदि उसे मनोरोग से संबंधित समस्या या वास्तव में ही ऐसा कोई रोग है जैसा कि प्रत्यर्थी द्वारा अभिकथित किया गया है, तो वह सामान्यतया महाविद्यालय में कार्यरत नहीं बनी रह सकती थी । याची के पिता अभि. सा. 3 के साक्ष्य के अनुसार जब उससे याची की मनोरोग से संबंधित समस्याओं के बारे में पूछा गया था तो उसने उत्तर में यह कहा था कि जब किसी व्यक्ति को मारा-पीटा जाता है तो उससे संबंधित अनेक समस्याएं उसके समक्ष आती हैं । उसकी प्रतिपरीक्षा से यह तथ्य भी सामने आया है कि उसने वर्ष 2008 की घटना के पश्चात् याची और प्रत्यर्थी दोनों को अपने पास बुलाया था और उन्हें अनेक बार यह समझाने का भी प्रयास किया था कि उन्हें परस्पर प्रेमभाव से रहना चाहिए और उस समय प्रत्यर्थी ने सदैव उससे यह कहा था कि वह उसकी बात समझ गया था किंतु उनके मध्य परस्पर राय में मतभेद था और उसने इस संबंध में भी अभिसाक्ष्य दिया है कि प्रत्यर्थी ने उस समय उससे इस संबंध में कभी भी अपनी बात सामने नहीं रखी जब याची ने उसके समक्ष उससे यह कहा था कि उसने उसे लातों और घूसों से मारा था और जब उसने प्रत्यर्थी से इस बारे में प्रश्न किया था तो प्रत्यर्थी ने सदैव मौन धारण किया था । उसने यह भी कथन किया है कि उसने प्रत्यर्थी के चाचा और चचेरे भाइयों को भी एक बार इस संबंध में चर्चा करने के लिए बुलाया था । पुन: परीक्षा के दौरान उसके समक्ष यह प्रश्न रखा गया था कि उस समय याची की दशा कैसी थी जब वह शारीरिक यातना के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर उससे मिलने गया था । प्रश्न के उत्तर में उसने स्पष्ट रूप में यह कथन किया है कि उसके शरीर एवं चेहरे पर सूजन थी और इसके

अतिरिक्त उसने इस तथ्य को भी जोड़ा कि इस प्रकार की घटनाएं बार-बार हुई थीं और उसे स्वयं यह नहीं पता था कि उसने यह सब सहन करने की सहन-शक्ति कहां से पाई । इस प्रकार अभि. सा. 3 के शब्द एक असहाय पिता के शब्द प्रतीत होते हैं जो अपनी शैक्षिक रूप से प्रतिभाशाली पुत्री की दुर्दशा देखकर व्यथित हो । अभि. सा. 3 ने यह भी कथन किया है कि प्रत्यर्थी याची के चेहरे पर प्रहार करता था और साथ ही उसके पेट के आस-पास के स्थान पर भी प्रहार करता था और इसके परिणामस्वरूप उसकी श्रवण शक्ति भी आंशिक रूप से चली गई थी और उसे यूट्रस और ईएनटी से संबंधित समस्याएं भी उत्पन्न हो गई थीं । उसके साक्ष्य से यह भी दर्शित होता है कि उसने उन दोनों को एक-साथ जोड़े रखने की भरपूर चेष्टा की है । इस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि यद्यपि प्रत्यर्थी ने अपने आक्षेप और साथ ही अपने शपथपत्र में भी यह प्रतिवाद किया है कि याची को यह पसंद नहीं था कि उसके कुटुंब के सदस्य उसके घर आएं और वह उनके साथ कभी भी सहयोग नहीं करती थी फिर भी उसने अपने इस प्रतिवाद के समर्थन में अपने कुटुंब के सदस्यों में से किसी की भी परीक्षा नहीं की है । इस प्रकार जैसा कि निचले न्यायालय ने भी इस संबंध में सही निष्कर्ष प्रस्तुत किया है कि याची के पिता अभि. सा. 3 के साक्ष्य को अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के पुष्टिकारक साक्ष्य के रूप में विश्वसनीय माना जा सकता है ।

18. प्रत्यर्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह भी प्रतिवाद किया है कि एम. सी. तारीख 1 जनवरी, 2013 को फाइल की गई थी और उसे उसी दिन प्रत्यर्थी के विरुद्ध अंतरिम आदेश प्राप्त हो गए थे । उसके तुरंत पश्चात् उसने न्यायालय से अनुमति लिए बिना और न्यायालय को सूचित किए बिना ही अपने निवास को तारीख 5 जनवरी, 2013 को एक किराए के घर में स्थानांतरित कर लिया था और साथ ही वह अपनी सभी वस्तुओं और बालकों को भी ले गई थी । किंतु याची ने सबूत स्वरूप प्रस्तुत किए गए शपथपत्र में सत्यनिष्ठा से यह प्रतिज्ञान किया है कि न्यायालय द्वारा अंतिम आदेश पारित किए जाने के बावजूद प्रत्यर्थी ने और अधिक तीव्रता से अपना दुर्व्यवहार जारी रखा और उसका ऐसा

दुर्व्यवहार उसके बालकों की शिक्षा-दीक्षा को भी प्रभावित कर रहा था, विशेष रूप से उसके बड़े पुत्र की शिक्षा को जिसकी 12वीं कक्षा की केंद्रीय बोर्ड परीक्षाएं समीप आ रही थीं । यह भी अभिकथन किया गया है कि प्रत्यर्थी ने उसे तथा उसके बालकों को प्रताड़ित करने के लिए परीक्षा के दौरान उन्हें हर प्रकार से कष्ट दिया । वह अक्सर उस कक्ष को ताला लगा देता था और चाबी छिपा देता था जहां बालकों की किताबें और विद्यालय की वर्दी रखी होती थीं तथा वह प्रात: कार के टायर को पंचर कर दिया करता था और इस प्रकार याची तथा बालक अपने कार्यस्थल या विद्यालय में समय पर नहीं पहुंच पाते थे और इसलिए प्रत्यर्थी के साथ एक छत के नीचे निवास करना याची और उसके बालकों के लिए असंभव तथा अनिष्टकारक हो गया था । उक्त परिस्थितियों में वह अपना निवास स्थानांतरित करने हेतु मजबूर हुई थी । इस प्रकार याची के पक्ष में अंतरिम आदेश पारित किए जाने के बावजूद उसके घर छोड़े जाने के कारण को उसने अपनी मुख्य परीक्षा में ब्यौरेवार रूप से वर्णित किया है । अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान भी उसने इस बात को दोहराया है कि उसने मामला फाइल करने के पश्चात् अपने निवास को इसलिए स्थानांतरित किया था ताकि वह स्वयं और उसके बालक सुकून से जीवन व्यतीत कर सकें । उससे यह विनिर्दिष्ट प्रश्न पूछे जाने पर कि उसने जून माह तक शिकायत फाइल क्यों नहीं की थी तो उसने स्पष्ट रूप से यह उत्तर दिया कि उसने इन सब बातों की इसलिए अनदेखी की क्योंकि उसके लिए उसके बालक सर्वोपरि थे और उसके पास पुलिस थाने जाने का समय नहीं था । ये सभी ऐसे उत्तर थे जिन्हें याची ने प्राकृतिक और स्वाभाविक रूप से प्रस्तुत किया था और उसके द्वारा इस प्रकार के कथन किए जाने के संबंध में अविश्वास करने का कोई कारण विद्यमान नहीं है ।

19. यह सत्य है कि प्रत्यर्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह प्रतिवाद किया है कि चाय के साथ ओषधि दिए जाने की घटना को साबित करने के लिए याची को उस नौकरानी की परीक्षा करनी चाहिए थी जिससे उसे यह सूचना प्राप्त हुई थी । उसने यह भी प्रतिवाद किया है कि प्रत्यर्थी द्वारा किए गए अभिकथित शारीरिक हमलों या मानसिक क्रूरताओं की

विभिन्न कार्रवाइयों को साबित करने के लिए बालकों की परीक्षा की जानी चाहिए थी । किंतु हम पहले ही इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि याची ने यह साबित कर दिया है कि प्रत्यर्थी ने उसकी नासिका पर क्षति कारित करते हुए उस पर शारीरिक हमला किया था जिसके परिणामस्वरूप उसे अस्पताल ले जाना पड़ा था तथा याची के खिलाफ अभि. सा. 3 ने भी न्यायालय के समक्ष ब्यौरेवार ऐसी क्रूरतापूर्ण कार्रवाइयों के संबंध में अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किया है जिसे प्रत्यर्थी ने याची के विरुद्ध कारित किया था । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने वर्ष 2008 की घटना के पश्चात् उन दोनों के बीच हस्तक्षेप करने और उन्हें समझाने का प्रयास किया था किंतु जब उसे उन दोनों के बीच परस्पर मत की भिन्नता के संबंध में ज्ञात हुआ और उसने स्पष्ट रूप से यह कथन किया कि वह वृत्तिक एवं व्यक्तिगत रूप से उनके संबंधों को प्रभावित करने में असमर्थ था क्योंकि प्रत्यर्थी ने उस समय कभी भी उसके समक्ष मुख नहीं खोला जब उसकी पुत्री ने उसे यह बताया कि उसने उसे लातों और घूसों से मारा है और जब उसने इस संबंध में प्रत्यर्थी से पूछा तो वह सदैव मौन बना रहा । इस प्रकार परीक्षा के अंत में जब उससे उस समय उसकी पुत्री की स्थिति के बारे में पूछा गया जब वह उसकी शारीरिक यातना के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर उससे मिलने उसके घर गया था तो उसने स्पष्ट रूप से यह कथन किया कि उसके चेहरे और शरीर पर सूजन थी और इस प्रकार की अनेक घटनाएं घटित हुई थीं और वह स्वयं नहीं जानता कि उसे यह सब सहन करने की शक्ति कहां से प्राप्त हुई । इस प्रकार अभि. सा. 3 और अभि. सा. 1 की एक लंबी प्रतिपरीक्षा करने के बावजूद भी ऐसी कोई बात सामने नहीं आ सकी जो उस शारीरिक और मानसिक यातना जिसे याची ने प्रत्यर्थी के हाथों प्राप्त किया था, के संबंध में उनके परिसाक्ष्य पर संदेह उत्पन्न कर सके । इसलिए नौकरानी या बालकों की परीक्षा न करना वर्तमान मामले में संगत नहीं है ।

20. प्रत्यर्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह भी प्रतिवाद किया है कि नाक पर घूसा मारे जाने की घटना वर्ष 2008 में घटित हुई थी और एम. सी. वर्ष 2013 में फाइल की गई है और इस संपूर्ण अवधि के

दौरान याची प्रत्यर्थी के साथ निवास करती रही है जिससे यह उपदर्शित होता है कि उसने उसकी इस क्रूरता को क्षमा कर दिया था और इसलिए उसके द्वारा फाइल की गई वर्तमान याचिका परिसीमा विधि द्वारा वर्जित है ।

21. प्रत्यर्थी के विद्वान् काउंसेल ने इस संबंध में मेरा ध्यान **नागराजन वी. और अन्य** बनाम **बी. पी. थंगावेणी**[1] वाले मामले की ओर आकर्षित किया है जिसमें पत्नी ने वर्ष 2014 में अपने वैवाहिक घर को छोड़ा था और वर्ष 2017 में घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए याचिका फाइल की थी, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 468 और 428 तथा घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 28 और 32 तथा घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण नियम, 2006 के नियम 15(6) के अधीन कार्यवाही करते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उसे घटना की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर शिकायत फाइल करनी चाहिए थी और चूंकि घटना की तारीख से एक वर्ष के भीतर शिकायत फाइल नहीं की गई है इसलिए ये कार्यवाहियां दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 468 के अधीन परिसीमा द्वारा वर्जित हैं और तद्नुसार उन्हें अभिखंडित किया जाता है किंतु इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह पाया गया है कि विवाह तारीख 2 फरवरी, 2014 को अनुष्ठापित हुआ था और वैवाहिक मतभेदों के कारण प्रत्यर्थी-पत्नी वैवाहिक घर से पृथक् रह रही थी तथा शिकायत वर्ष 2017 में फाइल की गई थी । उस मामले में यह ठोस निष्कर्ष था कि प्रत्यर्थी ने स्वयं 2014 में अपने वैवाहिक घर को छोड़ा था और उसके पश्चात् वर्ष 2015 में भारतीय दंड संहिता की धारा 406 और 498क के अधीन उसकी शिकायत पर एक दांडिक मामला रजिस्ट्रीकृत किया गया था जो सी.सी. सं. 25/2016 के रूप में विचारण के लिए लंबित है । पत्नी ने भी विवाह के विघटन के लिए विवाह विच्छेद याचिका फाइल की है और उसके पश्चात् वर्तमान याचिका फाइल की है किंतु इस मामले के तथ्य और परिस्थितियां पूर्ण रूप से भिन्न हैं । यद्यपि याची शारीरिक हिंसा से संबंधित एक विनिर्दिष्ट घटना को, जो 3 दिसंबर, 2008 को घटित हुई थी, साबित

---

[1] 2019 के. एच. सी. 4298 = 2019 क्रिमिनल ला जर्नल 3027 (मद्रास).

करने में समर्थ हुई है फिर भी उसका पक्षकथन जैसा कि मैंने पूर्व में भी कथन किया है, प्रत्यर्थी की ओर से की जाने वाली शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की सतत यातना और प्रताड़ना है तथा याची ने अपना वैवाहिक घर नहीं छोड़ा है और वर्तमान याचिका फाइल करने के 5 दिन पश्चात् ही उसने वैत्तिला स्थित अपने वैवाहिक घर को छोड़ा था । इसलिए इस मामले में परिसीमा विधि के लागू होने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

22. विद्वान् काउंसेल ने मेरा ध्यान **ज्योति श्रीवास्तव और अन्य** बनाम **विवेक श्रीवास्तव**[1] वाले मामले में दिए गए निर्णय की ओर भी आकर्षित किया है जिसमें दंड संहिता की धारा 125 के अधीन कार्यवाही करते हुए पति द्वारा पत्नी को भरणपोषण मंजूर करने के लिए पर्याप्त कारण के संबंध में विचार किया गया था और पत्नी ने यह अभिकथन किया था कि उसका पति बार-बार अत्यंत क्रूर व्यवहार दर्शित करता है जबकि कभी-कभी वह अत्यंत स्हेनपूर्ण हो जाता है और अन्य समय पर अत्यंत क्रूरता बरतता है तथा पत्नी ने उसे याचिका में इस संबंध में कोई अभिवाक् किए बिना मनोरोगी के रूप में दर्शित किया है और संदेहास्पद हमले की केवल एक ही घटना को उल्लिखित किया गया है जिसे आवेदक द्वारा अपने पति को छोड़ने के लिए पर्याप्त आधार नहीं माना जा सकता । अत: यह निष्कर्ष निकाला गया था आवेदक/पत्नी अपने पति के कभी-कभार के हिंसक व्यवहार को साबित करने में असमर्थ रही है और इसलिए यह पाया गया था कि पत्नी भरणपोषण का दावा करने की हकदार नहीं है । किंतु उक्त निर्णय का परिशीलन करने पर यह पाया गया कि वह एक ऐसा मामला था जिसमें विचारण न्यायालय ने पत्नी के संबंध में भरणपोषण के दावे को खारिज कर दिया था और केवल पुत्र के संबंध में ही भरणपोषण को मंजूर किया था तथा विचारण न्यायालय द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि आवेदक/पत्नी और बालकों को प्रत्यर्थी द्वारा न केवल सम्यक् देखभाल प्राप्त हो रही है अपितु वह उन्हें विभिन्न पर्यटक स्थलों की सैर भी

---

[1] 2019 के. एच. सी. 4712 = ए. आई. आर. ऑनलाइन 2019 एम. पी. 548.

कराता है, वह उसे सिनेमा दिखाने भी ले जाता है और इसके अतिरिक्त रेस्तरां वगैरह में भी ले जाता है जैसा कि उसके द्वारा प्रस्तुत की गई फोटो एलबम से पता चलता है कि वे एक सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं और विचारण न्यायालय ने यह पाया कि आवेदक-पत्नी बिना किसी तर्कणा या पर्याप्त कारण के पृथक् रूप से निवास कर रही है । याची की ओर से प्रस्तुत किए गए साक्ष्य का मूल्यांकन करने के पश्चात् पुनरीक्षण न्यायालय भी इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि तारीख 17 जनवरी, 2014 की एक घटना के अलावा पूर्व में शारीरिक रूप से हमला किए जाने के संबंध में कोई अन्य सबूत अभिलेख पर उपलब्ध नहीं हैं और यद्यपि पत्नी ने अपने पति को मनोरोगी बताया है किंतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन किए गए आवेदन में इसका कोई उल्लेख नहीं है और उक्त परिस्थितियों में यह निष्कर्ष निकलता है कि याची पर किए गए संदेहास्पद हमलों की घटना को पत्नी द्वारा अपने वैवाहिक घर को छोड़े जाने के लिए पर्याप्त कारण नहीं माना जा सकता । किंतु वर्तमान मामले में तारीख 3 दिसंबर, 2008 को किए गए शारीरिक हमले के संबंध में ठोस साक्ष्य विद्यमान है और अभि. सा. 1 तथा उसके पिता अभि. सा. 3 का साक्ष्य भी यह दर्शित करता है कि प्रत्यर्थी द्वारा याची को लगातार यातना दी जा रही है ।

23. विद्वान् काउंसेल ने मेरा ध्यान **श्री विजयानंद दत्ताराम नायक और अन्य** बनाम **श्रीमती विश्रांति विजयानंद दत्ताराम नायक और अन्य**[1] (गोवा स्थित बंबई उच्च न्यायालय की दांडिक पुनरीक्षण याचिका सं. 60/2018) वाले मामले में दिए गए निर्णय की ओर आकर्षित किया है जो कि स्वयं में एक पुनरीक्षण याचिका है जिसे घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम की धारा 20 के अधीन किए गए एक ऐसे आदेश के विरुद्ध फाइल किया गया है जिसके द्वारा पत्नी और बालक को भरणपोषण मंजूर किया गया था । विचारण न्यायालय द्वारा मंजूर की गई भरणपोषण की रकम से व्यथित होकर प्रत्यर्थी/पुनरीक्षण याची/पत्नी ने अपील फाइल की थी और अपर सेशन न्यायाधीश ने उक्त रकम में

---

[1] (2019) 2 बाम्बे सी. आर. (क्रि) 58.

वृद्धि कर दी थी जिससे व्यथित होकर पति और अन्य ने उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण याचिका फाइल की थी और उस मामले में यह निष्कर्ष दिया गया था कि याची द्वारा की गई घरेलू हिंसा के संबंध में किसी निष्कर्ष की अनुपस्थिति में याचिका को मंजूर नहीं किया जाना चाहिए किंतु याची के विद्वान् काउंसेल द्वारा दी गई दलील को ध्यान में रखते हुए वह छह माह की अवधि के लिए विचारण न्यायालय द्वारा नियत की गई दर पर भरणपोषण का संदाय करता रहा । इस सिद्धांत के संबंध में कोई संदेह नहीं है कि धारा 19 के अधीन कोई रेजिडेंस आदेश पारित करने के लिए याची को प्रत्यर्थी द्वारा की गई घरेलू हिंसा की घटना को साबित करना चाहिए ।

24. वर्तमान मामले में मैं पहले ही इस निष्कर्ष पर पहुंच चुका हूं कि प्रत्यर्थी द्वारा याची के विरुद्ध की गई घरेलू हिंसा के कार्यों को साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य विद्यमान हैं । इसलिए उपरोक्त निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में लागू नहीं होते हैं । इसलिए वस्तुत: मुझे निचले न्यायालयों द्वारा निकाले गए तथ्यों संबंधी निष्कर्षों में ऐसी कोई अविधिपूर्ण बात या कोई अनौचित्य प्रतीत नहीं होता है जिसमें इस न्यायालय द्वारा कोई हस्तक्षेप करना अपेक्षित हो ।

इसके परिणामस्वरूप वर्तमान दांडिक पुनरीक्षण याचिका में कोई गुण नहीं पाया जाता और इसलिए इसे खारिज किया जाता है ।

याचिका खारिज की गई ।

पु.

सतीश कुमार और अन्य

बनाम

केरल राज्य

(2016 की दांडिक अपील सं. 817)

तारीख 23 जुलाई, 2020

न्यायमूर्ति ए. हरीप्रसाद और न्यायमूर्ति एन. अनिल कुमार

भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 304, भाग-2 – हत्या की कोटि में न आने वाला मानव-वध – अभिकथित रूप से अभियुक्तों द्वारा पूर्व शत्रुता के कारण मृतक पर गंडासों और डंडों से हमला किया जाना – शव-परीक्षा करने वाले डाक्टर द्वारा मृत्यु के विनिर्दिष्ट कारण को अभिनिश्चित करने में असफल रहना – अभियोजन साक्षियों के इस प्रभाव के कथन का विश्वसनीय न होना कि वे चीख-पुकार सुनकर घटनास्थल पर पहुंचे थे, क्योंकि घटनास्थल उनके निवास-स्थान से लगभग 30 मीटर दूरी पर स्थित है – इत्तिलाकर्ता का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी न होना और उसका अपराध कारित किए जाने की रीति के संबंध में अभिज्ञ होना – घटना के समय को साबित करने के लिए किसी विश्वसनीय साक्ष्य का अभिलेख पर उपलब्ध न होना – साक्षियों द्वारा घटना की जानकारी होने के काफी समय पश्चात् तक उसकी सूचना किसी अन्य व्यक्ति/पुलिस को न दिया जाना – प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा यह प्रतिवाद किया जाना कि मृतक को क्षतियां, मदिरा के नशे में कुंए में गिर जाने के कारण कारित हुई हैं और मृतक की माता द्वारा यह कथन किया जाना कि घटना के तुरंत पश्चात् उन्होंने घर में विद्यमान कुंए को बंद करके नया कुंआ तैयार कराया था – घटना के देर रात्रि घटित होने के कारण अंधेरे में साक्षियों द्वारा अभियुक्तों की समुचित शनाख्त किए जाने में संदेह होना – घटना में प्रयुक्त हथियारों पर रक्त, रोम, केश, ऊत्तकों आदि का न पाया जाना और उक्त हथियारों की फोरेंसिक जांच न कराया जाना – उपरोक्त तथ्यों को ध्यान

में रखते हुए न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह से परे अभियुक्तों के अपराध को साबित करने में असफल रहा है और इसलिए अभियुक्त दोषमुक्त किए जाने के हकदार हैं ।

वर्तमान अपील का निपटारा करने हेतु संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं, तारीख 4 मार्च, 2007 को रात्रि लगभग 10.15 बजे पूर्व शत्रुता के कारण अभियुक्त सं. 1 और अभियुक्त सं. 2 ने अपने एक समान इरादे को अग्रसर करते हुए मृतक के घर के सामने सड़क के किनारे मृतक पर एम. ओ. 1 और 3 गंडासों तथा एम. ओ. 2 और 4 लकड़ी के डंडों से हमला किया तथा इस हमले से मृतक को गंभीर क्षतियां कारित कीं जिसके अंतर्गत उसके सिर पर हुई क्षति भी है । घटना के तुरंत पश्चात् मृतक के माता-पिता मृतक की चीख-पुकार सुनकर घटनास्थल पर पहुंचे । आहत व्यक्ति को घर के अंदर ले जाया गया और प्रातः 5.00 बजे उसे अस्पताल ले जाया गया जहां यह घोषित किया गया कि उसे मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया है । यह अभिकथन किया गया है कि अभियुक्त सं. 1 और अभियुक्त सं. 2 ने हत्या के इरादे से मृतक को गंभीर क्षतियां कारित की थीं और दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध सर्कल पुलिस निरीक्षक, पालोद, तिरुवनंतपुरम द्वारा दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए आरोप पत्र फाइल किया गया । विचारण न्यायालय को मामला सौंपे जाने पर अभियुक्त सं. 1 और अभियुक्त सं. 2 विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुए । विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की सुनवाई करने के पश्चात् दोनों अभियुक्तो के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के अधीन आरोप विरचित किए जिनके संबंध में उन्होंने दोषी न होने का अभिवाक् किया । विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने अभिलेख पर उपलब्ध सभी साक्ष्यों और सामग्रियों का विश्लेषण करने के पश्चात् अभियुक्तों को सिद्धदोष ठहराया तथा उनके विरुद्ध दंडादेश पारित किया । उक्त निर्णय से व्यथित होकर अभियुक्तों ने उच्च न्यायालय में उसे चुनौती देते हुए वर्तमान अपील फाइल की है । उच्च न्यायालय ने अपील को मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – अभियोजन पक्ष का यह कर्तव्य है कि वह अपने पक्षकथन को संदेह से परे साबित करे । अभियोजन पक्ष को प्रथमतः साक्ष्य संबंधी भार का समाधान करना चाहिए जिससे यह दर्शित किया जा सके कि अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोपों के समर्थन में साक्ष्य स्वरूप सामग्री विद्यमान है । यदि अभियोजन पक्ष इस भार का निर्वहन नहीं कर सकता तो ऐसी स्थिति में अभियुक्त दोषमुक्त किए जाने के लिए हकदार हैं । प्रदर्श पी-12 घटनास्थल महाजर के अनुसार तैयार की गई स्थल योजना जो प्रदर्श पी-11 के रूप में चिह्नित है, यह दर्शित करती है कि घटनास्थल अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 के निवास स्थान से काफी दूरी पर स्थित है । घटना रात्रि में घटित हुई थी । यह अनिवार्य है कि उस रोशनी के स्रोत को साबित किया जाए जिसमें साक्षियों ने घटना को रात्रि के दौरान देखा था जैसा कि अभियोजन पक्ष द्वारा अभिकथन किया गया है । घटनास्थल योजना (प्रदर्श पी-11) के अनुसार बिजली का एक खंभा घटनास्थल से 17.52 मीटर की दूरी पर पाया गया है । यह उपदर्शित करने के लिए कोई सामग्री विद्यमान नहीं है कि उक्त बिजली के खंभे पर रोशनी हेतु कोई बल्ब उपलब्ध था । घटनास्थल महाजर (प्रदर्श पी-12) भी इस संबंध में मौन है । चूंकि उस क्षेत्र में और उसके आस-पास कोई स्ट्रीट लाइट उपलब्ध नहीं थी इसलिए अभि. सा. 2, अभि. सा. 3 और अभि. सा. 5 ने यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत किया है कि उन्हें घटना को प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए मृतक की चीख-पुकार सुनने के पश्चात् वास्तविक रूप से घटनास्थल की ओर दौड़ना पड़ा था । उन्होंने यह स्पष्टीकरण दिया था कि अभि. सा. 2 के पास एक टॉर्च थी जिसकी रोशनी की सहायता से उन्होंने घटना को देखा था । साक्ष्य के परिशीलन पर हमें यह विश्वास करना कठिन प्रतीत होता है कि मृतक की चीख-पुकार सुनने के पश्चात् वे घटनास्थल की ओर दौड़े थे जहां उन्होंने अभियोजन पक्ष द्वारा यथा अभिकथित रीति में वास्तव में ही अभियुक्तों को मृतक पर हमला करते हुए देखा था । इस बात की संभावना है कि वे अभिकथित हमले के पश्चात् ही घटनास्थल पर पहुंचे थे । अभि. सा. 2, अभि. सा. 3 और अभि. सा. 5 के अनुसार यद्यपि घटनास्थल पर अंधेरा था फिर भी वे टॉर्च की रोशनी में यह देख पाने में सफल हुए थे कि अभियुक्त मृतक

पर हमला कर रहे थे । प्रदर्श पी-11 और पी-12 में किए गए वर्णनों को ध्यान में रखते हुए हमारे लिए यह विश्वास करना कठिन है कि उन्होंने स्ट्रीट लाइट की रोशनी में वास्तव में इस घटना को देखा था । साक्षियों द्वारा टॉर्च लाइट की सहायता से रात्रि के गहन अंधकार में अभियुक्तों द्वारा मृतक पर हमला किए जाने की घटना को देखना संदेहास्पद प्रतीत होता है । हमारा मत यह है कि इस कथन का अवलंब लेना सुरक्षित नहीं है कि उन्होंने अभियुक्तों को उनके हाथों में विशिष्ट हथियारों के साथ देखा था । इस बात को साबित करने के लिए कोई वैज्ञानिक परीक्षा नहीं की गई है कि इन हथियारों को वास्तव में ही अभियुक्तों द्वारा मृतक पर हमला करने के लिए प्रयोग में लाया गया था । रात्रि के अंधकार में अभि. सा. 2, अभि. सा. 3 और अभि. सा. 5 के लिए उन हथियारों को ध्यानपूर्वक देख पाना कठिन प्रतीत होता है जिनके संबंध में अभि. सा. 2, अभि. सा. 3 और अभि. सा. 5 ने ब्यौरे उपलब्ध कराए हैं । एक अन्य कारक जो अभि. सा. 2, अभि. सा. 3 और अभि. सा. 5 के कथनों के संबंध में संदेह उत्पन्न करता है, यह है कि घटनास्थल से रक्त से सना हुआ कोई वस्त्र बरामद नहीं हुआ था । अभि. सा. 2, अभि. सा. 3 और अभि. सा. 5 के साक्ष्यों में उपरोक्त संदेहास्पद विशिष्टियों के कारण हमें इस बात का भी संदेह है कि उन्होंने वास्तव में इस घटना को देखा था जैसा कि अभियोजन पक्ष द्वारा अभिकथन किया है । आहत व्यक्ति को अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 के निवास स्थान पर ले जाया गया था और उसके पश्चात् प्रात: 5.00 बजे उसे अस्पताल ले जाया गया था और प्रात: 7.35 बजे उसे मृत घोषित कर दिया गया था । अभि. सा. 2, अभि. सा. 3 और अभि. सा. 5 द्वारा इस घटना के संबंध में अपने किन्हीं निकट नातेदारों, मित्रों या पुलिस को सूचित न किए जाने संबंधी आचरण न्यायालय के समक्ष दिए गए उनके साक्ष्य के संबंध में सारवान् संदेह उत्पन्न करता है । वर्तमान मामले में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट पर कोई तारीख अंकित नहीं की गई है और मृतक की मृत्यु के तुरंत पश्चात् अभि. सा. 1 द्वारा दर्ज किया गया प्रथम इत्तिला कथन (प्रदर्श पी-1) के अनुसरण में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की तारीख को अभिनिश्चित करना संभव नहीं है । ऊपर निर्दिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमारा मत यह है कि

अभियोजन पक्ष द्वारा यह साबित करने के लिए कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि उक्त कार्य अभियुक्तों द्वारा इस ज्ञान के साथ कारित किया गया था कि उससे मृतक की मृत्यु तो संभाव्य है किंतु उनका आशय उसकी मृत्यु कारित करना या उसे ऐसी शारीरिक क्षति पहुंचाना नहीं था जिससे उसकी मृत्यु कारित होने की संभावना हो । अभियुक्तों द्वारा अभिकथित रूप से किए गए कार्य को साक्ष्य द्वारा साबित नहीं किया गया है । अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह की छाया से परे अपने पक्षकथन को साबित करने में असफल रहा है । इस प्रकार अभियुक्त संदेह के लाभ हेतु हकदार हैं । इसके परिणामस्वरूप अपील मंजूर की जाती है । हम अपर सेशन न्यायाधीश-2, तिरुवनंतपुरम की फाइल पर विद्यमान सेशन मामला सं. 454/2009 में अपीलार्थियों/अभियुक्त सं. 1 और अभियुक्त सं. 2 के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 304 के भाग-2 के अधीन की गई दोषसिद्धि और दंडादेश को अपास्त करते हैं । हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अपीलार्थी/अभियुक्त सं. 1 और अभियुक्त सं. 2 पूर्वोक्त अपराध के लिए दोषी नहीं हैं । अत: हम अपीलार्थियों/अभियुक्त सं. 1 और अभियुक्त सं. 2 को दोषमुक्त करते हैं । (पैरा 32 और 34)

अपीली दांडिक अधिकारिता : 2016 की दांडिक अपील सं. 817.

अपर सेशन न्यायाधीश-2, तिरुवनंतपुरम द्वारा सेशन मामला सं. 454/2009 में तारीख 28 जुलाई, 2016 को पारित निर्णय के विरुद्ध अपील ।

याची की ओर से क्लेरेंस मिरांडा और वी. एस. तोशिन

प्रत्यर्थी की ओर से एस. यू. नाज़र वरिष्ठ लोक अभियोजक

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति एन. अनिल कुमार ने दिया ।

न्या. कुमार – वर्तमान अपील विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश-2, तिरुवनंतपुरम द्वारा सेशन मामला सं. 454/2009 में तारीख 28 जुलाई, 2016 को पारित उस निर्णय के विरुद्ध फाइल की गई है जिसके द्वारा विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने अभियुक्त सं. 1 और अभियुक्त सं. 2 को भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) (जिसे इसमें इसके पश्चात्

संक्षेप में 'दंड संहिता' कहा गया है) की धारा 304, भाग-2 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया है और उनमें से प्रत्येक के विरुद्ध तीन वर्ष के कठोर कारावास और प्रत्येक अभियुक्त पर 10,000/- रुपए का जुर्माना अधिरोपित करते हुए दंडादेश पारित किया गया है जिसके व्यतिक्रम पर उसे तीन माह के अतिरिक्त कठोर कारावास को भोगना होगा ।

2. अभियोजन पक्षकथन संक्षिप्त रूप में निम्नानुसार है –

तारीख 4 मार्च, 2007 को रात्रि लगभग 10.15 बजे पूर्व शत्रुता के कारण अभियुक्त सं. 1 और अभियुक्त सं. 2 ने अपने एक समान इरादे को अग्रसर करते हुए मृतक के घर के सामने सड़क के किनारे मृतक पर एम. ओ. 1 और 3 गंडासों तथा एम. ओ. 2 और 4 लकड़ी के डंडों से हमला किया तथा इस हमले से मृतक को गंभीर क्षतियां कारित कीं जिसके अंतर्गत उसके सिर पर हुई क्षति भी है । घटना के तुरंत पश्चात् मृतक के माता-पिता मृतक की चीख-पुकार सुनकर घटनास्थल पर पहुंचे । आहत व्यक्ति को घर के अंदर ले जाया गया और प्रात: 5.00 बजे उसे अस्पताल ले जाया गया जहां यह घोषित किया गया कि उसे मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया है । यह अभिकथन किया गया है कि अभियुक्त सं. 1 और अभियुक्त सं. 2 ने हत्या के इरादे से मृतक को गंभीर क्षतियां कारित की थीं और दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध सर्कल पुलिस निरीक्षक, पालोद, तिरुवनंतपुरम द्वारा दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए आरोप पत्र फाइल किया गया ।

3. विचारण न्यायालय को मामला सौंपे जाने पर अभियुक्त सं. 1 और अभियुक्त सं. 2 विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुए । विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की सुनवाई करने के पश्चात् दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के अधीन आरोप विरचित किए जिनके संबंध में उन्होंने दोषी न होने का अभिवाक् किया ।

4. विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने अभि. सा. 1 से अभि.

सा. 15 तक 15 साक्षियों की परीक्षा की और प्रदर्श पी-1 से प्रदर्श पी-24 तक को चिह्नित किया । अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य को समाप्त कर दिए जाने के पश्चात् अभियुक्तों से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313(1)(ख) के अधीन प्रश्न किए गए । उन्होंने वर्तमान मामले में संलिप्त होने से इनकार किया और अपने निर्दोष होने का अभिवाक् किया । प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से प्रति. सा. 1 की परीक्षा की गई और प्रदर्श बी-1 से बी-3 को चिह्नित किया गया । प्रति. सा. 1 एक चौकीदार है जो पन्नीयोड़ स्थित एग्रीफार्म के साथ जुड़ा है । तारीख 4 मार्च, 2007 को वह अपने कार्यालय में जो मृतक के निवास-स्थान से लगभग 50 मीटर दूरी पर स्थित है, रात्रि ड्यूटी पर तैनात था और उसने मृतक के निवास से बाहर एक ओर अभियुक्तों और दूसरी ओर मृतक तथा उसके चचेरे भाइयों के बीच होने वाले लड़ाई-झगड़े को देखा था । यह लड़ाई-झगड़ा अपराह्न 5.00 बजे के लगभग आरंभ हुआ था और देर रात्रि तक चला था । उसके अनुसार रात्रि 12.00 बजे के पश्चात् उसने घर के सामने कुछ चीख-पुकार की आवाजें सुनी थीं जिसे सुनकर वह घटनास्थल पर पहुंचा था । वहां उसने मृतक को अपने घर के सामने भूमि पर पड़े हुए देखा था और पूछताछ करने पर उसे यह बताया गया था कि मृतक दीवार से टकरा गया था ।

5. अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल श्री क्लेरेंस मिरांडा और राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् वरिष्ठ लोक अभियोजक श्री एस. यू. नाजर को सुना ।

6. अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल ने विभिन्न साक्षियों द्वारा दिए गए अभिसाक्ष्यों का हवाला दिया । अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल के अनुसार दंड संहिता की धारा 304, भाग-2 के अधीन अपीलार्थियों की दोषसिद्धि किसी भी प्रकार से कायम रखे जाने योग्य नहीं है और मृतक को हुई क्षतियों में से कोई भी क्षति ऐसी नहीं है जो सामान्य प्राकृतिक अनुक्रम में उसकी मृत्यु कारित करने हेतु पर्याप्त हो । अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल के अनुसार डाक्टर (अभि. सा. 13) जिसने शव-परीक्षा की थी, ने यह राय व्यक्त की है कि मृत्यु का कारण सिर पर हुई क्षति है । अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल के अनुसार क्षति कारित होने के

कारण के संबंध में कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया । विद्वान् काउंसेल ने यह भी प्रतिवाद किया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 27 के अधीन की गई अभिकथित बरामदगी को भी साबित नहीं किया गया है । इसके अतिरिक्त, प्रदर्श पी-9, एफ. एस. एल. की रिपोर्ट यह दर्शित नहीं करती है कि एम. ओ. 1 से एम. ओ. 4 पर रक्त, किसी प्रकार के केश/रोम या ऊतकों के कोई चिह्न विद्यमान थे । अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल के अनुसार न्यायालय के समक्ष प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तथा मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट काफी विलंब से प्रस्तुत की गई थी । यह भी प्रतिवाद किया गया है कि अभियोजन द्वारा घटना के समय को साबित नहीं किया गया है ।

7. दूसरी ओर विद्वान् वरिष्ठ लोक अभियोजक ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि विचारण न्यायालय ने दंड संहिता की धारा 304, भाग-2 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए अभियुक्तों को सिद्धदोष ठहराकर तथा उनके विरुद्ध दंडादेश पारित करके कोई अनुचित कार्य नहीं किया है । विद्वान् वरिष्ठ लोक अभियोजक ने आक्षेपित निर्णय के समर्थन में राज्य की ओर से अपने तर्क प्रस्तुत किए ।

8. शव-परीक्षा से संबंधित साक्ष्य की समीक्षा करने पर यह तथ्य दर्शित होता है कि फोरेंसिक मेडीसन सहायक प्रोफेसर, शासकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय अस्पताल, तिरुवनंतपुरम (अभि. सा. 13) ने मृतक की परीक्षा की थी और उसने मृतक के शरीर पर 33 मृत्युपूर्व क्षतियां पाई थीं और उसने उस प्रभाव का शव-परीक्षा प्रमाण-पत्र जारी किया था जो प्रदर्श पी-10 के रूप में है । प्रदर्श पी-10 यह दर्शित करता है कि मृतक के पूरे शरीर पर 33 क्षतियां कारित की गई थीं । विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय के पैरा 15 में मृतक को लगी सभी मृत्युपूर्व क्षतियों को लेखबद्ध किया है । तथ्यों को दोहराए जाने से बचने के लिए इस निर्णय में मृतक को हुई सभी क्षतियों का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है । जब अभि. सा. 13 की परीक्षा की गई थी तो उसने यह परिसाक्ष्य दिया था कि क्षति सं. 1 से 4, जिन्हें मृतक के सिर पर पाया गया था, के कारण मृतक की मृत्यु हुई थी । मृतक को कारित की गई क्षति सं. 1 से 5 के ब्यौरे यहां नीचे कथित किए गए हैं :–

"क्षतियां (मृत्युपूर्व)

1. कान प्रारंभ होने के स्थान से बिल्कुल पीछे सिर की बायीं ओर खोपड़ी पर 5x2.5x0.3 सें. मी. की अंत:क्षति ।

2. अनुकपाल के ऊपरिशाय सिर के पिछले भाग पर 8x5.5x0.3 सें. मी. की अंत:क्षति ।

3. दायीं भित्तिकास्थि उत्सध के ऊपरिशाय 7.5x1.5x0.5 की खोपड़ी की अंत:क्षति ।

4. अनुकपाल के 5 सें. मी. बाहरी ओर 2.5x2.5x0.5 सें. मी. की खोपड़ी की अंत:क्षति । मस्तिष्क में द्विपार्श्व में सबआर्कनायड रक्तस्राव दिखाई दिया । विदर संकीर्ण हो गया है और कर्णक चपटा हो गया है ।"

9. अभियुक्त का पक्षकथन यह नहीं है कि मृतक की मृत्यु दुर्घटनावश हुई है या उसने आत्म-हत्या की है । अभि. सा. 13 ने न्यायालय के समक्ष यह कथन किया है कि मृतक की मृत्यु उसके सिर में लगी क्षति सं. 1 से 4 के परिणामस्वरूप हुई है और वे क्षतियां एम. ओ. 1 से 4 द्वारा कारित की जा सकती हैं जो मृत्यु कारित करने के लिए सामान्य प्राकृतिक अनुक्रम में पर्याप्त हैं । इस प्रकार मृतक की मृत्यु मानव वध की प्रकृति की है ।

10. विचारण न्यायालय ने मुख्यत: अभि. सा. 1 से अभि. सा. 6 के साक्ष्य का अवलंब लिया है और यह अभिनिर्धारित किया है कि अभियोजन पक्ष दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध को साबित करने में असफल रहा है । किंतु अभियोजन पक्ष दंड संहिता की धारा 304 के भाग-2 के अधीन अपराध को साबित करने में सफल रहा है और तद्नुसार अभियुक्त सं. 1 और अभियुक्त सं. 2 को सिद्धदोष ठहराया गया तथा दंडादिष्ट किया गया ।

11. विचारण न्यायालय ने अभियुक्तों के विरुद्ध निम्नानुसार आरोप विरचित किए :-

"आप दोनों ने तारीख 4 मार्च, 2007 को रात्रि लगभग 10.15

> बजे अजि की मृत्यु कारित करने के इरादे से गंडासे के हत्थे और मुद्‌गर का प्रयोग करते हुए उस पर हमला किया तथा इस हमले का कारण आप दोनों की अजि से पूर्व दुश्मनी थी क्योंकि अजि ने न्यायालय साक्षी 13 की एग्रीफार्म बनाना नर्सरी में कम रकम कोट करते हुए कुटेशन देकर कार्य संविदा अभिप्राप्त की थी । आप दोनों ने उपरोक्त अजि की पिटाई की है और इस पिटाई के दौरान आपने उसके सिर, गर्दन, उसके पृष्ठ भाग, कंधे, कमर और शरीर के अन्य भागों को क्षति कारित की है, आप दोनों ने उस समय अजि के शरीर पर अपनी टांगों से प्रहार किया है जब वह बनाना नर्सरी जंक्शन से पेरिंगम्माला ग्राम में अनादुमुरि स्थित पन्नीयोट्टुकडावु की ओर जाने वाले उद्‌यान से होकर अपने घर की ओर जा रहा था । आप दोनों ने पूरी तरह यह जानते हुए कि आपके द्‌वारा किया गया हमला उपरोक्त अजि की मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है, उसकी मृत्यु कारित करने के इरादे से उपरोक्त अजि पर हमला किया । उपरोक्त हमले के परिणामस्वरूप तारीख 5 मार्च, 2007 को पूर्वाह्‌न लगभग 7.30 बजे अजि की मृत्यु हो गई और इस प्रकार आप दोनों ने दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के अधीन दंडनीय हत्या के अपराध को कारित किया है जिसके संबंध में इस न्यायालय द्‌वारा संज्ञान लिया गया है ।”

12. अभि. सा. 1 ने पुलिस के समक्ष प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी-1) दर्ज की है । उसके अनुसार मृतक उसका चचेरा भाई है । उसने यह कथन किया है कि मृतक को अभि. सा. 2, मृतक के पिता और स्वयं उसके द्‌वारा फजीला अस्पताल, पालौद ले जाया गया था । जैसा कि फजीला अस्पताल में ड्‌यूटी पर तैनात डाक्टर ने सुझाव दिया, आहत व्यक्ति को ताल्लुक अस्पताल, नेदुमंगद ले जाया गया । मृतक की परीक्षा करने वाले डाक्टर ने यह घोषित किया कि उसे मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया है । अभि. सा. 1 के साक्ष्य से यह उपदर्शित होता है कि आहत व्यक्ति के पिता (अभि. सा. 2) ने उसे यह सूचित किया कि अभियुक्त सं. 1 और अभियुक्त सं. 2 ने उस पर गंडासों और डंडों से हमला किया था जिसके कारण उसे गंभीर क्षतियां कारित हुई हैं ।

आहत व्यक्ति को अस्पताल ले जाने से पूर्व अभि. सा. 2 से प्राप्त सूचना के अनुसरण में अभि. सा. 1 पुलिस थाने गई और वहां उसने अभियुक्त सं. 1 और अभियुक्त सं. 2 को अभियुक्त बनाते हुए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी-1) दर्ज की । अभि. सा. 1 के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि वह घटना की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है और वह उस रीति के संबंध में अनभिज्ञ है जिसमें यह संपूर्ण घटना घटित हुई । मृतक की मृत्यु की पुष्टि हो जाने के तुरंत पश्चात् वह पुलिस थाने गई और उसने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी-1) दर्ज कराई ।

13. अभि. सा. 2 मृतक का पिता है । अभि. सा. 2 ने यह कथन किया है कि तारीख 4 मार्च, 2007 को रात्रि लगभग 8.00 बजे उसके पुत्र अजि ने मनोज कुमार और अजीत कुमार के साथ रात्रि का भोजन किया था और रात्रि के भोजन के पश्चात् अजि उनके साथ उनके घर चला गया था । उसके अनुसार उस दिन रात्रि लगभग 10.00 और 11.00 बजे के बीच अभियुक्त सं. 1 और अभियुक्त सं. 2 अजि को ढूंढते हुए उसके घर आए थे और उसने उन्हें यह सूचित किया था कि अजि घर पर मौजूद नहीं था । उसने यह भी कथन किया कि वे दोनों विचलित मनो-अवस्था में वापस चले गए थे और उस समय उसने यह देखा कि एम. ओ. 1 और 3 गंडासे उनकी कमर से लटक रहे थे । उसने यह भी कथन किया कि अभियुक्त सं. 1 और अभियुक्त सं. 2 ने अजि की पत्नी को यह सूचित किया था कि वे अजि को अगले दिन से कुटेशन संकर्म के लिए बनाना फार्म जाने की अनुमति नहीं देंगे । कुछ समय के पश्चात् उसे किसी निकटवर्ती स्थान से चीख-पुकार की आवाजें सुनाई दीं जिन्हें सुनकर वह अभि. सा. 3 और अभि. सा. 3 के भाई शजु के साथ एक टॉर्च लाइट की सहायता से घटनास्थल पर पहुंचे । उसके अनुसार जब वे घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्होंने यह देखा कि अभियुक्त सं. 1 और अभियुक्त सं. 2 एम. ओ. 1 से 4 का प्रयोग करते हुए मृतक पर हमला कर रहे थे । उसने यह कथन किया कि उन्होंने टॉर्च लाइट और उस दिन उपलब्ध चांद की रोशनी में घटना को देखा था । उसने यह भी कथन किया कि उसका पुत्र अजि बनाना फार्म नर्सरी के स्वामी

के साथ की गई एक संविदा के आधार पर उक्त नर्सरी में एक कर्मकार था । अभियुक्त सं. 1 और अभियुक्त सं. 2 उसके पुत्र अजि के प्रति शत्रुता की भावना रखते थे क्योंकि अजि ने उक्त नर्सरी में कार्य करने के लिए न्यूनतम दर कोट की थी और तद्नुसार उसे संविदा संकर्म सौंपा गया था और यह बात अभियुक्त सं. 1 और अभियुक्त सं. 2 को अच्छी नहीं लगी थी । अभि. सा. 2 ने यह भी कथन किया कि मृतक को तुरंत अस्पताल ले जाने की बजाय उसे घर ले जाया गया था और प्रातः तक उसकी स्थिति गंभीर हो गई थी । उसके पश्चात् उसे अस्पताल ले जाया गया जहां यह घोषित किया गया कि उसे मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया है । प्रतिपरीक्षा के दौरान अभि. सा. 2 ने यह कथन किया कि उन्होंने घटना के तुरंत पश्चात् मृतक के शरीर पर कोई छिन्न घाव नहीं देखा था । उसने यह स्पष्टीकरण दिया कि मृतक के शरीर पर ऐसी कोई क्षति नहीं थी जिसे अभियुक्तों द्वारा एम. ओ. 1 और 3 गंडासों का प्रयोग किए जाने के परिणामस्वरूप कारित किया गया हो ।

14. अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान अभि. सा. 2 ने यह भी स्वीकार किया कि उसके पुत्र के पास उसके घर में बिना अनुज्ञप्ति की एक बंदूक थी । उसके अनुसार, पुलिस ने उसे और उसके बड़े पुत्र को बिना अनुज्ञप्ति की एक बंदूक अवैध रूप से रखने के लिए गिरफ्तार किया था और न्यायिक अभिरक्षा में भी रखा था । अभि. सा. 2 ने इस संबंध में कोई समाधानप्रद स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं कराया कि घटना की तारीख को रात्रि 8.00 बजे से 10.15 के बीच मृतक कहां था । उसने यह भी कथन किया कि तारीख 4 मार्च, 2007 के पश्चात् उसने उसके घर में उस समय विद्यमान कुएं को बंद कर दिया था और एक नया कुआं बनाया था । अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान अभि. सा. 2 ने यह कथन किया कि उसके पुत्र ने रात्रि 9.30 और 10.00 बजे के बीच बहुत तेज आवाज में चीख-पुकार की थी । तथापि, उसने स्पष्ट शब्दों में यह कथन किया कि यह घटना 10.00 और 10.30 बजे के बीच घटित हुई थी । प्रतिपरीक्षा के दौरान उसने यह भी कथन किया कि अभियुक्त रात्रि 9.00 बजे के लगभग उसके घर आए थे । तथापि, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा

161 के अधीन दिए गए अपने बयान में उसने यह कथन किया है कि अभियुक्त उसके घर तारीख 4 मार्च, 2007 को रात्रि लगभग 10.00 बजे आए थे । तथापि, अपनी प्रतिपरीक्षा में उसने अपने बयान के इस भाग से इनकार किया जिसे प्रदर्श डी-1 के रूप में चिह्नित किया गया है । उसके पश्चात् उसने यह कथन किया कि घटना रात्रि 9.00 बजे और 9.30 बजे के बीच घटित हुई थी । इसके अतिरिक्त, अपनी प्रतिपरीक्षा में उसने यह भी कथन किया कि पुलिस ने उसके कथन को घटना की तारीख से दो दिन के पश्चात् लेखबद्ध किया था और उसके अतिरिक्त कथन को तारीख 9 मार्च, 2007 को लेखबद्ध किया गया था ।

15. अभि. सा. 3 मृतक की माता है । अभि. सा. 3 ने यह कथन किया है कि तारीख 4 मार्च, 2007 को रात्रि लगभग 8.00 बजे मृतक और मनोज रात्रि भोज के पश्चात् मनोज के घर की ओर गए थे । उसने यह भी कथन किया कि रात्रि 10.00 बजे अभियुक्त उसके घर आए थे और उन्होंने मृतक के संबंध में पूछताछ की थी । उसने जब उन्हें यह उत्तर दिया कि अजि घर पर नहीं है तो वे क्रोधित हो गए और वे वहां से चले गए और जब वे जा रहे थे तो उसने यह देखा कि उनके पास गंडासे थे । उसने यह भी कथन किया कि रात्रि लगभग 10.15 बजे उसे मृतक की चीख-पुकार की आवाजें सुनाई दीं और जब वह घटनास्थल पर पहुंची तो उसने देखा कि अभियुक्त एम. ओ. 1 से 4 के माध्यम से अजि को क्षतियां कारित कर रहे थे । हमले के पश्चात् अभियुक्त घटनास्थल से चले गए । उसके पश्चात् वह अजि को लेकर अपने घर आ गई और मध्यरात्रि के समय अजि की दशा गंभीर हो गई । अतः उसे अस्पताल ले जाया गया जहां उसके संबंध में यह घोषित किया गया कि उसे मृत अवस्था में लाया गया है ।

16. अभि. सा. 4 ने घटना की तारीख को मृतक, अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 के साथ रात्रि का भोजन ग्रहण किया था । उसने अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 के कथन का समर्थन किया है । अभि. सा. 4 मृतक अजि का चचेरा भाई है और उसने यह कथन किया है कि उन्होंने एक साथ रात्रि का भोजन ग्रहण किया था तथा उसके पश्चात् अजि ने मदिरापान किया था और उसके पश्चात् वह अपने घर की ओर

चला गया था । उसके अनुसार मदिरा के नशे के कारण अजि की जुबान लड़खड़ा रही थी और उसे देखकर उसके पिता ने अजि को अपने घर जाने के लिए कहा था और तद्नुसार अजि अपने घर की ओर चला गया था । उसने यह भी कथन किया कि रात्रि लगभग 9.00 बजे वह अभियुक्त सं. 1 के निवास-स्थान गया था और उसने अजि के संबंध में पूछताछ की थी । उसके द्वारा पूछताछ किए जाने पर उसे यह ज्ञात हुआ कि अजि वहां आया था और उसने अभियुक्त सं. 1 के साथ गाली-गलौच किया था । उसके अनुसार अभियुक्त सं. 1 सतीश ने बिना किसी कारण के उस पर भी हाथ उठाया था । उसके पश्चात् वह अपने घर वापस आ गया तथा उसके पश्चात् उसे यह पता चला कि अजि पर अभियुक्त सं. 1 और अन्यों द्वारा हमला किया गया था ।

17. अभि. सा. 5 मृतक अजि का चचेरा भाई है । घटना की तारीख को वह भी अजि के निवास-स्थान पर उपस्थित था । उसने भी अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 के कथन का पूर्णतया समर्थन किया है ।

18. अभि. सा. 6 वह व्यक्ति है जो अभि. सा. 2 के अनुरोध पर जीप लेकर आया था । मृतक को घटना के तुरन्त पश्चात् अभि. सा. 8 द्वारा चालित जीप में बैठाकर अस्पताल ले जाया गया था । अभि. सा. 6 और अभि. सा. 8 ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि जब मृतक को अस्पताल ले जाया गया था उस समय वह बेहोशी की हालत में था ।

19. डा. ग्लेडिस जार्ज (अभि. सा. 11) तालुक अस्पताल, नेदुमंगद में सुसंगत समय पर सहायक शल्य-चिकित्सक के रूप में कार्यरत था और उसने मृतक की परीक्षा करने के पश्चात् एक चिकित्सा प्रमाण-पत्र जारी किया था जिसमें मृतक के क्रमश: बाईं कलाई और दाहिने कंधे पर 5 से. मी. गहरी स्केपुलरी क्षति पाई गई है ।

20. अभि. सा. 10 पेरिंगाम्माला स्थित बनाना नर्सरी में पिछले 6 वर्ष से, अर्थात् नवंबर, 2006 से केला विकास अधिकारी के रूप में कार्य कर रहा है । उसने यह कथन किया है कि मृतक उक्त नर्सरी में संविदाकार के रूप में कार्य कर रहा था और उसने तुलनात्मक रूप से निम्न दर पर संकर्म हेतु कोटेशन स्वीकार की थी ।

21. अभि. सा. 9 बरामदगी महाजर प्रदर्श पी-5 का साक्षी है । उसने यह कथन किया है कि उसने प्रदर्श पी-5 महाजर पर हस्ताक्षर किए थे और पुलिस ने उसके कथन को लेखबद्ध किया था । पेरिंगाम्माला के ग्राम भारसाधक अधिकारी (अभि. सा. 14) की परीक्षा प्रदर्श पी-11 स्थल नक्शे को साबित करने के लिए की गई थी । अभि. सा. 14 ने प्रदर्श पी-14, स्थल नक्शे को तैयार किया था तथा उसे अभि. सा. 15 को सौंप दिया था ।

22. अभि. सा. 15 ने तारीख 6 मार्च, 2007 को अन्वेषण की बागडोर संभाली थी तथा उसने इस मामले में अन्वेषण का संचालन किया था । उसने तारीख 6 मार्च, 2007 को अपराह्न लगभग 2.00 बजे प्रदर्श पी-12 पर स्थित स्थल महाजर को भी तैयार किया था । उसने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और उनके कथनों को लेखबद्ध किया । जिस समय अभियुक्त पुलिस की अभिरक्षा में थे उस समय अभि. सा. 15 ने उनसे प्रश्न किए । प्रथम अभियुक्त ने प्रदर्श पी-19 के माध्यम से यह संस्वीकार किया कि एम. ओ. 1 से 4 को एक कवर में लपेटकर सड़क के किनारे अनानास के पौधों के बीच स्थित एक स्थान पर रखा गया है । उसने यह भी संस्वीकार किया कि यदि उसे उस स्थान पर ले जाया जाए तो वह उन्हें गंडासे और डंडे दिखा सकता था । इस सूचना के आधार पर अभि. सा. 15 अभियुक्त की अगुवाई में हथियार छिपाए जाने के स्थान पर पहुंचा और उसने एम. ओ. 1 से 4 तथा उनके कवर के रूप में एम. ओ. 9 को प्रदर्श पी-5 महाजर के माध्यम से बरामद किया । उसके पश्चात् अभियुक्त सं. 1 और अभियुक्त सं. 2 को अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया और उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया ।

23. शव-परीक्षा का संचालन करने वाले डाक्टर (अभि. सा. 13) ने इस बात की पुष्टि की है कि मृतक की मृत्यु उसके सिर पर कारित की गई क्षतियों के कारण हुई है । प्रतिपरीक्षा के दौरान अभि. सा. 13 ने यह कथन किया कि मस्तिष्क की सतह पर सबआर्कनॉयड रक्तस्राव विद्यमान था । प्रतिपरीक्षा के दौरान उसने यह भी कथन किया कि आर्कनॉयड मांसपेशी एक ऐसी पतली मेम्बरेन है जो मस्तिष्क के ऊपर

विद्यमान होती है । अभि. सा. 13 के अनुसार सबआर्कनॉयड रक्तस्राव के अनेक कारण हो सकते हैं जिनमें से एक कारण अनियंत्रित हाइपरटेंशन भी है । क्षति सं. 1 और 4 अभिकथित रूप से मृतक की मृत्यु का कारण हैं । क्षति सं. 1, 2 और 4 निश्चित रूप से ही कपाल की अंत:क्षति हैं ।

24. अभि. सा. 13, वह डाक्टर जिसने शव-परीक्षा की थी, के साक्ष्य का परिशीलन करने पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि अभि. सा. 13 मृत्यु के निर्दिष्ट कारण को कथित करने में असफल रहा है । अभियोजन पक्ष ने स्पष्ट रूप से इस संबंध में कोई सुझाव प्रस्तुत नहीं किया है कि वह विनिर्दिष्ट क्षति कौन-सी है जिसके कारण मृतक की मृत्यु हुई है । अभि. सा. 13 ने यह राय व्यक्त की है कि सबआर्कनॉयड रक्तस्राव अनेक कारणों से हो सकता है । जहां तक मृतक का संबंध है वह घटना की तारीख को रात्रि 9.00 बजे के पश्चात् अपने घर से निकला था । तथापि, अभियोजन साक्षियों, जिनके अंतर्गत अभि. सा. 2, अभि. सा. 3 और अभि. सा. 5 भी हैं, के अनुसार उन्होंने रात्रि 10.15 बजे चीख-पुकार की आवाज सुनी थी और उसके पश्चात् वे घटनास्थल पर पहुंचे थे । प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के अनुसार जब वे चीख-पुकार की तेज आवाजें सुनकर घटनास्थल पर पहुंचे थे तो उन्होंने यह देखा था कि अभियुक्त मृतक पर एम. ओ. 1 से 4 के माध्यम से हमला कर रहे थे और मृतक असहाय रूप में भूमि पर गिरा हुआ था । इस बात की संभावना अत्यंत कम है कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के घटनास्थल पर पहुंचने के पश्चात् उन्होंने वास्तविक रूप में अभियुक्त सं. 1 और अभियुक्त सं. 2 को मृतक पर डंडों और गंडासों से हमला करते हुए देखा हो । इस संबंध में यह उल्लेख करना अनिवार्य है कि अभि. सा. 12 द्वारा तैयार की गई एफ.एस.एल. रिपोर्ट, जो प्रदर्श पी-9 के रूप में चिह्नित है, यह उपदर्शित नहीं करती कि एम. ओ. 1 से 4 पर कोई रक्त चिह्न, बाल या ऊतक विद्यमान थे । अभि. सा. 7 ने पुलिस द्वारा तैयार की गई शव समीक्षा रिपोर्ट, जो प्रदर्श पी-4 के रूप में चिह्नित है, पर हस्ताक्षर किए हैं । सभी साक्षियों ने यह कथन किया है कि उन्हें मृतक की मृत्यु के कारण के संबंध में वास्तविक रूप में संदेह

है । अभि. सा. 2 ने यह कथन किया है कि उसने घटना की तारीख को रात्रि लगभग 10.00 बजे अभियुक्त सं. 1 और अभियुक्त सं. 2 को मृतक के घर की ओर जाते हुए देखा था जो मृतक को खोज रहे थे और उस समय उनके कंधों पर दो गंडासे लटक रहे थे । जब उसकी परीक्षा की गई तो उसने यह स्वीकार किया कि उसने अन्वेषण अधिकारी द्वारा लेखबद्ध किए गए अपने पूर्वतन कथन में अन्वेषण अधिकारी के समक्ष ऐसा कोई कथन नहीं किया था ।

25. अभियोजन पक्षकथन यह है कि उक्त घटना घटना की तारीख को रात्रि लगभग 10.00 बजे घटित हुई थी । अभि. सा. 1 के अनुसार वह घटना की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है और उसे घटना के सही समय का ज्ञान नहीं है । उसने अन्य व्यक्तियों से एकत्रित की गई सूचना के आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई जो प्रदर्श पी-1 के रूप में है । अभि. सा. 2 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह कथन किया है कि उसे घटना की तारीख को रात्रि 10.00 और 10.20 बजे के बीच मृतक की चीख-पुकार की आवाजें सुनाई दी थीं । प्रदर्श डी-1, जिसके द्वारा उसके कथन का खंडन किया गया है, में उसने यह कथन किया है कि घटना तारीख 4 मार्च, 2007 को रात्रि 10.00 बजे घटित हुई थी । तथापि, अभि. सा. 3 ने यह कथन किया है कि घटना रात्रि 10.15 बजे घटित हुई थी । तथापि, उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उसने अन्वेषण अधिकारी के समक्ष किए गए अपने कथन में यह उपदर्शित किया था कि घटना का समय रात्रि 10.00 बजे था । उसके पश्चात् उसने यह कथन किया कि घटना रात्रि 10.00 से 11.00 बजे के बीच घटित हुई थी । उसने यह भी कथन किया कि अजि को रात्रि 11.00 बजे घर वापस लाया गया था । अभि. सा. 5 ने यह कथन किया है कि घटना का समय रात्रि 10.15 बजे है ।

26. अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए केवल यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वर्तमान मामले में घटना रात्रि 10.00 और 11.00 बजे के बीच घटित हुई थी । अभियोजन पक्ष ने न्यायालय द्वारा विरचित आरोपों के ज्ञापन के अनुसरण में घटना के समय को साबित करने के लिए कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है ।

27. प्रथम इत्तिला रिपोर्ट जो प्रदर्श पी-2 के रूप में है, को तारीख 5 मार्च, 2007 को अपराह्न 4.00 बजे रजिस्टर किया गया था । घटना 4 मार्च, 2007 को रात्रि लगभग 10.00 बजे घटित हुई थी । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 के अधीन प्रथम इत्तिला कथन को तारीख 4 मार्च, 2007 को रजिस्टर किया गया था जो प्रदर्श पी-1 के रूप में है । प्रदर्श पी-1 के परिशीलन से यह तथ्य प्रकट होता है कि तारीख 5 मार्च, 2007 को प्रात: लगभग 6.30 बजे अभि. सा. 1 को यह ज्ञात हुआ था कि अजि बेहोशी की अवस्था में उसके निवास-स्थान पर पाया गया है । प्रदर्श पी-1 से यह तथ्य भी प्रकट होता है कि अजि को तालुक अस्पताल, नेदुमंगद ले जाया गया था जहां उसकी परीक्षा करने के उपरांत डाक्टर ने यह घोषित किया कि उसे मृत अवस्था में लाया गया है । यद्यपि मृतक की मृत्यु के संबंध में अभि. सा. 1 से अभि. सा. 6 को काफी समय पूर्व ही सूचना प्राप्त हो गई थी किंतु उन्होंने घटना के संबंध में पुलिस को सूचित नहीं किया । इस घटना के संबंध में पुलिस को सूचना तारीख 5 मार्च, 2007 को अपराह्न 4.00 बजे प्रस्तुत की गई थी । अभि. सा. 1 ने इस प्रकार का पक्षकथन प्रस्तुत नहीं किया है कि अभियुक्त सं. 1 और अभियुक्त सं. 2 ने मृतक की हत्या की है जैसाकि अभियोजन पक्ष द्वारा आरोप लगाया गया है । अभि. सा. 1 के साक्ष्य की संवीक्षा करने पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि अभि. सा. 1 ने प्रदर्श पी-1 पर स्थित प्रथम इत्तिला कथन दर्ज कराने से पूर्व अभि. सा. 2, अभि. सा. 3, अभि. सा. 4 और अभि. सा. 5 से परस्पर विचार-विमर्श किया था । इससे केवल यही निष्कर्ष निकलता है कि उन्हें इस तथ्य के संबंध में कोई जानकारी नहीं थी कि अभियुक्त सं. 1 और अभियुक्त सं. 2 ने अपने एक समान इरादे को अग्रसर करते हुए अजि की हत्या की थी जैसाकि अभियोजन पक्ष द्वारा आरोप लगाया गया है । प्रदर्श पी-1 प्रथम इत्तिला कथन और प्रदर्श पी-2 प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के परिशीलन पर यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि इस संबंध में कोई साक्ष्य विद्यमान नहीं है जो न्यायालय के समक्ष प्रदर्श पी-2 को प्राप्त करने की तारीख को दर्शित करता हो । न्यायालय में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को प्राप्त करने वाले विद्वान् मजिस्ट्रेट के संक्षिप्त हस्ताक्षर प्रदर्श पी-2 पर मौजूद नहीं हैं । उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए

इस न्यायालय के लिए यह अभिनिश्चित करना कठिन है कि क्या प्रथम इत्तिला रिपोर्ट न्यायालय में तुरंत बिना किसी विलंब के प्राप्त की गई थी अथवा नहीं ।

28. अभि. सा. 4 ने यह दर्शित करते हुए साक्ष्य प्रस्तुत किया है कि घटना की तारीख को मृतक ने उसके निवास-स्थान पर झगड़ा आरंभ किया था और उसके परिणामस्वरूप उसके पिता ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था । उसने यह भी कथन किया है कि उस घटना के पश्चात् मृतक अभियुक्त सं. 1 के घर गया था और उसने वहां भी झगड़ा किया था । इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय के लिए यह अभिनिश्चित करना कठिन है कि घटना की तारीख को मृतक को क्षतियां किस प्रकार कारित हुईं ।

29. अभि. सा. 11, डाक्टर ने मृतक की उस समय परीक्षा की थी जब उसे अस्पताल लाया गया था । उसने क्षति संबंधी प्रमाण-पत्र जो प्रदर्श पी-8 के रूप में चिह्नित है, में तीन क्षतियों का उल्लेख किया है । तथापि, प्रदर्श पी-10 के रूप में चिह्नित शव-परीक्षा रिपोर्ट प्रमाण-पत्र में 33 क्षतियों का उल्लेख किया गया है । अन्य सभी क्षतियां खरोचों और अंत:क्षतियों के रूप में हैं । साक्ष्य में यह तथ्य भी सामने आया है कि मृतक ने घटना की तारीख को मदिरापान किया था ।

30. अभि. सा. 2, अभि. सा. 3 और अभि. सा. 5 ने यह कथन किया है कि उन्होंने घटना की तारीख को मृतक की चीख-पुकार सुनी थी और तद्नुसार वे घटनास्थल पर पहुंचे थे । अन्वेषण अधिकारी (अभि. सा. 15) के अनुसार उनका घर घटनास्थल से लगभग 30-35 मीटर की दूरी पर स्थित है । अत: यह विश्वास करना कठिन है कि उन्होंने मृतक की चीख-पुकार सुनी थी जैसाकि अभियोजन पक्ष द्वारा आरोप लगाया गया है ।

31. अभि. सा. 3 ने न्यायालय के समक्ष यह परिसाक्ष्य दिया है कि उनके घर में एक कुआं था और अजि की मृत्यु के तुरंत पश्चात् उन्होंने उस कुएं से पानी लेना बंद कर दिया था । उन्होंने उस कुएं को बंद भी करा दिया था । इस संबंध में कोई तर्कपूर्ण स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं

कराया गया है कि किस कारणवश घटना के तुरंत पश्चात् उनके निवास-स्थान पर स्थित कुएं को बंद कर दिया गया था । यह तथ्य इस बात को ध्यान में रखते हुए और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि अभियुक्त ने यह प्रतिवाद किया है कि मदिरा के नशे में मृतक कुएं में कूद गया था और जिसके परिणामस्वरूप उसे क्षतियां कारित हुई थीं ।

32. इस संबंध में सामान्य नियम यह है कि अभियुक्त को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि उसके विरुद्ध किसी भी संदेह से परे अपराध को साबित न कर दिया जाए । अत: अभियोजन पक्ष का यह कर्तव्य है कि वह अपने पक्षकथन को संदेह से परे साबित करे । अभियोजन पक्ष को प्रथमत: साक्ष्य संबंधी भार का समाधान करना चाहिए जिससे यह दर्शित किया जा सके कि अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोपों के समर्थन में साक्ष्य स्वरूप सामग्री विद्यमान है । यदि अभियोजन पक्ष इस भार का निर्वहन नहीं कर सकता तो ऐसी स्थिति में अभियुक्त दोषमुक्त किए जाने के लिए हकदार हैं । प्रदर्श पी-12 घटनास्थल महाजर के अनुसार तैयार की गई स्थल योजना जो प्रदर्श पी-11 के रूप में चिह्नित है, यह दर्शित करती है कि घटनास्थल अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 के निवास-स्थान से काफी दूरी पर स्थित है । घटना रात्रि में घटित हुई थी । यह अनिवार्य है कि उस रोशनी के स्रोत को साबित किया जाए जिसमें साक्षियों ने घटना को रात्रि के दौरान देखा था जैसा कि अभियोजन पक्ष द्वारा अभिकथन किया गया है । घटनास्थल योजना (प्रदर्श पी-11) के अनुसार बिजली का एक खंभा घटनास्थल से 17.52 मीटर की दूरी पर पाया गया है । यह उपदर्शित करने के लिए कोई सामग्री विद्यमान नहीं है कि उक्त बिजली के खंभे पर रोशनी हेतु कोई बल्ब उपलब्ध था । घटनास्थल महाजर (प्रदर्श पी-12) भी इस संबंध में मौन है । चूंकि उस क्षेत्र में और उसके आस-पास कोई स्ट्रीट लाइट उपलब्ध नहीं थी इसलिए अभि. सा. 2, अभि. सा. 3 और अभि. सा. 5 ने यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत किया है कि उन्हें घटना को प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए मृतक की चीख-पुकार सुनने के पश्चात् वास्तविक रूप से घटनास्थल की ओर दौड़ना पड़ा था । उन्होंने यह स्पष्टीकरण दिया था कि अभि. सा. 2 के पास एक टॉर्च थी जिसकी

रोशनी की सहायता से उन्होंने घटना को देखा था । साक्ष्य के परिशीलन पर हमें यह विश्वास करना कठित प्रतीत होता है कि मृतक की चीख-पुकार सुनने के पश्चात् वे घटनास्थल की ओर दौड़े थे जहां उन्होंने अभियोजन पक्ष द्वारा यथा अभिकथित रीति में वास्तव में ही अभियुक्तों को मृतक पर हमला करते हुए देखा था । इस बात की संभावना है कि वे अभिकथित हमले के पश्चात् ही घटनास्थल पर पहुंचे थे । अभि. सा. 2, अभि. सा. 3 और अभि. सा. 5 के अनुसार यद्यपि घटनास्थल पर अंधेरा था फिर भी वे टॉर्च की रोशनी में यह देख पाने में सफल हुए थे कि अभियुक्त मृतक पर हमला कर रहे थे । प्रदर्श पी-11 और प्रदर्श पी-12 में किए गए वर्णनों को ध्यान में रखते हुए हमारे लिए यह विश्वास करना कठिन है कि उन्होंने स्ट्रीट लाइट की रोशनी में वास्तव में इस घटना को देखा था । साक्षियों द्वारा टॉर्च लाइट की सहायता से रात्रि के गहन अंधकार में अभियुक्तों द्वारा मृतक पर हमला किए जाने की घटना को देखना संदेहास्पद प्रतीत होता है । हमारा मत यह है कि इस कथन का अवलंब लेना सुरक्षित नहीं है कि उन्होंने अभियुक्तों को उनके हाथों में विशिष्ट हथियारों के साथ देखा था । इस बात को साबित करने के लिए कोई वैज्ञानिक परीक्षा नहीं की गई है कि इन हथियारों को वास्तव में ही अभियुक्तों द्वारा मृतक पर हमला करने के लिए प्रयोग में लाया गया था । रात्रि के अंधकार में अभि. सा. 2, अभि. सा. 3 और अभि. सा. 5 के लिए उन हथियारों को ध्यानपूर्वक देख पाना कठिन प्रतीत होता है जिनके संबंध में अभि. सा. 2, अभि. सा. 3 और अभि. सा. 5 ने ब्यौरे उपलब्ध कराए हैं । एक अन्य कारक जो अभि. सा. 2, अभि. सा. 3 और अभि. सा. 5 के कथनों के संबंध में संदेह उत्पन्न करता है, यह है कि घटनास्थल से रक्त से सना हुआ कोई वस्त्र बरामद नहीं हुआ था । अभि. सा. 2, अभि. सा. 3 और अभि. सा. 5 के साक्ष्यों में उपरोक्त संदेहास्पद विशिष्टियों के कारण हमें इस बात का भी संदेह है कि उन्होंने वास्तव में इस घटना को देखा था जैसा कि अभियोजन पक्ष द्वारा अभिकथन किया है । आहत व्यक्ति को अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 के निवास स्थान पर ले जाया गया था और उसके पश्चात् प्रात: 5.00 बजे उसे अस्पताल ले जाया गया था और प्रात: 7.35 बजे

उसे मृत घोषित कर दिया गया था । अभि. सा. 2, अभि. सा. 3 और अभि. सा. 5 द्वारा इस घटना के संबंध में अपने किन्हीं निकट नातेदारों, मित्रों या पुलिस को सूचित न किए जाने संबंधी आचरण न्यायालय के समक्ष दिए गए उनके साक्ष्य के संबंध में सारवान् संदेह उत्पन्न करता है । वर्तमान मामले में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट पर कोई तारीख अंकित नहीं की गई है और मृतक की मृत्यु के तुरंत पश्चात् अभि. सा. 1 द्वारा दर्ज किया गया प्रथम इत्तिला कथन (प्रदर्श पी-1) के अनुसरण में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की तारीख को अभिनिश्चित करना संभव नहीं है ।

33. दंड संहिता दो प्रकार के मानव वध को मान्यता प्रदान करती है । प्रथमतः आपराधिक मानव वध जिसके संबंध में दंड संहिता की धारा 299 से लेकर धारा 304 के अधीन विस्तृत ब्यौरे उपलब्ध कराए गए हैं और द्वितीयतः हत्या की कोटि में न आने वाला मानव वध जिसके संबंध में दंड संहिता की धारा 304क के अधीन उपबंध किए गए हैं । दंड संहिता के अधीन दो प्रकार के आपराधिक मानव वध हैं, (i) हत्या की कोटि में आने वाला आपराधिक मानव वध (दंड संहिता की धारा 300 और धारा 302) और (ii) हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध (दंड संहिता की धारा 304) । दंड संहिता की धारा 304 निम्नलिखित परिस्थितियों में हत्या की कोटि में न आने वाला मानव वध के लिए दंड का उपबंध करती है :–

> (1) यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है, मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति, जिससे मृत्यु होना संभाव्य है, कारित करने के आशय से किया जाए, तो वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।
>
> (2) यदि वह कार्य इस ज्ञान के साथ कि उससे मृत्यु कारित करना संभाव्य है, किंतु मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति, जिससे मृत्यु कारित करना संभाव्य है, कारित करने के किसी आशय के बिना किया जाए तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

यदि किसी कार्य में आशय और ज्ञान दोनों हैं तो वह मामला धारा 304 के भाग-1 के अंतर्गत आएगा और यदि किसी मामले में केवल ज्ञान है और हत्या तथा शारीरिक क्षति कारित करने का आशय नहीं है तो वह मामला धारा 304 के भाग-2 के अंतर्गत आएगा ।

34. ऊपर निर्दिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमारा मत यह है कि अभियोजन पक्ष द्वारा यह साबित करने के लिए कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि उक्त कार्य अभियुक्तों द्वारा इस ज्ञान के साथ कारित किया गया था कि उससे मृतक की मृत्यु तो संभाव्य है किंतु उनका आशय उसकी मृत्यु कारित करना या उसे ऐसी शारीरिक क्षति पहुंचाना नहीं था जिससे उसकी मृत्यु कारित होने की संभावना हो । अभियुक्तों द्वारा अभिकथित रूप से किए गए कार्य को साक्ष्य द्वारा साबित नहीं किया गया है । अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह की छाया से परे अपने पक्षकथन को साबित करने में असफल रहा है । इस प्रकार अभियुक्त संदेह के लाभ हेतु हकदार हैं ।

इसके परिणामस्वरूप अपील मंजूर की जाती है । हम अपर सेशन न्यायाधीश-2, तिरुवनंतपुरम की फाइल पर विद्यमान सेशन मामला सं. 454/2009 में अपीलार्थियों/अभियुक्त सं. 1 और अभियुक्त सं. 2 के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 304 के भाग-2 के अधीन की गई दोषसिद्धि और दंडादेश को अपास्त करते हैं । हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अपीलार्थी/अभियुक्त सं. 1 और अभियुक्त सं. 2 पूर्वोक्त अपराध के लिए दोषी नहीं हैं । अत: हम अपीलार्थियों/अभियुक्त सं. 1 और अभियुक्त सं. 2 को दोषमुक्त करते हैं । अपीलार्थी/अभियुक्त सं. 1 और अभियुक्त सं. 2 जमानत पर हैं । उनके जमानत बंधपत्रों को रद्द किया जाता है और यह न्यायालय निदेश देता है कि उन्हें निर्मुक्त किया जाए ।

अपील मंजूर की गई ।

पु.

गुजरात राज्य

बनाम

प्रकाशीभाई ओखाभाई मोची और अन्य

(1997 की दांडिक अपील सं. 249)

तारीख 28 जनवरी, 2020

न्यायमूर्ति आर. एम. छाया और न्यायमूर्ति विरेशकुमार बी. मायानी

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302 और धारा 114 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 और 27] – हत्या – तथ्य का प्रकटन – मृतक के वेश्यावृत्ति के लिए प्रसिद्ध ग्राम – अभियुक्तों के साथ जाने से इनकार करने पर अभियुक्तों द्वारा मृतक पर चाकू से हमला किया जाना – प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य की संपुष्टि अन्य साक्ष्य से न होना – आयुध की बरामदगी साबित न होना – शवपरीक्षण रिपोर्ट से चाकू घोंपकर हत्या किया जाना साबित न होना – शिकायतकर्ता और चिकित्सक का साक्ष्य तथा चिकित्सीय साक्ष्य, प्रत्यर्थी को पहुंची क्षतियों से मेल नहीं खाते हैं और वे शिकायतकर्ता तथा मृतक की शव-परीक्षा करने वाले चिकित्सक के साक्ष्य के समवर्ती नहीं हैं तथा अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त-प्रत्यर्थी के कपड़ों की बरामदगी से संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा अपराध में प्रयोग किए गए चाकू की बरामदगी भी साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन साबित नहीं की गई है और मृत्यु का कारण भी चाकू घोंपने से अन्यथा बताया गया है, ऐसी स्थिति में अभियुक्त-प्रत्यर्थियों की दोषमुक्ति न्यायोचित है ।

अभियोजन का पक्षकथन यह है कि तारीख 9 अक्तूबर, 1995 को शिकायतकर्ता बलवंतजी बाजूजी ठाकुर ग्राम थराड़ आया । शिकायतकर्ता बलवंतजी ठाकुर और उसका चचेरा भाई अनूपजी बाजूजी ठाकुर और वर्तमान प्रत्यर्थी ग्राम खोरदा की सीमा के निकट एक साथ शराब पीने

गए । अभियोजन पक्षकथन के अनुसार अपराह्न लगभग 10.00 बजे शराब पीने के पश्चात् जब चारों व्यक्ति वहां से रवाना होने वाले थे, तब उन्होंने प्रत्यर्थी सं. 1 से मृतक अनूपजी बाजूजी ठाकुर से अपने साथ ग्राम वाड़िया, जो वेश्यावृत्ति के लिए जाना जाता है, चलने को कहा । अभियोजन का यह भी पक्षकथन है कि चूंकि मृतक ने साथ चलने से इनकार कर दिया था, इसलिए प्रत्यर्थी कुपित हो गए और प्रत्यर्थी सं. 2 ने मृतक को दबोच लिया और प्रत्यर्थी सं. 1 अर्थात् प्रकाशीभाई ओखाभाई मोची ने चाकू निकाल लिया और एक वार करते हुए मृतक के माथे पर क्षति पहुंचाई तथा दूसरा वार मृतक के वक्ष पर किया । शिकायतकर्ता के अनुसार, मृतक अचेत हो गया और उसके शरीर से गंभीर रूप से रक्तस्राव हो रहा था और उस समय प्रत्यर्थी-अभियुक्त घटनास्थल से भाग गए । अभियोजन का यह भी पक्षकथन है कि शिकायतकर्ता बलवंतजी ठाकुर भय के कारण अगले दिन प्रात:काल तक झाड़ियों में छिपा रहा और इसके पश्चात् वहां से निकलकर ग्राम असासन आया और उसने मृतक के भाई और अन्य नातेदारों को सूचित किया । अभियोजन पक्षकथन के अनुसार शिकायतकर्ता अगले दिन पूर्वाह्न लगभग 7.00 बजे ग्राम असासन पहुंचा था, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट 9 अक्तूबर, 1995 को दोपहर 12.00 बजे दर्ज कराई गई । पुलिस ने इस मामले में अन्वेषण किया, साक्षियों के कथन अभिलिखित किए और सक्षम न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र फाइल किया गया और इसके पश्चात् यह मामला सेशन न्यायालय को सुपुर्द कर दिया गया और प्रत्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया । विद्वान् सेशन न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 302 और धारा 114 तथा बॉम्बे पुलिस अधिनियम की धारा 135 के अधीन आरोप विरचित किया गया जो प्रदर्श-3 पर है । इस मामले का विचारण सेशन न्यायालय के समक्ष किया गया । अभियोजन पक्ष ने कुल मिलाकर 14 साक्षियों की परीक्षा कराई और मृत्युसमीक्षा पंचनामा (प्रदर्श-19), चाकू की बरामदगी से संबंधित पंचनामा (प्रदर्श-27), स्थल नक्शा (प्रदर्श-20), शवपरीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श-39), न्यायालयिक प्रयोगशाला से प्राप्त की गई रिपोर्ट (प्रदर्श-46 और प्रदर्श-47) और अन्य

पंचनामों (प्रदर्श-21, प्रदर्श-24 और प्रदर्श-29) का अवलंब लिया । विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने अपने आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा दोनों प्रत्यर्थियों को दोषमुक्त कर दिया और यह निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तों का अभिकथित दोष साबित नहीं कर सका है । दोषमुक्ति के इस निर्णय और आदेश से व्यथित होकर राज्य ने इसमें इसके ऊपर उल्लिखित रूप में यह अपील प्रस्तुत की है । अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों को सुनने के पश्चात् और मूल अभिलेख और कार्यवाहियों का परिशीलन करने के पश्चात् यह पता चलता है कि संपूर्ण अभियोजन पक्षकथन विशेषकर अभि. सा. 1 के मौखिक साक्ष्य पर आधारित है जो अभियोजन पक्ष के अनुसार एक प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है । मूल अभिलेख से यह दर्शित होता है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श-9) अभि. सा. 1 द्वारा तारीख 9 अक्तूबर, 1995 को अपराह्न 12.00 बजे पुलिस थाना थराड में दर्ज कराई गई थी । अभि. सा. 1 के अभिसाक्ष्य पर विचार करने पर यह पता चलता है कि उक्त साक्षी ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि वह कंडक्टर (सह-चालक) के रूप में कार्य कर रहा था । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि घटना के दिन दोपहर लगभग 12.00 बजे वह मृतक अनूपजी के साथ थराड गया था । इस साक्षी ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि अपराह्न लगभग 7.30 बजे प्रत्यर्थी जकटनाका के निकट उनसे मिले थे और वहां से वे चारों रमेशभाई धोबी की जीप में बैठकर मदिरापान करने के लिए पदादर पटिया चले गए । इस साक्षी ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि वे पदादर पटिया से ग्राम खोरदा गए और उन्होंने 40/- रुपए में शराब की चार बोतलें क्रय कीं । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि रात्रि 10.00 बजे तक उन्होंने शराब पी ली थी और वे इसके पश्चात् वापस पदादर पटिया आ गए । इस साक्षी ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि जब वे पदादर पटिया पहुंचे तब प्रत्यर्थी सं. 2 (मूल अभियुक्त सं. 2) ने मृतक अनूपजी ठाकुर से वाडिया जाने को कहा जो वेश्यावृत्ति के लिए जाना जाता है । इस साक्षी ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि चूंकि

मृतक ने वहां जाने से इनकार कर दिया था, इसलिए प्रत्यर्थी सं. 2 (मूल अभियुक्त सं. 2) ने मृतक अनूपजी ठाकुर को दबोच लिया और अपने बैग से चाकू निकाला और उस पर दो वार किए जिनमें से एक मृतक के माथे पर और दूसरा उसके वक्ष पर लगा । उक्त साक्षी द्वारा यह भी अभिसाक्ष्य दिया गया है कि वह वहां खड़ा हुआ था और अनूपजी ठाकुर अर्थात् मृतक नीचे गिर गया और उसने देखा कि उसके घावों से रक्त निकल रहा था । इस साक्षी ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि इसके पश्चात् प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 अर्थात् अभियुक्त वहां से फरार हो गए और चूंकि मृतक के शरीर से बुरी तरह रक्त बह रहा था इसलिए वह घबरा गया और उसे यह आभास हुआ कि मृतक की मृत्यु हो सकती है, अतः वह अनूपजी ठाकुर को वहां छोड़कर ग्राम असासन की ओर रवाना हो गया । इसी के साथ इस साक्षी ने यह कथन किया है कि रात्रि के समय वह पदादर पटिया में छिप गया था और वह अगले दिन पूर्वाह्न 7.00 बजे ग्राम असासन पहुंचा । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि घटना लगभग अपराह्न 10.30 बजे घटित हुई थी । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि ग्राम असासन पहुंचने पर उसने मृतक के छोटे भाई प्रधानजी बाजूजी ठाकुर को इस बारे में सूचित किया कि उसके भाई की मृत्यु हो गई है और यह कि प्रत्यर्थी सं. 1 ने चाकू से वार किया है और प्रत्यर्थी सं. 2 ने मृतक को दबोचा था । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि जब उसने प्रधानजी को घटना के बारे में बताया, उस समय ठाकुर जोरा जेठा और ठाकुर लेरा सैंगा मौजूद थे । उसने यह कथन किया है कि जब उसने घटना के बारे में सूचना दी थी तब मृतक की माता, पिता और पत्नी वहां मौजूद नहीं थे । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि इसके पश्चात् वे पूर्वाह्न लगभग 9.00 बजे घटनास्थल पर गए जहां मृतक का शव पड़ा हुआ पाया गया और इसके पश्चात् शव ग्राम में लाया गया जहां मृतक के अन्य नातेदार पहले से जमा थे और इसके पश्चात् वह अन्य चार व्यक्तियों के साथ थराड स्थित पुलिस थाने गया । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि पुलिस घटनास्थल पर आई थी जिसकी निशानदेही इस साक्षी द्वारा की गई है । इस साक्षी ने

यह भी कथन किया है कि पदादर पटिया और पुलिस थाना थराड के बीच की दूरी लगभग 10 किलोमीटर है । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि वे एक यान द्वारा पुलिस थाने गए थे । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि पदादर पटिया से उसके ग्राम असासन के बीच की दूरी लगभग 10 किलोमीटर है । इस साक्षी ने विशेष रूप से यह कथन किया है कि वे पदादर पटिया से अपने ग्राम असासन पैदल गया था । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह स्वीकार किया है कि उसने स्वयं मदिरापान किया था । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह भी स्वीकार किया है कि जब मृतक पर वार किया गया था तब वह चिल्लाया नहीं था । इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने मृतक को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह भी कथन किया है कि जब प्रत्यर्थी सं. 1 अर्थात् मूल अभियुक्त सं. 1 ने चाकू से वार किया था, तब वह वहां से 10 फुट की दूरी पर खड़ा हुआ था । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह भी कथन किया है कि वह झाड़ियों में लगभग 5 मिनट के लिए छिपा था और इसके पश्चात् वह वापस आया और ग्राम असासन की ओर रवाना हो गया जहां वह रहता है और वह पूर्वाहन लगभग 7.00 बजे ग्राम असासन पहुंचा । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह भी स्वीकार किया है कि वह अपने ग्राम असासन की ओर अपराह्न लगभग 10.30 बजे पैदल रवाना हुआ था । इसके पश्चात् अभियोजन पक्ष ने जोराभाई जेमाभाई (अभि. सा. 4) की परीक्षा कराई है ज़िसे पक्षद्रोही घोषित किया गया है और इस साक्षी का साक्ष्य प्रदर्श-13 है । अभियोजन पक्ष ने मृतक के भाई प्रधानजी बाजूजी की परीक्षा अभि. सा. 5 के रूप में कराई है जिसका साक्ष्य प्रदर्श-14 है, तथापि, इस साक्षी के अभिसाक्ष्य पर विचार करने पर यह पता चलता है कि यह साक्षी अनुश्रुत साक्षी है । इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा में किए गए कथन में यह उल्लेखनीय है कि पूछताछ किए जाने पर इस साक्षी ने यह बताया है कि बलवंत ने रात्रि में कहां वास किया था । उसे प्रत्यक्षदर्शी साक्षी बलवंतजी (अभि. सा. 1) द्वारा यह सूचना दी गई थी कि उसने घटनास्थल पर

रक्त पड़ा हुआ नहीं देखा था क्योंकि वह पहले ही अचेत हो गया था । इसके पश्चात् अभियोजन पक्ष ने पंच साक्षियों की परीक्षा कराई है जो चाकू की बरामदगी कराए जाने से संबंधित साक्षियों सहित पक्षद्रोही घोषित किए गए हैं । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि बाह्य रूप से जांच करने पर अस्थिभंग होने का कोई भी प्रमाण दिखाई नहीं देता है और इस चिकित्सक के अनुसार श्वासावरोध के कारण हृदय-गति रुक जाने से मृत्यु हुई है । उक्त साक्षी ने मृतक के शरीर पर कारित क्षतियों को स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया है और इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह बताया है कि वह छिद्रित घाव के बारे में जानता है । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि यदि छिद्रित घाव वृताकार है तब यह उपधारित किया जाता है कि अपराध में प्रयोग किया गया आयुध भी वृताकार था । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह कथन किया है कि चाकू वृताकार आयुध नहीं है और उसने यह भी बताया है कि मृतक के शरीर पर जो क्षति पाई गई है वह इस चाकू से कारित नहीं की जा सकती । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह कथन किया है कि क्षति सं. 1, जिसका आकार अंग्रेजी भाषा के टी अक्षर की तरह है, ऐसे आयुध से कारित की जा सकती है जिसके एक या दोनों ओर धार हो । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि दोनों क्षतियां एक आयुध से कारित नहीं की जा सकती । अभियोजन पक्ष ने डा. प्रतापभाई ओखाभाई पटेल (अभि. सा. 2) की भी परीक्षा कराई है जो ग्राम लखानी, ताल दीसा, जिला बनसकांता में एक प्राइवेट चिकित्सक के रूप में कार्य करता है और इस साक्षी का साक्ष्य प्रदर्श-10 है । उक्त साक्षी ने यह कथन किया है कि इस साक्षी ने प्रकाशीभाई ओखाभाई मोची (प्रत्यर्थी सं. 1) की चिकित्सा परीक्षा तारीख 8 अक्तूबर, 1995 को की थी । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि प्रकाशीभाई ने अपने क्षतिग्रस्त होने के बारे में यह बताया था कि उसे नीचे गिरने से क्षति कारित हुई है । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि उसने दो क्षतियां देखी थीं जिनमें से एक दाईं कोहनी पर है जिसे गुमटेदार विदीर्ण घाव-1 कहा गया है और दूसरी क्षति ललाट के बाईं ओर है जिसे

गुमटेदार विदीर्ण घाव-2 कहा गया है । इस साक्षी ने अपनी परीक्षा के दौरान यह कथन किया है कि यदि कोई व्यक्ति शराब के नशे की हालत में नीचे गिर जाता है तब ऐसी क्षति कारित हो सकती है । अभियोजन पक्ष ने इस मामले के अन्वेषण अधिकारी करसनभाई जीवनभाई जाधव (अभि. सा. 13) के अभिसाक्ष्य (प्रदर्श-44) का अवलंब लिया है । अन्वेषण अधिकारी ने किस प्रकार अन्वेषण किया है और किस प्रकार साक्षियों के कथन अभिलिखित किए हैं, उसने अपने साक्ष्य में इसका उल्लेख किया है । तथापि, अन्वेषण अधिकारी के अभिसाक्ष्य से इससे अधिक कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकलता है । न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रदर्श-46 है जिसमें 6 तात्विक वस्तुओं की जांच का उल्लेख है अर्थात् (i) मिट्टी (ii) कन्ट्रोल मिट्टी (iii) घड़ी (iv) ओपन-शर्ट (v) चाकू । तथापि, न्यायालियक प्रयोगशाला की रिपोर्ट (प्रदर्श-47) से यह उपदर्शित नहीं होता है कि मृतक और अभियुक्तों का रक्त ग्रुप क्या है । न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट की यादी जो प्रदर्श-46 के रूप में अभिलेख पर मौजूद है, से यह उपदर्शित होता है कि अन्य कोई भी नमूना जांच के लिए नहीं भेजा गया, यद्यपि अभिगृहीत किया गया था । अभिलेख से यह उपदर्शित होता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा चाकू की बरामदगी साबित नहीं की गई है और अभियोजन साक्षी जिन्हें पंच साक्षी बनाया गया था, पक्षद्रोही घोषित किए गए हैं । साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन किए जाने पर, जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है, चिकित्सक की यह राय है कि मृतक के शरीर पर जो दो क्षतियां कारित की गई हैं वे एक ही आयुध से कारित नहीं की जा सकती है । चिकित्सक ने यह भी राय व्यक्त की है कि क्षति सं. 2 चाकू से कारित नहीं की जा सकती है । प्रत्यक्षदर्शी साक्षी अभि. सा. 1 के साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने पर उसका आचरण संदिग्ध दिखाई देता है । अभि. सा. 4 ने स्पष्ट रूप से अपने साक्ष्य (प्रदर्श-13) में यह कथन किया है कि जब उसने अभि. सा. 1 से यह मालूम किया कि वह रात्रि में कहां था, तब अभि. सा. 1 ने उसे यह बताया कि उसने रक्त नहीं देखा था और वह बेहोश होकर गिर गया था । जबकि इस साक्षी ने अपने अभिसाक्ष्य में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख

किया है कि वह 5 मिनट के लिए झाड़ी में छिप गया था और उसके पश्चात् वह ग्राम असासन की ओर रवाना हो गया था जो वहां से 10 किलोमीटर की दूरी पर था । इस साक्षी ने स्पष्ट रूप से यह भी कथन किया है कि उसने अपराह्न 10.30 बजे चलना आरंभ किया था । अत: इस बात पर किसी भी प्रकार विश्वास नहीं किया जा सकता कि 10 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करने में अभि. सा. 1 को लगभग साढ़े आठ घंटे का समय लगा होगा । अभि. सा. 4 का साक्ष्य (प्रदर्श-13), प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के साक्ष्य से पूर्णतया भिन्न है । प्रत्यक्षदर्शी साक्षी अर्थात् अभि. सा. 1 के साक्ष्य पर विचार करने पर इस न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि उक्त साक्षी के साक्ष्य में सच्चाई का अभाव है । विद्वान् सेशन न्यायाधीश द्वारा प्रस्तुत की गई मताभिव्यक्तियों विशेषकर प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के सुसंगत साक्ष्य पर विचार करने पर इस न्यायालय का आक्षेपित निर्णय और आदेश के साथ पूर्ण समाधान हो गया है । संपूर्ण साक्ष्य पर संचयी रूप से विचार करने पर अभि. सा. 1 और चिकित्सक का साक्ष्य तथा चिकित्सीय साक्ष्य प्रत्यर्थी को पहुंची हुई क्षतियों से मेल नहीं खाते हैं और वे अभि. सा. 1 तथा मृतक की शव परीक्षा करने वाले चिकित्सक के साक्ष्य के समवर्ती नहीं हैं । अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त सं. 1 अर्थात् प्रत्यर्थी सं. 1 के कपड़ों की बरामदगी से संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है । अपराध में प्रयोग किए गए चाकू की बरामदगी/प्रकटन भी साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन यथा उपबंधित रूप में साबित नहीं की गई है । (पैरा 10, 11, 12, 14, 15 और 16)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 1997 की दांडिक अपील सं. 249.

1996 के सेशन मामला सं. 53 में विद्वान् सेशन न्यायाधीश, बानसकंठा, पालनपुर द्वारा तारीख 31 दिसंबर, 1996 को पारित दोषमुक्ति के निर्णय और आदेश के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 378 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री हार्दिक सोनी

प्रत्यर्थी की ओर से श्री मेहुल एच. राठौड़

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति आर. एम. छाया ने दिया ।

न्या. छाया – यह अपील 1996 के सेशन मामला सं. 53 में विद्वान् सेशन न्यायाधीश, बानसकंठा, पालनपुर द्वारा तारीख 31 दिसंबर, 1996 को पारित दोषमुक्ति के निर्णय और आदेश के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 378 के अधीन राज्य द्वारा फाइल की गई है ।

2. अभियोजन का यह पक्षकथन है कि तारीख 9 अक्तूबर, 1995 को शिकायतकर्ता बलवंतजी बाजूजी ठाकुर ग्राम थराड आया । शिकायतकर्ता बलवंतजी ठाकुर और उसका चचेरा भाई अनूपजी बाजूजी ठाकुर और वर्तमान प्रत्यर्थी ग्राम खोरदा की सीमा के निकट एक साथ शराब पीने गए । अभियोजन पक्षकथन के अनुसार अपराह्न लगभग 10.00 बजे शराब पीने के पश्चात् जब चारों व्यक्ति वहां से रवाना होने वाले थे, तब उन्होंने प्रत्यर्थी सं. 1 से मृतक अनूपजी बाजूजी ठाकुर से अपने साथ ग्राम वाड़िया, जो वेश्यावृत्ति के लिए जाना जाता है, चलने को कहा । अभियोजन का यह भी पक्षकथन है कि चूंकि मृतक ने साथ चलने से इनकार कर दिया था, इसलिए प्रत्यर्थी कुपित हो गए और प्रत्यर्थी सं. 2 ने मृतक को दबोच लिया और प्रत्यर्थी सं. 1 अर्थात् प्रकाशीभाई ओखाभाई मोची ने चाकू निकाल लिया और एक वार करते हुए मृतक के माथे पर क्षति पहुंचाई तथा दूसरा वार मृतक के वक्ष पर किया । शिकायतकर्ता के अनुसार, मृतक अचेत हो गया और उसके शरीर से गंभीर रूप से रक्तस्राव हो रहा था और उस समय प्रत्यर्थी-अभियुक्त घटनास्थल से भाग गए । अभियोजन का यह भी पक्षकथन है कि शिकायतकर्ता बलवंतजी ठाकुर भय के कारण अगले दिन प्रातःकाल तक झाड़ियों में छिपा रहा और इसके पश्चात् वहां से निकलकर ग्राम असासन आया और उसने मृतक के भाई और अन्य नातेदारों को सूचित किया । अभियोजन पक्षकथन के अनुसार शिकायतकर्ता अगले दिन पूर्वाह्न लगभग 7.00 बजे ग्राम असासन पहुंचा था, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तारीख 9 अक्तूबर, 1995 को दोपहर 12.00 बजे दर्ज कराई गई ।

3. पुलिस ने इस मामले में अन्वेषण किया, साक्षियों के कथन अभिलिखित किए और सक्षम न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र फाइल किया गया और इसके पश्चात् यह मामला सेशन न्यायालय को सुपुर्द कर दिया गया और प्रत्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया । विद्वान् सेशन न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 302 और धारा 114 तथा बॉम्बे पुलिस अधिनियम की धारा 135 के अधीन आरोप विरचित किया गया जो प्रदर्श-3 पर है । इस मामले का विचारण सेशन न्यायालय के समक्ष किया गया । अभियोजन पक्ष ने कुल मिलाकर 14 साक्षियों की परीक्षा कराई और मृत्युसमीक्षा पंचनामा (प्रदर्श-19), चाकू की बरामदगी से संबंधित पंचनामा (प्रदर्श-27), स्थल नक्शा (प्रदर्श-20), शवपरीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श-39), न्यायालयिक प्रयोगशाला से प्राप्त की गई रिपोर्ट (प्रदर्श-46 और प्रदर्श-47) और अन्य पंचनामों (प्रदर्श-21, प्रदर्श-24 और प्रदर्श-29) का अवलंब लिया ।

4. विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने अपने आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा दोनों प्रत्यर्थियों को दोषमुक्त कर दिया और यह निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तों का अभिकथित दोष साबित नहीं कर सका है ।

5. दोषमुक्ति के इस निर्णय और आदेश से व्यथित होकर राज्य ने इसमें इसके ऊपर उल्लिखित रूप में यह अपील प्रस्तुत की है ।

6. अपीलार्थी-राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अपर लोक अभियोजक श्री हार्दिक सोनी और प्रत्यर्थी/अभियुक्तों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ता श्री मेहुल राठौड़ और श्री मोनिल शाह की सुनवाई की गई है ।

7. विद्वान् अपर लोक अभियोजक श्री हार्दिक सोनी ने इस न्यायालय के समक्ष मूल शिकायतकर्ता (अभि. सा. 1) का अभिसाक्ष्य (प्रदर्श-9), शवपरीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श-40) तैयार करने वाले चिकित्सक तथा अन्य साक्षियों का अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किया है । विद्वान् अभियोजक ने चाकू की बरामदगी का पंचनामा और न्यायालयिक

प्रयोगशाला की रिपोर्ट (प्रदर्श-46 और प्रदर्श-47) प्रस्तुत करते हुए निम्न प्रतिवाद किया है :-

7.1 यह कि विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने शिकायतकर्ता, जो कि इस घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, के साक्ष्य पर विश्वास न करके गलती की है । श्री सोनी ने शवपरीक्षण रिपोर्ट में, विशेषकर कॉलम 17 में दर्शाई गई क्षतियों को निर्दिष्ट करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षी और शिकायतकर्ता का साक्ष्य चिकित्सीय साक्ष्य से पूरी तरह मेल खाता है । श्री सोनी ने यह भी प्रतिवाद किया है कि विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने चिकित्सीय साक्ष्य तथा शवपरीक्षण करने वाले चिकित्सक के अभिसाक्ष्य का गलत अर्थ लगाया है, इसलिए विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने में त्रुटि की है कि अभियोजन पक्ष मृतक को कारित क्षतियों को साबित करने में असफल रहा है ।

7.2 विद्वान् अपर लोक अभियोजक श्री सोनी ने यह भी प्रतिवाद किया है कि विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने अपनी अधिकारिता के परे शक्ति का प्रयोग किया है और मृतक को कारित की गई क्षतियों की परीक्षा करने में त्रुटि की है । श्री सोनी के अनुसार जब एक बार अभिकथित चाकू बरामद हो गया था और मृतक के शरीर पर क्षतियां विशेषकर क्षति सं. 2 पाई गई थीं तथा प्रत्यर्थी सं. 1 अर्थात् अभियुक्त सं. 1 ने मृतक के नाजुक अंग पर जिस प्रकार क्षति पहुंचाई है उससे क्षति कारित किए जाने की रीति का पता चलता है । श्री सोनी के अनुसार उक्त साक्ष्य की संपुष्टि प्रत्यक्षदर्शी साक्षी (शिकायतकर्ता) के मौखिक साक्ष्य से पूरी तरह होती है ।

7.3 श्री सोनी ने यह भी दलील दी है कि न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट, बरामदगी ज्ञापन और बरामद की गई वस्तुओं का सीधा संबंध प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा अपराध में निभाई गई भूमिका से दिखाई देता है जिसमें पता चलता है उसने मृतक के नाजुक अंग पर चाकू से दो वार किए थे और प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा अपराध में जिस प्रकार भाग लिया गया है उससे प्रत्यर्थी सं. 1 के लिए यह संभव हो गया था कि वह

मृतक पर उसकी हत्या के आशय से वार कर सके जिसकी उसे पूर्णतया जानकारी थी कि ऐसे वार से मृतक की मृत्यु हो सकती है । श्री सोनी ने यह भी दलील दी है कि प्रत्यर्थी सं. 1 के शरीर पर पाई गई क्षति के संबंध में स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है । श्री सोनी के अनुसार जो क्षति प्रत्यर्थी सं. 1 के शरीर पर पाई गई थी उससे उसकी घटनास्थल पर अपराध कारित किए जाने के समय मौजूदगी साबित होती है ।

7.4 श्री सोनी के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 299 के सभी संघटक अभियोजन पक्ष द्वारा साबित किए गए हैं, अत: दोषमुक्ति का आदेश अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का गलत अर्थ लगाने और गलत मूल्यांकन करने के अतिरिक्त कुछ नहीं है और इस आधार पर श्री सोनी ने यह भी प्रतिवाद किया है कि दोषमुक्ति के आदेश को अभिखंडित और अपास्त किया जाए और दोनों अभियुक्त-प्रत्यर्थियों को दंड संहिता की धारा 114 के साथ पठित धारा 302 तथा बॉम्बे पुलिस अधिनियम की धारा 135 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाए ।

8. इसके प्रतिकूल विद्वान् अधिवक्ता श्री मोनिल शाह ने विद्वान् सेशन न्यायाधीश के निर्णय और आदेश को कायम रखे जाने के लिए दलील दी है । श्री शाह ने विद्वान् सेशन न्यायाधीश द्वारा दी गई मताभिव्यक्तियों तथा बलवंतजी ठाकुर (अभि. सा. 1) जैसे प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के साक्ष्य का अवलंब लेते हुए यह दलील दी है कि तथाकथित प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के आचरण से उसके द्वारा दिए गए अभिसाक्ष्य की सत्यता पर संदेह होता है । श्री शाह ने यह भी दलील दी है कि विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य का मूल्यांकन ठीक ही किया है और तथाकथित प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य को ठीक ही अविश्वसनीय ठहराया है । श्री शाह ने यह दलील दी है कि घटनास्थल पर प्रत्यक्षदर्शी साक्षी की मौजूदगी ही अपने आप में संदिग्ध है । श्री शाह ने यह भी दलील दी है कि उक्त प्रत्यक्षदर्शी साक्षी ने अपने अभिसाक्ष्य में यह स्वीकार किया है कि स्वयं उसने अपनी इच्छा से मदिरापान किया था और अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि शराब पीने के बाद वे अन्य तीन व्यक्तियों के साथ पदादर पटिया आ गए थे जिनमें से प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 जीप में बैठकर चले गए थे ।

8.1 विद्वान् अधिवक्ता श्री शाह ने यह दलील दी है, कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के अनुसार दिए गए साक्ष्य पर विश्वास करने के बावजूद यह साबित होता है कि प्रत्यर्थी अभिकथित रूप में घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे । श्री शाह ने यह भी दलील दी है कि तथाकथित प्रत्यक्षदर्शी साक्षी अर्थात् अभि. सा. 1 मिथ्या साक्षी है जिसे अभियोजन पक्ष द्वारा प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में प्रस्तुत किया गया है ।

8.2 श्री शाह ने यह भी दलील दी है कि तथाकथित प्रत्यक्षदर्शी साक्षी अर्थात् अभि. सा. 1 के साक्ष्य पर विद्वान् सेशन न्यायाधीश द्वारा विश्वास न किए जाने पर ठीक ही किया गया है क्योंकि अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे उस घटनाक्रम का तनिक भी संबंध हो जिसका उल्लेख अभियोजन पक्ष द्वारा विद्वान् सेशन न्यायाधीश के समक्ष किया गया है । श्री शाह ने यह दलील दी है कि किसी भी प्रत्यर्थी के रक्त ग्रुप की जांच की रिपोर्ट अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है । श्री शाह ने न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट (प्रदर्श-47) को निर्दिष्ट करते हुए यह दलील दी है कि चाकू पर जिस रक्त के धब्बे पाए गए थे उसकी जांच न्यायालयिक प्रयोगशाला द्वारा नहीं कराई गई है । श्री शाह ने यह भी दलील दी है कि अभियोजन पक्ष ने यह पता लगाने का प्रयास भी नहीं किया है कि प्रत्यर्थियों का रक्त किस ग्रुप का था और इस संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है । श्री शाह ने यह भी दलील दी है कि न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट से किसी भी प्रत्यर्थी का दोष साबित नहीं होता है ।

8.3 श्री शाह ने यह भी दलील दी है कि अभि. सा. 1 का आचरण प्रतिकूलत: यह साबित करता है कि वह सच नहीं बोल रहा है । श्री शाह के अनुसार लगभग 9 घंटे तक रात में 9.00 बजे तक छिपे रहने वाली बात पर विद्वान् सेशन न्यायाधीश द्वारा ठीक ही विश्वास नहीं किया गया है । श्री शाह ने यह प्रतिवाद किया है कि अभियोजन पक्ष के अनुसार यह घटना अपराह्न लगभग 10.30 बजे घटित हुई थी, जबकि अभि. सा. 1 ने अपने साक्ष्य में यह कहा है कि वह ग्राम असासन अगले दिन पूर्वाह्न लगभग 7.00 बजे पहुंचा था और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट 5 घंटे से अधिक समय पश्चात् अर्थात् अभि. सा. 1 के ग्राम असासन पहुंचने और मृतक के नातेदारों जो अभि. सा. 1 के भी निकट नातेदार

हैं, को सूचित करने के पश्चात्, दर्ज कराई गई । श्री शाह के अनुसार प्रत्यर्थियों को वर्तमान मामले में मृतक के परिवार के साथ निजी शत्रुता के कारण गलत आलिप्त किया गया है । श्री शाह ने विद्वान् सेशन न्यायाधीश द्वारा, विशेषकर पैरा 26 से पैरा 30 में, व्यक्त किए गए मत को निर्दिष्ट करते हुए यह दलील दी है कि विद्वान् सेशन न्यायाधीश द्वारा जो मत व्यक्त किया गया है वह अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का सही मूल्यांकन करने पर ही किया गया है और इस मत में कोई भी परिवर्तन किया जाना अपेक्षित नहीं है । श्री शाह के अनुसार अपील पूरी तरह गुणता रहित है और यह खारिज की जानी चाहिए ।

9. पक्षकारों की ओर से हाजिर होने वाले उनके अपने-अपने विद्वान् अधिवक्ताओं द्वारा अन्य कोई भी निवेदन, प्रतिवाद या आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

10. पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों को सुनने के पश्चात् और मूल अभिलेख और कार्यवाहियों का परिशीलन करने के पश्चात् यह पता चलता है कि संपूर्ण अभियोजन पक्षकथन विशेषकर अभि. सा. 1 के मौखिक साक्ष्य पर आधारित है जो अभियोजन पक्ष के अनुसार एक प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है । मूल अभिलेख से यह दर्शित होता है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श-9) अभि. सा. 1 द्वारा तारीख 9 अक्तूबर, 1995 को अपराह्न 12.00 बजे पुलिस थाना थराड में दर्ज कराई गई थी । अभि. सा. 1 के अभिसाक्ष्य पर विचार करने पर यह पता चलता है कि उक्त साक्षी ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि वह कंडक्टर (सह-चालक) के रूप में कार्य कर रहा था । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि घटना के दिन दोपहर लगभग 12.00 बजे वह मृतक अनूप जी के साथ थराड गया था । इस साक्षी ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि अपराह्न लगभग 7.30 बजे प्रत्यर्थी जकटनाका के निकट उनसे मिले थे और वहां से वे चारों रमेशभाई धोबी की जीप में बैठकर मदिरापान करने के लिए पदादर पटिया चले गए । इस साक्षी ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि वे पदादर पटिया से ग्राम खोरदा गए और उन्होंने 40/- रुपए में शराब की चार बोतलें क्रय कीं । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि 10.00 बजे तक उन्होंने शराब पी ली थी और वे इसके पश्चात् वापस पदादर

पटिया आ गए । इस साक्षी ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि जब वे पदादर पटिया पहुंचे तब प्रत्यर्थी सं. 2 (मूल अभियुक्त सं. 2) ने मृतक अनूपजी ठाकुर से वाडिया जाने को कहा जो वेश्यावृत्ति के लिए जाना जाता है । इस साक्षी ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि चूंकि मृतक ने वहां जाने से इनकार कर दिया था, इसलिए प्रत्यर्थी सं. 2 (मूल अभियुक्त सं. 2) ने मृतक अनूपजी ठाकुर को दबोच लिया और अपने बैग से चाकू निकाला और उस पर दो वार किए जिनमें से एक मृतक के माथे पर और दूसरा उसके वक्ष पर लगा । उक्त साक्षी द्वारा यह भी अभिसाक्ष्य दिया गया है कि वह वहां खड़ा हुआ था और अनूपजी ठाकुर अर्थात् मृतक नीचे गिर गया और उसने देखा कि उसके घावों से रक्त निकल रहा था । इस साक्षी ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि इसके पश्चात् प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 अर्थात् अभियुक्त वहां से फरार हो गए और चूंकि मृतक के शरीर से बुरी तरह रक्त बह रहा था इसलिए वह घबरा गया और उसे यह आभास हुआ कि मृतक की मृत्यु हो सकती है, अत: वह अनूपजी ठाकुर को वहां छोड़कर ग्राम असासन की ओर रवाना हो गया । इसी के साथ इस साक्षी ने यह कथन किया है कि रात्रि के समय वह पदादर पटिया में छिप गया था और वह अगले दिन पूर्वाह्न 7.00 बजे ग्राम असासन पहुंचा । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि घटना लगभग अपराह्न 10.30 बजे घटित हुई थी । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि ग्राम असासन पहुंचने पर उसने मृतक के छोटे भाई प्रधानजी बाबूजी ठाकुर को इस बारे में सूचित किया कि उसके भाई की मृत्यु हो गई है और यह कि प्रत्यर्थी सं. 1 ने चाकू से वार किया है और प्रत्यर्थी सं. 2 ने मृतक को दबोचा था । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि जब उसने प्रधानजी को घटना के बारे में बताया, उस समय ठाकुर जोरा जेठा और ठाकुर लेरा सैंगा मौजूद थे । उसने यह कथन किया है कि जब उसने घटना के बारे में सूचना दी थी तब मृतक की माता, पिता और पत्नी वहां मौजूद नहीं थे । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि इसके पश्चात् वे पूर्वाह्न लगभग 9.00 बजे घटनास्थल पर गए जहां मृतक का शव पड़ा हुआ पाया गया और इसके पश्चात् शव ग्राम में लाया गया जहां मृतक के अन्य नातेदार पहले से जमा थे और इसके पश्चात् वह अन्य चार व्यक्तियों के साथ थराड स्थित पुलिस थाने गया । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि पुलिस घटनास्थल पर

आई थी जिसकी निशानदेही इस साक्षी द्वारा की गई है । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि पदादर पटिया और पुलिस थाना थराड के बीच की दूरी लगभग 10 किलोमीटर है । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि वे एक यान द्वारा पुलिस थाने गए थे । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि पदादर पटिया से उसके ग्राम असासन के बीच की दूरी लगभग 10 किलोमीटर है । इस साक्षी ने विशेष रूप से यह कथन किया है कि वे पदादर पटिया से अपने ग्राम असासन पैदल गया था ।

11. इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह स्वीकार किया है कि उसने स्वयं मदिरापान किया था । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह भी स्वीकार किया है कि जब मृतक पर वार किया गया था तब वह चिल्लाया नहीं था । इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने मृतक को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह भी कथन किया है कि जब प्रत्यर्थी सं. 1 अर्थात् मूल अभियुक्त सं. 1 ने चाकू से वार किया था, तब वह वहां से 10 फुट की दूरी पर खड़ा हुआ था । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह भी कथन किया है कि वह झाड़ियों में लगभग 5 मिनट के लिए छिपा था और इसके पश्चात् वह वापस आया और ग्राम असासन की ओर रवाना हो गया जहां वह रहता है और वह पूर्वाह्न लगभग 7.00 बजे ग्राम असासन पहुंचा । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह भी स्वीकार किया है कि वह अपने ग्राम असासन की ओर अपराह्न लगभग 10.30 बजे पैदल रवाना हुआ था ।

12. इसके पश्चात् अभियोजन पक्ष ने जोराभाई जेमाभाई (अभि. सा. 4) की परीक्षा कराई है जिसे पक्षद्रोही घोषित किया गया है और इस साक्षी का साक्ष्य प्रदर्श-13 है । अभियोजन पक्ष ने मृतक के भाई प्रधानजी बाजूजी की परीक्षा अभि. सा. 5 के रूप में कराई है जिसका साक्ष्य प्रदर्श-14 है, तथापि इस साक्षी के अभिसाक्ष्य पर विचार करने पर यह पता चलता है कि यह साक्षी अनुश्रुत साक्षी है । इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा में किए गए कथन में यह उल्लेखनीय है कि पूछताछ किए जाने पर इस साक्षी ने यह बताया है कि बलवंत ने रात्रि में कहां वास किया था । उसे प्रत्यक्षदर्शी साक्षी बलवंतजी (अभि. सा. 1) द्वारा यह सूचना दी गई थी कि उसने घटनास्थल पर रक्त पड़ा हुआ नहीं देखा था

क्योंकि वह पहले ही अचेत हो गया था । इसके पश्चात् अभियोजन पक्ष ने पंच साक्षियों की परीक्षा कराई है जो चाकू की बरामदगी कराए जाने से संबंधित साक्षियों सहित पक्षद्रोही घोषित किए गए हैं ।

13. अभियोजन पक्ष ने डाक्टर राजेन्द्र अमृत लाल गज्जर की परीक्षा अभि. सा. 11 के रूप में कराई है जिसका साक्ष्य प्रदर्श-37 है और इस साक्षी ने मृतक के शव की शव-परीक्षा की है । उक्त साक्षी ने शवपरीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श-14) में उल्लिखित क्षति को निम्न रूप में निर्दिष्ट किया है :–

> "(1) ललाट पर अंग्रेजी भाषा के 'T' के आकार का त्रिकोणीय कटाव पाया गया है जिसकी माप 5 से. मी. × 3 से. मी. और गहराई 2.5 से. मी. और दिशा मध्य से होती हुई ऊपर की ओर है ।
>
> (2) दाईं हसुली के नीचे 6 से. मी. की दूरी पर लगभग 2 से. मी. लम्बा छिद्रित घाव पाया गया है ।
>
> (3) ग्रीवा के पार्श्विक भाग में 3 से. मी. लम्बी और तिरछी खरोंच पाई गई है जिसकी चौड़ाई 0.5 से. मी. है ।
>
> (4) दाईं बाहु के मध्य-पार्श्विक भाग में 2 से. मी. × 2 से. मी. माप का गुमटा पाया गया है ।
>
> (5) बाईं बाहु के पश्च भाग में 1 से. मी. × 1 से. मी. माप की 2 खरोंचें पाई गईं हैं ।
>
> (6) बाईं टांग के अग्र भाग में 2 से. मी. × 1 से. मी. माप का दीर्घवृताकार गुमटा पाया गया है ।

14. इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि बाह्य रूप से जांच करने पर अस्थिभंग होने का कोई भी प्रमाण दिखाई नहीं देता है और इस चिकित्सक के अनुसार श्वासावरोध के कारण हृदय-गति रूक जाने से मृत्यु हुई है । उक्त साक्षी ने मृतक के शरीर पर कारित क्षतियों को स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया है और इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह बताया है कि वह छिद्रित घाव के बारे में जानता है । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि यदि छिद्रित घाव वृताकार है तब

यह उपधारित किया जाता है कि अपराध में प्रयोग किया गया आयुध भी वृताकार था । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह कथन किया है कि चाकू वृताकार आयुध नहीं है और उसने यह भी बताया है कि मृतक के शरीर पर जो क्षति पाई गई है वह इस चाकू से कारित नहीं की जा सकती । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह कथन किया है कि क्षति सं. 1, जिसका आकार अंग्रेजी भाषा के टी अक्षर की तरह है, ऐसे आयुध से कारित की जा सकती है जिसके एक या दोनों ओर धार हो । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि दोनों क्षतियां एक आयुध से कारित नहीं की जा सकती ।

15. अभियोजन पक्ष ने डा. प्रतापभाई ओखाभाई पटेल (अभि. सा. 2) की भी परीक्षा कराई है जो ग्राम लखानी, ताल दीसा, जिला बनासकांठा में एक प्राइवेट चिकित्सक के रूप में कार्य करता है और इस साक्षी का साक्ष्य प्रदर्श-10 है । उक्त साक्षी ने यह कथन किया है कि इस साक्षी ने प्रकाशीभाई ओखाभाई मोची (प्रत्यर्थी सं. 1) की चिकित्सा परीक्षा तारीख 8 अक्तूबर, 1995 को की थी । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि प्रकाशीभाई ने अपने क्षतिग्रस्त होने के बारे में यह बताया था कि उसे नीचे गिरने से क्षति कारित हुई है । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि उसने दो क्षतियां देखी थीं जिनमें से एक दाई कोहनी पर है जिसे गुमटेदार विदीर्ण घाव-1 कहा गया है और दूसरी क्षति ललाट के बाई ओर है जिसे गुमटेदार विदीर्ण घाव-2 कहा गया है । इस साक्षी ने अपनी परीक्षा के दौरान यह कथन किया है कि यदि कोई व्यक्ति शराब के नशे की हालत में नीचे गिर जाता है तब ऐसी क्षति कारित हो सकती है । अभियोजन पक्ष ने इस मामले के अन्वेषण अधिकारी करसनभाई जीवनभाई जाधव (अभि. सा. 13) के अभिसाक्ष्य (प्रदर्श-44) का अवलंब लिया है । अन्वेषण अधिकारी ने किस प्रकार अन्वेषण किया है और किस प्रकार साक्षियों के कथन अभिलिखित किए हैं, उसने अपने साक्ष्य में इसका उल्लेख किया है । तथापि, अन्वेषण अधिकारी के अभिसाक्ष्य से इससे अधिक कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकलता है । न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रदर्श-46 है जिसमें 6 तात्विक वस्तुओं की जांच

का उल्लेख है अर्थात् (i) मिट्टी (ii) कन्ट्रोल मिट्टी (iii) घड़ी (iv) ओपन-शर्ट (v) चाकू । तथापि, न्यायालियक प्रयोगशाला की रिपोर्ट (प्रदर्श-47) से यह उपदर्शित नहीं होता है कि मृतक और अभियुक्तों का रक्त ग्रुप क्या है । न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट की यादी जो प्रदर्श-46 के रूप में अभिलेख पर मौजूद है, से यह उपदर्शित होता है कि अन्य कोई भी नमूना जांच के लिए नहीं भेजा गया, यद्यपि अभिगृहीत किया गया था ।

16. अभिलेख से यह उपदर्शित होता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा चाकू की बरामदगी साबित नहीं की गई है और अभियोजन साक्षी जिन्हें पंच साक्षी बनाया गया था, पक्षद्रोही घोषित किए गए हैं । साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन किए जाने पर, जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है, चिकित्सक की यह राय है कि मृतक के शरीर पर जो दो क्षतियां कारित की गई हैं वे एक ही आयुध से कारित नहीं की जा सकती है । चिकित्सक ने यह भी राय व्यक्त की है कि क्षति सं. 2 चाकू से कारित नहीं की जा सकती है । प्रत्यक्षदर्शी साक्षी अभि. सा. 1 के साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने पर उसका आचरण संदिग्ध दिखाई देता है । अभि. सा. 4 ने स्पष्ट रूप से अपने साक्ष्य (प्रदर्श-13) में यह कथन किया है कि जब उसने अभि. सा. 1 से यह मालूम किया कि वह रात्रि में कहां था, तब अभि. सा. 1 ने उसे यह बताया कि उसने रक्त नहीं देखा था और वह बेहोश होकर गिर गया था । जबकि इस साक्षी ने अपने अभिसाक्ष्य में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया है कि वह 5 मिनट के लिए झाड़ी में छिप गया था और उसके पश्चात् वह ग्राम असासन की ओर रवाना हो गया था जो वहां से 10 किलोमीटर की दूरी पर था । इस साक्षी ने स्पष्ट रूप से यह भी कथन किया है कि उसने अपराह्न 10.30 बजे चलना आरंभ किया था । अत: इस बात पर किसी भी प्रकार विश्वास नहीं किया जा सकता कि 10 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करने में अभि. सा. 1 को लगभग साढ़े आठ घंटे का समय लगा होगा । अभि. सा. 4 का साक्ष्य (प्रदर्श-13), प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के साक्ष्य से पूर्णतया भिन्न है । प्रत्यक्षदर्शी साक्षी अर्थात् अभि. सा. 1 के साक्ष्य पर

विचार करने पर इस न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि उक्त साक्षी के साक्ष्य में सच्चाई का अभाव है । विद्वान् सेशन न्यायाधीश द्वारा प्रस्तुत की गई मताभिव्यक्तियों विशेषकर प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के सुसंगत साक्ष्य पर विचार करने पर इस न्यायालय का आक्षेपित निर्णय और आदेश के साथ पूर्ण समाधान हो गया है । संपूर्ण साक्ष्य पर संचयी रूप से विचार करने पर अभि. सा. 1 और चिकित्सक का साक्ष्य तथा चिकित्सीय साक्ष्य प्रत्यर्थी को पहुंची हुई क्षतियों से मेल नहीं खाते हैं और वे अभि. सा. 1 तथा मृतक की शव-परीक्षा करने वाले चिकित्सक के साक्ष्य के समवर्ती नहीं हैं । अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त सं. 1 अर्थात् प्रत्यर्थी सं. 1 के कपड़ों की बरामदगी से संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है । अपराध में प्रयोग किए गए चाकू की बरामदगी/प्रकटन भी साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन यथा उपबंधित रूप में साबित नहीं की गई है ।

17. परिणामत: हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का मूल्यांकन करने और दोषमुक्ति का आक्षेपित निर्णय और आदेश पारित करने में कोई त्रुटि नहीं की है और उक्त निर्णय और आदेश की एतद्द्वारा पुष्टि की जाती है । विद्वान् सेशन न्यायाधीश, बनासकांठा, पालनपुर द्वारा तारीख 31 दिसंबर, 1996 को सेशन मामला सं. 53/1996 में पारित दोषमुक्ति के निर्णय और आदेश की पुष्टि की जाती है । तद्नुसार यह अपील निष्फल होती है और खारिज की जाती है ।

18. निचले न्यायालय का अभिलेख उसे तत्काल वापस भेजा जाए । जमानत पत्र, यदि कोई है, रद्द किया जाता है ।

अपील खारिज की गई ।

अस.

शौकत अहमद दार

बनाम

जम्मू-कश्मीर राज्य और अन्य

(2019 की बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका सं. 52)

तारीख 22 जुलाई, 2020

न्यायमूर्ति सिंधु शर्मा

जम्मू-कश्मीर लोक सुरक्षा अधिनियम, 1978 (1978 का 6) – धारा 8 और धारा 13 [सपठित भारत का संविधान, 1950 का अनुच्छेद 22(5)] – निरोध आदेश – निरुद्ध करने वाले प्राधिकारी द्वारा निरुद्ध व्यक्ति को अधिनियम की धारा 13 की अपेक्षानुसार निरुद्ध करने के आधारों की सूचना देने में असफल होना – उक्त आधारों के संबंध में केवल मौखिक स्पष्टीकरण प्रदान करना किंतु ऐसी भाषा में उसकी प्रति उपलब्ध न कराना, जिसे वह समझता हो – उक्त प्राधिकारी द्वारा निरुद्ध व्यक्ति को निरोध आदेश जारी करते समय अवलंब ली गई सामग्री परिदत्त करने में असफल रहना – निरुद्ध करने वाले प्राधिकारी द्वारा निरुद्ध व्यक्ति को निरोध आदेश जारी करने के आधारों, की सूचना देने, उसे समझ आने वाली भाषा में उनकी प्रति तथा अन्य सुसंगत सामग्री उपलब्ध कराने में असफल रहने के कारण निरुद्ध व्यक्ति निरोध आदेश के विरुद्ध प्रभावी प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने से वंचित हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(5) के अधीन उसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है । अत: निरोध आदेश अविधिपूर्ण है और अभिखंडित किए जाने का दायी है ।

वर्तमान बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका का निपटारा करने हेतु संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि, जिला मजिस्ट्रेट, पुलवामा ने तारीख 15 फरवरी, 2019 को आदेश सं. 6/डीएमपी/ईएसए/2019 पारित किया था जिसके द्वारा शौकत अहमद डार पुत्र नजीर अहमद डार,

निवासी मुर्रान, तहसील और जिला पुलवामा को जम्मू-कश्मीर लोक सुरक्षा अधिनियम, 1978 की धारा 8 के अधीन, राज्य की सुरक्षा के प्रतिकूल रीति में कार्य करने से निवारित करने हेतु निरुद्ध किया गया था । निरुद्ध किए गए व्यक्ति ने उक्त निरुद्ध किए जाने संबंधी आदेश को अपने भाई मुश्ताक अहमद डार के माध्यम से वर्तमान याचिका द्वारा चुनौती दी है । उच्च न्यायालय ने रिट याचिका मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – निरुद्ध व्यक्ति को उसे निरुद्ध रखे जाने के विरुद्ध प्रभावी प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने के अवसर से वंचित रखा गया । इन तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात् यह प्रतीत होता है कि निरुद्ध व्यक्ति को उसे निरुद्ध किए जाने के समय अवलंब ली गई सभी सामग्री परिदत्त किए जाने में असफल रहने के परिणामस्वरूप उसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(5) और जम्मू-कश्मीर लोक सुरक्षा अधिनियम की धारा 13 के अर्थांतर्गत निरोध आदेश के विरुद्ध प्रभावी प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने के अधिकार से वंचित रखा गया है । अतः केवल इसी आधार पर ही निरोध आदेश दूषित प्रतीत होता है । निरुद्ध व्यक्ति को ऐसी भाषा में, जो उसे भलीभांति समझ आती है, निरुद्ध किए जाने के आधारों को उपलब्ध कराने में असफलता ने भी वर्तमान मामले में निरोध आदेश को दूषित किया है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि निरुद्ध व्यक्ति को निरुद्ध करने वाले प्राधिकारी द्वारा ऐसी सामग्री की अनूदित प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई थी जिसका उसने अवलंब लिया था । सांविधानिक सुरक्षोपायों की पूर्ति करने के लिए निरुद्ध व्यक्ति को ऐसी भाषा में, जिसे वह समझता है, उसे निरुद्ध रखे जाने के आधार उपलब्ध कराए जाने को एक आवश्यक अपेक्षा के रूप में अभिनिर्धारित किया गया है । वर्तमान मामले में प्रत्यर्थी की ओर से फाइल किए गए प्रति-शपथपत्र में ऐसा किए जाने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है । प्रत्यर्थियों ने यह कथन किया है कि निरुद्ध व्यक्ति को उसके इस अधिकार के बारे में सूचना दी गई थी कि वह निरुद्ध करने वाले प्राधिकारी द्वारा पारित निरोध आदेश के विरुद्ध अपना प्रतिनिधित्व प्रस्तुत कर सकता है । निरुद्ध व्यक्ति को ऐसी भाषा में, जिसे वह

समझता है, उसे निरुद्ध किए जाने के आधार उपलब्ध कराए बिना उनके संबंध में केवल मौखिक स्पष्टीकरण देना निरुद्ध व्यक्ति को सरकार के समक्ष कोई अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने में समर्थ नहीं बनाता है । इस प्रकार निरुद्ध व्यक्ति को उपलब्ध सांविधानिक सुरक्षोपाय उपलब्ध कराने हेतु विधि की अपेक्षा का पर्याप्त रूप से अनुपालन नहीं किया गया है । पूर्वोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए शौकत अहमद डार, पुत्र नजीर अहमद डार, निवासी मुर्रान तहसील, जिला पुलवामा के आक्षेपित निरोध आदेश को अपास्त किया जाता है । तद्नुसार प्रत्यर्थियों को यह निदेश दिया जाता है कि वे तुरंत निरुद्ध व्यक्ति को अभिरक्षा से निर्मुक्त करें, यदि वह किसी अन्य मामले में अपेक्षित नहीं है । (पैरा 14, 15, 18, 19 और 20)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2011]	(2011) 5 एस. सी. सी. 244 = 2011 क्रिमिनल ला जर्नल 360 (एस. सी.) : **रेखा** बनाम **तमिलनाडु राज्य और अन्य** ;	11
[1999]	ए. आई. आर. 1999 एस. सी. 3051 = 1999 क्रिमिनल ला जर्नल 4064 (एस. सी.) : **सोफिया गुलाम मोहम्मद भाम** बनाम **महाराष्ट्र राज्य और अन्य** ;	13
[1980]	ए. आई. आर. 1980 एस. सी. 1751 : **रजिया उमर बख्शी** बनाम **भारत संघ और अन्य** ;	12
[1969]	[1969] 1 एस. सी. आर. 227 : **हाड़ीबंधुदास** बनाम **जिला मजिस्ट्रेट, कटक और अन्य** ।	17

मूल दांडिक अधिकारिता : 2019 की बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका सं. 52.

जिला मजिस्ट्रेट, पुलवामा द्वारा तारीख 15 फरवरी, 2019 को पारित आदेश सं. 6/डीएमपी/ईएसए/2019 के द्वारा शौकत अहमद डार को निरुद्ध किया गया था । निरुद्ध व्यक्ति ने अपने भाई के माध्यम से उक्त निरुद्ध किए जाने संबंधी आदेश को वर्तमान रिट याचिका द्वारा चुनौती दी गई है ।

याची की ओर से	वाजिद हसीद
प्रत्यर्थियों की ओर से	मीर सुहेल, अपर महाधिवक्ता

न्यायमूर्ति सिंधु शर्मा - जिला मजिस्ट्रेट, पुलवामा ने तारीख 15 फरवरी, 2019 को आदेश सं. 6/डीएमपी/ईएसए/2019 पारित किया था जिसके द्वारा शौकत अहमद डार पुत्र नजीर अहमद डार, निवासी मुर्रान, तहसील और जिला पुलवामा को जम्मू-कश्मीर लोक सुरक्षा अधिनियम, 1978 की धारा 8 के अधीन, राज्य की सुरक्षा के प्रतिकूल रीति में कार्य करने से निवारित करने हेतु निरुद्ध किया गया था । निरुद्ध किए गए व्यक्ति ने उक्त निरुद्ध किए जाने संबंधी आदेश को अपने भाई मुश्ताक अहमद डार के माध्यम से वर्तमान याचिका द्वारा चुनौती दी है ।

2. निरुद्ध व्यक्ति ने निम्नलिखित आधारों पर पूर्व उल्लिखित निरोध आदेश को विखंडित किए जाने का अनुरोध किया है ; कि उक्त निरोध आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(5) के अधीन यथा-उपबंधित सांविधानिक सुरक्षोपाय के उल्लंघन में जारी किया गया है । यह कि निरुद्ध करने वाले प्राधिकारी ने निरुद्ध व्यक्ति को निरुद्ध किए जाने के आधारों में निर्दिष्ट सामग्री की तामील नहीं की है । निरोध आदेश में निर्दिष्ट अभिकथन अस्पष्ट हैं और वे वस्तुत: विद्यमान नहीं हैं और इस प्रकार उक्त निरोध आदेश अनुचित और अविधिपूर्ण है । निरुद्ध करने वाले प्राधिकारी ने निरोध आदेश पारित करते समय एक न्यायिक सोच का प्रयोग नहीं किया है क्योंकि निरुद्ध व्यक्ति ने ऐसा कोई अविधिपूर्ण क्रियाकलाप नहीं किया है जो उसे निरुद्ध रखे जाने को उचित ठहराता हो ।

3. अन्य आधारों के साथ यह भी अभिवाक् किया गया है कि निरुद्ध व्यक्ति ने केवल नवीं कक्षा उत्तीर्ण की है और वह केवल कश्मीरी

और उर्दू भाषाएं ही जानता और समझता है । उसे निरुद्ध किए जाने के आधारों से संबंधित कोई अनूदित प्रतियां उपलब्ध नहीं कराई गई और इसके अतिरिक्त उन आधारों को उसे उर्दू या कश्मीरी भाषा के माध्यम से स्पष्ट नहीं किया गया । निरुद्ध किए जाने के आधार अंग्रेजी भाषा में हैं और इस प्रकार निरुद्ध व्यक्ति उन्हें समझने में असमर्थ है और इस प्रकार उसे एक प्रभावी प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने से निवारित किया गया है और इस प्रकार उसे निरुद्ध रखा जाना अविधिपूर्ण है ।

4. श्री मीर सुहेल, विद्वान् अपर महाधिवक्ता ने एक प्रति-शपथपत्र फाइल किया है और साथ ही निरुद्ध किए जाने संबंधी अभिलेख को भी प्रस्तुत किया है । उन्होंने यह दलील दी है कि जम्मू-कश्मीर लोक सुरक्षा अधिनियम के उपबंधों और उसमें विहित प्रक्रिया संबंधी सुरक्षोपायों का कड़ाई से अनुपालन किया गया है । चूंकि निरुद्ध व्यक्ति के क्रियाकलाप राज्य की सुरक्षा को अक्षुण्ण बनाए रखने के प्रति अत्यंत प्रतिकूल हैं इसलिए निरुद्ध व्यक्ति को उक्त अधिनियम के अधीन निरुद्ध किया गया है । निरुद्ध किए जाने के आधार सटीक, आसन्न और सुनिश्चित हैं तथा उन पर विचार करने के पश्चात् निरुद्ध करने वाले प्राधिकारी का सारवान् रूप से याची को निरुद्ध रखे जाने के प्रति समाधान हो गया था । निरुद्ध व्यक्ति को निरुद्ध किए जाने के आधारों के साथ ऐसी सभी सुसंगत सामग्री उपलब्ध कराई गई थी जिसका अवलंब लिया गया और साथ ही उसे अपना प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने के उसके अधिकार के संबंध में भी सूचना दी गई थी किंतु चूंकि उसने कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त न करने का विकल्प लिया था । इसलिए अब वह अपने निवारक निरोध के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं कर सकता है ।

5. निरुद्ध किए जाने संबंधी अभिलेख के परिशीलन से यह प्रकट होता है कि निष्पादन रिपोर्ट में यह कथन किया गया है कि वारंटों का निष्पादन तारीख 23 फरवरी, 2019 को केंद्रीय कारागार, कोट भलवाल, जम्मू में किया गया, जिसकी अंतर्वस्तु अंग्रेजी भाषा में है और उनके संबंध में निरुद्ध व्यक्ति को कश्मीरी भाषा में सभी स्पष्टीकरण प्रदान किए गए थे जिसे वह पूर्णतया समझता है । निरुद्ध व्यक्ति को निरोध वारंट (1 पृष्ठ) के साथ निरोध संबंधी सूचना उपलब्ध कराई गई थी और

साथ ही उसे निरोध के आधारों (2 पृष्ठ) को भी उपलब्ध कराया गया था और ये सभी वस्तुएं निरुद्ध व्यक्ति को सौंपी गई थी । उसे यह सूचित किया गया कि वह सरकार और साथ ही निरुद्ध करने वाले प्राधिकारी के समक्ष अपने निरोध आदेश के विरुद्ध प्रतिनिधित्व कर सकता है ।

6. याचिका में इस आशय का विनिर्दिष्ट प्रकथन सम्मिलित है कि निरुद्ध व्यक्ति को ऐसी सभी सुसंगत सामग्री परिदत्त नहीं की गई थी जिसका निरुद्ध करने वाले प्राधिकारी ने अवलंब लिया था, अत: उसे निरोध आदेश के विरुद्ध प्रभावी प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने से निवारित किया गया था । यद्यपि प्रति-शपथपत्र में यह स्पष्ट कथन किया गया है कि निरुद्ध व्यक्ति को सभी सुसंगत अभिलेख उपलब्ध कराए गए हैं तथापि, यह बात अभिलेख से स्पष्ट नहीं होती है । अभिलेख से यह तथ्य प्रकट होता है कि निरोध फाइल पर एस.एस.पी. की एक रिपोर्ट (फाइल) विद्यमान है जिसमें निरुद्ध व्यक्ति को फंसाने वाले तथ्यों का उल्लेख किया गया है तथा इस रिपोर्ट के साथ आधारों में निर्दिष्ट अभिकथन और अन्य दस्तावेज भी निरुद्ध करने वाले प्राधिकारी को उस समय उपलब्ध कराए गए थे जब उसने निरुद्ध व्यक्ति को निरुद्ध किए जाने संबंधी आदेश पारित करने हेतु अपना समाधान किया था । वस्तुत: जिला मजिस्ट्रेट ने अपने तारीख 15 फरवरी, 2019 के आदेश में प्रथम पैरा के संबंध में अपने विचार अभिव्यक्त किए हैं जो निम्नानुसार हैं :-

> "यद्यपि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलवामा ने अपने पत्र सं. अभि/वि/पीएसए/19/181, तारीख 13 फरवरी, 2019 द्वारा सारवान् अभिलेख प्रस्तुत किया है जैसे कि श्री शौकत अहमद डार, पुत्र श्री नजीर अहमद डार निवासी मुर्रान तहसील, पुलवामा जिला, पुलवामा के संबंध में फाइल और अन्य संबद्ध दस्तावेज ;
>
> यद्यपि मैंने, जिला मजिस्ट्रेट, पुलवामा ने उक्त सामग्रियों की अंतर्वस्तु का परिशीलन किया है और साथ ही फाइल में उल्लिखित सिफारिशों का भी उस समय ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है, जब उसे उक्त व्यक्ति की बाबत मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया था ;
>
> और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलवामा द्वारा प्रस्तुत अभिलेख

> के परिशीलन के पश्चात् और उस पर ध्यानपूर्वक सोच-विचार करने के पश्चात् तथा विधि की सभी अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मेरा यह समाधान हो गया है कि श्री शौकत अहमद डार, पुत्र श्री नजीर अहमद डार, निवासी मुर्रान तहसील, पुलवामा जिला, पुलवामा को राज्य की सुरक्षा के प्रतिकूल रीति में कार्य करने से रोकने हेतु यह आवश्यक है कि उसे जम्मू-कश्मीर लोक सुरक्षा अधिनियम के उपबंधों के अधीन निरुद्ध रखा जाए ।"

7-9. यह विधि का एक सुस्थापित सिद्धांत है कि निरुद्ध करने वाले प्राधिकारी द्वारा अवलंब ली गई संपूर्ण सामग्री को निरुद्ध व्यक्ति को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है और उसे उपलब्ध कराने में असफल रहने का परिणाम यह होगा कि निरुद्ध व्यक्ति एक प्रभावी प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने से निवारित होगा और यह तथ्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(5) में यथा-उपबंधित उपबंधों का उल्लंघनकारी होगा ।

10. इस प्रकार निरुद्ध करने वाले प्राधिकारी ने अभिलेख के आधार पर अपना समाधान हो जाने पर तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलवामा द्वारा प्रस्तुत सभी सामग्रियों, जिसके अंतर्गत फाइल भी है, पर विचार करने के पश्चात् उक्त व्यक्ति को निरुद्ध रखने का निर्णय लिया है । यह संपूर्ण सामग्री निरुद्ध करने वाले प्राधिकारी ने निरुद्ध व्यक्ति को परिदत्त नहीं की है । निरुद्ध व्यक्ति को केवल उसे निरुद्ध किए जाने के आधारों के प्रति परिदत्त की गई है और चुनौती के आधारों में निर्दिष्ट कोई समर्थनकारी सामग्री उसे उपलब्ध नहीं कराई गई है । जम्मू-कश्मीर लोक सुरक्षा अधिनियम की धारा 13 के अधीन यथा अपेक्षित सामग्री को संसूचित करने में असफल रहने के परिणामस्वरूप निरुद्ध व्यक्ति के प्रभावी प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के कानूनी अधिकार का उल्लंघन हुआ है और इसलिए प्रत्यर्थी भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(5) द्वारा यथा आज्ञापक सांविधानिक बाध्यता का निर्वहन करने में असफल रहे हैं ।

11. **रेखा** बनाम **तमिलनाडु राज्य और अन्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है :-

---

[1] (2011) 5 एस. सी. सी. 244 = 2011 क्रिमिनल ला जर्नल 360 (एस. सी.).

“37. जैसा कि अब्दुल लतीफ अब्दुल वाहाब शेख **बनाम** बी. के. झा और अन्य (1987) 2 एस. सी. सी. 22 = ए. आई. आर. 1987 एस. सी. 725 वाले मामले में पैरा 5 के अनुसार निम्नानुसार संप्रेक्षण किया गया है –

> ‘........ ऐसे मामलों में प्रक्रिया संबंधी अपेक्षाएं ही ऐसे सुरक्षोपाय हैं जो किसी निरुद्ध व्यक्ति को उपलब्ध होते हैं क्योंकि न्यायालय से यह अपेक्षित नहीं है कि वह निरुद्ध करने वाले प्राधिकारी के व्यक्तिनिष्ठ समाधान से परे किसी तथ्य पर विचार करे । अत: ऐसे मामलों में प्रक्रिया संबंधी अपेक्षाओं का कड़ाई से अनुपालन करना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि ऐसे मामले किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े मूल्यों से संबंधित होते हैं तथा उनका संबंध उसे गारंटी किए गए सांविधानिक अधिकारों से भी होता है ......’

39. संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन संरक्षित वैयक्तिक स्वतंत्रता इतनी अधिक महत्वपूर्ण है और सांविधानिक मूल्यों में उसका स्थान इतना ऊपर है कि निरुद्ध करने वाले प्राधिकारी के लिए यह दर्शित करना बाध्यकर है कि आक्षेपित निरुद्ध आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के पूर्णतया अनुरूप है । थॉमस पेल्हम डेल वाले मामले (क्यूबीडी पृ. 461) में निम्नलिखित शब्दों में न्यायिक सतर्कता से संबंधित तर्कसंगति और चिंताओं को भली-भांति उल्लिखित किया गया है –

> ‘इसके पश्चात् बंदी-प्रत्यक्षीकरण से संबंधित प्रश्न उद्भूत होता है । यह एक साधारण नियम है, जिस पर इग्लैंड के न्यायालयों द्वारा सदैव कार्यवाही की गई है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के कारावास को उपाप्त करता है तो उसे अवश्य ही ऐसा प्रक्रमवार रीति से करना चाहिए जिसके सभी प्रक्रम पूर्ण रूपेण नियमित हों और यदि वह प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक प्रक्रम को अत्यंत नियमितता से अनुसरित करने में असफल रहता है तो न्यायालय ऐसे कारावास को जारी रखने की अनुमति नहीं देगा ।’ ।”

12. **रजिया उमर बख्शी** बनाम **भारत संघ और अन्य**[1] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि "किसी निरुद्ध व्यक्ति को उसे निरुद्ध रखे जाने के आधारों की तामील करना एक अत्यंत मूल्यवान सांविधानिक अधिकार के रूप में अभिनिर्धारित किया गया है और इसका उद्देश्य निरुद्ध व्यक्ति को इस बात के लिए समर्थ बनाना है कि वह स्वयं के लिए एक प्रभावी प्रतिनिधित्व प्रस्तुत कर सके और यदि निरुद्ध व्यक्ति उन आधारों को समझने की स्थिति में नहीं है तो आधारों को उसे परिदत्त किया जाना मात्र औपचारिकता ही होगा" ।

13. इसी प्रकार **सोफिया गुलाम मोहम्मद भाम** बनाम **महाराष्ट्र राज्य और अन्य**[2] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार संप्रेक्षण किया है :–

> "....... किसी व्यक्ति को निरुद्ध रखे जाने के आधारों की उसे सूचना दिए जाने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 22(5) से उद्भूत होता है । हालांकि ऐसी सभी सामग्री, जिन पर ऐसे आधार आधारित हैं, को निरुद्ध व्यक्ति को परिदत्त किए जाने संबंधी अधिकार निरुद्ध व्यक्ति को दिए गए ऐसे अधिकार से उत्पन्न होता है जिससे वह निरोध आदेश के विरुद्ध उचित प्रतिनिधित्व प्रस्तुत कर सके । किसी निरोध आदेश के विरुद्ध प्रभावी प्रतिनिधित्व केवल उसी समय किया जा सकता है और निरोध आदेश को उचित रूप से केवल उसी समय चुनौती दी जा सकती है जब ऐसे सभी आधार, जिन पर निरोध आदेश आधारित है और साथ ही ऐसी सभी सामग्री जिन पर उपरोक्त आधार आधारित हैं, निरुद्ध व्यक्ति को संसूचित और प्रकट कर तथा निरुद्ध व्यक्ति को उसकी अपनी भाषा में उसकी प्रतियां परिदत्त कर दी गई हों......."

14. इस प्रकार निरुद्ध व्यक्ति को उसे निरुद्ध रखे जाने के विरुद्ध प्रभावी प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने के अवसर से वंचित रखा गया । इन तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात् यह प्रतीत होता है

---

[1] ए. आई. आर. 1980 एस. सी. 1751.

[2] ए. आई. आर. 1999 एस. सी. 3051 = 1999 क्रिमिनल ला जर्नल 4064 (एस. सी.).

कि निरुद्ध व्यक्ति को उसे निरुद्ध किए जाने के समय अवलंब ली गई सभी सामग्री परिदत्त किए जाने में असफल रहने के परिणामस्वरूप उसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(5) और जम्मू-कश्मीर लोक सुरक्षा अधिनियम की धारा 13 के अर्थांतर्गत निरोध आदेश के विरुद्ध प्रभावी प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने के अधिकार से वंचित रखा गया है । अतः केवल इसी आधार पर ही निरोध आदेश दूषित प्रतीत होता है ।

15. इसके अतिरिक्त, यह भी कथन किया गया है कि निरुद्ध व्यक्ति को ऐसी भाषा में, जो उसे भली-भांति समझ आती है, निरुद्ध किए जाने के आधारों को उपलब्ध कराने में असफलता ने भी वर्तमान मामले में निरोध आदेश को दूषित किया है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि निरुद्ध व्यक्ति को निरुद्ध करने वाले प्राधिकारी द्वारा ऐसी सामग्री की अनूदित प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई थी जिसका उसने अवलंब लिया था ।

16. **रजिया उमर बख्शी** (उपरोक्त) वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने इसी सिद्धांत पर विचार करते हुए निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है :-

> "ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थियों ने निरुद्ध करने वाले प्राधिकारी की ओर से श्री पी. एम. शाह के शपथ-पत्र के पैरा 14 में इस अभिकथन से इनकार किया है जिसमें यह कथन किया गया है कि आधारों को निरुद्ध व्यक्ति के समक्ष उसे ज्ञात भाषा में स्पष्ट कर दिया गया था । पैरा 5 में यह प्रकथन किया गया है कि श्री ए. के. शर्मा, पुलिस निरीक्षक, सी. आई. डी. (अपराध शाखा), अहमदाबाद ने स्वयं निरुद्ध व्यक्ति को निरोध आदेश के संबंध में स्पष्टीकरण दिए थे तथा तारीख 30 जनवरी, 1980 को उसे निरुद्ध रखे जाने के आधारों की संसूचना दी गई थी । मेरी राय में यह शपथ-पत्र साक्ष्य स्वरूप पूर्णतया अस्वीकार्य है । यदि यह सत्य है कि श्री शर्मा ने वैयक्तिक रूप से निरुद्ध व्यक्ति को उसे निरुद्ध किए जाने के अधिकार स्पष्ट किए थे तो प्रत्यर्थियों ने यह दर्शित करने के लिए स्वयं श्री शर्मा के शपथ-पत्र को फाइल किया होता कि उसने वास्तव में निरुद्ध व्यक्ति को उसे निरुद्ध किए जाने के

> आधारों की अंतर्वस्तु को, उसका उसे समझ आने वाली भाषा में अनुवाद करते हुए स्पष्ट किया था । ऐसा कोई शपथ-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है । कोई भी ऐसा समकालीन अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया है जो यह दर्शित कर सके कि श्री शर्मा ने वास्तव में निरुद्ध व्यक्ति को आधार स्पष्ट किए थे या उनका अनुवाद किया था । निरुद्ध व्यक्ति को उसे निरुद्ध किए जाने के आधारों की तामील करना एक अत्यंत मूल्यवान सांविधानिक अधिकार है और जहां आधार ऐसी भाषा में लिखे गए हैं जो निरुद्ध व्यक्ति को ज्ञात नहीं हैं, वहां जब तक कि आधारों की अंतर्वस्तु को पूर्णतया स्पष्ट या अनूदित न कर दिया गया हो, तब तक यह माना जाएगा कि निरुद्ध व्यक्ति को उसे निरुद्ध किए जाने के अधिकारों की तामील नहीं की गई है और इसके परिणामस्वरूप निरोध आदेश प्रथमदृष्टया दूषित समझा जाएगा ।"

17. इसी प्रकार, **हाड़ीबंधुदास** बनाम **जिला मजिस्ट्रेट, कटक और अन्य**[1] वाले मामले में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है :-

> "किसी निरुद्ध व्यक्ति को आदेश के संबंध में केवल मौखिक स्पष्टीकरण दिया जाना और उसे ऐसी रीति या भाषा में जिसे वह भली-भांति समझता है, आदेश की प्रति परिदत्त न किया जाना, उसे आधारों की संसूचना देने संबंधी अधिकार से वंचित रखे जाने के तत्समान है । वर्तमान मामले में श्री शाह द्वारा प्रस्तुत किए गए शपथ-पत्र में कहीं भी यह अभिकथित नहीं किया गया है कि निरुद्ध व्यक्ति को निरोध आदेश के आधारों का कोई अनुवाद या अनूदित प्रति उपलब्ध कराई गई थी ।"

18. इस प्रकार सांविधानिक सुरक्षोपायों की पूर्ति करने के लिए निरुद्ध व्यक्ति को ऐसी भाषा में, जिसे वह समझता है, उसे निरुद्ध रखे जाने के आधार उपलब्ध कराए जाने को एक आवश्यक अपेक्षा के रूप में अभिनिर्धारित किया गया है । वर्तमान मामले में प्रत्यर्थी की ओर से फाइल किए गए प्रति-शपथ-पत्र में ऐसा किए जाने का कोई उल्लेख नहीं

---

[1] [1969] 1 एस. सी. आर. 227.

किया गया है । प्रत्यर्थियों ने यह कथन किया है कि निरुद्ध व्यक्ति को उसके इस अधिकार के बारे में सूचना दी गई थी कि वह निरुद्ध करने वाले प्राधिकारी द्वारा पारित निरोध आदेश के विरुद्ध अपना प्रतिनिधित्व प्रस्तुत कर सकता है । निरुद्ध व्यक्ति को ऐसी भाषा में, जिसे वह समझता है, उसे निरुद्ध किए जाने के आधार उपलब्ध कराए बिना उनके संबंध में केवल मौखिक स्पष्टीकरण देना निरुद्ध व्यक्ति को सरकार के समक्ष कोई अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने में समर्थ नहीं बनाता है ।

19. इस प्रकार निरुद्ध व्यक्ति को उपलब्ध सांविधानिक सुरक्षोपाय उपलब्ध कराने हेतु विधि की अपेक्षा का पर्याप्त रूप से अनुपालन नहीं किया गया है ।

20. पूर्वोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए शौकत अहमद डार, पुत्र नजीर अहमद डार, निवासी मुर्रान तहसील, जिला पुलवामा के आक्षेपित निरोध आदेश को अपास्त किया जाता है । तद्नुसार प्रत्यर्थियों को यह निदेश दिया जाता है कि वे तुरंत निरुद्ध व्यक्ति को अभिरक्षा से निर्मुक्त करें, यदि वह किसी अन्य मामले में अपेक्षित नहीं है ।

21. निरोध आदेश संबंधी अभिलेख को प्रत्यर्थियों के विद्वान् काउंसेल को सौंप दिया जाए ।

याचिका मंजूर की गई ।

पु.

ननकू कुमार सिन्हा

बनाम

झारखंड राज्य

(2014 की दांडिक पुनरीक्षण याचिका सं. 548)

तारीख 19 जून, 2020

न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी

भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 53, धारा 279, धारा 337, धारा 338 और धारा 304क – दोषसिद्धि और दंडादेश – मामला अत्यधिक पुराना और अभियुक्त का कोई अन्य आपराधिक पूर्ववृत्त न होने तथा उसकी आयु के आधार पर दंडादेश को उपांतरित करने का अनुरोध किया जाना – न्यायालय ने पूर्वोक्त आधारों पर विचार करते हुए तथा इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि अभियुक्त ने अनेक वर्षों तक दांडिक मामले के साथ जुड़े कष्टों को सहन किया है, धारा 304क के अधीन दिए गए दंडादेश को घटाकर 9 माह करना उपयुक्त समझा और साथ ही उस पर 10,000/- रुपए का जुर्माना भी अधिरोपित किया ।

पुनरीक्षण याचिका का निपटारा करने हेतु संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं, इत्तिलाकर्ता के अनुसार तारीख 19 मई, 2002 को पूर्वाह्न लगभग 11.00 बजे उसका चाचा गणेष महतो, उसका भाई बैजनाथ महतो और उसके अन्य नातेदार एक अंबेसडर कार द्वारा जिसका रजिस्ट्रीकरण संख्यांक बीआर-2बी-3000 था, अपने घर लौट रहे थे तथा उक्त कार के चालक का नाम शमशेर आलम था । अपराह्न लगभग 4.30 बजे कल्याणपुर ग्राम के पास सिन्हा बस सर्विस की एक बस जिसका रजिस्ट्रीकरण संख्यांक बीपीवाई-7301 था और जिसका चालक उसे अत्यंत उतावलेपन और उपेक्षापूर्वक चला रहा था और जो रामगढ़ की ओर से आ रही थी, ने पूर्वोक्त कार में टक्कर मारी जिसके परिणामस्वरूप कार में बैठे सभी व्यक्तियों को शारीरिक क्षतियां आईं और उन्हें जैनामोड़ शासकीय अस्पताल में दाखिल किया गया और वहां

उन्हें गंभीर क्षतियों के कारण बीजी अस्पताल, बोकारो हेतु निर्दिष्ट किया गया । इत्तिलाकर्ता के भाई, अर्थात् बैजनाथ महतो की मार्ग में ही मृत्यु हो गई । इस फर्द बयान के आधार पर जरीडीह पुलिस थाने के मामला सं. 48/2002 के रूप में एक मामला रजिस्टर किया गया । तारीख 14 सितंबर, 2002 को आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् इस मामले से जुड़े अपराध का संज्ञान लिया गया और तारीख 18 जुलाई, 2003 को याची को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों को हिंदी भाषा में पढ़कर सुनाया गया तथा उसके संबंध में स्पष्टीकरण भी प्रदान किया गया जिसके संबंध में याची ने निर्दोष होने का अभिवाक् किया और विचारण का दावा किया । विचारण के पश्चात् विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को सिद्धदोष ठहराते हुए उसके विरुद्ध दंडादेश पारित किया । अपील किए जाने पर अपीली न्यायालय ने भी विचारण न्यायालय के निर्णय की अभिपुष्टि की । इससे व्यथित होकर अभियुक्त ने उच्च न्यायालय में वर्तमान दांडिक पुनरीक्षण याचिका फाइल की । उच्च न्यायालय ने दांडिक पुनरीक्षण याचिका को आंशिक रूप से मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि दोनों निचले न्यायालयों ने तथ्यों के संबंध में एक-समान संगत निष्कर्ष निकाले हैं और याची को ऊपर उल्लिखित धाराओं के अधीन सिद्धदोष ठहराया है । इस न्यायालय ने दोनों निर्णयों का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि वे युक्तियुक्त निर्णय हैं । इस न्यायालय को विद्वान् निचले न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों में ऐसी कोई अविधिपूर्ण बात या त्रुटि प्रतीत नहीं होती है जिसके परिणामस्वरूप वह अपनी पुनरीक्षण अधिकारिता के अधीन उक्त निर्णयों में कोई हस्तक्षेप करे । तथापि, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि यह घटना वर्ष 2002 में घटित हुई थी और याची ने दांडिक मामले से जुड़ी विषमताओं का एक लंबे समय से सामना किया है और याची का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त भी नहीं है । इसलिए यह न्यायालय याची के विरुद्ध दंडादेश को उपांतरित करने की वांछा करता है । दंड संहिता की धारा 279, धारा 337 और धारा 338 के अधीन पारित दंडादेश में कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है किंतु दंड संहिता की धारा 304क के अधीन याची के विरुद्ध पारित दंडादेश को उपांतरित किया जाता है और उसे कम

करके 9 माह का कठोर कारावास किया जाता है और साथ ही याची पर 10,000/- रुपए का जुर्माना भी अधिरोपित किया जाता है जिसका संदाय वह आज की तारीख से 3 माह के भीतर विद्वान् निचले न्यायालय के समक्ष करेगा । जैसा कि विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा निदेश दिया गया है सभी दंडादेश एक-साथ चलेंगे यदि जुर्माने की रकम का संदाय अनुबंधित समय के भीतर नहीं किया जाता है तो याची विद्वान् निचले न्यायालय द्वारा अधिरोपित कारावास की अवधि को पूरा करेगा । तद्नुसार वर्तमान पुनरीक्षण आवेदन का दंडादेश में उपरोक्त उपांतरण के साथ निपटारा किया जाता है । (पैरा 13, 14 और 15)

पुनरीक्षण दांडिक अधिकारिता : 2014 की दांडिक पुनरीक्षण आवेदन सं. 548.

टेणुघाट (बोकारो) स्थित बरमो के विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश सं. 1 द्वारा अगस्त, 2009 की दांडिक अपील सं. 54 में तारीख 22 मई, 2014 को पारित निर्णय और दंडादेश के विरुद्ध दांडिक पुनरीक्षण आवेदन आवेदक ।

आवेदक की ओर से	श्री संतोष कुमार सोनी
प्रत्यर्थी की ओर से	सुश्री वंदना भारती, अपर लोक अभियोजक

न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी – दोनों पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों को सुना ।

2. वर्तमान दांडिक पुनरीक्षण आवेदन टेणुघाट (बोकारो) स्थित बरमो के विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश सं. 1 द्वारा वर्ष, 2009 की दांडिक अपील सं. 54 में तारीख 22 मई, 2014 को पारित उस निर्णय और दंडादेश के विरुद्ध फाइल किया गया है जिसके द्वारा विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बरमो, टेणुघाट द्वारा आवेदक के विरुद्ध पारित दोषसिद्धि के आदेश और दंडादेश की पुष्टि की गई ।

3. आवेदक को सिद्धदोष ठहराया गया और उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में 'दंड संहिता' कहा गया है) की धारा 279 के अधीन 3 माह के कठोर

कारावास, दंड संहिता की धारा 337 के अधीन 3 माह के कठोर कारावास, दंड संहिता की धारा 338 के अधीन 6 माह के कठोर कारावास और दंड संहिता की धारा 304क के अधीन एक वर्ष के कठोर कारावास का दंडादेश पारित किया गया और यह निदेश दिया गया कि ये सभी दंडादेश एक-साथ चलेंगे ।

4. पक्षकारों के लिए उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेलों की सुनवाई के पश्चात् यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि इत्तिलाकर्ता के फर्द बयान को तारीख 19 मई, 2002 को रात्रि लगभग 9.00 बजे बोकारो जनरल अस्पताल में पुलिस अधिकारी के समक्ष लेखबद्ध किया गया जिसमें यह अभिकथन किया गया कि उसी तारीख को पूर्वाह्न लगभग 11.00 बजे उसका चाचा गणेष महतो, उसका भाई बैजनाथ महतो और उसके अन्य नातेदार एक अंबेसडर कार द्वारा जिसका रजिस्ट्रीकरण संख्यांक बीआर-2बी-3000 था, अपने घर लौट रहे थे तथा उक्त कार के चालक का नाम शमशेर आलम था । अपराह्न लगभग 4.30 बजे कल्याणपुर ग्राम के पास सिन्हा बस सर्विस की एक बस जिसका रजिस्ट्रीकरण संख्यांक बीपीवाई-7301 था और जिसका चालक उसे अत्यंत उतावलेपन और उपेक्षापूर्वक चला रहा था और जो रामगढ़ की ओर से आ रही थी, ने पूर्वोक्त कार में टक्कर मारी जिसके परिणामस्वरूप कार में बैठे सभी व्यक्तियों को शारीरिक क्षतियां आईं और उन्हें जैनामोड़ शासकीय अस्पताल में दाखिल किया गया और वहां उन्हें गंभीर क्षतियों के कारण बीजी अस्पताल, बोकारो हेतु निर्दिष्ट किया गया । इत्तिलाकर्ता के भाई, अर्थात् बैजनाथ महतो की मार्ग में ही मृत्यु हो गई ।

5. इस फर्द बयान के आधार पर जरीडीह पुलिस थाने के मामला सं. 48/2002 के रूप में एक मामला रजिस्टर किया गया । तारीख 14 सितंबर, 2002 को आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् इस मामले से जुड़े अपराध का संज्ञान लिया गया और तारीख 18 जुलाई, 2003 को आवेदक को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों को हिंदी भाषा में पढ़कर सुनाया गया तथा उसके संबंध में स्पष्टीकरण भी प्रदान किया गया जिसके संबंध में आवेदक ने निर्दोष होने का अभिवाक् किया और विचारण का दावा किया ।

6. विचारण के अनुक्रम में अभियोजन पक्ष ने कुल 9 साक्षियों की

परीक्षा की । अभि. सा. 9 वह डाक्टर है जिसने आहत व्यक्तियों, जिनके अंतर्गत इत्तिलाकर्ता भी है, की परीक्षा की और इस प्रकार क्षति रिपोर्टों को साबित किया ।

7. विद्वान् विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों और सामग्रियों पर विचार करने के पश्चात् अपने निर्णय के पैरा 17 में अपने निष्कर्षों को इस प्रकार लेखबद्ध किया कि तारीख 19 मई, 2002 को अपराह्न लगभग 4.30 बजे याची द्वारा एक सिन्हा बस सर्विस की बस सं. बीपीवाई-7301 का चालन अत्यंत उतावलेपन और उपेक्षापूर्ण रीति से किया जा रहा था और उसने इस प्रकार बस का चालन करते हुए एक कार में टक्कर मार दी जिसके कारण कार में बैठे व्यक्तियों को शारीरिक क्षतियां आईं और उनमें से एक व्यक्ति, अर्थात् बैजनाथ महतो की दुर्घटना के कुछ समय पश्चात् अस्पताल ले जाए जाते समय मृत्यु हो गई जबकि अन्य कुछ व्यक्तियों को साधारण क्षतियां हुईं तथा कुछ अन्य व्यक्तियों को गंभीर क्षतियां भी आईं तथा दंड संहिता की धारा 279, धारा 337, धारा 338 और धारा 304क के अधीन आवेदक के विरुद्ध अभियोजन पक्षकथन साबित होता है ।

8. अपीली न्यायालय ने अभिलेख पर लाए गए साक्ष्यों और सामग्रियों पर विचार करने के पश्चात् अपने निर्णय के पैरा 12 में अपने निष्कर्षों को लेखबद्ध किया और साथ ही उसने इस बात को भी विचार में लिया कि इस मामले के अन्वेषण अधिकारी की परीक्षा नहीं की गई । तथापि, अपीली न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों के आधार पर अपने इस निष्कर्ष को लेखबद्ध किया कि आवेदक दुर्घटना की तारीख और समय पर बस को उतावलेपन और उपेक्षापूर्ण रीति से चला रहा था और उसने इस प्रकार बस का चालन करते हुए सामने की दिशा से आ रही एक अंबेसडर कार सं. बीआर-2बी-3000 में टक्कर मार दी और इस दुर्घटना के परिणामस्वरूप 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और कार में बैठे शेष व्यक्तियों को गंभीर क्षतियां कारित हुईं और इसके अतिरिक्त कार को भी नुकसान पहुंचा । विद्वान् अपीली न्यायालय ने दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश की अभिपुष्टि की ।

9. आवेदक के विद्वान् काउंसेल ने आक्षेपित निर्णय का विरोध करते हुए यह दलील दी है कि इस संबंध में कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य

विद्यमान नहीं है कि बस का चालन याची द्वारा किया जा रहा था और साक्ष्य में यह तथ्य भी सामने नहीं आया है कि उस अंबेसडर कार, जिसके साथ टक्कर हुई थी, के चालक के पास चालन अनुज्ञप्ति मौजूद थी । उन्होंने यह भी दलील दी है कि दुर्घटना सड़क पर स्थित एक मोड़ पर हुई है । उन्होंने यह भी दलील दी कि मामले की उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अभियोजन पक्ष सभी सुसंगत संदेहों से परे अपने पक्षकथन को साबित करने में सफल नहीं रहा है और तद्नुसार आक्षेपित निर्णय त्रुटियों/दोषों से अंतर्ग्रस्त है । तर्कों के अनुक्रम में विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन बयान लेखबद्ध किए जाने के समय आवेदक ने इस तथ्य से इनकार नहीं किया है कि आवेदक बस का चालन कर रहा था ।

10. दंडादेश के बिंदु पर विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि यह घटना वर्ष 2002 की है और आज की तारीख में याची 51 वर्ष का हो चुका है और आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त भी नहीं है । उन्होंने यह भी दलील प्रस्तुत की है कि आवेदक इस मामले के संबंध में लगभग 4 माह और 20 दिन की अवधि के लिए अभिरक्षा में भी रहा था और निचले विद्वान् न्यायालयों द्वारा आवेदक को दिया गया दंडादेश अधिकतम एक वर्ष का है । विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी है कि मामले के पूर्वोक्त पहलुओं पर विचार करने के पश्चात् आवेदक के विरुद्ध पारित किए गए दंडादेश को उपांतरित किया जाए । उन्होंने यह भी दलील दी है कि आवेदक ऐसी कतिपय रकम के जुर्माने के संदाय के लिए भी तैयार है जो इस न्यायालय द्वारा अधिरोपित किया जाए ।

11. दूसरी ओर प्रतिपक्षकार की ओर से उपस्थित होने वाली विद्वान् काउंसेल ने इस अनुरोध का विरोध किया है और यह दलील दी है कि निचले विद्वान् न्यायालयों द्वारा तथ्यों के संबंध में एक समान निष्कर्षों को लेखबद्ध किया गया है और इसलिए इस प्रक्रम पर साक्ष्य का पुनर्विश्लेषण करना अपेक्षित नहीं है । उन्होंने यह दलील दी है कि आवेदक निचले विद्वान् न्यायालयों द्वारा पारित किए गए आक्षेपित निर्णयों में किसी त्रुटि को इंगित करने में सफल नहीं हुआ है । उन्होंने यह भी दलील दी है कि चूंकि अनेक व्यक्ति इस दुर्घटना में आहत हुए थे और उनमें से 2 की तो मृत्यु भी हो गई थी इसलिए वर्तमान मामले में आवेदक के प्रति कोई उदारता दर्शित नहीं की जानी चाहिए ।

12. पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों की सुनवाई करने तथा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात् यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अंबेसडर कार, जिसके साथ बस की दुर्घटना हुई थी, के चालक को विद्वान् निचले न्यायालय के समक्ष अभि. सा. 7 के रूप में प्रस्तुत किया गया तथा उसकी परीक्षा की गई और उस समय प्रतिरक्षा पक्ष को यह जांच करनी चाहिए थी कि उसके पास विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति है अथवा नहीं, किंतु उस समय इस संबंध में कोई प्रश्नोत्तर नहीं किया गया । जहां तक आवेदक द्वारा बस का चालन किए जाने संबंधी तथ्य का संबंध है अन्य बातों के साथ, अभि. सा. 5 द्वारा इस संबंध में कथन किया गया है और विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में भी इस तथ्य को लेखबद्ध किया गया है और साथ ही तर्क-वितर्क के अनुक्रम के दौरान आवेदक के विद्वान् काउंसेल ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन दिए गए बयान में इस तथ्य का उल्लेख है तथा आवेदक ने भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया है कि वह बस का चालन कर रहा था । इस संबंध में भी कोई विवाद नहीं है कि इस दुर्घटना के परिणामस्वरूप अनेक व्यक्ति आहत हुए हैं और दो व्यक्तियों की मृत्यु भी हुई है । यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर भी पहुंचा है कि विद्वान् निचले न्यायालयों ने संगत निष्कर्षों को लेखबद्ध किया है और आवेदक को दंड संहिता की धारा 279, धारा 337, धारा 338 और धारा 304क के अधीन अपराधों का दोषी पाया है ।

13. यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि दोनों निचले न्यायालयों ने तथ्यों के संबंध में एक-समान संगत निष्कर्ष निकाले हैं और आवेदक को ऊपर उल्लिखित धाराओं के अधीन सिद्धदोष ठहराया है । इस न्यायालय ने दोनों निर्णयों का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि वे युक्तियुक्त निर्णय हैं । इस न्यायालय को विद्वान् निचले न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों में ऐसी कोई अविधिपूर्ण बात या त्रुटि प्रतीत नहीं होती है जिसके परिणामस्वरूप वह अपनी पुनरीक्षण अधिकारिता के अधीन उक्त निर्णयों में कोई हस्तक्षेप करे ।

14. तथापि, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि यह घटना वर्ष 2002 में घटित हुई थी और आवेदक ने दांडिक मामले से जुड़ी

विषमताओं का एक लंबे समय से सामना किया है और आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त भी नहीं है । इसलिए यह न्यायालय आवेदक के विरुद्ध दंडादेश को उपांतरित करने की वांछा करता है । दंड संहिता की धारा 279, धारा 337 और धारा 338 के अधीन पारित दंडादेश में कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है किंतु दंड संहिता की धारा 304क के अधीन आवेदक के विरुद्ध पारित दंडादेश को उपांतरित किया जाता है और उसे कम करके 9 माह का कठोर कारावास किया जाता है और साथ ही आवेदक पर 10,000/- रुपए का जुर्माना भी अधिरोपित किया जाता है जिसका संदाय वह आज की तारीख से 3 माह के भीतर विद्वान् निचले न्यायालय के समक्ष करेगा । जैसा कि विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा निदेश दिया गया है सभी दंडादेश एक-साथ चलेंगे यदि जुर्माने की रकम का संदाय अनुबंधित समय के भीतर नहीं किया जाता है तो आवेदक विद्वान् निचले न्यायालय द्वारा अधिरोपित कारावास की अवधि को पूरा करेगा ।

15. तद्नुसार वर्तमान पुनरीक्षण आवेदन का दंडादेश में उपरोक्त उपांतरण के साथ निपटारा किया जाता है ।

16. आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए जमानत बंध-पत्रों को रद्द किया जाता है ।

17. अंतरिम आदेश, यदि कोई हो, को अपास्त किया जाता है ।

18. किसी लंबित अंतवर्ती आवेदनों, यदि कोई हों, को भी इस रूप में खारिज किया जाता है कि उन पर बल नहीं दिया गया ।

19. निचले न्यायालय के अभिलेखों को तुरंत वापस निचले विद्वान् न्यायालय को भेजा जाए ।

20. इस आदेश की एक प्रति को 'ईमेल/फैक्स' के माध्यम से विद्वान् निचले न्यायालय को अग्रेषित किया जाए ।

याचिका आंशिक रूप से मंजूर की गई ।

पु.

(2020) 2 दा. नि. प. 527 बंबई

सोनाबाई संजय पंडित और अन्य

बनाम

महाराष्ट्र राज्य

(2017 की दांडिक अपील सं. 144)
तारीख 20 मार्च, 2020

न्यायमूर्ति आर. जी. अवाछत

भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 372, धारा 373 और धारा 34 [सपठित अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 की धारा 3, धारा 4, धारा 5 और धारा 6 तथा बालकों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 4 और धारा 8] – अनैतिक देह व्यापार – अभियुक्तों द्वारा अभिकथित रूप से वेश्यागृह चलाया जाना और उनके द्वारा वेश्यावृत्ति के उपार्जनों से अपनी आजीविका चलाया जाना – वेश्यागृह पर छापे के दौरान छुड़ाई गई चौदह लड़कियों में से अनेक का अप्राप्तवय प्रतीत होना – उक्त लड़कियों में से चार लड़कियों की परीक्षा किया जाना और उनके द्वारा साक्ष्य में यह कथन किया जाना कि अभियुक्त सं. 1 वेश्यागृह चला रही थी तथा वेश्यावृत्ति के उपार्जनों से अपना जीवन-यापन कर रही थी – लड़कियों की आयु को 18 वर्ष से कम साबित करने हेतु किसी दस्तावेजी साक्ष्य का उपलब्ध न होना – अभियोजन द्वारा चिकित्सा परीक्षा रिपोर्टों का अवलंब लिया जाना – किंतु चिकित्सा परीक्षा करने वाले चिकित्सा अधिकारियों द्वारा यह स्वीकार किया जाना कि उक्त परीक्षा के निष्कर्षों में दोनों ओर दो वर्ष की त्रुटि होने की संभावना है – इस प्रकार अभियोजन पक्ष द्वारा यह स्थापित करने में असफल रहना कि सुसंगत समय पर छुड़ाई गई लड़कियों की आयु अठारह वर्ष से कम थी – लड़कियों द्वारा यह स्वीकार किया जाना कि वे शिरडी तीर्थ यात्रा के बहाने से उक्त वेश्यागृह में स्वेच्छापूर्वक आई थीं – उनके कथन में उन्हें वेश्यागृह में निरुद्ध रखे जाने के संबंध में कोई उल्लेख न होना –

चिकित्सा अधिकारियों द्वारा भी छुड़ाई गई लड़कियों के साथ हुए प्रवेशनात्मक यौन संबंधों के बारे में कोई राय व्यक्त नहीं किया जाना – उपरोक्त परिस्थितियों में जब किसी भी लड़की की आयु को अठारह वर्ष से कम होने के तथ्य को स्थापित नहीं किया जा सका है और यह पाया गया है कि वे स्वेच्छा से वेश्यावृत्ति में संलिप्त थीं तो अभियुक्त सं. 1 के विरुद्ध न तो पोक्सो अधिनियम और न ही पिटा अधिनियम के उपबंधों को लागू किया जा सकता है और इस प्रकार अभियुक्त सं. 1 को पिटा अधिनियम की धारा 3 और धारा 4 के अधीन दंडनीय अपराधों के सिवाय अन्य सभी अपराधों से दोषमुक्त किया जाता है – जहां तक अभियुक्त सं. 2 का संबंध है, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार वह केवल मुख्य अभियुक्त के साथ निवास कर रहा था अतः उसे उसके विरुद्ध विरचित सभी आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है ।

वर्तमान अपील का निपटारा करने हेतु संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं, – अभि. सा. 1 विवेक (इत्तिलाकर्ता) स्थानीय अपराध शाखा, परभनी से संबद्ध पुलिस निरीक्षक था । उसे यह सूचना प्राप्त हुई कि अपीलार्थी सं. 1 – सोनाबाई मनवाट में एक वेश्यागृह चला रही है । उक्त वेश्यागृह में राजस्थान से अप्राप्तवय लड़कियों को लाया जाता है और उन्हें अभियुक्त सं. 1 द्वारा चलाए जा रहे वेश्यागृह में वेश्यावृत्ति हेतु मजबूर किया जाता है । अतः विवेक (अभि. सा. 1) ने वेश्यागृह पर छापा डालने के लिए सभी व्यवस्थाएं कीं । विकास, जो उक्त मामले में अभि. सा. 18 है, एक नकली ग्राहक बनने के लिए तैयार हो गया । अन्य दो व्यक्तियों को पंचसाक्षियों के रूप में कार्य करने हेतु तैयार किया गया तथा इस निमित्त उनकी सेवाएं प्राप्त की गईं । सर्वप्रथम जाल बिछाए जाने से पूर्व का एक पंचनामा (प्रदर्श-35) तैयार किया गया । 500/- रुपए के मुद्रा नोट जिस पर एक विशिष्ट नंबर विद्यमान था, विकास (अभि. सा. 18) को प्रदान किया गया जिससे वह उसे कोई वेश्या उपलब्ध कराए जाने के प्रतिफलस्वरूप अभियुक्त सं. 1 को प्रस्थापित कर सके । योजना के अनुसार विकास (अभि. सा. 18) अभियुक्त सं. 1 के परिसर में गया । वहां उसने उसे 500/- रुपए की राशि का प्रस्ताव किया और एक अप्राप्तवय लड़की के संबंध में पूछा । इसकी प्रतिक्रियास्वरूप

अभियुक्त सं. 1 ने उसे तीन लड़कियां दिखाईं । उसने उनमें से एक लड़की का चयन किया । उसके पश्चात् उसने अभियुक्त सं. 1 को 500/- रुपए का उद्दिष्ट मुद्रा नोट दिया । उसके पश्चात् विकास (अभि. सा. 18) उसके द्वारा चुनी हुई लड़की अनीता (नाम परिवर्तित किया गया है) को उक्त परिसर/बाड़ा के एक कक्ष में ले गया । योजनानुसार उसने विवेक (अभि. सा. 1) के फोन पर एक मिसकॉल दी । उसके उपरांत विवेक (अभि. सा. 1) कुछ पुलिस पदधारियों और दो पंचसाक्षियों के साथ परिसर/बाड़ा में दाखिल हुआ । उसने अभियुक्त सं. 1 के कब्जे से 500/- रुपए के उद्दिष्ट मुद्रा नोट और 13,000/- रुपए की अतिरिक्त राशि का अभिग्रहण किया तथा उसने मुद्रा नोटों के अभिग्रहण का पंचनामा (प्रदर्श-41) तैयार किया । छापे के दौरान यह पाया गया कि उक्त वेश्यागृह में चौदह लड़कियां मौजूद थीं जिनसे वेश्या के रूप में कार्य कराया जा रहा था । उनमें से बारह लड़कियां अप्राप्तवय प्रतीत हो रही थीं । विवेक (अभि. सा. 1) उन सभी को मनवाट पुलिस थाने ले गया । उसके पश्चात् उसने दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 366क, धारा 370, धारा 370क, धारा 372 और धारा 373 तथा पिटा अधिनियम की धारा 3, धारा 4, धारा 5(क), धारा 5(ख), धारा 6 और धारा 7(1)(क)(2) के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए वर्ष 2015 की सीआर सं. 33 वाली प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की । दादाहरि, पुलिस निरीक्षक, मनवाट पुलिस थाना (अभि. सा. 19) ने इस अपराध का अन्वेषण किया । उसने वेश्यागृह का दौरा किया, अपराध के घटनास्थल पंचनामे को तैयार किया, वेश्यागृह से छुड़ाई गई लड़कियों के कथनों को लेखबद्ध किया तथा उन सबकी चिकित्सीय परीक्षा कराई । अन्वेषण के पूरा हो जाने के पश्चात् अपीलार्थियों और छह अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनवाट के समक्ष आरोप पत्र फाइल करके कार्यवाहियां आरंभ कीं । विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनवाट ने उक्त मामले को सेशन न्यायालय को सौंप दिया । उसके उपरांत विधि के अनुसार इस मामले को विचारण हेतु अपर सेशन न्यायाधीश (विचारण न्यायालय) को सौंपा गया । तदुपरांत आरोप (प्रदर्श-24) विरचित किए गए । उसके पश्चात् यह बात महसूस की गई कि उक्त मामले में पोक्सो अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध भी अंतर्वलित है अत: अभियुक्तों

के विरुद्ध अतिरिक्त आरोप विरचित किए गए । अपीलार्थियों और छह अन्य अभियुक्तों (जिन्हें दोषमुक्त कर दिया गया है) ने दोषी होने से इनकार किया । विचारण न्यायालय ने विचारण के पश्चात् अभियुक्तों को दोषसिद्ध ठहराते हुए उनके विरुद्ध दंडादेश पारित किया, जिससे व्यथित होकर अभियुक्तों ने वर्तमान अपील फाइल की है । उच्च न्यायालय ने अपील को आंशिक रूप से मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – अभि. सा. 6 से अभि. सा. 9 के साक्ष्य से सुसंगत संदेह से परे यह साबित हो गया है कि अभियुक्त-1 एक वेश्यागृह चला रही थी । पिटा अधिनियम की धारा 3 वेश्यागृह चलाने या अपने कब्जे वाले परिसरों को वेश्यागृह के रूप में उपयोग किए जाने की अनुज्ञा देने के लिए दंड को उपबंधित करती है और उक्त अधिनियम की धारा 4 में वेश्यावृत्ति के उपार्जनों से आजीविका चलाने हेतु दंड उपबंधित किया गया है । इस बात को दोहराया जाता है कि नि:संदेह रूप से अभि. सा. 6 से अभि. सा. 9 के साक्ष्यों से यह साबित हो गया है कि अभियुक्त-1 वेश्यावृत्ति के उपार्जनों से अपनी आजीविका चला रही थी । अत: विचारण न्यायालय ने अभियुक्त-1 को पिटा अधिनियम की धारा 3 और धारा 4 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए सही रूप से सिद्धदोष ठहराया है । मैंने इस मामले के अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्य की अत्यंत सावधानीपूर्वक समीक्षा की है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अभियुक्त सं. 2 की दोषसिद्धि को कायम रखने के लिए अभिलेख पर पर्याप्त सामग्री उपलब्ध नहीं है । अभियुक्त-2 की भूमिका इतनी ही प्रतीत होती है कि वह अभियुक्त-1 का पुत्र होने के नाते उसके साथ उस परिसर में निवास कर रहा था जिसका उपयोग वेश्यागृह चलाने के लिए किया जा रहा था । अभि. सा. 8 और अभि. सा. 9 ने इस प्रभाव का साक्ष्य प्रस्तुत किया है कि अभियुक्त-2 उक्त परिसर में निवास कर रहा था । इसके अलावा उसके संबंध में कोई अन्य सामग्री अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है । अत: विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त-2 को दोषसिद्ध ठहराया जाना उचित नहीं है । विचारण न्यायालय के अनुसार उक्त परिसर/बाड़ा अभियुक्त-1 के पति का था (जिसे विचारण न्यायालय के समक्ष अभियुक्त सं. 8 के रूप में प्रस्तुत किया गया था) । विचारण

के लंबित रहने के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी । इसे ध्यान में रखते हुए विचारण न्यायालय ने यह मत बनाया है कि चूंकि अभियुक्त सं. 8 की मृत्यु हो जाने के कारण उक्त परिसर/बाड़ा अभियुक्त-1 और अभियुक्त-2 के नाम कर दिया गया था और इस प्रकार वे दोनों मिलकर उसमें वेश्यागृह चला रहे थे । स्वीकार्य रूप से छापा मारे जाने के समय अभियुक्त सं. 8 जीवित था । इसलिए उस समय तक अभियुक्त-2 के पास अभियुक्त सं. 8 के स्वामित्व वाले परिसर/बाड़े में कोई अधिकार, हक और हित विद्यमान नहीं था । विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि चूंकि अभियुक्त-2 उक्त वेश्यागृह में निवास कर रहा था इसलिए सुरक्षित रूप से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अभियुक्त-1 और अभियुक्त-2, दोनों ही वेश्यावृत्ति के उपार्जनों से अपनी आजीविका चला रहे थे । यह निष्कर्ष, जहां तक अभियुक्त-2 का संबंध है, अत्यधिक अस्पष्ट और बिना किसी साक्ष्य संबंधी आधार का प्रतीत होता है । जहां तक ऐसे अन्य अपराधों का संबंध है, जिनके लिए अपीलार्थियों को सिद्धदोष ठहराया गया है, यह कथन करना होगा कि उनमें से सभी को या उनमें से किसी अपराध के सबूत हेतु अभियोजन पक्ष से यह अपेक्षित था कि वह यह साबित करे कि उक्त परिसर से छुड़ाई गई पीड़ित लड़कियों में से कम से कम एक लड़की 18 वर्ष से कम आयु की थी । इस बात को दोहराया जाता है कि अभि. सा. 6 से अभि. सा. 9 की आयु के संबंध में चिकित्सा अधिकारियों के साक्ष्य में उन्होंने स्वयं यह स्वीकार किया है कि उनके द्वारा अभिनिश्चित की गई आयु में दोनों ओर 2 वर्ष की त्रुटि की संभावना है । इस प्रकार उनका साक्ष्य यह उपदर्शित करता है कि सुसंगत समय पर अभि. सा. 6 से अभि. सा. 9, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की हो सकती थी । अन्य शब्दों में यह कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष ने युक्तियुक्त संदेह से परे इस तथ्य को साबित नहीं किया है कि छापा मारे जाने के समय, अर्थात् तारीख 26 मार्च, 2015 को अभि. सा. 6 से अभि. सा. 9 की आयु 18 वर्ष से कम थी । अभि. सा. 6 से अभि. सा. 9 द्वारा दिए गए साक्ष्य के अनुसार उन्होंने राजस्थान से अपने घरों को शिरड़ी की तीर्थ यात्रा करने के बहाने से छोड़ा था और वे स्वेच्छा से मनवाट आई थीं

और इस प्रकार यह साक्ष्य नि:संदेह रूप से यह उपदर्शित करता है कि वर्तमान मामले में पिटा अधिनियम की धारा 5(1)(क)(ख) के उपबंध आकर्षित नहीं होते हैं । पिटा अधिनियम की धारा 6 के अधीन दंडनीय अपराध को साबित करने के लिए भी अभि. सा. 6 से अभि. सा. 9 के साक्ष्यों में कोई ऐसा तथ्य विद्‌यमान नहीं है जो यह उपदर्शित करे कि अपीलार्थियों ने उन्हें अपने वेश्यागृह में निरुद्ध रखा था । जहां तक अपीलार्थियों की पोक्सो अधिनियम की धारा 4, धारा 8 और धारा 17 के अधीन दोषसिद्धि किए जाने का संबंध है, यह कथन किया जाता है कि उक्त साक्षियों में से किसी भी साक्षी को अपराध किए जाने की तारीख को बालिका के रूप में साबित नहीं किया जा सका है । इसके अतिरिक्त, जहां तक प्रवेशनात्मक यौन हमले के सबूतों का संबंध है चिकित्सा परीक्षा करने वाले चिकित्सा अधिकारियों ने वर्तमान मामले में स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि उन्होंने इस संबंध में कोई राय अभिव्यक्त नहीं की है कि क्या अभि. सा. 6 से अभि. सा. 9 को छापा मारने से तुरंत पूर्व प्रवेशनात्मक यौन संबंधों को बनाए जाने के लिए मजबूर किया गया था । ऊपर दिए गए कारणों से आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप अपेक्षित है और जहां तक अभियुक्त-2 का संबंध है उक्त निर्णय को पूर्णतया अपास्त किया जाता है और अभियुक्त-1 की दशा में आक्षेपित निर्णय को आंशिक रूप से अपास्त किया जाता है । इसके परिणामस्वरूप अपील को आंशिक रूप से मंजूर किया जाता है और निम्नलिखित आदेश पारित किया जाता है :- (i) दांडिक अपील को आंशिक रूप से मंजूर किया जाता है । (ii) विद्‌वान् अपर सेशन न्यायाधीश, परभनी द्‌वारा 2015 के विशेष (पोक्सो, मामला सं. 24 में पारित तारीख 22 मार्च, 2017 के निर्णय और आदेश को आंशिक रूप से अपास्त किया जाता है । (iii) अपीलार्थी सं. 1 को दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 372 और धारा 373, पिटा अधिनियम की धारा 5(क), (ख) और धारा 6 तथा पोक्सो अधिनियम की धारा 17 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 और धारा 8 के अधीन दंडनीय अपराधों से दोषमुक्त किया जाता है । (iv) अपीलार्थी सं. 1 की पिटा अधिनियम की धारा 3 और धारा 4 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए दोषसिद्धि को

कायम रखा जाता है । (v) अपीलार्थी सं. 2 को सभी अपराधों से दोषमुक्त किया जाता है । (vi) अपीलार्थी सं. 2 द्वारा प्रस्तुत किए गए जमानत बंध-पत्रों को रद्द किया जाता है । (vii) अपीलार्थियों द्वारा ऐसे अपराधों के अधीन, जिनके लिए उन्हें दोषमुक्त किया गया है, अधिरोपित जुर्माने की रकम, यदि उसका संदाय कर दिया गया है तो उसे प्रतिदाय करने का निदेश दिया जाता है । (viii) अपीलार्थी सं. 1 तारीख 27 मार्च, 2015 से कारागार में है । इस प्रकार उसने पिटा अधिनियम की धारा 3 और धारा 4 के अधीन दंडनीय अपराधों के संबंध में अधिरोपित कारावास के दंडादेश को पूरा कर लिया है । अतः, यदि किसी अन्य मामले में वह अपेक्षित नहीं है तो उसे कारावास से निर्मुक्त किया जाए ।

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2011]	2011 ए.एल.एल. - एमआर (क्रि.) 1278 = ए. आई. आर. 2011 एस. सी. 715 : **अलामेलु और अन्य** बनाम **राज्य,** **पुलिस निरीक्षक के प्रतिनिधित्व से** ;	23
[1982]	(1982) 2 एस. सी. सी. 538 = ए. आई. आर. 1982 एस. सी. 1297 : **जया माला** बनाम **गृह सचिव,** **जम्मू-कश्मीर शासन और अन्य** ।	23

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2017 की दांडिक अपील सं. 144.

वर्तमान दांडिक अपील विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, परभनी द्वारा 2015 के विशेष मामला (पोक्सो) सं. 24 में तारीख 22 मार्च, 2017 को पारित निर्णय और दंडादेश के विरुद्ध फाइल की गई है ।

अपीलार्थियों की ओर से	श्री राठी, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी की ओर से	विद्वान् अपर लोक अभियोजक और श्री नजम ई. देशमुख

न्यायमूर्ति आर. जी. अवाछत – यह दांडिक अपील विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, परभनी द्वारा 2015 के विशेष मामला (पोक्सो) सं. 24 में तारीख 22 मार्च, 2017 को पारित निर्णय और दंडादेश के विरुद्ध फाइल की गई है । उक्त आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में 'दंड संहिता' कहा गया है) और अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 (1956 का 104) (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में 'पिटा' कहा गया है) तथा बालकों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम, 2012 (2012 का 32) (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में 'पोक्सो अधिनियम' कहा गया है) के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है और कारावास से दंडादिष्ट किया गया है तथा उन पर जुर्माना भी अधिरोपित किया गया है । सुविधा के लिए ऐसे अपराधों जिनके लिए अपीलार्थियों को सिद्धदोष ठहराया गया है और कारावास से दंडादिष्ट किया गया है, को एक सारणी में नीचे दिया गया है :–

सारणी

अपीलार्थी का नाम	धारा		दंडादेश	जुर्माना	व्यतिक्रम में
	दंड संहिता	पिटा अधिनियम			
अपीलार्थी सं. 1– सोनाबाई अपीलार्थी सं. 2– अनिल	372 और 373 सपठित 34	–	7 वर्ष का कठोर कारावास	500/- रुपए	एक माह का साधारण कारावास
	–	3 और 4	2 वर्ष का कठोर कारावास	500/- रुपए	एक माह का साधारण कारावास

	–	5(क), (ख) और 6	10 वर्ष का कठोर कारावास	500/- रुपए	एक माह का साधारण कारावास
अपीलार्थी सं. 1– सोनाबाई	पोक्सो				
	4 सपठित 17		10 वर्ष का कठोर कारावास	500/- रुपए	एक माह का साधारण कारावास
	8 सपठित 17		5 वर्ष का कठोर कारावास	500/- रुपए	एक माह का साधारण कारावास

अपीलार्थियों के विरुद्ध अन्य 6 व्यक्तियों के साथ यहां ऊपर कथित अपराधों और कुछ अन्य अपराधों के लिए भी अभियोजन चलाया गया और अन्य अपराधों के संबंध में उन्हें दोषमुक्त किया गया है । राज्य ने दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील फाइल नहीं की है ।

2. वर्तमान अपील को फाइल करने से संबंधित तथ्य निम्नानुसार हैं :–

> "अभि. सा. 1 विवेक (इत्तिलाकर्ता) स्थानीय अपराध शाखा, परभनी से संबद्ध पुलिस निरीक्षक था । उसे यह सूचना प्राप्त हुई कि अपीलार्थी सं. 1 – सोनाबाई मनवाट में एक वेश्यागृह चला रही है । उक्त वेश्यागृह में राजस्थान से अप्राप्तवय लड़कियों को लाया जाता है और उन्हें अभियुक्त सं. 1 द्वारा चलाए जा रहे वेश्यागृह में वेश्यावृत्ति हेतु मजबूर किया जाता है । अत: विवेक (अभि. सा. 1) ने वेश्यागृह पर छापा डालने के लिए सभी व्यवस्थाएं कीं । विकास, जो उक्त मामले में अभि. सा. 18 है, एक नकली ग्राहक बनने के लिए तैयार हो गया । अन्य दो व्यक्तियों को पंचसाक्षियों के रूप में कार्य करने हेतु तैयार किया गया तथा इस निमित्त उनकी सेवाएं

प्राप्त की गईं । सर्वप्रथम जाल बिछाए जाने से पूर्व का एक पंचनामा (प्रदर्श-35) तैयार किया गया । 500/- रुपए के मुद्रा नोट जिस पर एक विशिष्ट नंबर विद्यमान था, विकास (अभि. सा. 18) को प्रदान किया गया जिससे वह उसे कोई वेश्या उपलब्ध कराए जाने के प्रतिफलस्वरूप अभियुक्त सं. 1 को प्रस्थापित कर सके । योजना के अनुसार विकास (अभि. सा. 18) अभियुक्त सं. 1 के परिसर में गया । वहां उसने उसे 500/- रुपए की राशि का प्रस्ताव किया और एक अप्राप्तवय लड़की के संबंध में पूछा । इसकी प्रतिक्रियास्वरूप अभियुक्त सं. 1 ने उसे तीन लड़कियां दिखाईं । उसने उनमें से एक लड़की का चयन किया । उसके पश्चात् उसने अभियुक्त सं. 1 को 500/- रुपए का उद्दिष्ट मुद्रा नोट दिया । उसके पश्चात् विकास (अभि. सा. 18) उसके द्वारा चुनी हुई लड़की अनीता (नाम परिवर्तित किया गया है) को उक्त परिसर/बाड़ा के एक कक्ष में ले गया । योजनानुसार उसने विवेक (अभि. सा. 1) के फोन पर एक मिसकॉल दी । उसके उपरांत विवेक (अभि. सा. 1) कुछ पुलिस पदधारियों और दो पंचसाक्षियों के साथ परिसर/बाड़ा में दाखिल हुआ । उसने अभियुक्त सं. 1 के कब्जे से 500/- रुपए के उद्दिष्ट मुद्रा नोट और 13,000/- रुपए की अतिरिक्त राशि का अभिग्रहण किया तथा उसने मुद्रा नोटों के अभिग्रहण का पंचनामा (प्रदर्श-41) तैयार किया । छापे के दौरान यह पाया गया कि उक्त वेश्यागृह में चौदह लड़कियां मौजूद थीं जिनसे वेश्या के रूप में कार्य कराया जा रहा था । उनमें से बारह लड़कियां अप्राप्तवय प्रतीत हो रही थीं । विवेक (अभि. सा. 1) उन सभी को मनवाट पुलिस थाने ले गया । उसके पश्चात् उसने दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 366क, धारा 370, धारा 370क, धारा 372 और धारा 373 तथा पिटा अधिनियम की धारा 3, धारा 4, धारा 5(क), धारा 5(ख), धारा 6 और धारा 7(1)(क)(2) के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए वर्ष 2015 की सीआर सं. 33 वाली प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की । दादाहरि, पुलिस निरीक्षक, मनवाट पुलिस थाना (अभि. सा. 19) ने इस अपराध का अन्वेषण किया । उसने वेश्यागृह का दौरा किया, अपराध के घटनास्थल पंचनामे को तैयार किया, वेश्यागृह से

छुड़ाई गई लड़कियों के कथनों को लेखबद्ध किया तथा उन सबकी चिकित्सीय परीक्षा कराई । अन्वेषण के पूरा हो जाने के पश्चात् अपीलार्थियों और छह अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनवाट के समक्ष आरोप पत्र फाइल करके कार्यवाहियां आरंभ कीं । विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनवाट ने उक्त मामले को सेशन न्यायालय को सौंप दिया । उसके उपरांत विधि के अनुसार इस मामले को विचारण हेतु अपर सेशन न्यायाधीश (विचारण न्यायालय) को सौंपा गया । तदुपरांत आरोप (प्रदर्श-24) विरचित किए गए । उसके पश्चात् यह बात महसूस की गई कि उक्त मामले में पोक्सो अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध भी अंतर्वलित है अत: अभियुक्तों के विरुद्ध अतिरिक्त आरोप विरचित किए गए । अपीलार्थियों और छह अन्य अभियुक्तों (जिन्हें दोषमुक्त कर दिया गया है) ने दोषी होने से इनकार किया । अपनी प्रतिरक्षा में उन्होंने यह कथन किया है कि इस मामले में उन्हें झूठा फंसाया जा रहा है । अपीलार्थियों के अनुसार पुरस्कार प्राप्त करने के लिए विवेक (अभि. सा. 1) ने एक गैर-सरकारी संगठन, अर्थात् सोशियो-इकोनोमिक डेवलेपमेंट ट्रस्ट, स्वपनभूमि (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में 'एनजीओ' कहा गया है) के हस्तक्षेप पर झूठी प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की है । उक्त एनजीओ शासकीय अनुदानों/निधियों को प्राप्त करने में दिलचस्पी रखता है ।"

3. आरोपों को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने उन्नीस साक्षियों की परीक्षा की है । साक्ष्य स्वरूप अभिलेख पर रखे गए दस्तावेज प्राप्त किए गए पंचनामा और चिकित्सीय प्रमाण-पत्रों की प्रकृति के हैं । इस मामले में साक्ष्य का विश्लेषण करने के पश्चात् विचारण न्यायालय ने यहां ऊपर कथित अपराधों के लिए अपीलार्थियों को सिद्धदोष ठहराया । इसलिए अपीलार्थियों ने इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपील प्रस्तुत की है ।

4. अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री राठी, राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् अपर लोक

अभियोजक तथा एनजीओ की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् अधिवक्ता श्री नजम ई. देशमुख को सुना । उन्होंने अभिलेख पर बहस से संबंधित लिखित टिप्पणों को प्रस्तुत किया है । मैंने ध्यानपूर्वक उनका परिशीलन किया है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उसमें मात्र कुछ साक्षियों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य को तथा विचारण न्यायालय द्वारा लेखबद्ध किए गए निष्कर्षों को दोहराया गया है ।

5. अपीलार्थियों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि अभिकथित रूप से छुड़ाई गई चौदह लड़कियों में से केवल चार लड़कियों की साक्षियों के रूप में परीक्षा की गई है । विचारण न्यायालय के समक्ष उनकी आयु को साबित करने वाला कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है । विचारण न्यायालय ने इन चार लड़कियों की चिकित्सीय परीक्षा रिपोर्टों का यह संप्रेक्षण करने के लिए अवलंब लिया है कि वे लड़कियां अठारह वर्ष से कम आयु की हैं । विद्वान् काउंसेल के अनुसार अस्थिविकास परीक्षा आयु को साबित करने के लिए कोई निर्णायक साक्ष्य नहीं है । उक्त परीक्षा में दोनों ओर दो वर्ष की त्रुटि होने की संभावना है । विद्वान् काउंसेल के अनुसार विद्वान् विचारण न्यायाधीश को अपीलार्थियों को उन सभी अपराधों जिनके लिए उन्हें आरोपित किया गया है, से दोषमुक्त करना चाहिए था ।

6. दूसरी ओर विद्वान् अपर लोक अभियोजक ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया है । उन्होंने मेरा ध्यान पीड़ित लड़कियों के साक्ष्य और चिकित्सा अधिकारियों द्वारा दिए गए साक्ष्य की ओर आकर्षित किया है और यह दलील दी है कि आक्षेपित निर्णय में कोई हस्तक्षेप किया जाना अपेक्षित नहीं है ।

7. यह उपदर्शित करने के लिए साक्ष्य विद्यमान है कि तारीख 26 मार्च, 2015 की मध्य रात्रि लगभग 12.00 बजे अभियुक्त-1 के नियंत्रण वाले परिसर/बाड़ा में एक छापा डाला गया था । विवेक (अभि. सा. 1) ने यह परिसाक्ष्य दिया है कि उसे यह सूचना प्राप्त हुई थी कि अभियुक्त-1 मनवाट स्थित अपने परिसर से एक वेश्यागृह चला रही है । इसलिए उसने छापा डालने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं कीं । उसने 3-4

व्यक्तियों की पंचसाक्षियों के रूप में उपस्थिति को सुनिश्चित किया और साथ ही एक नकली ग्राहक को भी तैयार किया । जाल बिछाए जाने से पूर्व का एक पंचनामा (प्रदर्श-35) तैयार किया गया । 500/- रुपए के अंकित मूल्य वाले एक मुद्रा नोट जिस पर एक विशिष्ट संख्या अंकित थी, विकास (अभि. सा. 18) को उपलब्ध कराया गया जिसे उसके द्वारा नकली ग्राहक के रूप में लड़की उपलब्ध कराने के प्रतिफलस्वरूप अभियुक्त-1 को प्रस्थापित करना था । विकास (अभि. सा. 18) को यह अनुदेश दिया गया था कि वह उस समय विवेक (अभि. सा. 1) के सेलफोन पर मिसकॉल देगा जब अभियुक्त-1 उक्त उद्दिष्ट मुद्रा नोट को स्वीकार/प्राप्त कर लेगी ।

8. विकास (अभि. सा. 18) ने यह परिसाक्ष्य दिया है कि उसने एक नकली ग्राहक के रूप में कार्य किया । जाल बिछाए जाने से पूर्व का एक पंचनामा तैयार किया गया । उसने 500/- रुपए के अंकित मूल्य का एक मुद्रा नोट प्राप्त किया जिसे अभियुक्त-1 को दिया जाना था । अपने साक्ष्य में उसने यह भी कथन किया कि वह अभियुक्त-1 के नियंत्रण वाले परिसर/बाड़ा में प्रविष्ट हुआ । वहां वह एक सोनाबाई नामक महिला, अर्थात् अभियुक्त-1 से मिला । उसने उसे शारीरिक संबंध बनाने हेतु एक अप्राप्तवय लड़की उपलब्ध कराने का अनुरोध किया । जिसके उपरांत अभियुक्त-1 ने उसे उक्त सेवा हेतु 500/- रुपए का संदाय करने के लिए कहा । अपने साक्ष्य में उसने यह भी कथन किया कि अनुरोध किए जाने पर अभियुक्त ने उसे तीन लड़कियां दिखाईं । उसने उन तीन लड़कियों में से एक लड़की का चयन किया । वह लड़की अप्राप्तवय प्रतीत हो रही थी । अभियुक्त-1 द्वारा मांग किए जाने पर उसने 500/- रुपए के अंकित मूल्य वाले मुद्रा नोट का उसे संदाय कर दिया । तदुपरांत अभियुक्त-1 ने उसे उसके द्वारा चुनी गई लड़की के साथ एक कक्ष में जाने की अनुमति दी । उसके पश्चात् उसने विवेक (अभि. सा. 1) के सेलफोन पर मिसकॉल दी जिसके उत्तर में विवेक (अभि. सा. 1) के नेतृत्व में एक पुलिस दल परिसर में दाखिल हुआ और उसके पश्चात् शेष कार्यवाही की गई ।

9. विवेक (अभि. सा. 1), संदीप (अभि. सा. 2) और विकास (अभि. सा. 18) ने इस न्यायालय के समक्ष ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं जो एक-दूसरे से संगत हैं । संदीप (अभि. सा. 2) जाल बिछाए जाने के पूर्व तैयार किए गए पंचनामे का पंचसाक्षी है तथा अभियुक्त-1 द्वारा चलाए जा रहे वेश्यागृह पर छापा मारने का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है । इन तीन साक्षियों के साक्ष्य में इस बात का उल्लेख किया गया है कि उक्त परिसर में चौदह लड़कियां मौजूद थीं जिनमें से बारह लड़कियां अप्राप्तवय प्रतीत हो रही थीं । विवेक (अभि. सा. 1) उन सबको मनवाट पुलिस थाने ले गया और उसने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की । दादाहरि (अभि. सा. 19) ने मामले का अन्वेषण किया । उसने वेश्यागृह का दौरा किया तथा उसने अपराध के घटनास्थल के नक्शे संबंधी पंचनामे (प्रदर्श-47, प्रदर्श-48 और प्रदर्श-133) तैयार किए । उसने घटनास्थल के आसपास से अनेक वस्तुओं का अभिग्रहण किया, अर्थात् एक सफेद रंग का टाटा सूमो यान जिसका रजिस्ट्रीकरण संख्यांक एमएच-44बी-3377 है ।

मैंने उपरोक्त तीन साक्षियों के साक्ष्य की ध्यानपूर्वक समीक्षा की है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उनके द्वारा दिए गए साक्ष्य विश्वसनीय हैं और उनके आधार पर कार्रवाई की जा सकती है । अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल ने ऐसा कोई बिंदु मेरे समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है जो इन साक्षियों के साक्ष्य को अविश्वसनीय साबित कर सके ।

10. वेश्यागृह से छुड़ाई चौदह लड़कियों में से केवल चार लड़कियों की साक्षी के रूप में परीक्षा की गई है और वे लड़कियां अभि. सा. 6 से अभि. सा. 9 के रूप में हैं, अर्थात् क्रमश: सविता, सुजाता, गीता और लता (नाम परिवर्तित किए गए हैं) । अभि. सा. 6 से अभि. सा. 9 ने एक समान साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं । उन्होंने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि वे राजस्थान से हैं । वे अन्य छह लड़कियों के साथ स्वयं ही मनवाट आई थीं । उन्होंने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि उन्होंने अपने कुटुंब सदस्यों को यह सूचित किया था कि वे तीर्थ करने हेतु शिरडी जा रही हैं । उन्होंने अपने साक्ष्य में यह भी कथन किया है

कि वे मनवाट में अभियुक्त-1 के घर पर निवास कर रही थीं । छिटपुट विसंगतियों के साथ इन चारों साक्षियों ने यह परिसाक्ष्य दिया है कि अभियुक्त-1 के नियंत्रण वाले परिसर/बाड़े में लड़कों का आना-जाना था । वे लड़के उन्हें या अभियुक्त-1 को 200/- रुपए या 100/- रुपए का संदाय करते थे । इस प्रकार प्राप्त रकम का आधा अंश अभियुक्त-1 को दिया जाना अपेक्षित था । धन प्राप्त किए जाने के प्रतिफलस्वरूप वे लड़कों के साथ गंदा काम करती थीं । इन साक्षियों ने यह कथन किया है कि वे उपरोक्त गंदा काम स्वेच्छा से कर रही थीं ।

11. पिटा अधिनियम की धारा 2(क) 'वेश्यागृह' पद को परिभाषित करती है जो निम्नानुसार है :–

> "वेश्यागृह" के अंतर्गत कोई घर, कमरा, सवारी या स्थान अथवा किसी घर, कमरे, सवारी या स्थान का कोई प्रभाग अभिप्रेत है जिसका प्रयोग अन्य व्यक्ति के अभिलाभ के लिए अथवा दो या अधिक वेश्याओं के पारस्परिक अभिलाभ के लिए लैंगिक शोषण या दुरुपयोग के प्रयोजनों के लिए किया जाता है ।
>
> "वेश्यावृत्ति" से व्यक्तियों का वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए लैंगिक शोषण या दुरुपयोग अभिप्रेत है और "वेश्या" पद का तद्नुसार अर्थ लगाया जाएगा ।
>
> पिटा अधिनियम के उपबंधों के प्रयोजनों के लिए "बालक" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने सोलह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है जबकि "अप्राप्तवय" पद से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने सोलह वर्ष की आयु पूरी कर ली है किंतु अभी अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है ।

12. अभि. सा. 6 से अभि. सा. 9 के साक्ष्य से सुसंगत संदेह से परे यह साबित हो गया है कि अभियुक्त-1 एक वेश्यागृह चला रही थी । पिटा अधिनियम की धारा 3 वेश्यागृह चलाने या अपने कब्जे वाले परिसरों को वेश्यागृह के रूप में उपयोग किए जाने की अनुज्ञा देने के लिए दंड को उपबंधित करती है और उक्त अधिनियम की धारा 4 में

वेश्यावृत्ति के उपार्जनों से आजीविका चलाने हेतु दंड उपबंधित किया गया है । इस बात को दोहराया जाता है कि नि:संदेह रूप से अभि. सा. 6 से अभि. सा. 9 के साक्ष्यों से यह साबित हो गया है कि अभियुक्त-1 वेश्यावृत्ति के उपार्जनों से अपनी आजीविका चला रही थी । अत: विचारण न्यायालय ने अभियुक्त-1 को पिटा अधिनियम की धारा 3 और धारा 4 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए सही रूप से सिद्धदोष ठहराया है ।

13. मैंने इस मामले के अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्य की अत्यंत सावधानीपूर्वक समीक्षा की है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अभियुक्त सं. 2 की दोषसिद्धि को कायम रखने के लिए अभिलेख पर पर्याप्त सामग्री उपलब्ध नहीं है । अभियुक्त-2 की भूमिका इतनी ही प्रतीत होती है कि वह अभियुक्त-1 का पुत्र होने के नाते उसके साथ उस परिसर में निवास कर रहा था जिसका उपयोग वेश्यागृह चलाने के लिए किया जा रहा था । अभि. सा. 8 और अभि. सा. 9 ने इस प्रभाव का साक्ष्य प्रस्तुत किया है कि अभियुक्त-2 उक्त परिसर में निवास कर रहा था । इसके अलावा उसके संबंध में कोई अन्य सामग्री अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है । अत: विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त-2 को दोषसिद्ध ठहराया जाना उचित नहीं है । विचारण न्यायालय के अनुसार उक्त परिसर/बाड़ा अभियुक्त-1 के पति का था (जिसे विचारण न्यायालय के समक्ष अभियुक्त सं. 8 के रूप में प्रस्तुत किया गया था) । विचारण के लंबित रहने के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी । इसे ध्यान में रखते हुए विचारण न्यायालय ने यह मत बनाया है कि चूंकि अभियुक्त सं. 8 की मृत्यु हो जाने के कारण उक्त परिसर/बाड़ा अभियुक्त सं. 1 और अभियुक्त सं. 2 के नाम कर दिया गया था और इस प्रकार वे दोनों मिलकर उसमें वेश्यागृह चला रहे थे । स्वीकार्य रूप से छापा मारे जाने के समय अभियुक्त सं. 8 जीवित था । इसलिए उस समय तक अभियुक्त-2 के पास अभियुक्त सं. 8 के स्वामित्व वाले परिसर/बाड़े में कोई अधिकार, हक और हित विद्यमान नहीं था । विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि चूंकि अभियुक्त सं. 2 उक्त वेश्यागृह में

निवास कर रहा था इसलिए सुरक्षित रूप से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अभियुक्त सं. 1 और अभियुक्त सं. 2, दोनों ही वेश्यावृत्ति के उपार्जनों से अपनी आजीविका चला रहे थे । यह निष्कर्ष, जहां तक अभियुक्त सं. 2 का संबंध है, अत्यधिक अस्पष्ट और बिना किसी साक्ष्य संबंधी आधार का प्रतीत होता है ।

14. जहां तक ऐसे अन्य अपराधों का संबंध है, जिनके लिए अपीलार्थियों को सिद्धदोष ठहराया गया है, यह कथन करना होगा कि उनमें से सभी को या उनमें से किसी अपराध के सबूत हेतु अभियोजन पक्ष से यह अपेक्षित था कि वह यह साबित करे कि उक्त परिसर से छुड़ाई गई पीड़ित लड़कियों में से कम से कम एक लड़की 18 वर्ष से कम आयु की थी । निर्णय को और अधिक लंबा होने से बचाने हेतु मैं उन अपराधों के घटकों को पुन: उद्धृत न करने का प्रस्ताव करता हूं । उक्त परिसर से छुड़ाई गई चौदह लड़कियों में से केवल 4 लड़कियों की चिकित्सा परीक्षा की गई है । ऐसी पीड़ित लड़कियों जिनकी परीक्षा नहीं की गई, की आयु के संबंध में बात करना अपेक्षित नहीं है । यदि केवल मान लिए जाने के लिए भी उक्त साक्ष्य का विश्लेषण किया जाए तो वह साक्ष्य अभि. सा. 6 से अभि. सा. 9 के संबंध में प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के अनुरूप है ।

15. अभि. सा. 6 और अभि. सा. 9 ने यह दावा किया है कि उनकी आयु 17 वर्ष है जबकि अभि. सा. 7 और अभि. सा. 8 ने यह कथन किया है कि उनकी आयु 18 वर्ष है । अभि. सा. 6 से अभि. सा. 9 को अपनी जन्म तिथियां ज्ञात नहीं हैं । यदि उन्होंने अपनी कोई विशिष्ट जन्म तिथि बताई भी होती तो वह भी अनुश्रुत साक्ष्य की श्रेणी में आती । स्वीकार्य रूप से अभि. सा. 6 से अभि. सा. 9 में से किसी के भी माता-पिता को उनकी आयु साबित करने के लिए परीक्षा हेतु न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है । अभिलेख पर उनके जन्म प्रमाणपत्र, विद्यालय में प्रवेश या विद्यालय छोड़ने संबंधी प्रमाणपत्र की प्रकृति का कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया है । उनकी अप्राप्तवयता को चिकित्सीय परीक्षा रिपोर्टों के आधार पर स्थापित करने

की ईप्सा की गई है । अतः यह आवश्यक है कि उक्त साक्षियों की चिकित्सीय परीक्षा करने वाले चिकित्सा अधिकारियों के ऐसे साक्ष्य पर विचार किया जाए जिन्होंने उनके एक विशिष्ट आयु समूह के भीतर होने के संबंध में प्रमाणित किया है । ऐसी प्रथम साक्षी नर्मदा (अभि. सा. 10) है । वह सिविल अस्पताल, परभनी से संबद्ध चिकित्सा अधिकारी है । अपने साक्ष्य में उसने यह कथन किया है कि उसने चिकित्सीय परीक्षा के लिए निर्दिष्ट लड़कियों में से छह लड़कियों की चिकित्सीय परीक्षा की थी । सविता (अभि. सा. 6) उनमें से एक है । उसकी परीक्षा किए जाने पर उसने यह प्रमाणित किया कि वे सभी लड़कियां पंद्रह से अठारह वर्ष के आयु समूह से संबंधित थीं ।

16. चिकित्सा प्रमाणपत्र (प्रदर्श-50) अभि. सा. 6 से संबंधित है । इस प्रमाणपत्र के शीर्ष में अभि. सा. 6 के पूरे नाम को लेखबद्ध किया गया है और उसमें उसकी आयु को 20 वर्ष बताया गया है । इस संबंध में कोई तथ्य ज्ञात नहीं है कि अभि. सा. 6 की आयु 20 वर्ष किसने बताई । प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट रूप से यह कथन किया गया है कि अभि. सा. 6 की आयु 14-15 वर्ष हो सकती है । अभि. सा. 10 ने विनिर्दिष्ट रूप से अपने प्रमाणपत्र में यह उल्लेख किया है कि उसकी राय एक्स-रे के द्वारा पाए गए निष्कर्षों से मेल खाती है । अपनी प्रतिपरीक्षा में अभि. सा. 10 ने यह परिसाक्ष्य दिया है कि वह एक बीडीएस (दंत शल्य चिकित्सा स्नातक) डाक्टर है । उसने इस तथ्य को स्वीकार किया कि दांतों की परीक्षा के आधार पर किसी व्यक्ति की आयु के संबंध में सटीक निष्कर्ष नहीं दिए जा सकते । उसने अभि. सा. 6 के दांतों का एक्स-रे लिया था । उसने साधारण रूप से स्थानीय परीक्षा का संचालन किया था । उसने इस बात को भी स्वीकार किया कि ज्यूरिसप्रूडेंस एंड टॉक्सीकालोजी (लेखक श्री मोदी) की पुस्तक में यह उल्लेख किया गया है कि 'यह पद्धति व्यक्तिपरक है और यह किसी अन्य अन्वेषणकर्ता का पूर्ण रूप से समाधान नहीं करती । विकृतिजन्य स्थितियों के कारण इसमें परिवर्तन संभव हैं । इस पद्धति के लिए औसत त्रुटि का दावा + या - 3.6 वर्ष है ।'

17. जयश्री (अभि. सा. 12), चिकित्सा अधिकारी ने अभि. सा. 7 की चिकित्सा परीक्षा की थी । अपने साक्ष्य में उसने यह कथन किया है कि उसने विकिरण-चिकित्सक से एक्स-रे रिपोर्टें प्राप्त की थीं । एक्स-रे रिपोर्टों के आधार पर उसने यह निष्कर्ष निकाला था कि अभि. सा. 7 15-17 वर्ष के आयु समूह में थी । उसने इस प्रभाव का एक प्रमाणपत्र (प्रदर्श-91) जारी किया है । अपने साक्ष्य में उसने इस तथ्य को भी उपदर्शित किया है कि उसने 3-4 अन्य लड़कियों (जिनकी साक्षियों के रूप में परीक्षा नहीं की गई है) की भी चिकित्सीय परीक्षा की थी और उसने उन्हें 18-19 वर्ष के आयु समूह में पाया था । अपनी प्रतिपरीक्षा में उसने यह परिसाक्ष्य दिया है कि अस्थिविकास की परीक्षा किसी रोगी की आयु का निर्धारण करने के लिए कोई निर्णायक स्वरूप की परीक्षा नहीं है । विकिरण-चिकित्सक अस्थिविकास परीक्षा करने में विशेषज्ञ होता है । वह कोई विकिरण चिकित्सक नहीं थी । इस पद्धति में त्रुटि की संभावना + या - 2 वर्ष है । उसकी राय के अनुसार अभि. सा. 7 की आयु 14-19 वर्ष के बीच थी ।

18. जहां तक अभि. सा. 8 की आयु का संबंध है, इस संबंध में वर्षा (अभि. सा. 14), चिकित्सा अधिकारी, सिविल अस्पताल, परभनी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है । अपने साक्ष्य में उसने यह कथन किया है कि उसने अभि. सा. 8 की एक्स-रे रिपोर्टें प्राप्त की थीं और उनके आधार पर वह इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि उसकी आयु 15-17 वर्ष के बीच है । उसने इस संबंध में एक प्रमाणपत्र (प्रदर्श 106) प्रस्तुत किया । अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान उसने यह परिसाक्ष्य दिया है कि अस्थिविकास की परीक्षा किसी रोगी की आयु का निर्धारण करने के लिए कोई निर्णायक स्वरूप नहीं है । विकिरण-चिकित्सक अस्थिविकास परीक्षा करने में विशेषज्ञ होता है । वह कोई विकिरण-चिकित्सक नहीं थी । इस पद्धति में त्रुटि की संभावना + या - 2 वर्ष है । उसकी राय के अनुसार अभि. सा. 8 की आयु 15-17 वर्ष के बीच थी । उसके अनुसार अभि. सा. 8 की आयु 14 वर्ष से अधिक थी किंतु 19 वर्ष से कम थी ।

19. जहां तक अभि. सा. 9 का संबंध है, मुझे उसकी विकिरण-चिकित्सा परीक्षा के संबंध में अभिलेख पर कोई साक्ष्य नहीं मिला है । इस प्रकार सुसंगत समय पर उसकी आयु 18 वर्ष से कम होने के संबंध में सबूत स्वरूप कोई साक्ष्य विद्‌यमान नहीं है ।

20. इस बात को दोहराया जाता है कि अभि. सा. 6 से अभि. सा. 9 की जन्म तिथियों को उपदर्शित करने वाला जन्म प्रमाण-पत्र या विद्‌यालय के अभिलेखों जैसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह पता चल सके कि सुसंगत समय पर उनकी आयु 18 वर्ष से कम थी । उनकी आयु को अभिनिश्चित करने हेतु चिकित्सा परीक्षा करने वाले चिकित्सा अधिकारियों ने अपने निष्कर्षों को दर्ज किया है किंतु उनके उक्त निष्कर्ष निर्णायक प्रकृति के नहीं हैं और उनमें दोनों ओर 2 वर्ष की त्रुटि की संभावना है । इस प्रकार अभियोजन पक्ष यह स्थापित करने में असफल रहा है कि सुसंगत समय पर अभि. सा. 6 से अभि. सा. 9, 18 वर्ष से कम आयु की थी ।

21. विचारण न्यायालय ने आयु के निर्धारण के मुद्दे पर किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) नियम, 2007 के नियम 12 का अवलंब लिया है । उक्त नियम 12 में आयु का अवधारण करने में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया को उपबंधित किया गया है । नियम 12 नीचे उद्धृत किया गया है, अर्थात् :–

> "12. आयु का अवधारण करने के लिए अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया –
>
> > (1) ऐसे प्रत्येक बालक या किसी किशोर की दशा में जो विधि के विरोध में है, यथास्थिति, न्यायालय या बोर्ड या इन नियमों के नियम 19 में निर्दिष्ट समिति ऐसे किशोर या बालक, जो विधि के विरोध में है, की आयु का अवधारण उस प्रयोजन के लिए आवेदन किए जाने की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर करेगी ।

(2) यथास्थिति, न्यायालय या बोर्ड या समिति, यथास्थिति, ऐसे बालक या किशोर, जो विधि के विरोध में है, के संबंध में उसकी किशोरता या अन्यथा के संबंध में विनिश्चय प्रथमदृष्ट्या उसकी शारीरिक बनावट या दस्तावेजों, जो भी उपलब्ध हैं, के आधार पर करेगी और तद्नुसार उसे संप्रेक्षण गृह या कारावास भेजेगी ।

(3) विधि के विरोध में किसी बालक या किशोर से संबंधित प्रत्येक मामले में आयु के अवधारण संबंधी जांच, यथास्थिति, न्यायालय या बोर्ड या समिति द्वारा निम्नलिखित के माध्यम से साक्ष्य एकत्रित करके की जाएगी, –

(क)(i) दसवीं या समतुल्य कक्षा के प्रमाणपत्र, यदि उपलब्ध हों और उसकी अनुपस्थिति में ;

(ii) ऐसे विद्यालय (किसी प्ले स्कूल से भिन्न) जिसमें बालक द्वारा सर्वप्रथम प्रवेश प्राप्त किया गया था, द्वारा जारी जन्म तिथि प्रमाणपत्र और उसकी अनुपस्थिति में ;

(iii) किसी निगम या नगरपालिक प्राधिकारी या किसी पंचायत द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र ;

(ख) और उपरोक्त खंड क के उपखंड (i), (ii) या (iii) में उल्लिखित किसी भी दस्तावेज के उपलब्ध न होने की स्थिति में एक सम्यक् रूप से गठित चिकित्सा बोर्ड से आयु के संबंध में चिकित्सीय राय का अनुरोध करेगा जो किशोर या बालक की आयु घोषित करेगा । उस दशा में जहां आयु का सटीक निर्धारण नहीं किया जा सकता, यथास्थिति, न्यायालय या बोर्ड या समिति लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, यदि आवश्यक समझती है तो बालक या किशोर को उसकी आयु में नीचे की ओर एक वर्ष के अंतर का लाभ देगी ;

> और ऐसे किसी मामले में, यथास्थिति, यथा-उपलब्ध साक्ष्य या चिकित्सीय राय पर विचार करने के पश्चात् कोई आदेश पारित करते समय किशोर या बालक की आयु के संबंध में अपने निष्कर्षों को और खंड (क)(i), (ii) में से किसी में निर्दिष्ट साक्ष्य को लेखबद्ध करेगी ;
>
> (iii) या उनकी अनुपस्थिति में उपरोक्त खंड ख ऐसे बालक या किशोर जो विधि के विरोध में हैं, के संबंध में उसकी आयु का निर्णायक सबूत होगा ।
>
> (4) यदि ऐसे किसी किशोर या बालक जो विधि के विरोध में हैं, की आयु अपराध की तारीख को उप-नियम (3) में विनिर्दिष्ट किसी निर्णायक सबूत के आधार पर अठारह वर्ष से कम पाई जाती है तो यथा-स्थिति, न्यायालय या बोर्ड या समिति इस अधिनियम या इन नियमों के प्रयोजनों के लिए किशोरावस्था या अन्यथा की प्रास्थिति को घोषित करते हुए तथा उसकी आयु का कथन करते हुए लिखित आदेश पारित करेगी और ऐसे आदेश की एक प्रति ऐसे किशोर या संबद्ध व्यक्ति को प्रदान की जाएगी ।”

22. मेरे मतानुसार नियम 12 का अवलंब लिया जाना दोषपूर्ण है । उक्त नियम ऐसे किसी बालक या किसी किशोर की आयु के अवधारण से संबंधित है जो विधि के विरोध में है और इस प्रकार आयु का अवधारण करने के पश्चात् उसके संबंध में किशोर न्याय अधिनियम के उपबंधों को प्रवर्तन में लाया जा सके । यह उल्लेख करना आवश्यक है कि किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (2000 का 56) और तद्धीन बनाए गए नियमों का उद्देश्य किशोरों का कल्याण है । उक्त अधिनियम के उपबंध किशोरों को फायदा पहुंचाए जाने की प्रकृति के हैं । इस प्रकार दंड संहिता, पिटा अधिनियम या पोक्सो अधिनियम जैसे अन्य अधिनियमों के अधीन अपराधों के विचारण

में किसी पीड़ित की आयु को अभिनिश्चित करने के लिए नियम 12 का अवलंब नहीं लिया जा सकता ।

23. **अलामेलु और अन्य** बनाम **राज्य, पुलिस निरीक्षक के प्रतिनिधित्व से**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह संप्रेक्षण किया कि साधारणतया चिकित्सा साक्ष्य के आधार पर किसी व्यष्टि की आयु का सही-सही अवधारण नहीं किया जा सकता । इस प्रकार आयु के निर्धारण में त्रुटि की संभावना को न्यायिक रूप से **जया माला** बनाम **गृह सचिव, जम्मू-कश्मीर शासन और अन्य**[2] वाले मामले में निम्नानुसार मान्यता प्रदान की गई है :–

> "………तथापि, यह बात सुविख्यात है और कोई व्यक्ति इस संबंध में न्यायिक अवलंब ले सकता है कि विकिरण-चिकित्सा परीक्षा के माध्यम से अभिनिश्चित की गई आयु में दोनों ओर से 2 वर्ष की त्रुटि संभव है ।"

24. इस बात को दोहराया जाता है कि अभि. सा. 6 से अभि. सा. 9 की आयु के संबंध में चिकित्सा अधिकारियों के साक्ष्य में उन्होंने स्वयं यह स्वीकार किया है कि उनके द्वारा अभिनिश्चित की गई आयु में दोनों ओर 2 वर्ष की त्रुटि की संभावना है । इस प्रकार उनका साक्ष्य यह उपदर्शित करता है कि सुसंगत समय पर अभि. सा. 6 से अभि. सा. 9, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की हो सकती थी । अन्य शब्दों में यह कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष ने युक्तियुक्त संदेह से परे इस तथ्य को साबित नहीं किया है कि छापा मारे जाने के समय, अर्थात् तारीख 26 मार्च, 2015 को अभि. सा. 6 से अभि. सा. 9 की आयु 18 वर्ष से कम थी ।

25. अभि. सा. 6 से अभि. सा. 9 द्वारा दिए गए साक्ष्य के अनुसार उन्होंने राजस्थान से अपने घरों को शिरडी की तीर्थ यात्रा करने के बहाने से छोड़ा था और वे स्वेच्छा से मनवाट आई थीं और इस प्रकार

---

[1] 2011 ए. एल. एल. - एमआर (क्रि.) 1278 = ए. आई. आर. 2011 एस. सी. 715.

[2] (1982) 2 एस. सी. सी. 538 = ए. आई. आर. 1982 एस. सी. 1297.

यह साक्ष्य नि:संदेह रूप से यह उपदर्शित करता है कि वर्तमान मामले में पिटा अधिनियम की धारा 5(1)(क)(ख) के उपबंध आकर्षित नहीं होते हैं । पिटा अधिनियम की धारा 6 के अधीन दंडनीय अपराध को साबित करने के लिए भी अभि. सा. 6 से अभि. सा. 9 के साक्ष्यों में कोई ऐसा तथ्य विद्यमान नहीं है जो यह उपदर्शित करे कि अपीलार्थियों ने उन्हें अपने वेश्यागृह में निरुद्ध रखा था ।

26. जहां तक अपीलार्थियों की पोक्सो अधिनियम की धारा 4, धारा 8 और धारा 17 के अधीन दोषसिद्धि किए जाने का संबंध है, यह कथन किया जाता है कि उक्त साक्षियों में से किसी भी साक्षी को अपराध किए जाने की तारीख को बालिका के रूप में साबित नहीं किया जा सका है । इसके अतिरिक्त, जहां तक प्रवेशनात्मक यौन हमले के सबूतों का संबंध है चिकित्सा परीक्षा करने वाले चिकित्सा अधिकारियों ने वर्तमान मामले में स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि उन्होंने इस संबंध में कोई राय अभिव्यक्त नहीं की है कि क्या अभि. सा. 6 से अभि. सा. 9 को छापा मारने से तुरंत पूर्व प्रवेशनात्मक यौन संबंधों को बनाए जाने के लिए मजबूर किया गया था । ऊपर दिए गए कारणों से आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप अपेक्षित है और जहां तक अभियुक्त सं. 2 का संबंध है उक्त निर्णय को पूर्णतया अपास्त किया जाता है और अभियुक्त सं. 1 की दशा में आक्षेपित निर्णय को आंशिक रूप से अपास्त किया जाता है ।

27. इसके परिणामस्वरूप अपील को आंशिक रूप से मंजूर किया जाता है और निम्नलिखित आदेश पारित किया जाता है :–

(i) दांडिक अपील को आंशिक रूप से मंजूर किया जाता है ।

(ii) विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, परभनी द्वारा 2015 के विशेष (पोक्सो, मामला सं. 24 में पारित तारीख 22 मार्च, 2017 के निर्णय और आदेश को आंशिक रूप से अपास्त किया जाता है ।

(iii) अपीलार्थी सं. 1 को दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 372 और धारा 373, पिटा अधिनियम की धारा 5(क),

(ख) और धारा 6 तथा पोक्सो अधिनियम की धारा 17 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 और धारा 8 के अधीन दंडनीय अपराधों से दोषमुक्त किया जाता है ।

(iv) अपीलार्थी सं. 1 की पिटा अधिनियम की धारा 3 और धारा 4 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए दोषसिद्धि को कायम रखा जाता है ।

(v) अपीलार्थी सं. 2 को सभी अपराधों से दोषमुक्त किया जाता है ।

(vi) अपीलार्थी सं. 2 द्वारा प्रस्तुत किए गए जमानत बंध-पत्रों को रद्द किया जाता है ।

(vii) अपीलार्थियों द्वारा ऐसे अपराधों के अधीन, जिनके लिए उन्हें दोषमुक्त किया गया है, अधिरोपित जुर्माने की रकम, यदि उसका संदाय कर दिया गया है तो उसे प्रतिदाय करने का निदेश दिया जाता है ।

(viii) अपीलार्थी सं. 1 तारीख 27 मार्च, 2015 से कारागार में है । इस प्रकार उसने पिटा अधिनियम की धारा 3 और धारा 4 के अधीन दंडनीय अपराधों के संबंध में अधिरोपित कारावास के दंडादेश को पूरा कर लिया है । अतः, यदि किसी अन्य मामले में वह अपेक्षित नहीं है तो उसे कारावास से निर्मुक्त किया जाए ।

अपील आंशिक रूप से मंजूर की गई ।

पु.

कुलदीप कुमार

बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य

(2017 की दांडिक अपील सं. 654)

तारीख 7 जनवरी, 2020

न्यायमूर्ति संदीप शर्मा

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 376 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – बलात्संग – सम्मति – प्रचलित रीति-रिवाज के अनुसार अभियुक्त और अभियोक्त्री के बीच सगाई के पश्चात् लैंगिक संबंध स्थापित होने का अभिकथन – उपखंड मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत में अभियोक्त्री के साथ लैंगिक संबंध का उल्लेख न किया जाना – चिकित्सीय साक्ष्य से बलात्संग की पुष्टि न होना – किसी भी अभियोजन साक्षी ने यह कथन नहीं किया है कि सगाई के पश्चात् अभियुक्त ने विवाह करने के बहाने से अभियोक्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे और चिकित्सीय साक्ष्य से भी बलात्संग की पुष्टि नहीं होती है तथा अभियोक्त्री के पिता ने उपखंड मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत में यह उल्लेख नहीं किया था कि अभियुक्त-अपीलार्थी ने रीति-रिवाज का लाभ लेते हुए विवाह करने के बहाने से उसकी पुत्री के साथ संभोग किया है, ऐसी स्थिति में निचले न्यायालय का दोषसिद्धि का निर्णय कायम नहीं रखा जा सकता ।

अभिलेख के अनुसार अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि तारीख 12 सितंबर, 2013 को जिला चंबा, हिमाचल प्रदेश में प्रचलित रीति-रिवाज के अनुसार अभियुक्त की सगाई आहत कन्या के साथ कर दी गई । इस क्षेत्र में अपनाए जाने वाले रीति-रिवाज के अनुसार लड़का और लड़की सगाई के पश्चात् शारीरिक संबंध स्थापित कर सकते हैं । सगाई के पश्चात् अभियुक्त और अभियोक्त्री ने अभिकथित रूप से दिसंबर, 2013 तक प्रचलित रीति-रिवाज के अनुसार कई बार संभोग किया ।

अभिकथित उपरोक्त घटना के पश्चात् अभियुक्त मार्च, 2014 तक अभियोक्त्री के संपर्क में रहा, किंतु इसके पश्चात् अपना मोबाइल फोन प्रयोग करना बंद कर दिया । अभियुक्त और अभियोक्त्री का विवाह दिसंबर, 2014 के लिए नियत कर दिया गया किंतु चूंकि अभियुक्त वापस नहीं आया, इसलिए अभियुक्त और अभियोक्त्री के बीच विवाह संपन्न नहीं हो सका और इसके पश्चात् अभियोक्त्री के पिता ने उपखंड मजिस्ट्रेट, पंगी (जिला चंबा) के समक्ष लिखित शिकायत प्रस्तुत की । उपरोक्त कार्यवाही के दौरान अभियुक्त के पिता ने उपखंड मजिस्ट्रेट, पंगी के समक्ष यह कथन दिया कि अभियुक्त चंडीगढ़ में पढ़ाई कर रहा है और वह विवाह करने के लिए वापस आ जाएगा किंतु यह तथ्य सामने आया कि अभियुक्त वापस नहीं आया और तद्नुसार इस मामले की रिपोर्ट अभियोक्त्री द्वारा पुलिस को दी गई । पुलिस उप-निरीक्षक कमलेश कुमार अन्य पुलिसकर्मियों के साथ बस अड्डा किलार, पंगी के निकट गश्त कर रहे थे और उसी दौरान उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 154 के अधीन अभियोक्त्री का कथन अभिलिखित किया और इसके पश्चात् वह कथन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस थाना, पंगी भेज दिया । मामला उपरोक्त रूप में दर्ज कराने के पश्चात् अभियोक्त्री की चिकित्सा परीक्षा क्षेत्रीय अस्पताल चंबा में डा. मीनाक्षी (अभि. सा. 12) द्वारा की गई जिन्होंने अपनी चिकित्सा-विधिक रिपोर्ट (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 12/ए) में यह उल्लेख किया कि अभियोक्त्री के शरीर पर कोई भी बाह्य या आंतरिक क्षति नहीं पाई गई है किंतु उसके साथ संभोग किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता । आहत कन्या अर्थात् अभियोक्त्री का कथन विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी), चंबा के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन अभिलिखित किया गया । अन्वेषण अधिकारी ने पंगी क्षेत्र में प्रचलित रीति-रिवाज की पुष्टि के संबंध में ग्राम पंचायत, करयास के पूर्व प्रधान से प्रमाणपत्र (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 4/ए) भी प्राप्त किया । अन्वेषण पूरा होने के पश्चात् विद्वान् सेशन न्यायाधीश, चंबा के समक्ष चालान फाइल किया गया जिन्होंने अपना यह समाधान होने पर कि अभियुक्त के विरुद्ध प्रथमदृष्ट्या मामला बनता है, अभियुक्त को दंड संहिता की धारा

376 के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने के लिए आरोपित किया जिस पर अभियुक्त ने दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण की मांग की । अभियोजन पक्ष ने अपना पक्षकथन साबित करने के लिए कुल मिलाकर 13 साक्षियों की परीक्षा कराई और अभियुक्त ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभिलिखित अपने कथन में अभियोजन पक्ष की सभी बातों से इनकार किया और अपने निर्दोष होने का दावा किया । तथापि, विद्वान् निचले न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 376 के अधीन अपराध कारित करने का दोषी अभिनिर्धारित किया और तद्नुसार ऊपर दिए गए विवरण के अनुसार अभियुक्त को दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया । उपरोक्त पृष्ठभूमि में अभियुक्त ने इस न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की है । अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का सावधानीपूर्वक परिशीलन करने पर इस न्यायालय को इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई संकोच नहीं है । निचले न्यायालय ने यह गलत मत व्यक्त किया है कि सगाई के पश्चात् अभियुक्त ने विवाह के बहाने से उस क्षेत्र में प्रचलित रीति-रिवाज का फायदा लेकर अभियोक्त्री के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए हैं । अभियोक्त्री के कथन के अतिरिक्त किसी भी अभियोजन साक्षी ने यह कथन नहीं किया है कि सगाई के पश्चात् अभियुक्त ने विवाह के बहाने से अभियोक्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे बल्कि अभि. सा. 1, अभि. सा. 2 और अभि. सा. 9 के सिवाय सभी महत्वपूर्ण साक्षियों ने यह कथन किया है कि उन्होंने अभियुक्त को सगाई के पश्चात् अभियोक्त्री के घर आते-जाते देखा था । जैसाकि पहले ही विचार किया गया है, अभियोक्त्री के माता-पिता अर्थात् अभि. सा. 2 और अभि. सा. 9 के साक्ष्य की सूक्ष्मता से संवीक्षा की जानी चाहिए जिस पर निचले न्यायालय द्वारा बिना-सोचे समझे और अन्य किसी अभियोजन साक्षी के साक्ष्य से संपुष्टि किए बिना विश्वास नहीं किया जाना चाहिए था । निस्संदेह हितबद्ध साक्षियों के साक्ष्य को मात्र इस

आधार पर त्यक्त नहीं किया जा सकता कि वे नातेदार हैं किंतु ऐसे साक्षियों के साक्ष्य का मूल्यांकन सूक्ष्मता के साथ किया जाना चाहिए । वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्षकथन के अनुसार पानराज (अभि. सा. 5) ने अभियोक्त्री और अभियुक्त के बीच विवाह तय करने में सहायक के रूप में कार्य किया है, इस साक्षी के कथन में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया है कि अभियुक्त द्वारा अभियोक्त्री के साथ विवाह करने से इनकार करने पर अभियोक्त्री के पिता ने 5 लाख रुपए की मांग रखी । चूंकि अभियुक्त के माता-पिता ने इतनी बड़ी राशि का संदाय करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की, इसलिए अभियुक्त के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई गई । यद्यपि अन्य साक्षियों ने धन का संदाय किए जाने के संबंध में दिए गए सुझावों से इनकार किया है किंतु इस साक्षी का साक्ष्य पूर्णतया अविचल रहा है । इस साक्षी का साक्ष्य इस आधार पर और प्रबलित हो जाता है कि अभिलेख पर सम्यक् रूप से यह सिद्ध किया गया है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराए जाने के पूर्व अभियोक्त्री के पिता ने उपखंड मजिस्ट्रेट, पंगी के समक्ष शिकायत (प्रदर्श डी-3) प्रस्तुत की थी जिसमें अभियोक्त्री के पिता ने कहीं भी यह कथन नहीं किया है कि अभियुक्त ने उस क्षेत्र में प्रचलित रीति-रिवाज का लाभ लेते हुए विवाह करने के बहाने से उसकी पुत्री के साथ लैंगिक संबंध स्थापित किए हैं । प्रदर्श डी-3 का सावधानीपूर्वक परिशीलन करने पर यह उपदर्शित होता है कि अभियोक्त्री के पिता ने मात्र यह शिकायत की थी कि चूंकि अभियुक्त ने उसकी पुत्री के साथ विवाह करने से इनकार कर दिया है, इसलिए उसकी पुत्री का जीवन बर्बाद हो गया है । यदि अभियोक्त्री के पिता के उपरोक्त आचरण को देखा जाए और उस पर विचार किया जाए, तब अभि. सा. 5 द्वारा दिया गया साक्ष्य इस संबंध में प्रबलित हो जाता है कि अभियोक्त्री के साथ विवाह करने से अभियुक्त द्वारा इनकार किए जाने के पश्चात् अभियोक्त्री के पिता ने 5 लाख रुपए की मांग की थी किंतु चूंकि अभियुक्त का परिवार इस राशि का संदाय नहीं कर सका, इसलिए अभियोक्त्री के पिता ने उपखंड मजिस्ट्रेट के यहां से अपनी शिकायत वापस ले ली और इसके 2 मास

पश्चात् अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट फाइल की गई । यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में हुए विलंब से अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य की सत्यता गंभीर रूप से संदिग्ध हो जाती है और साक्ष्य इतना शिथिल हो जाता है कि उसके आधार पर दोषसिद्धि नहीं की जा सकती । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में विलंब होने पर प्राय: चुन-चुनकर बातें लिखी जाती हैं जो निश्चित रूप से बाद में आए विचार का परिणाम होती हैं । वर्तमान मामले में, अभियुक्त के पिता के आचरण, जो प्रदर्श डी-3 से स्पष्ट है, का सावधानीपूर्वक परिशीलन करने के पश्चात् न्यायालय इस बात से सहमत है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट जो वर्तमान अपील की अन्तर्वस्तु है, बाद में आया विचार है और यह रिपोर्ट लंबे विलंब के पश्चात् दर्ज कराई गई है । इस पर कोई विवाद नहीं है कि अभिकथित घटना के समय अभियोक्त्री की आयु 26 वर्ष थी अत: यह नहीं कहा जा सकता है कि वह अभियुक्त, जिसने सगाई के पश्चात् अभियुक्त के घर पर आना-जाना आरंभ कर दिया था, की संगति में रहने के परिणाम को समझने में असमर्थ थी । अभियोक्त्री ने यह स्वीकार किया है कि पुलिस थाना उसके घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है । अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत चिकित्सीय साक्ष्य अर्थात् प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 12/ए से भी अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं होता है । डा. मीनाक्षी (अभि. सा. 12) ने चिकित्सा विधिक प्रमाणपत्र (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 12/ए) को साबित करते हुए स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि अभियोक्त्री के शरीर पर कोई भी बाह्य या आंतरिक क्षति नहीं पाई गई है । इस साक्षी ने स्पष्ट रूप से यह राय व्यक्त की है कि आंतरिक जांच के दौरान अभियोक्त्री के शरीर में कोई भी खरोंच या क्षति नहीं पाई गई है किंतु लघु भगौष्ठ को पृथक् करने पर योनिच्छद विदीर्ण पाई गई है । चिकित्सक की अंतिम राय यह है कि ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है जिससे यह पता चलता हो कि अभियोक्त्री के साथ संभोग नहीं किया गया है । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह भी स्वीकार किया है कि सवारी करने, साइकिल चलाने जैसे व्यायाम और हस्त-मैथुन जैसी क्रिया के परिणामस्वरूप भी

योनिच्छद विदीर्ण हो जाती है । यद्यपि, अभिलेख पर प्रस्तुत उपरोक्त चिकित्सीय साक्ष्य से कहीं भी यह स्पष्ट नहीं होता है कि अभियुक्त द्वारा अभियोक्त्री के साथ बलपूर्वक संभोग किया गया है किंतु अन्यथा भी अभियोजन पक्षकथन के लिए यह तथ्य सहायक नहीं हो सकता है विशेषकर ऐसी स्थिति में जब अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 376 के अधीन अभिकथित अपराध से संबद्ध करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य न हो । यदि अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य को उपरोक्त निर्णयों, जिनका अवलंब वर्तमान मामले में लिया जा रहा है, में अधिकथित सिद्धांत के आधार पर परखा जाए, तब इस न्यायालय को इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई संकोच नहीं है कि अभियोक्त्री सहित महत्वपूर्ण अभियोजन साक्षियों का परिसाक्ष्य विश्वसनीय नहीं है और ऐसे साक्ष्य के आधार पर दंड संहिता की धारा 376 के अधीन किसी भी प्रकार से कोई दोषसिद्धि नहीं की जा सकती । (पैरा 15, 17, 18 और 26)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2019]	ए. आई. आर. 2019 एस. सी. (क्रिमिनल) 1489 : **प्रमोद सूर्य** बनाम **महाराष्ट्र राज्य और एक अन्य** ;	21
[2012]	(2012) 8 एस. सी. सी. 21 = ए. आई. आर. 2012 एस. सी. 3157 : **संदीप** उर्फ **दीपू** बनाम **राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली** ;	24
[2010]	(2010) 3 एस. सी. सी. 232 = ए. आई. आर. 2010 एस. सी. 1540 = 2010 क्रिमिनल ला जर्नल 1917 (एस. सी.) = 2010 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 1 : **दिनेश जयसवाल** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** ;	25
[2009]	ए. आई. आर. 2009 एस. सी. 858 : **राजू** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** ;	23

[2005]	(2005) 1 एस. सी. सी. 88 = ए. आई. आर. 2005 एस. सी. 203 = 2004 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 6479 : **दिलीप सिंह** उर्फ **दिलीप कुमार** बनाम **बिहार राज्य** ।	22

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2017 की दांडिक अपील सं. 654.

2015 के सेशन मामला सं. 42 में विद्वान् सेशन न्यायाधीश, चंबा, हिमाचल प्रदेश द्वारा तारीख 12 दिसंबर, 2017 को पारित दोषसिद्धि के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से	सर्वश्री संजीव भूषण और राकेश चौहान
प्रत्यर्थी की ओर से	सर्वश्री सुधीर भटनागर, अनिल जसवाल, अरविंद शर्मा (अपर महाधिवक्ता) और कुणाल ठाकुर

न्यायमूर्ति संदीप शर्मा – यह अपील 2015 के सेशन मामला सं. 42 में विद्वान् सेशन न्यायाधीश, चंबा, हिमाचल प्रदेश द्वारा तारीख 12 दिसंबर, 2017 को पारित दोषसिद्धि के उस निर्णय और आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है जिसके द्वारा निचले न्यायालय ने अभियुक्त-अपीलार्थी (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में "अभियुक्त" कहा गया है) को भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 376 के अधीन दंडनीय अपराध का दोषी अभिनिर्धारित करते हुए 7 वर्ष के कठोर कारावास और 50,000/- रुपए के जुर्माने से जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर 3 मास के अतिरिक्त कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया ।

2. अभिलेख के अनुसार अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि तारीख 12 सितंबर, 2013 को जिला चंबा, हिमाचल प्रदेश में प्रचलित रीति-रिवाज के अनुसार अभियुक्त की सगाई आहत कन्या के साथ कर दी गई । इस क्षेत्र में अपनाए जाने वाले रीति-रिवाज के अनुसार लड़का

और लड़की सगाई के पश्चात् शारीरिक संबंध स्थापित कर सकते हैं । सगाई के पश्चात् अभियुक्त और अभियोक्त्री ने अभिकथित रूप से दिसंबर, 2013 तक प्रचलित रीति-रिवाज के अनुसार कई बार संभोग किया । अभिकथित उपरोक्त घटना के पश्चात् अभियुक्त मार्च, 2014 तक अभियोक्त्री के संपर्क में रहा, किंतु इसके पश्चात् अपना मोबाइल फोन प्रयोग करना बंद कर दिया । अभियुक्त और अभियोक्त्री का विवाह दिसंबर, 2014 के लिए नियत कर दिया गया किंतु चूंकि अभियुक्त वापस नहीं आया, इसलिए अभियुक्त और अभियोक्त्री के बीच विवाह संपन्न नहीं हो सका और इसके पश्चात् अभियोक्त्री के पिता ने उपखंड मजिस्ट्रेट, पंगी (जिला चंबा) के समक्ष लिखित शिकायत प्रस्तुत की । उपरोक्त कार्यवाही के दौरान अभियुक्त के पिता ने उपखंड मजिस्ट्रेट, पंगी के समक्ष यह कथन दिया कि अभियुक्त चंडीगढ़ में पढ़ाई कर रहा है और वह विवाह करने के लिए वापस आ जाएगा किंतु यह तथ्य सामने आया कि अभियुक्त वापस नहीं आया और तद्नुसार इस मामले की रिपोर्ट अभियोक्त्री द्वारा पुलिस को दी गई । पुलिस उप-निरीक्षक कमलेश कुमार अन्य पुलिसकर्मियों के साथ बस अड्डा किलार, पंगी के निकट गश्त कर रहे थे और उसी दौरान उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 154 के अधीन अभियोक्त्री का कथन अभिलिखित किया और इसके पश्चात् वह कथन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस थाना, पंगी भेज दिया । मामला उपरोक्त रूप में दर्ज कराने के पश्चात् अभियोक्त्री की चिकित्सा परीक्षा क्षेत्रीय अस्पताल चंबा में डा. मीनाक्षी (अभि. सा. 12) द्वारा की गई जिन्होंने अपनी चिकित्सा-विधिक रिपोर्ट (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 12/ए) में यह उल्लेख किया कि अभियोक्त्री के शरीर पर कोई भी बाह्य या आंतरिक क्षति नहीं पाई गई है किंतु उसके साथ संभोग किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता । आहत कन्या अर्थात् अभियोक्त्री का कथन विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी), चंबा के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन अभिलिखित किया गया । अन्वेषण अधिकारी ने पंगी क्षेत्र में प्रचलित रीति-रिवाज की पुष्टि के संबंध में ग्राम पंचायत, करयास के पूर्व प्रधान से प्रमाणपत्र (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 4/ए) भी प्राप्त किया ।

3. अन्वेषण पूरा होने के पश्चात् विद्वान् सेशन न्यायाधीश, चंबा के समक्ष चालान फाइल किया गया जिन्होंने अपना यह समाधान होने पर कि अभियुक्त के विरुद्ध प्रथमदृष्ट्या मामला बनता है, अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 376 के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने के लिए आरोपित किया जिस पर अभियुक्त ने दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण की मांग की । अभियोजन पक्ष ने अपना पक्षकथन साबित करने के लिए कुल मिलाकर 13 साक्षियों की परीक्षा कराई और अभियुक्त ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभिलिखित अपने कथन में अभियोजन पक्ष की सभी बातों से इनकार किया और अपने निर्दोष होने का दावा किया । तथापि, विद्वान् निचले न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 376 के अधीन अपराध कारित करने का दोषी अभिनिर्धारित किया और तद्नुसार ऊपर दिए गए विवरण के अनुसार अभियुक्त को दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया । उपरोक्त पृष्ठभूमि में अभियुक्त ने इस न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की है ।

4. पक्षकारों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेलों की सुनवाई करने और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन करने के पश्चात् इस न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि अभियोजन पक्षकथन संक्षेप में इस प्रकार है कि अभियुक्त ने अभियोक्त्री के साथ विवाह का बहाना करके निरंतर संभोग किया है । अभियोजन पक्ष के महत्वपूर्ण साक्षियों के कथनों पर संचयी रूप से विचार करने के पश्चात् यह स्पष्ट होता है कि तारीख 12 सितंबर, 2013 को अभियुक्त और अभियोक्त्री की सगाई अभियोक्त्री के निवास-स्थान अर्थात् तहसील पंगी, जिला चंबा में क्षेत्रीय रीति-रिवाज के अनुसार हुई थी । अभियोक्त्री सहित सभी साक्षियों ने यह कथन किया है कि स्थानीय रीति-रिवाज के अनुसार लड़का अपनी होने वाली पत्नी के साथ उसके घर में रह सकता है और विवाह पूर्व उसके साथ संभोग भी कर सकता है ।

5. अभियोक्त्री (अभि. सा. 1) द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 13/ए) दर्ज कराई गई है और इस साक्षी ने न्यायालय में यह

अभिसाक्ष्य दिया है कि अभियुक्त के साथ उसकी सगाई तहसील पंगी में प्रचलित रीति-रिवाज के अनुसार तारीख 12 सितंबर, 2013 को हुई थी जिसके पश्चात् अभियुक्त अभियोक्त्री के घर में रहने लगा । अभियोक्त्री ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि अभियुक्त ने उसके साथ दिसंबर, 2013 तक शारीरिक संबंध बनाए रखे और इसके पश्चात् अभियुक्त ने उससे कहा कि उसे कुल्लू जाना है । अभियोक्त्री ने यह भी साक्ष्य दिया है कि वह अभियुक्त के साथ मार्च, 2014 तक फोन के माध्यम से संपर्क में रही किंतु इसके पश्चात् अभियुक्त ने उससे बात करना बंद कर दिया । अभियोक्त्री ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि अभियुक्त के साथ उसका विवाह दिसंबर, 2014 में किए जाने के लिए तय हुआ था किंतु अभियुक्त दिसंबर, 2014 में घर वापस ही नहीं आया । इसके पश्चात् अभियोक्त्री के पिता ने उपखंड मजिस्ट्रेट, पंगी के समक्ष मामले की रिपोर्ट की जिस पर अभियुक्त के पिता ने यह कथन किया कि उसका पुत्र चंडीगढ़ में पढ़ता है और विवाह करने के लिए वापस आएगा किंतु एक महीने तक अभियुक्त वापस नहीं आया तब उन्होंने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई । अभियोक्त्री ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह कथन किया है कि उसने प्लस-2 तक पढाई की है और यह स्वीकार किया है कि वह अच्छे-बुरे को समझती है । अभियोक्त्री ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह कथन किया है कि उस क्षेत्र के रीति-रिवाज के संबंध में जानकारी उसकी बहिन ने दी थी । अभियोक्त्री ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह भी कथन किया है कि उसने शारीरिक संबंध तारीख 17 सितंबर, 2013 को स्थापित किए थे और अभियुक्त ने सितंबर, 2013 से दिसंबर, 2013 तक निरंतर उसके घर में वास नहीं किया है किंतु अभियुक्त एक महीने में 2 या 3 बार उसके घर आया करता था । अभियोक्त्री ने यह भी कथन किया है कि अभियुक्त अंतिम बार तारीख 27 दिसंबर, 2013 को आया था । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि उसके पिता ने उपखंड मजिस्ट्रेट किलार, पंगी के समक्ष अभियुक्त और उसके पिता के विरुद्ध आवेदन फाइल किया था । इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसके पिता ने उस आवेदन में यह लिखा था

कि अभियुक्त ने विवाह अनुष्ठापित किया है और उसकी पुत्री का जीवन बर्बाद कर दिया है । अभियोक्त्री ने यह स्वीकार किया है कि उसके पिता ने उपखंड मजिस्ट्रेट किलार, पंगी के समक्ष प्रस्तुत किए गए आवेदन (प्रदर्श डी-3) में उसके अभियुक्त के साथ शारीरिक संबंध के बारे में उल्लेख नहीं किया था । इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि सभी साक्षी उसी के ग्राम के रहने वाले और उसके नातेदार हैं । इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसके घर से पुलिस थाने की दूरी 2 किलोमीटर है यदि उसके पिता (अभि. सा. 2) और उसकी माता (अभि. सा. 9) के साक्ष्य पर संचयी रूप से विचार किया जाए तो यह पता चलता है कि अभियोक्त्री के साथ अभियुक्त की सगाई हो जाने के पश्चात् अभियुक्त कई अवसरों पर उसके घर आया था और उसने अभियोक्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाए ।

6. अभियोक्त्री के पिता (अभि. सा. 2) ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह स्वीकार किया है कि उसकी पुत्री ने अपनी सम्मति से अभियुक्त के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे । अभि. सा. 2 ने यह भी स्वीकार किया है कि उसका कथन (प्रदर्श डी-4) उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित किया गया था । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह भी स्वीकार किया है कि सगाई के पश्चात् अभियुक्त के लिए अभियोक्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाना अनिवार्य था और यह कहना गलत है कि उसकी पुत्री ने अभियुक्त के साथ विवाह करने से मना कर दिया था ।

7. अभियोक्त्री की माता (अभि. सा. 9) ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह स्वीकार किया है कि किसी भी व्यक्ति ने उसकी पुत्री को रीति-रिवाज के बारे में नहीं बताया था बल्कि उसकी पुत्री पहले से अवगत थी । इस साक्षी ने इस बात से इनकार किया है कि उन्होंने अभियुक्त के परिवार से "इज्जत" (नुकसानी) के रूप में 5 लाख रुपए की मांग की थी । इस साक्षी ने उसके सम्मुख रखे गए इस सुझाव से भी इनकार किया है कि उसके क्षेत्र में ऐसी कोई प्रथा नहीं है कि लड़का और लड़की विवाह पूर्व शारीरिक संबंध बनाए और उसकी पुत्री ने अक्तूबर,

2014 में स्वयं विवाह करने से इनकार कर दिया था । यदि अभियोजन पक्ष के महत्वपूर्ण उपरोक्त साक्षियों के कथनों का पूर्ण रूप से पठन किया जाए तो यह पता चलता है कि क्षेत्रीय रीति-रिवाज के अनुसार लड़का और लड़की विवाह पूर्व लैंगिक संबंध स्थापित कर सकते हैं किंतु इस तथ्य को साबित करने के लिए कोई भी सकारात्मक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है कि उस क्षेत्र में ऐसी किसी प्रथा का चलन है ।

8. महिला मंडल, झलवास की सचिव शिवो देवी (अभि. सा. 3) ने यह कथन किया है कि सगाई के पश्चात् अभियुक्त-अभियोक्त्री के घर मिलने आया करता था । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि अभियुक्त ने अभियोक्त्री के साथ विवाह अनुष्ठापित नहीं किया है और इस साक्षी को यह मालूम नहीं है कि अभियुक्त और अभियोक्त्री का विवाह कब तय हुआ था क्योंकि उसका मकान अभियोक्त्री के मकान से दूर है । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह कथन किया है कि उसने अभियुक्त को अभियोक्त्री के घर आते हुए दो बार देखा था । यद्यपि इस साक्षी ने उसके समक्ष रखे गए इस सुझाव से इनकार किया है कि उसे यह मालूम नहीं है कि अभियुक्त ने अपनी सगाई के पश्चात् अभियोक्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे या नहीं, किंतु इस साक्षी द्वारा दिए गए कथन का सावधानीपूर्वक परिशीलन करने पर यह पता चलता है कि उसके कथन में कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं है जिससे यह पता चलता हो कि विवाह के पूर्व लड़का और लड़की रीति-रिवाज के अनुसार शारीरिक संबंध रख सकते हैं ।

9. ग्राम पंचायत, करयास की पूर्व प्रधान जुगनी चोपड़ा (अभि. सा. 4) ने यह कथन किया है कि अभियुक्त ने अभियोक्त्री के साथ विवाह अनुष्ठापित नहीं किया है और यह कथन किया है कि उसने पुलिस के समक्ष इस संबंध में एक प्रमाणपत्र (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 4/ए) प्रस्तुत किया जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं । इस महिला साक्षी ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि स्थानीय रीति-रिवाज के अनुसार लड़का और लड़की अपनी सगाई के पश्चात् आपस में शारीरिक संबंध बना सकते हैं । इस साक्षी ने यह

अभिसाक्ष्य दिया है कि उस क्षेत्र में यह प्रथा है कि सगाई के पश्चात् यदि कोई लड़का विवाह करने से इनकार करता है तब लड़की की बहुत बदनामी होती है और ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति उस लड़की से विवाह नहीं करेगा । आश्चर्य की बात है कि इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह कथन किया है कि वह पूर्णतया अशिक्षित है और उसे नहीं मालूम कि प्रमाणपत्र (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 4/ए) किसने लिखा है । इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि पुलिस ने केवल उसके हस्ताक्षर और उसकी मुहर प्राप्त की थी । इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वह पढ़कर नहीं बता सकती कि प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 4/ए में क्या लिखा है । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह स्वीकार किया है कि उसने उस क्षेत्र के रीति-रिवाज के बारे में सुना है और ग्राम पंचायत की सचिव ने प्रमाणपत्र पर उसके हस्ताक्षर प्राप्त किए थे । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि उस के पति ने सगाई के पश्चात् उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए थे । इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि यह ठीक है कि सगाई के पश्चात् शारीरिक संबंध बनाना अनिवार्य नहीं है और विवाह के पूर्व ऐसे संबंध के स्थापित करना लड़का और लड़की की इच्छा पर निर्भर है ।

10. पानराज (अभि. सा. 5) अभियुक्त का चचेरा भाई है जिसने यह कथन किया है कि अभियोक्त्री और अभियुक्त की सगाई अक्तूबर, 2014 में हुई थी और ऐसा ही कथन अभि. सा. 2 और अभि. सा. 9 द्वारा दिया गया है कि अभियुक्त सगाई के पश्चात् अभियोक्त्री के घर मिलने आया करता था और उनके बीच विवाह तय कर दिया गया था । इस साक्षी के कथन में महत्वपूर्ण उल्लेख यह है कि जब अभियुक्त और अभियोक्त्री का विवाह अनुष्ठापित नहीं हो सका तब लड़की के परिवार वालों ने पांच लाख रुपए की मांग की जिसका संदाय नहीं किया गया । यहां यह उल्लेखनीय है कि इस साक्षी को अभियोक्त्री और अभियुक्त के बीच समझौता कराने का प्रस्ताव दिया गया था । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि उस क्षेत्र में सगाई के पश्चात् एक-दूसरे से मुलाकात

करने की प्रथा है किंतु यह अनिवार्य नहीं है कि लड़का-लड़की एक-दूसरे के साथ लैंगिक संबंध स्थापित करें । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि यदि अभियुक्त द्वारा शारीरिक संबंध बनाए गए हैं, तब यह संभव है कि अभियुक्त ने अभियोक्त्री का जीवन बर्बाद किया है । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह स्वीकार किया है कि दोनों पक्षकारों की सम्मति से सगाई का कार्यक्रम अनुष्ठापित किया गया था किंतु उसे यह मालूम नहीं है कि अभियुक्त ने ग्राम कूफा में अक्तूबर, 2014 में विवाह अनुष्ठापित किया था या नहीं । इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि आहत के पिता ने अपनी पुत्री के साथ विवाह करने से इनकार करने से संबंधित अभियुक्त के विरुद्ध उपखंड मजिस्ट्रेट, पंगी और ग्राम किलार के प्रधान के समक्ष आवेदन फाइल किया था । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि अभियुक्त का परिवार अभियोक्त्री के परिवार द्वारा मांगे गए 5 लाख रुपए का संदाय करने योग्य नहीं था और इसके पश्चात् यह मामला पुलिस में दर्ज कराया गया । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि स्वयं अभियोक्त्री ने अभियुक्त से विवाह करने से इनकार किया था ।

11. भूतपूर्व बी.डी.सी. सदस्य गजिन्दर सिंह (अभि. सा. 8) ने यह कथन किया है कि वे अभियोक्त्री और अभियुक्त के सगाई समारोह में सम्मिलित हुए थे । इस साक्षी ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि सगाई के पश्चात् विवाह की तारीख नियत की गई किंतु उसे वह तारीख याद नहीं है । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि सगाई के पश्चात् अभियुक्त आहत के घर 6-7 बार गया था और उस इलाके के रीति-रिवाज के अनुसार लड़का और लड़की घर पर आ सकते हैं और लैंगिक संबंध बना सकते हैं । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त त्यौहार के अवसर पर अभियोक्त्री के घर आया करता था और इस साक्षी ने इन रीति-रिवाजों का अध्ययन नहीं किया है । अभियुक्त और अभियोक्त्री के बीच बने लैंगिक संबंधों को लेकर इस साक्षी ने यह कथन किया है कि ऐसे संबंध स्थापित करना वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं । इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि

यदि दोनों पक्ष सहमत हैं, तभी शारीरिक संबंध स्थापित किए जा सकते हैं ।

12. उपरोक्त सभी अभियोजन साक्षियों के कथन न्यायनिर्णयन के लिए महत्वपूर्ण और सुसंगत हैं और इन कथनों से यह साबित नहीं होता है कि अभियोजन पक्ष ने सफलतापूर्वक यह सिद्ध किया है कि पंगी क्षेत्र में ऐसी प्रथा का प्रचलन था कि लड़का और लड़की अपनी सगाई के पश्चात् शारीरिक संबंध बना सकते हैं । यद्यपि अभि. सा. 2 और अभि. सा. 9 ने अभियोक्त्री (अभि. सा. 1) के वृत्तांत की संपुष्टि की है किंतु चूंकि ये साक्षी अभियोक्त्री के माता-पिता हैं इसलिए उनके साक्ष्य का परिशीलन कड़ी सावधानी से किया जाना चाहिए क्योंकि उनका साक्ष्य पक्षपात और हितबद्धता से आच्छादित हो सकता है । अभियोजन साक्षियों में अभि. सा. 3 से अभि. सा. 5 ऐसे महत्वपूर्ण साक्षी हैं जिन्होंने उस क्षेत्र में प्रचलित रीति-रिवाज के संबंध में बात की है जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है किंतु इन साक्षियों ने विशेष रूप से यह कथन नहीं किया है कि इस अवधि के दौरान अभियुक्त ने क्षेत्र में प्रचलित प्रथा का दुरुपयोग करते हुए अभियोक्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं, इन साक्षियों ने मात्र यह कथन किया है कि सगाई के पश्चात् उन्होंने अभियुक्त को अभियोक्त्री के घर मिलने आते हुए देखा था । अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 को अभियोजन पक्ष द्वारा विशेष रूप से इस संबंध में साक्षी बनाया गया है कि वे उपरोक्त प्रथा को साबित कर सकें, किंतु इन साक्षियों ने उस इलाके में प्रचलित रीति-रिवाज को लेकर कोई विशेष बात नहीं कही है । अभि. सा. 3 ने यह तो कहा है कि उसने अभियुक्त को आहत के घर आते-जाते देखा था किंतु इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसे यह मालूम नहीं है कि सगाई के पश्चात् अभियुक्त और अभियोक्त्री के बीच शारीरिक संबंध स्थापित हुए थे या नहीं । इस साक्षी ने कहीं भी यह कथन नहीं किया है कि उस क्षेत्र में ऐसी कोई प्रथा है कि सगाई के पश्चात् लड़का और लड़की एक-दूसरे के साथ लैंगिक संबंध बनाएं । आश्चर्य की बात है कि ग्राम पंचायत करयास की पूर्व प्रधान (अभि. सा. 4) ने यह कथन किया है कि उसे यह मालूम नहीं है कि प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 4/ए किसने लिखी है, इस साक्षी ने यह

स्वीकार करते हुए कि वह पूर्णतया अशिक्षित है, यह कथन किया है कि पुलिस ने उसके हस्ताक्षर और मुहर प्राप्त किए थे । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 4/ए में क्या लिखा हुआ है, वह न पढ़ सकती है और न ही लिख सकती है और यह कि ग्राम पंचायत के सचिव ने उसके हस्ताक्षर इस प्रमाणपत्र पर प्राप्त किए थे । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि उसके पति ने सगाई के पश्चात् उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए थे और सगाई के पश्चात् तथा विवाह के पूर्व शारीरिक संबंध स्थापित करना अनिवार्य नहीं है, यह तो केवल लड़का और लड़की की इच्छा पर निर्भर है । स्वतंत्र साक्षी अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 के वृत्तांत के कथनों की तुलना अभि. सा. 1, अभि. सा. 2 और अभि. सा. 9 के साथ करने पर अभियोक्त्री के माता-पिता अर्थात् अभि. सा. 2 और अभि. सा. 9 का साक्ष्य पूर्णतया अविश्वसनीय हो जाता है कि पंगी क्षेत्र में प्रचलित प्रथा के अनुसार सगाई के पश्चात् लड़का और लड़की के बीच शारीरिक संबंध का बनना अनिवार्य है जबकि यह सब लड़का और लड़की की इच्छा पर निर्भर है ।

13. इसी प्रकार, अभि. सा. 5 और अभि. सा. 8 द्वारा दिए गए साक्ष्य से किसी भी प्रकार यह साबित नहीं होता है कि विवाह के पूर्व लैंगिक संबंध बनाए जा सकते हैं । यद्यपि अभि. सा. 5 ने विशेष रूप से इस तथ्य की जानकारी से इनकार किया है कि अभियोक्त्री और अभियुक्त के बीच सगाई के पश्चात् लैंगिक संबंध स्थापित हुए थे किंतु इस साक्षी ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि अभियोक्त्री के साथ विवाह करने से अभियुक्त द्वारा इनकार किए जाने के पश्चात् अभियोक्त्री के पिता ने 5 लाख रुपए की मांग रखी । इस साक्षी ने यह भी इनकार किया है कि उस क्षेत्र में प्रचलित प्रथा के अनुसार सगाई के पश्चात् लड़का-लड़की लैंगिक संबंध स्थापित कर सकते हैं । यद्यपि अभि. सा. 8 ने यह कथन किया है कि अभियुक्त त्यौहार के अवसर पर आहत के घर आया करता था किंतु इस साक्षी ने अपने अभिसाक्ष्य में स्पष्ट रूप से कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया है कि सगाई के पश्चात् अभियुक्त ने अभियोक्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे । इस साक्षी

ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह स्वीकार किया है कि उसने इस प्रथा का कोई अध्ययन नहीं किया है और उसने अपने विवाह के पूर्व अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे किंतु इस प्रकार संबंध बनाना वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं ।

14. इसके अतिरिक्त, पंगी क्षेत्र में ऐसी प्रथा चल रही थी कि सगाई के पश्चात् और विवाह के पूर्व लड़का और लड़की आपस में शारीरिक संबंध स्थापित कर सकते हैं, यह साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर है विशेषकर ऐसी स्थिति में जब अभियोजन पक्ष का यह कहना हो कि अभियुक्त सगाई के पश्चात् अभियोक्त्री के घर केवल रहता ही नहीं था अपितु उसने उसके साथ शारीरिक संबंध भी स्थापित किए थे । वर्तमान मामले में इस प्रथा को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने अभियोक्त्री और उसके माता-पिता के अतिरिक्त स्वतंत्र साक्षियों अर्थात् अभि. सा. 3, अभि. सा. 4, अभि. सा. 5 और अभि. सा. 8 की भी परीक्षा की है किंतु जैसे कि ऊपर चर्चा की गई है किसी भी साक्षी ने उस क्षेत्र में प्रचलित रीति-रिवाज को लेकर कोई भी विशेष कथन नहीं किया है, बल्कि उन्होंने केवल यह उल्लेख किया है कि क्षेत्र में प्रभावी प्रथा के अनुसार अभियुक्त ने सगाई के पश्चात् अभियोक्त्री के घर आना आरंभ कर दिया था और इस अवधि के दौरान उनके बीच शारीरिक संबंध स्थापित हो गए । तथापि, इस न्यायालय का यह मत है कि अभियोजन पक्ष को इस प्रथा को साबित करने के लिए तर्कपूर्ण और तर्कसम्मत साक्ष्य के रूप में कोई दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहिए था क्योंकि वर्तमान मामले में जिस प्रथा के प्रचलित होने का अभिवाक् किया गया है वह पूर्णतया अनसुनी है । हिमाचल प्रदेश राज्य के अनेक आदिवासी क्षेत्रों में पाए जाने वाले रीति-रिवाज वाजिब-उल-अर्ज या राजपत्र में अभिलिखित हैं किंतु वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया है जिसके आधार पर इन रीति-रिवाजों को साबित किया जा सके, जैसाकि, उपरोक्त दस्तावेजों का, यदि कोई हों, अवलंब लिए जाने का अभिवाक् किया गया है ।

15. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का सावधानीपूर्वक परिशीलन करने पर इस न्यायालय को इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई संकोच नहीं

है । निचले न्यायालय ने यह गलत मत व्यक्त किया है कि सगाई के पश्चात् अभियुक्त ने विवाह के बहाने से उस क्षेत्र में प्रचलित रीति-रिवाज का फायदा लेकर अभियोक्त्री के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए हैं । अभियोक्त्री के कथन के अतिरिक्त किसी भी अभियोजन साक्षी ने यह कथन नहीं किया है कि सगाई के पश्चात् अभियुक्त ने विवाह के बहाने से अभियोक्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे बल्कि अभि. सा. 1, अभि. सा. 2 और अभि. सा. 9 के सिवाय सभी महत्वपूर्ण साक्षियों ने यह कथन किया है कि उन्होंने अभियुक्त को सगाई के पश्चात् अभियोक्त्री के घर आते-जाते देखा था । जैसाकि पहले ही विचार किया गया है, अभियोक्त्री के माता-पिता अर्थात् अभि. सा. 2 और अभि. सा. 9 के साक्ष्य की सूक्ष्मता से संवीक्षा की जानी चाहिए जिस पर निचले न्यायालय द्वारा बिना-सोचे समझे और अन्य किसी अभियोजन साक्षी के साक्ष्य से संपुष्टि किए बिना विश्वास नहीं किया जाना चाहिए था । निस्संदेह हितबद्ध साक्षियों के साक्ष्य को मात्र इस आधार पर त्यक्त नहीं किया जा सकता कि वे नातेदार हैं किंतु ऐसे साक्षियों के साक्ष्य का मूल्यांकन सूक्ष्मता के साथ किया जाना चाहिए । वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्षकथन के अनुसार पानराज (अभि. सा. 5) ने अभियोक्त्री और अभियुक्त के बीच विवाह तय करने में सहायक के रूप में कार्य किया है, इस साक्षी के कथन में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया है कि अभियुक्त द्वारा अभियोक्त्री के साथ विवाह करने से इनकार करने पर अभियोक्त्री के पिता ने 5 लाख रुपए की मांग रखी । चूंकि अभियुक्त के माता-पिता ने इतनी बड़ी राशि का संदाय करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की, इसलिए अभियुक्त के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई गई । यद्यपि अन्य साक्षियों ने धन का संदाय किए जाने के संबंध में दिए गए सुझावों से इनकार किया है किंतु इस साक्षी का साक्ष्य पूर्णतया अविचल रहा है । इस साक्षी का साक्ष्य इस आधार पर और प्रबलित हो जाता है कि अभिलेख पर सम्यक् रूप से यह सिद्ध किया गया है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराए जाने के पूर्व अभियोक्त्री के पिता ने उपखंड मजिस्ट्रेट, पंगी के समक्ष शिकायत (प्रदर्श डी-3) प्रस्तुत की थी जिसमें अभियोक्त्री के पिता ने कहीं भी यह कथन नहीं किया है कि अभियुक्त ने उस क्षेत्र में प्रचलित रीति-रिवाज का लाभ लेते हुए विवाह

करने के बहाने से उसकी पुत्री के साथ लैंगिक संबंध स्थापित किए हैं । प्रदर्श डी-3 का सावधानीपूर्वक परिशीलन करने पर यह उपदर्शित होता है कि अभियोक्त्री के पिता ने मात्र यह शिकायत की थी कि चूंकि अभियुक्त ने उसकी पुत्री के साथ विवाह करने से इनकार कर दिया है, इसलिए उसकी पुत्री का जीवन बर्बाद हो गया है ।

16. यद्‌यपि वर्तमान मामले में निचले न्यायालय ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्‌वारा दिए गए अनेक निर्णयों का अवलंब लेते हुए यह अभिनिर्धारित किया है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में हुआ विलंब अभियोजन पक्ष के लिए घातक नहीं है किंतु अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का सावधानीपूर्वक परिशीलन करने पर यह न्यायालय अभियुक्त के विद्‌वान् काउंसेल की इस दलील से सहमत है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने में हुए विलंब से संबंधित शिकायतकर्ता की ओर से अभिलेख पर कोई भी तर्कसम्मत स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है । निस्संदेह, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने में जो विलंब हुआ है उसे स्पष्ट किया जा सकता है और यदि अभिलेख पर दिया गया स्पष्टीकरण तर्कसम्मत है, तब ऐसे विलंब को माफ किया जा सकता है । वर्तमान मामले में अभियोजन पक्षकथन के अनुसार अभियुक्त ने तारीख 27 दिसंबर, 2013 के बाद से अभियोक्त्री से बात करना बंद कर दिया था किंतु अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है जिससे यह पता चलता हो कि उपरोक्त तारीख के पश्चात् शिकायतकर्ता या अभियोक्त्री द्‌वारा कभी कोई शिकायत दर्ज कराई गई थी । यदि यह मान लिया जाए कि दिसंबर, 2014 तक अभियोक्त्री यह समझती थी कि अभियुक्त उससे विवाह करेगा, तब यह समझ में नहीं आता है कि दिसंबर, 2014 में अभियुक्त द्‌वारा अभियोक्त्री से विवाह करने से इनकार किए जाने के तत्काल पश्चात् किस कारणवश अभियोक्त्री और उसके माता-पिता ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई । वर्तमान मामले में, अभियुक्त के पिता ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने के बजाय उपखंड मजिस्ट्रेट पंगी के समक्ष शिकायत (प्रदर्श डी-3) फाइल करना उचित समझा जिसमें अभियुक्त के पिता ने सगाई के पश्चात् अभियुक्त और अभियोक्त्री के बीच विकसित शारीरिक संबंधों का उल्लेख नहीं किया और अंत में अभियुक्त के पिता ने वह शिकायत बिना किसी कारण वापस ले ली ।

17. यदि अभियोक्त्री के पिता के उपरोक्त आचरण को देखा जाए और उस पर विचार किया जाए, तब अभि. सा. 5 द्वारा दिया गया साक्ष्य इस संबंध में प्रबलित हो जाता है कि अभियोक्त्री के साथ विवाह करने से अभियुक्त द्वारा इनकार किए जाने के पश्चात् अभियोक्त्री के पिता ने 5 लाख रुपए की मांग की थी किंतु चूंकि अभियुक्त का परिवार इस राशि का संदाय नहीं कर सका, इसलिए अभियोक्त्री के पिता ने उपखंड मजिस्ट्रेट के यहां से अपनी शिकायत वापस ले ली और इसके 2 मास पश्चात् अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट फाइल की गई । यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में हुए विलंब से अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य की सत्यता गंभीर रूप से संदिग्ध हो जाती है और साक्ष्य इतना शिथिल हो जाता है कि उसके आधार पर दोषसिद्धि नहीं की जा सकती । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में विलंब होने पर प्राय: चुन-चुनकर बातें लिखी जाती हैं जो निश्चित रूप से बाद में आए विचार का परिणाम होती हैं । वर्तमान मामले में, अभियुक्त के पिता के आचरण, जो प्रदर्श डी-3 से स्पष्ट है, का सावधानीपूर्वक परिशीलन करने के पश्चात् न्यायालय इस बात से सहमत है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट जो वर्तमान अपील की अन्तर्वस्तु है, बाद में आया विचार है और यह रिपोर्ट लंबे विलंब के पश्चात् दर्ज कराई गई है । इस पर कोई विवाद नहीं है कि अभिकथित घटना के समय अभियोक्त्री की आयु 26 वर्ष थी अत: यह नहीं कहा जा सकता है कि वह अभियुक्त, जिसने सगाई के पश्चात् अभियुक्त के घर पर आना-जाना आरंभ कर दिया था, की संगति में रहने के परिणाम को समझने में असमर्थ थी । अभियोक्त्री ने यह स्वीकार किया है कि पुलिस थाना उसके घर से दो किलोमीटर की दूरी पर है ।

18. अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत चिकित्सीय साक्ष्य अर्थात् प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 12/ए से भी अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं होता है । डा. मीनाक्षी (अभि. सा. 12) ने चिकित्सा विधिक प्रमाणपत्र (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 12/ए) को साबित करते हुए स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि अभियोक्त्री के शरीर पर कोई भी बाह्य या आंतरिक क्षति नहीं पाई गई है । इस साक्षी ने स्पष्ट रूप से यह राय

व्यक्त की है कि आंतरिक जांच के दौरान अभियोक्त्री के शरीर में कोई भी खरोंच या क्षति नहीं पाई गई है किंतु लघु भगौष्ठ को पृथक् करने पर योनिच्छद विदीर्ण पाई गई है । चिकित्सक की अंतिम राय यह है कि ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है जिससे यह पता चलता हो कि अभियोक्त्री के साथ संभोग नहीं किया गया है । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह भी स्वीकार किया है कि सवारी करने, साइकिल चलाने जैसे व्यायाम और हस्त-मैथुन जैसी क्रिया के परिणामस्वरूप भी योनिच्छद विदीर्ण हो जाती है । यद्यपि, अभिलेख पर प्रस्तुत उपरोक्त चिकित्सीय साक्ष्य से कहीं भी यह स्पष्ट नहीं होता है कि अभियुक्त द्वारा अभियोक्त्री के साथ बलपूर्वक संभोग किया गया है किंतु अन्यथा भी अभियोजन पक्षकथन के लिए यह तथ्य सहायक नहीं हो सकता है विशेषकर ऐसी स्थिति में जब अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 376 के अधीन अभिकथित अपराध से संबद्ध करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य न हो ।

19. अभियोजन पक्ष के महत्वपूर्ण साक्षियों के कथनों पर विचार करने के पश्चात्, जैसाकि विशेषकर अभियोक्त्री के संबंध में ऊपर चर्चा की गई है, यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियुक्त के साथ संभोग करने के लिए अभियोक्त्री द्वारा सम्मति नहीं दी गई थी, बल्कि विचार के लिए यह प्रश्न सामने आता है कि क्या अभियोक्त्री ने यह सम्मति स्वतंत्र रूप से दी थी या विवाह के भरोसे के अधीन ।

20. वर्तमान मामले में निचले न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अपराधी के कृत्य और आचरण के आधार पर अभियोक्त्री द्वारा तथ्य के भ्रम के अधीन दी गई सम्मति स्वतंत्र सम्मति नहीं है । अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर निचले न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला है कि अभियोक्त्री ने इस तथ्य के भ्रम के अधीन अपना समर्पण किया है कि वह ऐसे व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बना रही है जो उसका भावी पति है जिसने उसे (अभियोक्त्री) अपना जीवनसाथी बनाने के लिए उसके साथ सगाई रचाई है । वर्तमान मामले में अभियुक्त का संबंध उसी आदिवासी समुदाय से

है जिसके बारे में अभियुक्त यह जानता था कि अभियोक्त्री उस तथ्य के भ्रम के अधीन अभियुक्त के साथ लैंगिक संबंध स्थापित कर रही है कि वह (अभियुक्त) उसका भावी जीवनसाथी है और इस प्रकार अभियोक्त्री द्वारा इस संबंध में दी गई सम्मति, दंड संहिता की धारा 375 के अधीन कोई सम्मति नहीं है, तथापि, यह न्यायालय, निर्णय के पूर्ववर्ती भाग में विस्तार से साक्ष्य की सावधानीपूर्वक संवीक्षा करने के पश्चात्, निचले न्यायालय द्वारा निकाले गए पूर्ववर्ती निष्कर्ष से सहमत नहीं है, विशेषकर ऐसी स्थिति में जब अभियोजन पक्ष ने सफलतापूर्वक उक्त इलाके में प्रचलित रीति-रिवाज, जैसाकि वर्तमान मामले में अभिवाक् किया गया है, को साबित न किया हो । अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए स्वतंत्र साक्षियों ने कहीं भी यह कथन नहीं किया है कि जिस प्रथा का अभिवाक् किया गया है वह उक्त इलाके में अनिवार्य है, बल्कि सभी अभियोजन साक्षियों ने किसी न किसी प्रकार यह स्वीकार किया है कि लड़का और लड़की एक-दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं या नहीं, उनकी इच्छा पर निर्भर करता है । सम्मति से संबंधित निचले न्यायालय द्वारा अभिलिखित उपरोक्त निष्कर्ष का मूल सारांश यह है कि अभियोक्त्री ने इस तथ्य के भ्रम में अभियुक्त के समक्ष समर्पण किया है कि वह उससे विवाह करेगा जिसका यह अर्थ हुआ कि अभियुक्त ने विवाह के बहाने से अभियोक्त्री के साथ निरंतर लैंगिक अपराध कारित किया है ।

21. हाल ही में माननीय उच्चतम न्यायालय ने **प्रमोद सूर्यभान** बनाम **महाराष्ट्र राज्य और एक अन्य**[1] वाले मामले में लगभग इसी प्रकार की स्थिति पर विचार किया है । दंड संहिता की धारा 375 के संबंध में किसी महिला द्वारा दी गई "सम्मति" पर विचार करते समय माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि प्रस्तावित कृत्य के लिए सम्मति देने वाली महिला द्वारा कोई सक्रिय और तर्कपूर्ण कार्य किया जाना चाहिए । विवाह के वचन से उद्भूत "तथ्य के भ्रम" द्वारा दूषित हो जाती है या नहीं, यह तय करने के लिए दो प्रतिपादनाएं

---

[1] ए. आई. आर. 2019 एस. सी. (क्रिमिनल) 1489.

सिद्ध की जानी चाहिएं ; पहली यह कि विवाह करने का मिथ्या वचन दुर्भावनापूर्ण और विवाह करने के किसी भी आशय के बिना दिया गया हो ; और दूसरी प्रतिपादना यह सिद्ध की जानी चाहिए कि मिथ्या वचन का सीधा संबंध इस बात से हो कि महिला लैंगिक कृत्य में सम्मिलित होने के लिए अपनी सम्मति दे दें । यद्‌यपि वर्तमान मामले में अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से किसी सीमा तक यह पता चलता है कि अभियुक्त द्‌वारा अभियोक्त्री को यह वचन दिया गया था कि वह उसके साथ विवाह करेगा किंतु स्वीकृत रूप से इस संबंध में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि दिया गया वचन मिथ्या था और यह कि दुर्भावनापूर्ण दिया गया था । इस तथ्य को भी साबित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि सगाई के पश्चात् पहले दिन से ही अभियुक्त का आशय अभियोक्त्री के साथ विवाह करने का नहीं था । सभी महत्वपूर्ण अभियोजन साक्षियों ने यह कथन किया है कि सगाई के पश्चात् अभियुक्त ने अभियोक्त्री के घर आना-जाना आरंभ कर दिया था किंतु किसी भी साक्षी ने यह कथन नहीं किया है कि अभियुक्त का आशय अभियोक्त्री के साथ विवाह करने का नहीं था । यद्‌यपि वर्तमान मामले में अभियोक्त्री और अभियुक्त के बीच हुई सगाई से संबंधित तथ्य पानराज (अभि. सा. 5) जो इस सगाई पर मध्यस्थ था, के कथन से साबित हो जाता है किंतु इस साक्षी के संपूर्ण अभिसाक्ष्य पर विचार करने पर तनिक भी यह नहीं पाया जाता है कि अभियुक्त ने संभोग करने के लिए स्वयं अभियोक्त्री के साथ सगाई रचाई थी । यह सत्य है कि अभियोक्त्री के साथ विवाह करने का वचन देते समय अभियुक्त के आशय को अभियोजन साक्षियों के कथनों के आधार पर आसानी से नहीं समझा जा सकता किंतु इसे मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर निश्चित रूप से इसका अर्थ लगाया जा सकता है । यद्‌यपि वर्तमान मामले में अभियोक्त्री ने यह साबित करने का प्रयास किया है कि अभियुक्त ने अभियोक्त्री के साथ सगाई करने के बावजूद अन्य किसी लड़की के साथ विवाह अनुष्ठापित किया है किंतु यह साक्ष्य इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं है कि अभियुक्त ने अभियोक्त्री के साथ विवाह करने का मिथ्या वचन दिया था और यह कि जब ऐसा वचन दिया गया था तब अभियुक्त के मन में विवाह करने का कोई आशय नहीं था क्योंकि अभियोजन पक्षकथन के

अनुसार अभियुक्त ने अक्तूबर, 2014 में किसी अन्य लड़की के साथ विवाह कर लिया था जबकि सितंबर, 2013 में अभियुक्त अभियोक्त्री के साथ पहले ही सगाई कर चुका था । उपरोक्त निर्णय के सुसंगत पैरा निम्न प्रकार है :-

> "15. येडला श्रीनिवास राव **बनाम** आंध्र प्रदेश राज्य (2006) 11 एस. सी. सी. 615 = ए. आई. आर. ऑनलाइन 2006 एस. सी. 40 वाले मामले में अभियुक्त ने शिकायतकर्ता के साथ बलपूर्वक लैंगिक संबंध स्थापित किए । जब शिकायतकर्ता महिला ने अभियुक्त से उसका जीवन बर्बाद करने के संबंध में शिकायत की तब अभियुक्त ने महिला को विवाह करने का वचन दिया । इस आधार पर अभियुक्त शिकायतकर्ता के साथ बार-बार संभोग करता रहा । जब शिकायतकर्ता गर्भवती हो गई, अभियुक्त ने उससे विवाह करने से इनकार कर दिया । जब यह मामला पंचायत की जानकारी में लाया गया, अभियुक्त ने यह स्वीकार किया कि उसने शिकायतकर्ता के साथ संभोग किया है किंतु इसके पश्चात् वह फरार हो गया । इस पृष्ठभूमि के आधार पर न्यायालय ने निम्न मत व्यक्त किया –
>
> > 10. ऐसा प्रतीत होता है कि अभि. सा. 1 के परिसाक्ष्य के अनुसार अभियुक्त का आशय आरंभ से ही सद्भावपूर्ण नहीं था और वह महिला को उसके गर्भवती होने तक यही वचन देता रहा कि वह उसके साथ विवाह करेगा । अभियुक्त द्वारा प्राप्त की गई इस प्रकार की सम्मति को सम्मति नहीं कहा जा सकता है क्योंकि महिला इस तथ्य के भ्रम के अधीन थी कि अभियुक्त उसके साथ विवाह करेगा, अतः उस महिला ने स्वयं को अभियुक्त के समक्ष संभोग के लिए समर्पित कर दिया । अभियुक्त द्वारा यह तथ्य भी स्वीकार किया गया है कि उसने अभियोक्त्री के साथ संभोग किया था और यह तथ्य अभि. सा. 1, अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 के परिसाक्ष्य से भी स्पष्ट है जो ग्राम के सम्मानित व्यक्तियों द्वारा गठित पंचायत के समक्ष भी रखा गया । यह अत्यंत स्पष्ट है कि

> अभियुक्त ने यह मिथ्या वचन दिया था कि वह अभियोक्त्री के साथ विवाह करेगा । अतः, अभियुक्त का आरंभ से ही दुर्भावनापूर्ण आशय रहा है और निर्दोष कन्या ने अभियुक्त की वासना पूरी करने के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया और इस प्रकार अभियुक्त ने अभियोक्त्री को पगभ्रमित करते हुए विवाह का वचन भंग कर दिया । अभियुक्त द्वारा अभियोक्त्री से प्राप्त की गई ऐसी सम्मति को, जिसे अभियुक्त ने विवाह का वचन पूरा न करने के आशय से प्राप्त की है और अभियोक्त्री को इस विश्वास में रखा है कि वह उसके साथ विवाह करेगा, सम्मति नहीं कहा जा सकता ...।

16. जब विवाह करने का मिथ्या वचन दिया जाता है और वचन देने के समय पर वचनकर्ता का आशय उसे पूरा करना नहीं होता है, बल्कि अभियोक्त्री को धोखा देकर शारीरिक संबंध बनाने के लिए सहमत करना होता है, तब ऐसी स्थिति में तथ्य के भ्रम के अधीन अभियोक्त्री की सम्मति दूषित हो जाती है । दूसरी ओर, वचन का भंग करने को मिथ्या वचन देना नहीं कहा जा सकता । मिथ्या वचन सिद्ध करने के लिए वचनकर्ता को वचन देते समय यह आशय नहीं करना चाहिए कि उसे वचन पूरा करना है । दंड संहिता की धारा 375 के अधीन किसी महिला की सम्मति ऐसे तथ्य के भ्रम के अधीन दूषित हो जाती है जिसके आधार पर अभियोक्त्री ने उक्त कृत्य में भाग लेने का विकल्प चुना था । दीपक गुलाटी वाले मामले में इस न्यायालय ने निम्न मत व्यक्त किया –

21. ... मात्र वचन भंग करने और मिथ्या वचन देने के बीच अंतर है । इस प्रकार न्यायालय को इस पर विचार करना चाहिए कि क्या किसी पूर्ववर्ती प्रक्रम पर अभियुक्त द्वारा विवाह करने का कोई मिथ्या वचन लिया गया था ; और यह कि क्या अभियोक्त्री द्वारा लैंगिक रूप से समर्पण करने के लिए इस कृत्य की प्रकृति और परिणाम को पूरी तरह समझ लिया गया था या नहीं । ऐसे भी मामले हो सकते हैं जिनमें अभियोक्त्री ने अभियुक्त से घनिष्ठ

प्रेम होने के परिणामस्वरूप लैंगिक संबंध बनाने की सहमति दी है न कि मात्र अभियुक्त द्‌वारा सृजित तथ्य के भ्रम के आधार पर और ऐसे भी मामले सामने आए हैं जिनमें अभियुक्त के समक्ष ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो उसके नियंत्रण से बाहर होती हैं और उनके परिणामस्वरूप वह पूरे प्रयास और आशय के बावजूद अभियोक्त्री से विवाह नहीं कर पाता है । ऐसे मामलों में भिन्न रूप से विचार किया जाना चाहिए ।

24. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यह साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य होना चाहिए कि सुसंगत समय पर अर्थात् आरंभ के प्रक्रम पर ही अभियोक्त्री के साथ विवाह करने का वचन पूरा करने का अभियुक्त का कोई भी आशय नहीं था । निस्संदेह ऐसी भी परिस्थितियां हो सकती हैं जब कोई व्यक्ति पूरे प्रयास के बावजूद अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण आहत से विवाह न कर सके । भविष्य में किसी अनिश्चित तारीख पर अपना वचन ऐसे कारणों से पूरा न कर पाना जो साक्ष्य की दृष्टि से ठीक प्रकार स्पष्ट नहीं है, सदैव तथ्य के भ्रम की कोटि में नहीं आएगा । किसी स्थिति को तथ्य के भ्रम के अधीन साबित करने के लिए तथ्य उस स्थिति के साथ सीधा सुसंगत होना चाहिए । दंड संहिता की धारा 90 इस स्थिति में सहायक नहीं हो सकती है कि उसके आधार पर लड़की के कृत्य को क्षमा कर दिया जाए और लड़के पर दायित्व अधिरोपित कर दिया जाए और लड़के (अभियुक्त) को तभी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जब यह साबित हो जाए कि आरंभ से अभियुक्त का आशय लड़की से विवाह करने का नहीं था ।

17. उदय **बनाम** कर्नाटक राज्य (2003) 4 एस. सी. सी. 46 = ए. आई. आर. 2003 एस. सी. 1639 = 2003 क्रिमिनल ला जर्नल 1539 (एस. सी.) वाले मामले में शिकायतकर्ता एक कालेज में पढ़ने वाली छात्रा थी और उस समय अभियुक्त ने उसके साथ विवाह करने का विश्वास दिलाया था । शिकायतकर्ता ने अपने कथन में यह स्वीकार किया है कि वह इस बात से अवगत थी कि

शिकायतकर्ता और अभियुक्त दोनों के ही परिवार द्वारा इस प्रस्तावित विवाह का घोर विरोध किया जाएगा । शिकायतकर्ता ने अभियुक्त के साथ शारीरिक संबंध बना लिए थे किंतु उन्होंने अपने इस संबंध को अभियोक्त्री के परिवार से गुप्त रखा । न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि इन परिस्थितियों में विवाह करने के लिए अभियुक्त का अभियोक्त्री को वचन देने का सीधा संबंध अभियोक्त्री द्वारा अभियुक्त के साथ शारीरिक संबंध बनाने से नहीं है और अभियोक्त्री ने ऐसा अन्य कारणों से किया ।

25. इस मामले में अभियोजन पक्ष के समक्ष अब भी एक अन्य परिस्थिति शेष रह जाती है । इस प्रकृति के मामले में दंड संहिता की धारा 90 लागू किए जाने के लिए दो शर्तों का पूरा होना आवश्यक है । पहली शर्त यह है कि यह साबित किया जाना चाहिए कि सम्मति तथ्य के भ्रम के अधीन दी गई है । दूसरी शर्त यह है कि यह साबित किया जाना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने सम्मति प्राप्त की थी उसे यह विश्वास था कि यह सम्मति तथ्य के भ्रम के अधीन दी गई है । हमें इस संबंध में घोर संदेह है कि विवाह का विश्वास दिलाने से अभियोक्त्री ने अपीलार्थी के साथ संभोग करने की सम्मति दी है । वह जानती थी, जैसाकि हमने पहले ही मत व्यक्त किया है कि अपीलार्थी के साथ अभियोक्त्री का विवाह अनुष्ठापित होना जाति को लेकर बहुत कठिन था । इस विवाह के प्रस्ताव का विरोध दोनों परिवारों द्वारा होना स्वाभाविक था । अतः इस बात की पूरी संभावना थी जिससे वह पूरी तरह अवगत थी कि अभियुक्त द्वारा पूर्ण रूप से विश्वास दिलाए जाने के बावजूद विवाह नहीं हो सकता । विचार के लिए अभी भी यह प्रश्न शेष रह जाता है कि यदि स्थिति ऐसी थी कि दोनों परिवारों की ओर से विरोध होता, फिर भी अपीलार्थी को इस बात की जानकारी थी और यह विश्वास था कि अभियोक्त्री ने संभोग करने की सम्मति केवल इस आशा से दी है कि समय के साथ-साथ एक दिन उनका विवाह हो ही जाएगा । इस तथ्य को साबित करने के लिए अभिलेख पर

मुश्किल से ही कोई साक्ष्य है । इसके प्रतिकूल मामले की परिस्थितियां इस निष्कर्ष की ओर इशारा करती हैं कि अपीलार्थी को यह विश्वास था कि अभियोक्त्री ने उसके साथ गहरे प्रेम-संबंध होने के कारण अपनी सम्मति दी है । यह विवादित नहीं है कि उनके बीच प्रेम-संबंध प्रगाढ़ था । वे प्राय: मिलते थे और इससे यह प्रतीत होता है कि अभियोक्त्री ने अभियुक्त को उसे जिस प्रकार की छूट दे रखी थी वैसी छूट केवल किसी ऐसे व्यक्ति को ही दी जा सकती थी जिसके साथ घनिष्ठ प्रेम हो । यह भी महत्वपूर्ण है कि अभियोक्त्री रात्रि में 12.00 बजे अपीलार्थी के साथ छिपकर किसी एकांत स्थान पर गई थी । ऐसे मामलों में आम तौर पर यही पाया जाता है कि जब दो व्यक्ति आपस में घनिष्ठ प्रेम करते हैं तब कई बार एक-दूसरे को यह वचन देते हैं कि वे विवाह करेंगे ।

18. उपरोक्त मामलों से उद्भूत विधिक स्थिति को संक्षिप्त करने के लिए दंड संहिता की धारा 375 के अधीन प्रस्तावित कृत्य के लिए किसी महिला की सम्मति में सक्रिय और सकारण इच्छा सम्मिलित होती है । यह सिद्ध करने के लिए कि क्या विवाह के वचन से उद्भूत तथ्य के भ्रम द्वारा सम्मति दूषित हुई है या नहीं, इसके लिए दो प्रतिपादनाओं का साबित किया जाना आवश्यक है पहली यह कि विवाह करने के लिए मिथ्या वचन दुर्भावनापूर्ण दिया गया था जिसमें विवाह करने का कोई आशय नहीं था । दूसरी प्रतिपादना यह है कि साबित की जानी चाहिए कि मिथ्या वचन का सीधा संबंध अभियोक्त्री द्वारा लैंगिक कृत्य में भाग लेने से हो ।"

22. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **दिलीप सिंह** उर्फ **दिलीप कुमार** बनाम **बिहार राज्य**[1] वाले मामले में निम्न अभिनिर्धारित किया है कि :-

"27. इस विशेष प्रश्न के संबंध में कि क्या विवाह का विश्वास दिलाने के आधार पर प्राप्त की गई सम्मति दंड संहिता की धारा 375 के प्रयोजनार्थ सम्मति कही जा सकती है, हमारे समक्ष जयंती

---

[1] (2005) 1 एस. सी. सी. 88 = ए. आई. आर. 2005 एस. सी. 203 = 2004 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 6479.

रानी पांडा **बनाम** पश्चिमी बंगाल राज्य 1984 क्रिमिनल ला जर्नल 1535 वाले मामले में दिया गया कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ का विनिश्चय है । इस मामले का सुसंगत भाग अन्य कई विनिश्चयों में उद्धृत किया गया है । यह मामला **उदय** (उपरोक्त) वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट मामलों में से एक है । उस मामले के विस्तार में जाए बिना उसके महत्वपूर्ण भाग को निर्णय के पैरा 7 में निम्न प्रकार संक्षिप्त किया गया है –

'इस मामले में शिकायतकर्ता ने यह अभिकथन किया है कि अभियुक्त उसके घर आया करता था और उसके साथ विवाह करने का वचन दिया करता था । शिकायतकर्ता अभियोक्त्री ने इस विश्वास के साथ अभियुक्त के साथ संभोग किया कि अभियुक्त उससे विवाह कर लेगा । किंतु हमारा ध्यान इस बात की ओर जाता है कि यदि अभियोक्त्री को अभियुक्त द्वारा दिए गए वचन पर विश्वास था तो उसने अपने माता-पिता से इस बात को छिपाकर क्यों रखा । यह अवधारण करने पर अभियोक्त्री को अभियुक्त पर उस समय विश्वास था जब उसने वचन दिया था, यदि वास्तव में अभियुक्त ने ऐसा कोई वचन दिया था, तब अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि जिस समय अभियुक्त ने विवाह करने का वचन दिया था तब उसका विवाह करने का कोई आशय नहीं था । ऐसा हो सकता है कि तत्पश्चात् जब अभियोक्त्री ने गर्भ धारण किया, तब अभियुक्त ने अपना विचार बदल दिया । फिर भी शिकायतकर्ता ने अपनी अर्जी में यह उल्लेख किया है कि अभियुक्त ने उस समय तक विवाह करने का अपना इरादा बदला नहीं था । अत: यह नहीं कहा जा सकता है कि उस समय तक अभियुक्त का विवाह करने का कोई आशय नहीं था, भले ही बाद में वह अभिकथित रूप से अपने वचन से मुकर गया था ।'

उपरोक्त पैरा में की गई चर्चा महत्वपूर्ण है जिसे निम्न प्रकार संक्षिप्त किया जा रहा है –

'भविष्य में आने वाली किसी अनिश्चित तारीख को वचन पूरा न करने जैसी असफलता को साक्ष्य की दृष्टि से सदैव तथ्य के

भ्रम की कोटि में नहीं रखा जा सकता है । तथ्य के भ्रम के अर्थ को समझने के लिए यह आवश्यक है कि तथ्य परिस्थिति के साथ सीधा सुसंगत हो । मामला भिन्न होता यदि सम्मति इस विश्वास के साथ प्राप्त की जाती कि अभियुक्त और अभियोक्त्री पहले से विवाहित हैं । ऐसे मामले में सम्मति को तथ्य के भ्रम के आधार पर प्राप्त की गई सम्मति कहा जा सकता है । किंतु यहां अभिकथित तथ्य विवाह करने का वचन है जिसे पूरा करने की कोई समय-सीमा नहीं रखी गई है । यदि कोई पूर्ण रूप से वयस्क महिला विवाह के वचन के आधार पर संभोग करने के लिए सहमत होती है और इसी प्रक्रिया में गर्भवती होने तक सम्मिलित रहती है तब अभियोक्त्री के कृत्य को संकीर्णता कहा जा सकता है न कि तथ्य के भ्रम द्वारा प्रेरित कृत्य । दंड संहिता की धारा 90 का प्रयोग अभियोक्त्री के कृत्य को माफ करने और अभियुक्त को आपराधिक दायित्व से संबद्ध करने के लिए तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि न्यायालय का यह समाधान न हो जाए कि आरंभ से ही अभियुक्त का इरादा अभियोक्त्री के साथ विवाह करने का नहीं था ।'

विद्वान् न्यायाधीशों ने एजिंगटन **बनाम** फिट्समोरिस (1885) 29 सीएच. डी. 459 वाले मामले में चांसरी न्यायालय का विनिश्चय निर्दिष्ट करते हुए निम्न मत व्यक्त किया है –

'इस विनिश्चय के अधीन यह अधिकथित किया गया है कि किसी विशेष कृत्य को करने में प्रतिवादी के आशय को ठीक प्रकार न समझना तथ्य का भ्रम हो सकता है और यदि वादी को इससे भ्रमित किया गया था, तब इसके आधार पर धोखाधड़ी का कृत्य सृजित हो सकता है । इस निर्णय के पृष्ठ 483 पर निम्न मत व्यक्त किया गया है –

'तथ्य के भ्रम को गठित करने के लिए किसी विद्यमान तथ्य का मिथ्या वर्णन किया जाना चाहिए ।' अत: तथ्य का मिथ्या वर्णन करना तभी कहा जा सकता है जब विद्यमान स्थिति, वर्णन की गई स्थिति के साथ असंगत हो जाए । ऐसे साक्ष्य के

> अभाव में दंड संहिता की धारा 90 के आधार पर यह दलील नहीं दी जा सकती कि शिकायतकर्ता से प्राप्त की गई सम्मति तथ्य के भ्रम के आधार पर ली गई है ।'"

इस विषय से संबंधित निर्णय विधि को निर्दिष्ट करने के पश्चात् **उदय** (उपरोक्त) वाले मामले के पैरा 21 में निम्न प्रकार मत व्यक्त किया गया है :–

> "21. अत: यह प्रतीत होता है कि न्यायिक राय इस पक्ष में है कि किसी ऐसे व्यक्ति जिससे अभियोक्त्री प्रेम करती है, के साथ संभोग करने के लिए अभियोक्त्री द्वारा इस आधार पर दी गई सम्मति कि किसी पश्चात्वर्ती तारीख को अभियुक्त उससे विवाह करेगा, तथ्य के भ्रम के अधीन प्राप्त की गई सम्मति नहीं कहा जा सकता है । मिथ्या वचन देना संहिता के अर्थान्तर्गत तथ्य नहीं है । हम इस बात से सहमत होने के लिए आनत हैं किंतु हम यह भी कहना चाहेंगे कि यह सुनिश्चित करने के लिए कोई भी सटीक नियम नहीं है कि क्या अभियोक्त्री द्वारा संभोग करने के लिए दी गई सम्मति स्वेच्छया है या नहीं या यह सम्मति तथ्य के भ्रम के आधार पर दी गई है । विश्लेषण करने पर न्यायालयों द्वारा अधिकथित कसौटी उपलब्ध कराई गई है जिसके आधार पर सम्मति से संबंधित प्रश्न पर विचार किया जा सकता है किंतु न्यायालय को किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के पूर्व, प्रत्येक मामले में उसके समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य और उससे संबंधित परिस्थितियों पर विचार करना चाहिए क्योंकि प्रत्येक मामले के अपने अलग ही तथ्य होते हैं जिनका सीधा संबंध इस प्रश्न से होता है कि क्या अभियोक्त्री द्वारा सम्मति स्वेच्छा से ली गई है या तथ्य के भ्रम के अधीन । न्यायालय को साक्ष्य का मूल्यांकन यह ध्यान में रखते हुए करना चाहिए कि अपराध के प्रत्येक संघटक को साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर होता है ।"

23. आम तौर पर अभियोजन साक्ष्य संदिग्ध नहीं होना चाहिए और इस पर विश्वास किया जाना चाहिए और यदि साक्ष्य विश्वसनीय है तब अन्य किसी साक्ष्य से उसकी संपुष्टि आवश्यक नहीं है किंतु **राजू** बनाम

मध्य प्रदेश राज्य[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने सावधानीपूर्वक यह मत व्यक्त किया है कि अभियोक्त्री द्वारा दिया गया कथन लैंगिक हमले से संबंधित न्यायालय के समक्ष लंबित प्रत्येक मामले के तथ्यों को सार्वभौमिक रूप से बिना सोचे-समझे लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि बलात्संग से संबंधित मामलों से आहत का अत्यधिक निरादर और अपमान होता है किंतु साथ ही अभियुक्त पर लगाए गए बलात्संग के मिथ्या अभिकथन से उसकी छवि पर भी उतना ही दुष्प्रभाव पड़ता है । माननीय उच्चतम न्यायालय ने पूर्वोक्त निर्णय में स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि अभियुक्त को मिथ्या फंसाए जाने से बचाना चाहिए और यह ध्यान में रखना चाहिए कि मूल सिद्धांत यह है कि इस संबंध में जो साक्षी साक्ष्य देता है वह उस घटना में आहत हुआ होता है, अतः ऐसा साक्षी आम तौर पर वास्तविक हमलावर के विरुद्ध मिथ्या साक्ष्य नहीं देगा किंतु यह उपधारण करने के लिए कोई आधार नहीं है कि ऐसे साक्षी का साक्ष्य सदैव सत्य होता है या यह कि उसमें किसी प्रकार का सुधार या अतिश्योक्ति नहीं होती ।

24. माननीय उच्चतम न्यायालय ने राय **संदीप** उर्फ **दीपू** बनाम **राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली**[2] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि वास्तविक साक्षी अत्यंत बुद्धिमान और समझदार होना चाहिए जिसका साक्ष्य अकाट्य होना चाहिए । माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि ऐसे साक्षी का साक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि उसे बिना किसी संकोच के स्वीकार कर लिया जाए । ऐसे साक्षी की गुणवत्ता, परखने के लिए उसका सामाजिक स्तर नहीं अपितु यह महत्वपूर्ण है कि उसका कथन कितना सत्य है । ऐसे साक्षी के साक्ष्य में आरंभ से लेकर अंत तक तारतम्य बना रहना अधिक महत्वपूर्ण है । इस निर्णय के महत्वपूर्ण पैरा निम्न प्रकार हैं :–

> "22. हमारी सुविचारित राय में खरा साक्षी वास्तव में खरा ही होना चाहिए, अतः उसका वृत्तांत अकाट्य होना चाहिए । ऐसे साक्षी के साक्ष्य पर विचार करते समय न्यायालय को बिना किसी संकोच

---

[1] ए. आई. आर. 2009 एस. सी. 858.

[2] (2012) 8 एस. सी. सी. 21 = ए. आई. आर. 2012 एस. सी. 3157.

के उसे प्रथमदृष्ट्या ही स्वीकार कर लेना चाहिए । ऐसे साक्षी के साक्ष्य की गुणवत्ता परखने के लिए उसका स्तर महत्वपूर्ण नहीं है अपितु महत्वपूर्ण यह है कि उसके साक्ष्य में सच्चाई कितनी है । अधिक सुसंगत यह है कि ऐसे साक्षी के साक्ष्य में आरंभ से लेकर अंत तक सामंजस्य होना चाहिए अर्थात् साक्षी द्वारा पुलिस को दिए गए बयान से न्यायालय में दिया गया अभिसाक्ष्य मेल खाना चाहिए । अभियुक्त के विरुद्ध किए गए अभियोजन पक्षकथन के साथ वह साक्ष्य नैसर्गिक और सुसंगत प्रतीत होना चाहिए । ऐसे साक्षी के साक्ष्य में विचलन नहीं होना चाहिए । ऐसा साक्षी विस्तार से किए जाने वाली परीक्षा के लिए भी सक्षम होना चाहिए और उसके साक्ष्य से किसी भी प्रकार से घटना की सच्चाई, अपराध में सम्मिलित व्यक्तियों तथा घटनाक्रम पर संदेह न किया जा सके । ऐसे साक्षी के साक्ष्य की संपुष्टि प्रत्येक साक्षी के साक्ष्य और उससे संबंधित सामग्री अर्थात् आयुध की बरामदगी, अपराध कारित किए जाने की रीति, वैज्ञानिक साक्ष्य और विशेषज्ञ की राय से होनी चाहिए । ऐसे साक्षी का साक्ष्य प्रत्येक साक्षी के साक्ष्य के साथ सुसंगत रूप से मेल खाना चाहिए । यह भी कहा जा सकता है कि जिस प्रकार पारिस्थितिक साक्ष्य के मामले में यह ध्यान रखा जाता है कि अभिकथित अपराध के लिए अभियुक्त को दोषी ठहराने हेतु साक्ष्य की कोई भी कड़ी लुप्त नहीं होनी चाहिए, उसी प्रकार उपरोक्त श्रेणी के साक्षी के साक्ष्य पर विचार किया जाना चाहिए । यदि ऐसे साक्षी का साक्ष्य उपरोक्त और अन्य कसौटियों पर खरा उतरता है तब यह अभिनिर्धारित किया जा सकता है कि ऐसा साक्षी एक 'खरा साक्षी' है जिसके साक्ष्य को न्यायालय बिना किसी संपुष्टि के लिए स्वीकार कर सकता है और जिसके आधार पर न्यायालय दोषी को दंडित कर सकता है । संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि उक्त साक्षी का साक्ष्य अपराध को दृष्टिगत करते हुए अक्षत होना चाहिए और साथ ही अन्य सामग्री अर्थात् मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य तथा तात्विक वस्तुएं महत्वपूर्ण विशिष्टियों को लेकर उक्त साक्ष्य से मेल खानी चाहिएं ताकि विचारण करने वाला

न्यायालय अभियुक्त को अभिकथित आरोप का दोषी ठहराने के लिए अन्य सुसंगत सामग्री का अवलंब ले सके ।

23. उपरोक्त सिद्धांतों के आधार पर जब हम अभियोक्त्री (अभि. सा. 4) के साक्ष्य पर विचार करते हैं तब दुर्भाग्यवश यह पता चलता है कि उक्त साक्षी ऊपर उल्लिखित किसी भी कसौटी पर खरा नहीं उतरता है । इस साक्षी द्वारा की गई शिकायत और उसके पश्चात् न्यायालय के समक्ष दिए गए अभिसाक्ष्य के बीच पूरी तरह विरोधाभास है । अभियुक्तों की शनाख्त तथा घटना घटित होने की रीति को लेकर सारभूत विरोधाभास दिखाई देता है । तथाकथित प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों ने अभियोजन वृत्तांत का समर्थन नहीं किया है । बरामद की गई सामग्री, दिए गए कथनों से मेल नहीं खाती है । न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट अभिकथित वृत्तांत के साथ सुसंगत नहीं है और इस प्रकार अभियोक्त्री अपीलार्थियों पर अधिरोपित दोषसिद्धि की पुष्टि करने हेतु न्यायालय का विश्वास जीतने में सफल नहीं हो सकी है ।"

25. माननीय उच्चतम न्यायालय के **दिनेश जयसवाल** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि इस पर कोई विवाद नहीं है कि अभियोक्त्री के साक्ष्य पर, आपवादिक परिस्थितियों को छोड़कर, विश्वास किया ही जाना चाहिए किंतु यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता कि अभियोक्त्री के साक्ष्य पर उसमें आईं अनियमितताओं और असंभाव्यताओं के बावजूद विश्वास किया जाए और इस संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से दी गई दलील ऐसी दलील मानी जाएगी जिसे कभी-भी स्वीकार नहीं किया जा सकता । न्यायालय को सदैव यह परखना होता है कि क्या अभियोजन वृत्तांत प्रथमदृष्ट्या विश्वासोत्पादक प्रतीत होता है या नहीं । विवाह करने का विश्वास दिलाने के आधार पर प्राप्त की गई सम्मति, जिस पर विचार नहीं किया गया, दंड संहिता की धारा 375 के प्रयोजनार्थ 'सम्मति' मानी जा सकती है ।

---

[1] (2010) 3 एस. सी. सी. 232 = ए. आई. आर. 2010 एस. सी. 1540 = 2010 क्रिमिनल ला जर्नल 1917 (एस. सी.) = 2010 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 1.

26. यदि अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य को उपरोक्त निर्णयों, जिनका अवलंब वर्तमान मामले में लिया जा रहा है, में अधिकथित सिद्धांत के आधार पर परखा जाए, तब इस न्यायालय को इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई संकोच नहीं है कि अभियोक्त्री सहित महत्वपूर्ण अभियोजन साक्षियों का परिसाक्ष्य विश्वसनीय नहीं है और ऐसे साक्ष्य के आधार पर दंड संहिता की धारा 376 के अधीन किसी भी प्रकार से कोई दोषसिद्धि नहीं की जा सकती ।

27. परिणामतः, विस्तार से की गई उपरोक्त चर्चा तथा अवलंबित विधि के आधार पर इस न्यायालय का निःसंकोच यह निष्कर्ष है कि विद्वान् निचले न्यायालय ने साक्ष्य का मूल्यांकन उचित परिप्रेक्ष्य में नहीं किया है और इस प्रकार इस न्यायालय द्वारा निकाला गया निष्कर्ष अपास्त किए जाने योग्य है । तद्नुसार, वर्तमान अपील मंजूर की जाती है और निचले न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अभिखंडित और अपास्त किया जाता है तथा अभियुक्त-अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 376 के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है । जमानत-पत्र, यदि कोई निष्पादित किए गए हैं, उन्मोचित किए जाते हैं । यदि अपीलार्थी द्वारा जुर्माने की किसी राशि का संदाय किया गया है, वह भी उसे प्रतिदाय की जाए । अपीलार्थी को छोड़े जाने का वारंट तत्काल तैयार किया जाए ।

इस प्रकार वर्तमान अपील और साथ ही लंबित आवेदन, यदि कोई है, का भी निपटारा किया जाता है ।

अपील मंजूर की गई ।

अस.

संसद् के अधिनियम

पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960

(1960 का अधिनियम संख्यांक 59)

[26 दिसम्बर, 1960]

पशुओं को अनावश्यक पीड़ा या यातना पहुंचाने के निवारणार्थ और उस प्रयोजन के लिए पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण संबंधी विधि का संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के ग्यारहवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :-

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ** - (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 है ।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे, और विभिन्न राज्यों के लिए तथा इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए विभिन्न तारीखें[1] नियत की जा

---

[1] 1 अप्रैल, 1961, पंजाब राज्य और अंदमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्यक्षेत्र के लिए, देखिए अधिसूचना सं. का. आ. 823, तारीख 1 अप्रैल, 1961, भारत का राजपत्र, 1961, भाग II खंड 3(ii), पृ. 806 ।

1 सितम्बर, 1961, अध्याय 1 और 2 के लिए, असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, केरल, मद्रास, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मैसूर, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल राज्यों और दिल्ली, मणिपुर तथा त्रिपुरा संघ राज्यक्षेत्रों के संबंध में देखिए अधिसूचना सं. का. आ. 2061, तारीख 25 अगस्त, 1961, भारत का राजपत्र, 1961, भाग II, खंड 3(ii), पृ. 2154 ।

2 अक्तूबर, 1961, अध्याय 1 और 2 के लिए, हिमाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में, देखिए अधिसूचना सं. का. आ. 2286, तारीख 15 सितम्बर, 1961, भारत का राजपत्र, भाग II, खंड 3 (ii) पृ. 2397 ।

26 जनवरी, 1962, अध्याय 1 और 2 के लिए, राजस्थान राज्य के संबंध में, देखिए अधिसूचना सं. का. आ. 21, तारीख 28 दिसम्बर, 1961, भारत का राजपत्र, भाग II, खंड 3(ii), पृ. 11 ।

सकती हैं ।

2. **परिभाषाएं** – इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) "पशु" से अभिप्रेत है वह जीवित प्राणी जो मनुष्य से भिन्न है ;

[1][(ख) "बोर्ड" से धारा 4 के अधीन स्थापित और धारा 5क के अधीन समय-समय पर यथापुनर्गठित बोर्ड अभिप्रेत है ;]

(ग) "बंधुआ पशु" से अभिप्रेत है कोई पशु (जो पालतू पशु न हो) जो चाहे स्थायी रूप से अथवा अस्थायी रूप से बंधुआ हालत में हो या परिरोध में हो, या जिसे बंधुआ हालत अथवा परिरोध में से उसके निकल भागने में रुकावट डालने या निकल भागने की रोकथाम करने के प्रयोजनार्थ कोई साधित्र या यंत्र लगाकर रखा गया हो, या जिसे बांधकर रखा गया हो, या जो विकलांग कर दिया गया हो या विकलांग हो गया प्रतीत होता हो ;

(घ) "पालतू पशु" से ऐसा पशु अभिप्रेत है जो सधाया हुआ है ;

---

15 जुलाई, 1963, अध्याय 4 के लिए, असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, केरल, मद्रास, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मैसूर, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल राज्यों और दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा संघ राज्यक्षेत्रों के संबंध में, देखिए अधिसूचना सं. का. आ. 2000, तारीख 11 जुलाई, 1963, भारत का राजपत्र, भाग II, खंड 3(ii), पृ. 2242 ।

20 नवम्बर, 1963, अध्याय 3 और 4 के लिए, असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, केरल, मद्रास, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मैसूर, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों तथा दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा संघ राज्यक्षेत्रों के संबंध में, देखिए अधिसूचना सं. का. आ. 3160, तारीख 29 अक्तूबर, 1963, भारत का राजपत्र, 1961 भाग II, खंड 3(ii), पृ. 3980 ।

1963 के विनियम सं. 7 की धारा 3 द्वारा और अनुसूची 1 द्वारा 1 अक्तूबर, 1963 से यह अधिनियम पांडिचेरी में प्रवृत्त हुआ ।

1963 के विनियम सं. 6 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा (1 जुलाई, 1965 से) दादरा और नागर हवेली पर विस्तारित और प्रवृत्त किया गया ।

1963 के विनियम सं. 11 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा गोवा, दमन और दीव पर विस्तारित ।

1 मार्च, 1993 से सिक्किम राज्य में प्रवृत्त किया गया ।

[1] 1982 के अधिनियम सं. 26 की धारा 2 द्वारा खंड (ख) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

या जो मनुष्य के काम आने के लिए किसी प्रयोजन की पूर्ति के निमित्त पर्याप्त रूप से सधाया गया है या सधाया जा रहा है, या जो, भले ही वह न तो इस प्रकार सधाया गया हो और न सधाया जा रहा हो और न ही उसका इस प्रकार सधाया जाना आशयित हो, वस्तुत: पूर्णत: या अंशत: सधाया हुआ है या हो गया है ;

(ङ) "स्थानीय प्राधिकारी" से नगरपालिका समिति, जिला बोर्ड या अन्य ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत है, जिसमें किसी विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र में किन्हीं मामलों का नियंत्रण और प्रशासन विधि द्वारा तत्समय निहित है ;

(च) "स्वामी" के अंतर्गत, जब कि उसका प्रयोग किसी पशु के प्रतिनिर्देश से किया गया हो, न केवल स्वामी किन्तु कोई ऐसा अन्य व्यक्ति भी है जिसके कब्जे में या जिसकी अभिरक्षा में वह पशु, चाहे स्वामी की सहमति से या उसके बिना, तत्समय हो ;

(छ) "फूका" या "डूमदेव" के अंतर्गत दुधारू पशु की योनि में वायु या किसी अन्य पदार्थ को इस उद्देश्य से प्रविष्ट करने की प्रक्रिया है जिससे कि उस पशु से दूध का कोई स्राव निकाला जा सके ;

(ज) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(झ) "मार्ग" के अंतर्गत कोई ऐसा रास्ता, सड़क, गली, चौक, आंगन, वीथि, पथ या खुला स्थान आता है, चाहे वह आम रास्ता हो या न हो, जिस तक जनता की पहुंच हो ।

3. **उन व्यक्तियों के कर्तव्य जिनके भारसाधन में पशु है** – ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का, जिसकी देख-रेख या भारसाधन में कोई पशु है, यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे पशु का कल्याण सुनिश्चित करने तथा उसे अनावश्यक पीड़ा या यातना पहुंचाने का निवारण करने के लिए सभी समुचित उपाय करें ।

अध्याय 2

[1][भारतीय पशु-कल्याण बोर्ड]

4. **कल्याण बोर्ड की स्थापना** – (1) साधारणतया पशु-कल्याण के

---

[1] 1982 के अधिनियम सं. 26 की धारा 3 द्वारा "पशु-कल्याण बोर्ड" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

संवर्धन के लिए तथा विशिष्टतया अनावश्यक पीड़ा या यातना से पशुओं की संरक्षा करने के प्रयोजनार्थ केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र, एक बोर्ड की स्थापना करेगी, जो [1][भारतीय पशु-कल्याण बोर्ड] कहलाएगा ।

(2) बोर्ड शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा वाला एक निगमित निकाय होगा और उसे, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सम्पत्ति के अर्जन, धारण और व्ययन करने की शक्ति होगी और जो अपने नाम से वाद ला सकेगा तथा उस पर वाद लाया जा सकेगा ।

(5) **बोर्ड का गठन** – (1) बोर्ड में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :–

(क) भारत सरकार का वन महानिरीक्षक, पदेन ;

(ख) भारत सरकार का पशुपालन आयुक्त, पदेन ;

[2][(खक) दो व्यक्ति, जो क्रमशः गृह और शिक्षा से संबंधित केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व करेंगे, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे ;

(खख) एक व्यक्ति, जो भारतीय वन्य प्राणी, बोर्ड का प्रतिनिधित्व करेगा, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा ;

(खग) तीन व्यक्ति, जो केन्द्रीय सरकार की राय में, पशु-कल्याण कार्य में सक्रिय रूप से लगे हैं या लगे रहे हैं और सुविख्यात लोकोपकारक हैं, केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे ;]

(ग) एक व्यक्ति, जो पशु चिकित्सा व्यवसायियों के किसी ऐसे संगम का प्रतिनिधित्व करेगा, जिसका केन्द्रीय सरकार की राय में बोर्ड में प्रतिनिधित्व होना चाहिए और वह व्यक्ति विहित रीति से उस संगम द्वारा निर्वाचित किया जाएगा ।

---

[1] 1982 के अधिनियम सं. 26 की धारा 4 द्वारा “पशु-कल्याण बोर्ड” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1982 के अधिनियम सं. 26 की धारा 5 द्वारा अंतःस्थापित ।

(घ) दो व्यक्ति, जो आधुनिक देशी चिकित्सा प्रणाली के व्यवसायियों का प्रतिनिधित्व करेंगे, केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे ;

[1][(ङ) एक-एक व्यक्ति, जो ऐसे दो नगर निगमों में से, जिनका केन्द्रीय सरकार की राय में बोर्ड में प्रतिनिधित्व होना चाहिए प्रत्येक का प्रतिनिधिनित्व करेगा, विहित रीति से उक्त निगमों में से प्रत्येक के द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे ;]

(च) एक-एक व्यक्ति, जो उन तीनों संगठनों में से प्रत्येक का, जो पशु-कल्याण कार्यों में सक्रिय रूप से रुचि रखने वाले हों और जिनका, केन्द्रीय सरकार की राय में बोर्ड में प्रतिनिधित्व होना चाहिए, प्रतिनिधित्व करेगा ; और ये व्यक्ति विहित रीति से उक्त प्रत्येक संगठन द्वारा चुने जाएंगे ;

(छ) एक-एक व्यक्ति, जो उन तीनों सोसाइटियों में से प्रत्येक का, जो पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण करने के कार्य से संबंधित हों और जिनका केन्द्रीय सरकार की राय में बोर्ड में प्रतिनिधित्व होना चाहिए ; प्रतिनिधित्व करेगा ; और ये व्यक्ति विहित रीति से चुने जाएंगे ;

(ज) तीन व्यक्ति जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे ;

(झ) छह संसद् सदस्य, जिनमें से चार लोक सभा द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे और दो राज्य सभा द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे ।

(2) उपधारा (1) के खंड (क) [2][या खंड (ख) या खंड (खक)] में निर्दिष्ट व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति बोर्ड की किसी भी बैठक में हाजिर होने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को प्रतिनियुक्त कर सकेगा ।

---

[1] 1982 के अधिनियम सं. 26 की धारा 5 द्वारा खंड (ङ) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1982 के अधिनियम सं. 26 की धारा 5 द्वारा "खंड (ख)" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[1][(3) केन्द्रीय सरकार बोर्ड के सदस्यों में से एक सदस्य को बोर्ड का अध्यक्ष और बोर्ड के एक अन्य सदस्य को बोर्ड का उपाध्यक्ष नामनिर्दिष्ट करेगी ।]

[2][5क. **बोर्ड का पुनर्गठन** – (1) केन्द्रीय सरकार, इस दृष्टि से कि बोर्ड का अध्यक्ष और अन्य सदस्य एक ही तारीख तक पद धारण करें और उनकी पदावधियां उसी तारीख को समाप्त हों, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बोर्ड का पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (संशोधन) अधिनियम, 1982 के प्रवृत्त होने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, पुनर्गठन कर सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन पुनर्गठित बोर्ड, उपधारा (1) के अधीन अपने पुनर्गठन की तारीख से प्रत्येक तीसरे वर्ष के अवसान पर समय-समय पर पुनर्गठित किया जाएगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन पुनर्गठित बोर्ड के सदस्यों में वे सभी व्यक्ति सम्मिलित किए जाएंगे जो उस तारीख के ठीक पहले, जिसको ऐसा पुनर्गठन प्रभावशील होना है, बोर्ड के सदस्य हैं, किन्तु ऐसे व्यक्ति उस अवधि के, अनवसित भाग के लिए ही जिसके लिए वे, यदि ऐसा पुनर्गठन न किया गया होता तो, पद धारण करते, पद धारण करेंगे और उनके बोर्ड के सदस्य न रह जाने के परिणामस्वरूप पैदा होने वाली रिक्तियां इस प्रकार पुनर्गठित बोर्ड की अवशिष्ट कालावधि के लिए आकस्मिक रिक्तियों के रूप में भरी जाएंगी :

परन्तु इस उपधारा की कोई भी बात किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में लागू नहीं होगी जो पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (संशोधन) अधिनियम, 1982 की धारा 5 के खंड (क) के उपखंड (ii) द्वारा धारा 5 की उपधारा (1) में किए गए संशोधन के फलस्वरूप बोर्ड का सदस्य नहीं रह जाता है ।]

---

[1] 1982 के अधिनियम सं. 26 की धारा 5 द्वारा उपधारा (3) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1982 के अधिनियम सं. 26 की धारा 6 द्वारा अंत:स्थापित ।

[1][6. **बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल और उनकी सेवा की शर्तें** – (1) वह अवधि जिसके लिए बोर्ड का धारा 5क के अधीन पुनर्गठन किया जा सकेगा, पुनर्गठन की तारीख से तीन वर्ष होगी और इस प्रकार पुनर्गठित बोर्ड का अध्यक्ष और अन्य सदस्य उस अवधि के अवसान तक पद धारण करेंगे जिसके लिए बोर्ड का इस प्रकार पुनर्गठन किया गया है ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, –

(क) पदेन सदस्य की पदावधि तब तक बनी रहेगी जब तक वह उस पद को धारण किए रहता है जिसके आधार पर वह ऐसा सदस्य है ;

(ख) व्यक्तियों के किसी निकाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए धारा 5 के खंड (ग), खंड (ङ), खंड (च), खंड (छ), खंड (ज) या खंड (झ) के अधीन निर्वाचित या चुने गए सदस्य की पदावधि जैसे ही वह सदस्य उस निकाय का, जिसने उसे निर्वाचित किया था या जिसकी बाबत वह चुना गया था, सदस्य नहीं रह जाता है, समाप्त हो जाएगी ;

(ग) किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए नियुक्त, नामनिर्दिष्ट, निर्वाचित या चुने गए सदस्य की पदावधि उस सदस्य की अवशिष्ट पदावधि के लिए होगी जिसके स्थान पर वह नियुक्त, नामनिर्दिष्ट या निर्वाचित किया गया है या चुना गया है ;

(घ) केन्द्रीय सरकार किसी सदस्य को, उसके प्रस्थापित हटाए जाने के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने का उसे उचित अवसर देने के पश्चात् उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, किसी भी समय हटा सकेगी और ऐसे हटाए जाने से हुई कोई रिक्ति खंड (ग) के प्रयोजन के लिए आकस्मिक रिक्ति मानी जाएगी ।

(3) बोर्ड के सदस्य ऐसे भत्ते, यदि कोई हों, पाएंगे जिनके लिए बोर्ड केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के अधीन रहते हुए, इस निमित्त बनाए गए विनियमों द्वारा, उपबंध करें ।

---

[1] 1982 के अधिनियम सं. 26 की धारा 7 द्वारा धारा 6 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(4) बोर्ड द्वारा किए गए किसी भी कार्य या कार्यवाही को केवल इसी कारण प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि बोर्ड में कोई रिक्ति थी अथवा उसके गठन में कोई त्रुटि थी तथा विशिष्टतया और पूर्वगामी भाग की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उस अवधि की समाप्ति, जिसके लिए बोर्ड का धारा 5क के अधीन पुनर्गठन किया गया है और उस धारा के अधीन उसके आगे पुनर्गठन के बीच की कालावधि के दौरान, बोर्ड के पदेन सदस्य बोर्ड की सभी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करेंगे ।]

7. **बोर्ड के सचिव तथा अन्य कर्मचारी** – (1) केन्द्रीय सरकार [1]*** बोर्ड का सचिव नियुक्त करेगी ।

(2) ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए जाएं, बोर्ड उतने अन्य अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त कर सकेगा जितने उसकी शक्तियों का प्रयोग और उसके कृत्यों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक हों और ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा के निबन्धनों और शर्तों को, केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से, अपने द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा, अवधारित कर सकेगा ।

8. **बोर्ड की निधियां** – बोर्ड की निधियों में वे अनुदान जो सरकार द्वारा उसे समय-समय पर दिए गए हों और किसी स्थानीय प्राधिकारी या अन्य व्यक्ति द्वारा उसे दिए गए अंशदान, संदान, अभिदान, वसीयत-संपत्ति, दान और इसी प्रकार की प्राप्तियां सम्मिलित होंगी ।

9. **बोर्ड के कृत्य** – बोर्ड के निम्नलिखित कृत्य होंगे –

(क) पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण करने के लिए भारत में प्रवृत्त विधि का बराबर अध्ययन करते रहना और ऐसी किसी विधि में समय-समय पर किए जाने वाले संशोधनों के संबंध में सरकार को सलाह देना ;

---

[1] 1982 के अधिनियम सं. 26 की धारा 8 द्वारा कतिपय शब्दों का लोप किया गया ।

(ख) इस अधिनियम के अधीन नियम बनाने के संबंध में केन्द्रीय सरकार को इस दृष्टि से सलाह देना कि पशुओं के प्रति अनावश्यक पीड़ा या यातना का साधारणतया और, विशिष्टतया तब जब वे एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाए जा रहे हों या जब उनका उपयोग करतब दिखाने वाले पशुओं के रूप में किया जा रहा हो या जब वे बंधुआ हालत में या परिरोध में रखे गए हों, निवारण किया जा सके ;

(ग) सरकार को या किसी स्थानीय प्राधिकारी या अन्य व्यक्ति को यह सलाह देना कि यानों के डिजाइनों का सुधार इस प्रकार किया जाए जिससे कि भार ढोने वाले पशुओं पर बोझ कम किया जा सके ;

(घ) सायबानों, चरहियों और वैसी ही चीजों के निर्माण को प्रोत्साहन देकर अथवा उनकी व्यवस्था करके तथा पशुओं के लिए पशु चिकित्सा सहायता की व्यवस्था करके [1][पशुओं की बेहतरी] के लिए ऐसे सभी उपाय करना जिन्हें बोर्ड ठीक समझे ;

(ङ) वधशालाओं के डिजाइन तैयार करने अथवा उन्हें बनाए रखने अथवा पशुओं के इस प्रकार वध के संबंध में, कि पशुओं के प्रति वध-पूर्व प्रक्रमों में अनावश्यक शारीरिक या मानसिक पीड़ा या यातना को, जहां तक संभव हो समाप्त किया जा सके और पशुओं का, जहां कहीं आवश्यक हो, यथासंभव दयालु ढंग से वध किया जा सके, सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा किसी अन्य व्यक्ति को सलाह देना ;

(च) यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे पशुओं को, जिनकी जरूरत नहीं रह गई है, या तो तत्क्षण, या पीड़ा अथवा यातना के प्रति उन्हें संज्ञाहीन बनाकर, स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा, जब कभी वैसा करना आवश्यक हो, नष्ट कर दिया जाए, सभी ऐसे उपाय करना जिन्हें बोर्ड उचित समझे ;

---

[1] 1982 के अधिनियम सं. 26 की धारा 9 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(छ) [1][पिंजरापोलों, बचावगृहों, पशुआश्रयों, पशुवनों और वैसे ही अन्य स्थानों के, जहां पशु और पक्षी बूढ़े और बेकार हो जाने पर, या जब उन्हें संरक्षण की आवश्यकता हो, तब शरण पा सकें, निर्माण या स्थापना को] वित्तीय सहायता प्रदान करके अथवा अन्यथा, प्रोत्साहन देना ;

(ज) पशुओं के प्रति अनावश्यक पीड़ा या यातना के निवारण के प्रयोजनार्थ अथवा पशु-पक्षियों की संरक्षा के लिए स्थापित संगमों या निकायों के साथ सहयोग करना और उनके कार्य का समन्वय करना ;

(झ) किसी स्थानीय क्षेत्र में कार्य कर रहे पशु-कल्याण संगठनों को वित्तीय तथा अन्य सहायता देना, अथवा किसी स्थानीय क्षेत्र में किन्हीं ऐसे पशु-कल्याण संगठनों के निर्माण को प्रोत्साहन देना जो बोर्ड के सामान्य अधीक्षण और मार्गदर्शन में कार्य करेंगे ;

(ञ) सरकार को चिकित्सीय देख-रेख और परिचर्या की उन बातों के बारे में सलाह देना जिनकी व्यवस्था पशु अस्पतालों में की जाए और जब कभी बोर्ड पशु-अस्पतालों को वित्तीय तथा अन्य सहायता देना आवश्यक समझे तब ऐसी सहायता देना ;

(ट) पशुओं के प्रति दयालुतापूर्ण बर्ताव करने की शिक्षा देना और पशुओं को अनावश्यक पीड़ा या यातना पहुंचाने के विरुद्ध, तथा व्याख्यानों, पुस्तकों, पोस्टरों, चलचित्र प्रदर्शनों तथा अन्य वैसी ही बातों से पशु-कल्याण कार्यों को बढ़ावा देने के लिए, लोकमत तैयार करना ;

(ठ) पशु-कल्याण कार्यों अथवा पशुओं के प्रति अनावश्यक पीड़ा या यातना के निवारण से संबंधित बातों के बारे में सरकार को सलाह देना ।

---

[1] 1982 के अधिनियम सं. 26 की धारा 9 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

10. **विनियम बनाने की बोर्ड की शक्ति** – बोर्ड अपने कार्यों को संपन्न करने तथा अपने कृत्यों को क्रियान्वित करने के लिए, केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन के अधीन रहते हुए, ऐसे विनियम बना सकेगा जैसे वह ठीक समझे ।

अध्याय 3

साधारणतया पशुओं के प्रति क्रूरता

11. **पशुओं के प्रति क्रूरता का व्यवहार** – (1) यदि कोई व्यक्ति –

(क) किसी पशु को पीटेगा, ठोकर मारेगा, उस पर अत्यधिक सवारी करेगा, उस पर सवारी करके उसे अत्यधिक हांकेगा, उस पर अत्यधिक बोझ लादेगा, उसे यंत्रणा देगा, या अन्यथा उसके साथ ऐसे बर्ताव करेगा या करवाएगा जिससे उसे अनावश्यक पीड़ा या यातना होती है, या स्वामी होते हुए किसी पशु के प्रति इस प्रकार का बर्ताव करने देगा ; अथवा

(ख) [1][किसी कार्य श्रम में, या किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी ऐसे पशु को लगाएगा जो अपनी आयु या किसी रोग,] अंग-शैथिल्य, घाव, फोड़े के कारण अथवा किसी अन्य कारण से इस प्रकार लगाए जाने के अनुपयुक्त है, या स्वामी होते हुए ऐसे किसी अनुपयुक्त पशु को इस प्रकार लगाए जाने देगा ; अथवा

(ग) [1][किसी पशु को] जानबूझकर तथा अनुचित रूप से कोई क्षतिकारक औषधि या क्षतिकारक पदार्थ देगा या [1][किसी पशु को] जानबूझकर और अनुचित रूप से ऐसी कोई औषधि या पदार्थ, खिलवाएगा या खिलवाने का प्रयास करेगा ; अथवा

(घ) किसी पशु को किसी यान में, या यान पर, या अन्यथा ऐसी रीति से या ऐसी स्थिति में प्रवहित करेगा या ले जाएगा जिससे कि उसे अनावश्यक पीड़ा या यातना पहुंचती है ; अथवा

(ङ) किसी पशु को किसी ऐसे पिंजरे या अन्य पात्र में रखेगा या परिरुद्ध करेगा, जिसकी ऊंचाई, लम्बाई और चौड़ाई इतनी पर्याप्त न हो कि पशु को उसमें हिल-डुल सकने का उचित स्थान प्राप्त हो सके ; अथवा

---

[1] 1982 के अधिनियम सं. 26 की धारा 10 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(च) किसी पशु को अनुचित रूप से छोटी या अनुचित रूप से भारी किसी जंजीर या रस्सी में किसी अनुचित अवधि तक के लिए बांधकर रखेगा ; अथवा

(छ) स्वामी होते हुए, किसी ऐसे कुत्ते को, जो अभ्यासतः जंजीर में बंधा रहता है या बन्द रखा जाता है, उचित रूप से व्यायाम करने या करवाने की उपेक्षा करेगा ; अथवा

(ज) [1][किसी पशु का] स्वामी होते हुए ऐसे पशु को पर्याप्त खाना, जल या आश्रय नहीं देगा ; अथवा

(झ) उचित कारण के बिना, किसी पशु को ऐसी परिस्थिति में परित्यक्त कर देगा जिससे यह संभाव्य हो कि उसे भुखमरी या प्यास के कारण पीड़ा पहुंचे ; अथवा

(ञ) किसी ऐसे पशु को, जिसका वह स्वामी है, जानबूझकर किसी मार्ग में छोड़कर घूमने देगा जब कि वह पशु किसी सांसर्गिक या संक्रामक रोग से ग्रस्त हो, या किसी रोगग्रस्त या विकलांग पशु को, जिसका वह स्वामी है, उचित कारण के बिना, किसी मार्ग में मर जाने देगा ; अथवा

(ट) किसी ऐसे पशु को बिक्री के लिए प्रस्तुत करेगा, या बिना किसी उचित कारण के अपने कब्जे में रखेगा, जो अंगविच्छेद, भुखमरी, प्यास, अतिभरण या अन्य दुर्व्यवहार के कारण पीड़ाग्रस्त हो ; अथवा

[2][(ठ) किसी पशु का अंगविच्छेद करेगा या किसी पशु को (जिसके अन्तर्गत आवारा कुत्ते भी हैं) हृदय में स्ट्रीक्नीन-अन्तःक्षेपण की पद्धति का उपयोग करके या किसी अन्य अनावश्यक क्रूर ढंग से मार डालेगा ; अथवा]

[3][(ड) केवल मनोरंजन करने के उद्देश्य से, –

---

[1] 1982 के अधिनियम सं. 26 की धारा 10 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1982 के अधिनियम सं. 26 की धारा 10 द्वारा खण्ड (ठ) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] 1982 के अधिनियम सं. 26 की धारा 10 द्वारा खण्ड (ड) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(i) किसी पशु को ऐसी रीति से परिरुद्ध करेगा या कराएगा (जिसके अन्तर्गत किसी पशु का किसी व्याघ्र या अन्य पशुवन में चारे के रूप में बांधा जाना भी है) कि वह किसी अन्य पशु का शिकार बन जाए ; अथवा

(ii) किसी पशु को किसी अन्य पशु के साथ लड़ने के लिए या उसे सताने के लिए उद्दीप्त करेगा ; अथवा]

(ढ) पशुओं की लड़ाई के लिए या किसी पशु को सताने के प्रयोजनार्थ, किसी स्थान को [1]*** सुव्यवस्थित करेगा, बनाए रखेगा, उसका उपयोग करेगा, या उसके प्रबन्ध के लिए कोई कार्य करेगा या किसी स्थान को इस प्रकार उपयोग में लाने देगा या तदर्थ प्रस्ताव करेगा, या ऐसे किसी प्रयोजन के लिए रखे गए या उपयोग में लाए गए किसी स्थान में किसी अन्य व्यक्ति के प्रवेश के लिए धन प्राप्त करेगा ; अथवा

(ण) गोली चलाने या निशानेबाजी के किसी मैच या प्रतियोगिता को, जहां पशुओं को बंधुआ हालत से इसलिए छोड़ दिया जाता है कि उन पर गोली चलाई जाए या उन्हें निशाना बनाया जाए, बढ़ावा देगा या उसमें भाग लेगा,

[2][तो वह प्रथम अपराध की दशा में, जुर्माने से, जो दस रुपए से कम नहीं होगा किन्तु जो पचास रुपए तक का हो सकेगा और द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध की दशा में, जो पिछले अपराध के किए जाने के तीन वर्ष की अवधि के भीतर किया जाता है, जुर्माने से, जो पच्चीस रुपए से कम नहीं होगा किन्तु जो एक सौ रुपए तक का हो सकेगा, या कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, अथवा दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।]

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए किसी स्वामी के बारे में यह तब समझा जाएगा कि उसने अपराध किया है जब वह ऐसे अपराध के निवारण के लिए समुचित देख-रेख और पर्यवेक्षण करने में

---

[1] 1982 के अधिनियम सं. 26 की धारा 10 द्वारा कतिपय शब्दों का लोप किया गया ।

[2] 1982 के अधिनियम सं. 26 की धारा 10 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

असफल रहा हो :

परन्तु जहां स्वामी केवल इसी कारण क्रूरता होने देने के लिए दोषसिद्ध किया जाता है कि वह ऐसी देख-रेख और पर्यवेक्षण करने में असफल रहा है वहां वह जुर्माने के विकल्प के बिना कारावास का दायी नहीं होगा ।

(3) इस धारा की कोई भी बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी –

(क) विहित रीति से ढोरों के सींग निकालना, या किसी पशु को बधिया करना या उसे दागना या उसकी नाक में रस्सी डालना ; अथवा

(ख) आवारा कुत्तों को प्राणहर कक्षों में या [1][किन्हीं अन्य ढंगों से, जो विहित किए जाएं] नष्ट करना ; अथवा

(ग) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के प्राधिकार के अधीन किसी पशु का उन्मूलन करना या उसे नष्ट करना ; अथवा

(घ) कोई विषय, जो अध्याय 4 में वर्णित है ; अथवा

(ङ) मनुष्यों के भोजन के रूप में किसी पशु को नष्ट करने या नष्ट करने की तैयारी के दौरान किसी कार्य का किया जाना या कोई कार्य-लोप, यदि ऐसे नाश या ऐसी तैयारी के समय उसे अनावश्यक पीड़ा या यातना न पहुंची हो ।

12. **फूका या डूमदेव करने के लिए शास्ति** – यदि कोई व्यक्ति किसी गाय या अन्य दुधारू [2][पशु पर “फूका” या “डूमदेव” नामक क्रिया या दुग्ध स्रवण को बढ़ाने के लिए कोई अन्य ऐसी क्रिया (जिसके अन्तर्गत किसी पदार्थ का अन्तःक्षेपण भी है) करेगा जो उस पशु के स्वास्थ्य के लिए हानिकर है] या अपने कब्जे में या नियंत्रणाधीन ऐसे किसी पशु पर ऐसी क्रिया करने देगा तो वह जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की

---

[1] 1982 के अधिनियम सं. 26 की धारा 10 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1982 के अधिनियम सं. 26 की धारा 11 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

हो सकेगी, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा, और जिस पशु पर ऐसी क्रिया की गई है वह सरकार को समपहृत हो जाएगा ।

13. **यातनाग्रस्त पशुओं को नष्ट करना** – (1) जहां कि किसी पशु का स्वामी धारा 11 के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है वहां, यदि न्यायालय का समाधान हो गया है कि पशु को जीवित रखना क्रूरता होगी तो, न्यायालय के लिए यह वैध होगा कि वह यह निदेश दे कि उस पशु को नष्ट कर दिया जाए और उस प्रयोजन के लिए उसे किसी उपयुक्त व्यक्ति को सौंप दिया जाए, तथा जिस व्यक्ति को वह पशु इस प्रकार सौंपा जाए वह, उसे अनावश्यक यातना दिए बिना, अपनी उपस्थिति में यथासंभवशीघ्र नष्ट कर देगा या करवा देगा तथा न्यायालय यह आदेश दे सकेगा कि उस पशु को नष्ट करने में जो भी उचित व्यय हुआ है वह उसके स्वामी से वैसे ही वसूल कर लिया जाए मानो वह जुर्माना हो :

परन्तु यदि स्वामी उसके लिए अपनी अनुमति नहीं देता है तो इस धारा के अधीन कोई भी आदेश, उस क्षेत्र के भारसाधक पशु चिकित्सा अधिकारी के साक्ष्य के बिना, नहीं दिया जाएगा ।

(2) जब किसी मजिस्ट्रेट, पुलिस आयुक्त या जिला पुलिस अधीक्षक के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी पशु के सम्बन्ध में धारा 11 के अधीन कोई अपराध किया गया है तो वह उस पशु को तुरन्त नष्ट किए जाने का निदेश दे सकेगा यदि उसे जीवित रखना उसकी राय में क्रूरता हो ।

(3) कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर का कोई पुलिस अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति, जो किसी पशु को इतना रुग्ण या इतने गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त या ऐसी शारीरिक स्थिति में पाता है कि उसकी राय में उसे क्रूरता के बिना हटाया नहीं जा सकता है तो वह, यदि स्वामी अनुपस्थित है या उस पशु को नष्ट करने के लिए अपनी सहमति देने से इनकार करता है तो, तुरन्त उस क्षेत्र के भारसाधक पशु चिकित्सा अधिकारी को, जिसमें वह पशु पाया गया हो, आहूत कर सकेगा और यदि पशु चिकित्सा अधिकारी यह प्रमाणित करता है कि वह पशु घातक रूप से क्षतिग्रस्त है या इतने गंभीर रूप से

क्षतिग्रस्त है या ऐसी शारीरिक स्थिति में है कि उसे जीवित रखना क्रूरतापूर्ण होगा तो, यथास्थिति, वह पुलिस अधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति, मजिस्ट्रेट के आदेश प्राप्त करने के पश्चात्, उस [1][क्षतिग्रस्त पशु को ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, नष्ट कर सकेगा या नष्ट करा सकेगा ।]

(4) पशु को नष्ट करने के संबंध में मजिस्ट्रेट के किसी आदेश के खिलाफ कोई भी अपील नहीं होगी ।

अध्याय 4

पशुओं पर प्रयोग

14. **पशुओं पर प्रयोग** – इस अधिनियम की कोई भी बात शरीर-क्रियात्मक ज्ञान या ऐसे ज्ञान को, जो जीवन को बचाने या दीर्घ बनाने के लिए, या यातना न्यून करने या मनुष्यों, पशुओं अथवा पौधों को लगने वाले किसी रोग की रोकथाम के लिए उपयोगी हो, नई खोज द्वारा, समुन्नत करने के प्रयोजनार्थ प्रयोगों के किए जाने को (जिनके अन्तर्गत पशुओं पर शल्य-क्रिया सम्बन्धी प्रयोग भी हैं) विधिविरुद्ध नहीं बनाएगी ।

15. **पशुओं पर प्रयोगों संबंधी नियंत्रण और पर्यवेक्षण के लिए समिति** – (1) यदि बोर्ड की सलाह पर किसी भी समय केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि पशुओं पर प्रयोगों के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के लिए ऐसा करना आवश्यक है तो, वह, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक समिति का गठन कर सकेगी जिसमें उतने पदधारी और अशासकीय व्यक्ति होंगे जितने वह उस समिति में नियुक्त करना ठीक समझे ।

(2) केन्द्रीय सरकार समिति के सदस्यों में से एक को उसका अध्यक्ष नामनिर्दिष्ट करेगी ।

(3) समिति को अपने कर्तव्यों के पालन के सम्बन्ध में अपनी प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी ।

(4) समिति की निधियों में, उसे सरकार द्वारा समय-समय पर

---

[1] 1982 के अधिनियम सं. 26 की धारा 12 द्वारा प्रतिस्थापित ।

दिए गए अंशदान, संदान, अभिदान, वसीयत-सम्पत्ति, दान और इसी प्रकार की प्राप्तियां सम्मिलित होंगी ।

[1][15क. **उपसमितियां** – (1) समिति की किसी शक्ति का प्रयोग करने या उसके किसी कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए या किसी ऐसे विषय पर, जो समिति निर्देशित करे, जांच करने या रिपोर्ट और सलाह देने के लिए समिति उतनी उपसमितियां गठित कर सकेगी जितनी वह उचित समझे ।

(2) उपसमिति केवल समिति के सदस्यों से गठित होगी ।]

16. **समिति का कर्मचारिवृन्द** – केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, समिति अपनी शक्तियों का प्रयोग तथा अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए अपने को समर्थ बनाने के निमित्त उतने अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को नियुक्त कर सकेगी जितने आवश्यक हों और ऐसे अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें अवधारित कर सकेगी ।

17. **समिति के कर्तव्य और पशुओं पर किए जाने वाले प्रयोगों के सम्बन्ध में नियम बनाने की समिति की शक्ति** – (1) समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए कि पशुओं पर किए जाने वाले प्रयोगों से पूर्व, उनके दौरान, या उनके पश्चात् उन्हें अनावश्यक पीड़ा या यातना न पहुंचे ऐसे सभी उपाय करे, जो आवश्यक हों, और उस प्रयोजन के लिए वह भारत के राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए, ऐसे प्रयोगों के किए जाने के सम्बन्ध में ऐसे नियम बना सकेगी जिन्हें वह ठीक समझे ।

[2][(1क) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित विषयों के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात् :–

---

[1] 1982 के अधिनियम सं. 26 की धारा 13 द्वारा अंतःस्थापित ।

[2] 1982 के अधिनियम सं. 26 की धारा 14 द्वारा अंतःस्थापित ।

(क) पशुओं पर प्रयोग करने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं का रजिस्ट्रीकरण ;

(ख) वे रिपोर्टें और अन्य जानकारी जो पशुओं पर प्रयोग करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा समिति को भेजी जाएंगी ।]

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, समिति द्वारा बनाए गए नियम इस प्रकार के होंगे जो निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति सुनिश्चित कर सकें, अर्थात् :–

(क) उन दशाओं में, जिनमें प्रयोग किसी संस्था द्वारा किए जाएं, उनकी जिम्मेदारी उस संस्था के भारसाधक व्यक्ति की होगी, और उन दशाओं में, जिनमें प्रयोग संस्था के बाहर किन्हीं व्यक्तियों द्वारा किए जाएं, वे व्यक्ति उस निमित्त अर्हित हों और प्रयोग उनकी पूरी-पूरी जिम्मेदारी पर किए जाएं ;

(ख) प्रयोग सम्यक् सतर्कता और सहृदयता के साथ किए जाएं और शल्य-क्रिया वाले प्रयोग यथासंभव पर्याप्त शक्ति के संज्ञाहारी के प्रभावाधीन किए जाएं जिससे कि पशुओं को पीड़ा का अनुभव न हो ;

(ग) ऐसे पशु, जो संज्ञाहारियों के प्रभावाधीन प्रयोग के क्रम में इतने क्षत हो जाएं कि उनके ठीक होने के पश्चात् भी उन्हें गंभीर यातना बनी रहे, जब वह संज्ञाहीन ही हों तभी, साधारणतया नष्ट कर दिए जाएं ;

(घ) जहां कहीं, उदाहरणार्थ चिकित्सा संबंधी स्कूलों, अस्पतालों, कालेजों जैसे स्थानों में, पशुओं पर प्रयोगों पर परिवर्जन कर सकना संभव हो वहां उस दशा में ऐसा ही किया जाए जब पुस्तकें, माडल, फिल्म और अन्य वैसी ही शिक्षण-प्रयुक्तियां समान रूप से पर्याप्त हों ;

(ङ) बड़े-बड़े पशुओं पर प्रयोग न किए जाएं यदि गिनी-पिग, शशक, मेंढक और चूहे जैसे छोटे-छोटे पशुओं पर प्रयोग करके वही परिणाम प्राप्त करना संभव हो ;

(च) जहां तक संभव हो, हस्तकौशल प्राप्त करने के प्रयोजन

के लिए ही प्रयोग न किए जाएं ;

(छ) प्रयोग किए जाने के लिए आशयित पशुओं की, प्रयोगों से पूर्व और पश्चात् दोनों ही समय समुचित रूप से देख-रेख रखी जाए ;

(ज) पशुओं पर किए गए प्रयोगों के संबंध में समुचित अभिलेख रखे जाएं ।

(3) इस धारा के अधीन नियम बनाने में, समिति का मार्गदर्शन ऐसे निदेशों द्वारा होगा, जो केन्द्रीय सरकार (उन उद्देश्यों के अनुरूप जिनके लिए समिति स्थापित की गई है) उसे दे और केन्द्रीय सरकार को ऐसे निदेश देने के लिए इसके द्वारा प्राधिकृत किया जाता है ।

(4) समिति द्वारा बनाए गए सभी नियम संस्थाओं के बाहर प्रयोग करने वाले सभी व्यक्तियों तथा ऐसे व्यक्तियों पर आबद्धकर होंगे जो उन संस्थाओं के भारसाधक हैं जिनमें प्रयोग किए जाते हैं ।

18. **प्रवेश तथा निरीक्षण करने की शक्ति** – यह सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि समिति द्वारा बनाए गए नियमों का अनुपालन किया जाता है समिति अपने अधिकारियों में से किसी को या किसी अन्य व्यक्ति को लिखित रूप में इस बात के लिए प्राधिकृत कर सकेगी कि वह किसी संस्था या स्थान का, जहां प्रयोग किए जा रहे हों, निरीक्षण करे और ऐसे निरीक्षण के परिणाम की उसे रिपोर्ट दे, और इस प्रकार प्राधिकृत अधिकारी या व्यक्ति, –

(क) ऐसे किसी समय, जिसे वह उचित समझता है, किसी ऐसी संस्था या स्थान में, जहां पशुओं पर प्रयोग किए जा रहे हों, प्रवेश कर सकेगा और उसका निरीक्षण कर सकेगा ; और

(ख) किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह पशुओं पर किए गए प्रयोगों के बारे में अपने द्वारा रखा गया कोई अभिलेख प्रस्तुत करे ।

19. **पशुओं पर प्रयोगों का प्रतिषेध करने की शक्ति** – यदि धारा 18 के अधीन किए गए किसी निरीक्षण के परिणामस्वरूप, समिति को दी गई किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति की रिपोर्ट पर, या अन्यथा, उस समिति का यह समाधान हो जाता है कि धारा 17 के अधीन उसके

द्वारा बनाए गए नियमों का किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था द्वारा अनुपालन नहीं किया जा रहा है जो पशुओं पर प्रयोग कर रहा है तो समिति, उस व्यक्ति या संस्था को उस मामले में सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, आदेश द्वारा, उस व्यक्ति या संस्था को ऐसा कोई प्रयोग करने के लिए, या तो किसी विनिर्दिष्ट अवधि तक के लिए या अनिश्चित काल के लिए प्रतिषिद्ध कर सकेगी, अथवा उस व्यक्ति या संस्था को, ऐसी विशेष शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें अधिरोपित करना समिति ठीक समझे, ऐसे प्रयोग करने की अनुज्ञा दे सकेगी ।

20. **शास्तियां** – यदि कोई व्यक्ति, –

(क) धारा 19 के अधीन समिति द्वारा किए गए किसी आदेश का उल्लंघन करेगा ; अथवा

(ख) उस धारा के अधीन समिति द्वारा अधिरोपित किसी शर्त को भंग करेगा,

तो वह जुर्माने से, जो दो सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा और यदि वह उल्लंघन या शर्त-भंग किसी संस्था में हुआ है तो उस संस्था के भारसाधक व्यक्ति को उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार वह दंडनीय होगा ।

अध्याय 5

करतब दिखाने वाले पशु

21. **"प्रदर्शन" और "प्रशिक्षण" की परिभाषा** – इस अध्याय में, "प्रदर्शन" से किसी ऐसे खेल-तमाशे में प्रदर्शन अभिप्रेत है जिसमें टिकट बेच करके जनता को प्रवेश दिया जाता है, और "प्रशिक्षण" से ऐसे किसी प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ प्रशिक्षण अभिप्रेत है, और "प्रदर्शक" तथा "प्रशिक्षक" पदों के क्रमश: तत्सम अर्थ हैं ।

22. **करतब दिखाने वाले पशुओं के प्रदर्शन और प्रशिक्षण पर निर्बंधन** – कोई भी व्यक्ति, –

(i) करतब दिखाने वाले किसी पशु का तब तक प्रदर्शन नहीं करेगा या उसे प्रशिक्षण नहीं देगा जब तक कि वह व्यक्ति इस

अध्याय के उपबंधों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत न हो ;

(ii) किसी ऐसे पशु का, जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे पशु के रूप में विनिर्दिष्ट करे जिसे करतब दिखाने वाले पशु के रूप में न तो प्रदर्शित किया जाएगा और न ही प्रशिक्षित किया जाएगा, करतब दिखाने वाले पशु के रूप में न तो प्रदर्शन करेगा और न उसे प्रशिक्षण देगा ।

23. **रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया** – (1) करतब दिखाने वाले किसी पशु का प्रदर्शन करने या उसे प्रशिक्षण देने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, जब तक कि वह ऐसा व्यक्ति न हो जो इस अध्याय के अधीन न्यायायल द्वारा किए गए किसी आदेश के आधार पर रजिस्ट्रीकृत होने का हकदार न हो, विहित प्राधिकारी को विहित रूप में आवेदन किए जाने तथा विहित फीस अदा किए जाने पर, इस अधिनियम के अधीन रजिस्टर किया जाएगा ।

(2) इस अध्याय के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन में, पशुओं के बारे में और जिस करतब में पशुओं का प्रदर्शन किया जाना है या जिस करतब के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाना है उसकी साधारण प्रकृति के बारे में, ऐसी विशिष्टियां दी जाएंगी जो विहित की जाएं, और इस प्रकार दी गई विशिष्टियां विहित प्राधिकारी द्वारा रखे गए रजिस्टर में दर्ज की जाएंगी ।

(3) विहित प्राधिकारी प्रत्येक व्यक्ति को, जिसका नाम उसके द्वारा रखे गए रजिस्टर में दर्ज है, रजिस्ट्रीकरण का विहित प्ररूप में एक प्रमाणपत्र देगा जिसमें रजिस्टर में दर्ज विशिष्टियां होंगी ।

(4) इस अध्याय के अधीन रखा गया प्रत्येक रजिस्टर, विहित फीस अदा करने पर, निरीक्षण के लिए हर उचित समय पर उपलब्ध रहेगा और विहित फीस अदा करने पर कोई भी व्यक्ति उसकी प्रतियां पाने तथा उसमें से उद्धरण लेने का हकदार होगा ।

(5) कोई भी व्यक्ति, जिसका नाम रजिस्टर में दर्ज है, किसी न्यायालय द्वारा इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी आदेश के

उपबंधों के अधीन रहते हुए, अपने बारे में रजिस्टर में दर्ज प्रविष्टियां परिवर्तित कराने का, उस प्रयोजन के लिए आवेदन करने पर, हकदार होगा, और जहां ऐसी कोई विशिष्टियां इस प्रकार परिवर्तित की जाती हैं वहां विद्यमान प्रमाणपत्र रद्द कर दिया जाएगा और नया प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा ।

24. **करतब दिखाने वाले पशुओं के प्रदर्शन के प्रशिक्षण को प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित करने की न्यायालय की शक्ति** – (1) जहां किसी पुलिस अधिकारी द्‌वारा, या धारा 23 में निर्दिष्ट विहित प्राधिकारी द्‌वारा लिखित रूप में प्राधिकृत किसी अधिकारी द्‌वारा, किए गए किसी परिवाद पर किसी मजिस्ट्रेट के समाधानप्रद रूप में यह साबित कर दिया जाता है कि करतब दिखाने वाले किसी पशु का प्रशिक्षण या प्रदर्शन अनावश्यक पीड़ा या यातना के साथ किया गया है और उसे प्रतिषिद्ध या कुछ शर्तों पर ही अनुज्ञात किया जाना चाहिए वहां, न्यायालय ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जिसके बारे में परिवाद किया गया है, प्रशिक्षण या प्रदर्शन का प्रतिषेध करते हुए, या उसके संबंध में ऐसी शर्तें अधिरोपित करते हुए, आदेश दे सकेगा जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं ।

(2) कोई भी न्यायालय, जिसके द्‌वारा इस धारा के अधीन कोई आदेश किया जाता है, उस आदेश के किए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र उसकी एक प्रति उस विहित प्राधिकारी को भिजवाएगा जिसके द्‌वारा वह व्यक्ति, जिसके विरुद्ध आदेश दिया गया है, रजिस्टर किया गया है, और आदेश की विशिष्टियां उस व्यक्ति द्‌वारा धारित प्रमाणपत्र पर पृष्ठांकित कराएगा और वह व्यक्ति, पृष्ठांकन के प्रयोजनों के लिए न्यायालय द्‌वारा प्रमाणपत्र के इस प्रकार अपेक्षित किए जाने पर, प्रमाणपत्र पेश करेगा, तथा वह विहित प्राधिकारी, जिसे इस धारा के अधीन आदेश की कोई प्रति भेजी जाए, उस रजिस्टर में आदेश की विशिष्टियां दर्ज करेगा ।

25. **परिसर में प्रवेश करने की शक्ति** – (1) धारा 23 में निर्दिष्ट विहित प्राधिकारी द्‌वारा लिखित रूप में प्राधिकृत कोई भी व्यक्ति और कोई पुलिस अधिकारी, जो उप-निरीक्षक से नीचे की पंक्ति का न हो, –

(क) किसी भी ऐसे परिसर में, जिसमें करतब दिखाने वाले पशुओं को प्रशिक्षित या प्रदर्शित किया जाता हो अथवा उन्हें

प्रशिक्षण या प्रदर्शन के लिए रखा जाता हो, किसी भी उचित समय पर प्रवेश कर सकेगा और उसका तथा उसमें पाए गए ऐसे किसी भी पशु का निरीक्षण कर सकेगा ; और

(ख) किसी भी व्यक्ति से, जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि वह करतब दिखाने वाले पशुओं का प्रशिक्षक या प्रदर्शक है, यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह अपना रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र पेश करे ।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट कोई भी व्यक्ति या पुलिस अधिकारी, करतब दिखाने वाले पशुओं के सार्वजनिक तमाशे के दौरान, स्टेज पर या उसके पीछे जाने के लिए, इस धारा के अधीन अधिकृत नहीं होगा ।

26. **अपराध** – यदि कोई व्यक्ति, –

(क) जो इस अध्याय के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं है, करतब दिखाने वाले किसी पशु का प्रदर्शन करेगा या उसे प्रशिक्षण देगा ; अथवा

(ख) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत होते हुए, करतब दिखाने वाले किसी ऐसे पशु का, जिसकी बाबत, या ऐसी रीति से, जिसकी बाबत, वह रजिस्ट्रीकृत नहीं है, प्रदर्शन करेगा या उसे प्रशिक्षण देगा ; अथवा

(ग) किसी ऐसे पशु का, करतब दिखाने वाले पशु के रूप में प्रदर्शन करेगा या उसे प्रशिक्षण देगा जो धारा 22 के खंड (ii) के अधीन जारी की गई अधिसूचना के कारण उक्त प्रयोजन के लिए प्रयोग में नहीं लाया जाना है ; अथवा

(घ) प्रवेश और निरीक्षण के बारे में इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने में, धारा 25 में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति या पुलिस अधिकारी को बाधा पहुंचाएगा या जानबूझकर टालमटोल करेगा ; अथवा

(ङ) ऐसे निरीक्षण से बचने की दृष्टि से किसी पशु को

छिपाएगा ; अथवा

(च) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति होते हुए, इस अधिनियम के अधीन अपना प्रमाणपत्र पेश करने के लिए इस अधिनियम के अनुसरण में सम्यक् रूप से अपेक्षित किए जाने पर, बिना उचित कारण के वैसा करने में असफल रहेगा ; अथवा

(छ) जब कि वह इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने का हकदार नहीं है तब ऐसे रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन देगा,

तो वह दोषसिद्ध किए जाने पर जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, या कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

27. **छूट** – इस अध्याय की कोई भी बात, –

(क) वास्तविक सैनिक या पुलिस प्रयोजनों के लिए पशुओं के प्रशिक्षण को, अथवा इस प्रकार प्रशिक्षित किन्हीं पशुओं के प्रदर्शन को, लागू नहीं होगी ; अथवा

(ख) किसी चिड़ियाघर में या किसी ऐसी सोसाइटी या संगम द्वारा रखे गए पशुओं को लागू नहीं होगी जिसका मुख्य उद्देश्य शैक्षणिक या वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए पशुओं का प्रदर्शन करना है ।

अध्याय 6

प्रकीर्ण

28. **धर्म द्वारा विहित वध की रीति के संबंध में व्यावृत्ति** – इस अधिनियम की कोई भी बात किसी समुदाय के धर्म द्वारा अपेक्षित रीति से किसी पशु के वध को अपराध नहीं बनाएगी ।

29. **सिद्धदोष व्यक्ति को, पशु के स्वामित्व से वंचित करने की न्यायालय की शक्ति** – (1) यदि यह पाया जाता है कि किसी पशु का स्वामी इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का दोषी है तो न्यायालय, उस अपराध के लिए उसे सिद्धदोष ठहराए जाने पर, यदि

न्यायालय ठीक समझे तो, किसी अन्य दंड के साथ-साथ यह आदेश भी कर सकेगा कि जिस पशु की बाबत अपराध किया गया था वह सरकार के प्रति समपहृत कर लिया जाए और इसके अतिरिक्त, पशु के व्ययन के संबंध में ऐसा आदेश भी कर सकेगा जिसे वह परिस्थितियों में ठीक समझे ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई भी आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि इस अधिनियम के अधीन किसी पूर्वतन दोषसिद्धि के बारे में साक्ष्य द्वारा अथवा स्वामी के चरित्र के बारे में या अन्यथा पशु के प्रति बर्ताव के बारे में यह दर्शित नहीं कर दिया जाता कि यदि उस पशु को स्वामी के पास छोड़ दिया जाएगा तो उसके प्रति और भी अधिक क्रूरता होना संभाव्य है ।

(3) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, न्यायालय यह आदेश भी दे सकेगा कि इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया व्यक्ति किसी भी किस्म के पशु को, या आदेश में विनिर्दिष्ट किसी प्रकार या नस्ल के पशु को, जैसा भी न्यायालय ठीक समझे, अभिरक्षा में रखने से स्थायी रूप से अथवा ऐसी अवधि के दौरान, जो आदेश द्वारा नियत की जाए, प्रतिषिद्ध होगा ।

(4) उपधारा (3) के अधीन कोई भी आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक –

(क) किसी पूर्वतन दोषसिद्धि के बारे में साक्ष्य द्वारा अथवा उक्त व्यक्ति के चरित्र के बारे में, या अन्यथा उस पशु के प्रति बर्ताव के बारे में, जिसके संबंध में उसे दोषसिद्ध किया गया है, यह दर्शित न किया गया हो कि उक्त व्यक्ति की अभिरक्षा में के पशु के प्रति क्रूरता की जानी संभाव्य है ;

(ख) उस परिवाद में, जिस पर दोषसिद्धि हुई थी, यह उल्लेख न किया गया हो कि परिवादी का आशय यह अनुरोध करना है कि अपराधी के दोषसिद्ध किए जाने पर उसे यथापूर्वोक्त आदेश दिए जाएं ; और

(ग) वह अपराध, जिसके लिए दोषसिद्धि हुई थी, ऐसे क्षेत्र में

न किया गया हो जिसमें किसी ऐसे पशु को रखने के लिए, जिसकी बाबत दोषसिद्धि हुई थी, तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन अनुज्ञप्ति लेना आवश्यक है ।

(5) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, किसी भी व्यक्ति को, जिसकी बाबत उपधारा (3) के अधीन कोई आदेश किया गया है, उस आदेश के उपबंधों के प्रतिकूल किसी पशु को अपनी अभिरक्षा में रखने का अधिकार नहीं होगा और यदि वह आदेश के उपबंधों का उल्लंघन करेगा तो वह जुर्माने से, जो एक सौ रुपए तक का हो सकेगा, या कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

(6) कोई भी न्यायालय, जिसने उपधारा (3) के अधीन कोई आदेश दिया है, स्वप्रेरणा से या इस निमित्त उसे किए गए आवेदन पर, किसी भी समय उस आदेश का विखंडन या उपान्तरण कर सकेगा ।

30. **कतिपय दशाओं में दोष के बारे में उपधारणा** – यदि कोई व्यक्ति धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ठ) के उपबंधों के प्रतिकूल किसी बकरी, गाय या उसकी संतति का वध करने के अपराध से आरोपित किया गया है और यह साबित हो जाता है कि जिस समय अपराध का किया जाना अभिकथित है उस समय उस व्यक्ति के कब्जे में ऐसे किसी पशु की, जो इस धारा में निर्दिष्ट है, सिर की खाल के किसी भाग से संलग्न कोई खाल थी तो, जब तक प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि उस पशु का वध क्रूरता से किया गया था ।

31. **अपराधों की संज्ञेयता** – दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) में किसी बात के होते हुए भी, धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ठ), खंड (ढ), खंड (ण) या धारा 12 के अधीन दंडनीय अपराध उस संहिता के अर्थ में संज्ञेय अपराध होगा ।

32. **तलाशी और अभिग्रहण की शक्तियां** – (1) यदि किसी पुलिस अधिकारी के पास, जो उप-निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का नहीं है, या

इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के पास यह विश्वास करने का कारण है कि धारा 30 में निर्दिष्ट किसी ऐसे पशु के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा (1) के खण्ड (ठ) के अधीन कोई अपराध किसी स्थान में किया जा रहा है या किया ही जाने वाला है या किया गया है या किसी व्यक्ति के कब्जे में ऐसे पशु की ऐसी खाल है जिससे सिर की खाल का कोई भाग संलग्न है तो वह ऐसे स्थान या किसी भी स्थान में, जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वहां ऐसी कोई खाल है, प्रवेश कर सकेगा और तलाशी ले सकेगा और ऐसी कोई खाल या वस्तु या चीज, जो ऐसा अपराध करने में प्रयुक्त की गई हो या की जानी आशयित हो, अभिगृहीत कर सकेगा ।

(2) यदि किसी पुलिस अधिकारी के पास, जो उप-निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का नहीं है, या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसकी अधिकारिता की सीमाओं के भीतर किसी पशु पर फूका या [1][डूमदेव या धारा 12 में निर्दिष्ट प्रकृति की कोई क्रिया की गई है या की जा रही है] तो वह उस स्थान में प्रवेश कर सकेगा जिसमें उसे उस पशु के होने का विश्वास है और वह उस पशु को अभिगृहीत कर सकेगा और उसे उस क्षेत्र के, जिसमें वह पशु अभिगृहीत किया गया है, भारसाधक पशु चिकित्सा अधिकारी के पास परीक्षा के लिए ले जाएगा ।

33. **तलाशी वारण्ट** – (1) यदि किसी प्रथम या द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेट या उपखण्ड मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त या जिला पुलिस अधीक्षक के पास, लिखित इत्तिला पर और ऐसी जांच के पश्चात् जैसी वह ठीक समझे, यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी स्थान में इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है या किया जा रहा है या किया ही जाने वाला है तो वह या तो स्वयं उस स्थान में प्रवेश करके तलाशी ले सकेगा या अपने अधिपत्र द्वारा किसी पुलिस अधिकारी को, जो उप-निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, उस स्थान में प्रवेश करने और तलाशी लेने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा ।

---

[1] 1982 के अधिनियम सं. 26 की धारा 15 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(2) तलाशियों से सम्बन्धित दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) के उपबन्ध, जहां तक वे लागू किए जा सकते हैं, इस अधिनियम के अधीन तलाशियों को लागू किए जाएंगे ।

34. **परीक्षा के लिए अभिग्रहण की सामान्य शक्ति** – कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर का कोई पुलिस अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति, जिसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी पशु के संबंध में इस अधिनियम के विरुद्ध कोई अपराध किया गया है या किया जा रहा है, यदि उसकी राय में परिस्थितियों से ऐसा अपेक्षित है तो, उस पशु को अभिगृहीत कर सकेगा और उसे किसी निकटवर्ती मजिस्ट्रेट द्वारा या किसी ऐसे पशु चिकित्सा अधिकारी जो विहित किया जाए, परीक्षा के लिए ले जाएगा; और ऐसा पुलिस अधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति उस पशु को अभिगृहीत करते समय उसके भारसाधक व्यक्ति से परीक्षास्थल तक उसके साथ चलने की अपेक्षा कर सकेगा ।

35. **पशुओं का उपचार और देख-रेख** – (1) राज्य सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, ऐसे पशुओं के उपचार और उनकी देख-रेख के लिए, जिनके सम्बन्ध में इस अधिनियम के विरुद्ध अपराध किए गए हैं रुग्णावास स्थापित कर सकेगी और मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने के समय तक के लिए किसी पशु का उसमें निरोध प्राधिकृत कर सकेगी ।

(2) वह मजिस्ट्रेट, जिसके समक्ष इस अधिनियम के विरुद्ध किए गए अपराध के लिए अभियोजन संस्थित किया गया है, यह निदेश दे सकेगा कि सम्बद्ध पशु की तब तक रुग्णावास में देख-रेख और उपचार किया जाए जब तक वह अपना सामान्य कार्य करने योग्य न हो जाए या अन्यथा उन्मोचन के योग्य न हो जाए, या यह निदेश दे सकेगा कि वह पिंजरापोल में भेज दिया जाए, या यदि उस क्षेत्र का, जिसमें वह पशु पाया जाए, भारसाधक पशु चिकित्सा अधिकारी या ऐसा अन्य पशु चिकित्सा अधिकारी, जिसे इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए, यह प्रमाणित करता है कि वह लाइलाज है या उसे क्रूरता किए बिना हटाया नहीं जा सकता तो उसे

नष्ट कर दिया जाए ।

(3) किसी रुग्णावास में उपचार और देख-रेख के लिए भेजा गया पशु उस स्थान से, जब तक कि मजिस्ट्रेट यह निदेश नहीं देता कि उसे पिंजरापोल में भेज दिया जाए या नष्ट कर दिया जाए, उस क्षेत्र का, जिसमें रुग्णावास स्थित है, भारसाधक पशु चिकित्सा अधिकारी या अन्य ऐसा पशु चिकित्सा अधिकारी, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए, यह प्रमाणपत्र नहीं दे देता कि वह उन्मोचित किए जाने के योग्य है, छोड़ा नहीं जाएगा ।

(4) किसी पशु को किसी रुग्णावास या पिंजरापोल तक ले जाने का, और रुग्णावास में उसके पोषण और उपचार का खर्च पशु के स्वामी द्वारा, जिला मजिस्ट्रेट या प्रेसिडेंसी नगरों में पुलिस आयुक्त द्वारा विहित की जाने वाली दरों के मापमान के अनुसार संदेय होगा :

परन्तु उस पशु के उपचार के लिए कोई भी प्रभार संदेय नहीं होगा, यदि पशु के स्वामी की निर्धनता के कारण मजिस्ट्रेट वैसा आदेश दे ।

(5) उपधारा (4) के अधीन किसी पशु के स्वामी द्वारा संदेय रकम उसी रीति से वसूल की जा सकेगी जिस रीति से भू-राजस्व की बकाया वसूल की जाती है ।

(6) यदि स्वामी उतने समय के भीतर, जितना मजिस्ट्रेट विहित करे, उस पशु को हटाने से इनकार करता है या उसकी उपेक्षा करता है तो मजिस्ट्रेट निदेश दे सकेगा कि वह पशु बेच दिया जाए और बिक्री से प्राप्त धन को उस खर्च का संदाय करने में उपयोजित किया जाए ।

(7) बिक्री से प्राप्त ऐसे धन का अतिशेष, यदि कोई हो, बिक्री की तारीख से दो मास के भीतर स्वामी द्वारा आवेदन किए जाने पर, उसे दे दिया जाएगा ।

36. **अभियोजनों के परिसीमा** – इस अधिनियम के विरुद्ध किसी अपराध के लिए अभियोजन उस अपराध के किए जाने की तारीख से तीन मास के अवसान के पश्चात् संस्थित नहीं किया जाएगा ।

37. **शक्तियों का प्रत्यायोजन** – केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा प्रयोक्तव्य सभी या कोई भी शक्तियां, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें अधिरोपित करना वह ठीक समझे, किसी राज्य सरकार द्वारा भी प्रयोक्तव्य होंगी ।

38. **नियम बनाने की शक्ति** – (1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, और पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए, बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित सभी या किन्हीं भी विषयों का उपबंध करने के लिए नियम बना सकेगी, अर्थात् :–

(क) बोर्ड के सदस्यों की सेवा [1][की शर्तें], उन्हें संदेय भत्ते और वह रीति जिससे वे अपनी शक्तियों का प्रयोग और अपने कृत्यों का निर्वहन कर सकेंगे ;

[2][(कक) वह रीति जिससे नगर निगमों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों का धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ङ) के अधीन निर्वाचन किया जाना है ;]

(ख) किसी पशु द्वारा ले जाया या ढोया जाने वाला अधिकतम भार (जिसमें उस पर सवारी करने वालों का भार भी सम्मिलित है) ;

(ग) पशुओं के अतिभरण की रोकथाम के लिए पालन की जाने वाली शर्तें ;

(घ) वह अवधि जिसके दौरान और वे घंटे, जिनके बीच किसी भी वर्ग के पशुओं को भार ढोने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाएगा ;

---

[1] 1982 के अधिनियम सं. 26 की धारा 16 द्वारा "के निबन्धन और शर्तें" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1982 के अधिनियम सं. 26 की धारा 16 द्वारा अंतःस्थापित ।

(ङ) किसी लगाम के दहाने या जुए का ऐसा प्रयोग प्रतिषिद्ध करना जिससे कि पशुओं के प्रति क्रूरता होती हो ;

[1][(ङक) धारा 11 की उपधारा (3) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट आवारा कुत्तों के नष्ट किए जाने की अन्य पद्धतियां ;

(ङख) वे पद्धतियां जिनसे ऐसे पशु को, जिसे बिना क्रूरता के नहीं हटाया जा सकता है, धारा 13 की उपधारा (3) के अधीन नष्ट किया जा सकेगा ;]

(च) नालबन्दी का कारबार करने वाले व्यक्तियों के लिए अनुज्ञप्ति और रजिस्ट्रीकरण की ऐसे प्राधिकारी द्वारा अपेक्षा करना जो विहित किया जाए, और उस प्रयोजन के लिए फीस उद्गृहीत करना ;

(छ) बिक्री या निर्यात के प्रयोजनों के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए पशुओं को पकड़ने के सम्बन्ध में बरती जाने वाली पूर्वावधानी, तथा वे विभिन्न उपकरण और युक्तियां, जिनका ही उस प्रयोजन के लिए उपयोग किया जा सकेगा ; और इस प्रकार पकड़े जाने के लिए अनुज्ञप्ति तथा ऐसी अनुज्ञप्तियों के लिए फीस का उद्ग्रहण ;

(ज) रेल, सड़क, अन्तर्देशीय जलमार्ग, समुद्र या वायु द्वारा पशुओं के परिवहन के सम्बन्ध में बरती जाने वाली पूर्वावधानी और वह रीति जिससे तथा वे पिंजरे या अन्य पात्र, जिनमें उनका इस प्रकार परिवहन किया जा सकेगा ;

(झ) उन परिसरों के स्वामियों या भारसाधक व्यक्तियों से, जिनमें पशु रखे जाते हैं या दुहे जाते हैं, ऐसे परिसरों को रजिस्टर करवाने की, परिसरों की चहारदीवारियों या चारों ओर के वातावरण के सम्बन्ध में निर्धारित शर्तों का अनुपालन करने की, यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए कि क्या उनमें इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है या किया जा रहा

---

[1] 1982 के अधिनियम सं. 26 की धारा 16 द्वारा अंतःस्थापित ।

है उनका निरीक्षण करने देने की, और ऐसे परिसरों में इस अधिनियम की धारा 12 की प्रतियां उस भाषा या उन भाषाओं में, जो उस क्षेत्र में सामान्यतः समझी जाती हों, प्रदर्शित करने की, अपेक्षा करना ;

(ञ) वह प्ररूप जिसमें अध्याय 5 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किए जा सकेंगे, वे विशिष्टियां जो उसमें अंतर्विष्ट होंगी, ऐसे रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय फीस और वे प्राधिकारी जिन्हें ऐसे आवेदन किए जा सकेंगे ;

[1][(ञक) वे फीसें जो उन व्यक्तियों या संस्थाओं के रजिस्ट्रीकरण के लिए, जो पशुओं पर प्रयोग कर रहे हैं, या किसी अन्य प्रयोजन के लिए, धारा 15 के अधीन गठित समिति द्वारा प्रभारित की जा सकेंगी ;]

(ट) वे प्रयोजन, जिनके लिए इस अधिनियम के अधीन वसूल किए गए जुर्माने उपयोजित किए जा सकेंगे, और इन प्रयोजनों के अन्तर्गत रुग्णावासों, पिंजरापोलों और पशु चिकित्सा के अस्पतालों का बनाए रखना जैसे प्रयोजन भी हैं ;

(ठ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या विहित किया जाए ।

(3) यदि कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन बनाए गए किसी नियम का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन का दुष्प्रेरण करेगा तो वह जुर्माने से, जो एक सौ रुपए तक का हो सकेगा, या कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

[2]* * * *

[3][**38क. नियमों और विनियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना** – केन्द्रीय सरकार द्वारा या धारा 15 के अधीन गठित समिति द्वारा

---

[1] 1982 के अधिनियम सं. 26 की धारा 16 द्वारा अंतःस्थापित ।

[2] 1982 के अधिनियम सं. 26 की धारा 16 द्वारा उपधारा (4) का लोप किया गया ।

[3] 1982 के अधिनियम सं. 26 की धारा 17 द्वारा अंतःस्थापित ।

बनाया गया प्रत्येक नियम और बोर्ड द्वारा बनाया गया प्रत्येक विनियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन, यथास्थिति, उस नियम या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाए, तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि, यथास्थिति, वह नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।]

39. **धारा 34 के अधीन प्राधिकृत व्यक्तियों का लोक सेवक होना** – धारा 34 के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत प्रत्येक व्यक्ति भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझा जाएगा ।

40. **संरक्षण** – इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी व्यक्ति के विरुद्ध, जो भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक है या समझा जाता है, न होगी ।

41. **1890 के अधिनियम सं. 11 का निरसन** – जहां कि धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन किसी अधिसूचना के अनुसरण में इस अधिनियम का कोई उपबंध किसी राज्य में प्रवृत्त होता है वहां, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1890 (1890 का 11) का ऐसा कोई उपबंध, जो इस प्रकार प्रवृत्त होने वाले उपबन्ध का तत्स्थानी है, तदुपरि निरसित हो जाएगा ।

Cover-III

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित और विक्रयार्थ उपलब्ध पाठ्य पुस्तकों की सूची

क्रम सं.	पुस्तक का नाम, लेखक का नाम एवं प्रकाशन वर्ष (संस्करण)	पृष्ठ सं.	पुस्तक की मूल मुद्रित कीमत (रुपयों में)	विशेष छूट के पश्चात् पुस्तक की कीमत (रुपयों में)
1.	अन्तर्राष्ट्रीय विधि के प्रमुख निर्णय – डा. एस. सी. खरे – 1996	273	115	29.00
2.	भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम (कालजयी निर्णय) – विधि साहित्य प्रकाशन – 2000	209	225	57.00
3.	विधि शास्त्र – डा. शिवदत्त शर्मा – 2004	501	580	290.00
4.	मानव अधिकार – डा. शिवदत्त शर्मा – 2006	340	120	60.00
5.	निर्णय लेखन – न्या. भगवती प्रसाद बेरी – 2019	190	175	–

अन्य महत्वपूर्ण प्रकाशन

1. विधि शब्दावली	सातवां संस्करण, 2015	कीमत रु. 375/-
2. निर्वाचन विधि निर्देशिका (भाग-1 तथा भाग-2)	नवीनतम संस्करण, 2019	कीमत रु. 1,900/-
3. भारत का संविधान (सिंधी भाषा में)	1998	कीमत रु. 45/-
4. बहुभाषी संविधान शब्दावली	1986	कीमत रु. 12/-

विधि साहित्य प्रकाशन
(विधायी विभाग)
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार
भारतीय विधि संस्थान भवन,
भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001
Website : www.lawmin.nic.in
Email : am.vsp-molj@gov.in

Cover-IV

भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत रजि. सं. 47259/88

सादर

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा तीन मासिक निर्णय पत्रिकाओं – **उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका** का प्रकाशन किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका में उच्चतम न्यायालय के चयनित निर्णयों को और उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका तथा उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका में देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के चयनित क्रमशः सिविल और दांडिक निर्णयों को हिन्दी में प्रकाशित किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका को उपादेय और ज्ञानवर्द्धक बनाने के लिए प्रिवी कौंसिल के निर्णयों को भी समाविष्ट किया जा रहा है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत क्रमशः ₹ 2,100/-, ₹ 1,300/- और ₹ 1,300/- है । तीनों मासिक निर्णय पत्रिकाओं के नियमित ग्राहक बनकर हिन्दी के प्रचार-प्रसार के इस महान यज्ञ के भागी बन कर अनुगृहीत करें । साथ ही यह भी अवगत कराया जाता है कि केन्द्रीय अधिनियमों, विधि शब्दावली, विधि पत्रिकाओं और अन्य विधि प्रकाशनों को आन लाइन **https://bharatkosh.gov.in/product/ product** पर प्राप्त किया जा सकता है ।

विधि साहित्य प्रकाशन
(विधायी विभाग)
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार
भारतीय विधि संस्थान भवन,
भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001
दूरभाष : 011-23387589, 23385259, 23382105

विक्रेता : सहायक प्रबंधक, कारबार अनुभाग, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, आई. एल. आई. बिल्डिंग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 । दूरभाष **:** 011-23385259, 23387589, फैक्स **:** 011-23387589, ई-मेल **:** am.vsp-molj@gov.in